रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन)—128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 5, 1991 (आश्विन 13, 1913)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 5, 1991 (ASVINA 13, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बम्बई, दिनांक 5 अक्तूबर 1991

सं० सी० एल 2/91-92/513:—भारत के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना क्र० एफ (8)70बी/52 के अन्तर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गये नियमों के अन्तर्गत नियम 18 के अनुसरण में (30 सितम्बर, 1990 को समाप्त तिमाही/छःमाही के लिये) निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिनके सम्बन्ध में इस बात का विश्वास करने के लिये प्रथम दृष्ट्या आधार मौजूद हैं कि प्रतिभूतियां खो गई हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, बम्बई को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियाँ शामिल की गई है और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूति का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम में जारी की गई	किस तारीख से ड्यूप्लीकेट जारी करने और/ या उन्मोचन मूल्य की अदायगी के लिये दावेदार(रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की संख्या और तारीख
		कलकत्ता मंडल		
		3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946		
सी० ए०–394361	4,000	श्री कनकेन्द्र नाथ दत्ता	16–3–86 कनकेन्द्र नाथ दत्ता	संयुक्त प्रबन्धक का आदेश दिनांक 26–7–90 डीबाय सं० एस० सी० ओ० 25/ 90–91 दिनांक 26–7–90
		नई दिल्ली मण्डल		
		3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946		
डी० एच० 029626	5,000/––	कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स अकाउन्ट्स (इस्टर्न कमांड)	16–3–57 पंजाब एण्ड सिंध बैंक डंपीयर नगर, मथुरा	एल० एन०-707 दिनांक 29–8–90
डी० एच० 029627	1,000	वही	वही वही	वही
		3 प्रतिशत प्रथम विकास ऋण, 1970–75		
डी० एच०–006554	25,000/–	अलाहाबाद बैंक, लखनऊ	15–4–1954 महिला विद्यालय, लखनऊ	एल० एन०–708 दिनांक 26–9–90
		नागपुर मण्डल		
		राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बन्ध पत्र, 1980 श्रंखला "बी"		
एम० जी०–002473	185 ग्राम	मैसर्स सरदार मल सुन्दरलाल गांधी	26–10–67 मैसर्स सरदार मल सुन्दरलाल गांधी	सी० ओ० II, दिनांक 12–7–1990

सूची "ख"

प्रति भूति की संख्या	मूल्य रु०/ग्रा०	किसके नाम जारी	किस दिनांक से ब्याज देय है	अनुलिपि जारी करने और/ या भुगतान की अदायगी के लिये दावा करने वाले/वालों के नाम	जारी किये गये आदेशों की संख्या और दिनांक
		पटना मण्डल			
		राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बन्धपत्र, 1980 "ए" सीरीज			
पी० टी० 000040	37 ग्राम	बाबू लाल अग्रवाल	28–12–65	बाबू लाल अग्रवाल	सी० ओ० 319 दिनांक 22–5–1985
पी० टी० 000046	15 ग्राम	ज्ञानवती सुलतनियां	27–10–77	ज्ञानवती सुलतनियां	सी० ओ० 292 दिनांक 29–4–1986
		राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बन्ध पत्र 1980 "बी" सीरीज			
पी० टी० 000033	451 ग्राम	ज्ञानवती सुलतनियां	27–10–77	ज्ञानवती सुलतनियां	सी० ओ० 292 दिनांक 29–4–1986
पी० टी० 000044	10 ग्राम	प्रहलाद दास	15–11–65	प्रहलाद दास	सी० ओ० 90 दिनांक 24–9–1987

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 9 सितम्बर 1991

क्र० सं० 11/1991—भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम, 1959 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिये गये अधिकारों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर / हैदराबाद/ इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 के विनियम 2 में निम्नलिखित संशोधन किया है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं संबंधित सहयोगी बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है :—

1. यह विनियमन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर के सभी अधिकारियों पर लागू होगा एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद / इन्दौर/ मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होगा जिनपर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जितने अनुबन्धों को लागू करने का निर्णय लिया जायेगा उतने अनुबन्ध लागू होंगे।

2. सक्षम अधिकारी द्वारा विशेषतः या साधारणतः यथा निर्धारित अंश को छोड़कर ये भारत से बाहर स्थानान्तरित/नियुक्त/प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

3. फिर भी, ये भारत के बाहर किसी अन्य देश में नियुक्त/कार्यरत एवं स्थायी रूप में वहां सेवारत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

केन्द्रीय निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वी० महादेवन,
प्रबन्ध निदेशक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली–110002, दिनांक 19 सितम्बर 1991

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 54–ई० एल० (1)/13/91—चूंकि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम 1988 (जैसा कि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स (संशोधन) विनियम 1991 से संशोधित किया गया है) के विनियम 82, जिसे कि विनियम 134 के उप–विनियम (1) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद ने दिनांक 19–3–1991 को अधिसूचना संख्या 54–ई० एल० (1)/4/91 के तहत, इंस्टीट्यूट की परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदों के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव से सम्बन्धित तिथियां अधिसूचित की थीं।

और चूंकि सिविल अपील संख्या 3571–73/91 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10–9–91 के निर्णय को मध्यनजर रखते हुए पहले अधिसूचित तिथियों में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है।

अब इसलिए, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम 1988 (जैसा कि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स (संशोधन) विनियम 1991 से संशोधित किया गया है के विनियम 82 की प्रोविजों, जिसे कि विनियम 134 के उप विनियम (1) के साथ पढ़ा जाए तथा जिसे कि 16–9–1991 को हुई परिषद की 151वीं बैठक में विनियम 205 के तहत पारित प्रस्ताव के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद को, इंस्टीट्यूट की परिषद तथा क्षेत्रीय परिषदों के सदस्यों के चुनाव से सम्बन्धित निम्नलिखित परिवर्तित तिथियों को अधिसूचित करने में हर्ष है :—

1. नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	12–10–1991
2. नामांकन वापस लेने की अन्तिम तिथि	25–10–1991
3. मतदान की तिथि अथवा तिथियां :	—
(1) बम्बई, मद्रास, कलकत्ता एवं दिल्ली/नई दिल्ली	6–7–12–1991
(2) अन्य शहर/कस्बे	6–12–1991
4. विनियम 112 के तहत डाक द्वारा मतदान की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	4–10–1991
5. डाक द्वारा मत पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं समय	10-12-91 (सायं 5 बजे)
6. परिणाम घोषित करने की तिथि	26–12–1991

16 सितम्बर, 1991 को परिषद की 151 वीं बैठक में विनियम 205 के तहत परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव एवं आदेश।

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया परिषद ने इंस्टीट्यूट की 15वीं परिषद एवं 14वीं क्षेत्रीय परिषदों के लिए होने वाले चुनावों की अनेक तिथियों का वर्णन करते हुए, विनियम 82 के अन्तर्गत जिसे कि विनियम 134 के उप–विनियम (1) के साथ पढ़ा जाए, 19 मार्च, 1991 को अधिसूचना सं० 54–ई० एल० (1)/4/91, जारी की थी। चूंकि कुछ उम्मीदवार उच्च न्यायालयों में गए, जिससे परिषद को सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दर्ज करनी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10 सितम्बर, 1991 के अपने आदेश में निम्न तरह निर्दिष्ट किया है :—

"इससे पहले वर्णित कारणों को मध्यनजर रखते हुए, हम बम्बई उच्च-न्यायालय के निर्णय एवं आदेश को अगस्त करते हैं और हम मानते हैं कि प्रत्यर्थी के नामांकन पत्र को अस्वीकार करना ही था क्योंकि यह समय पर प्राप्त नहीं हुआ था तथा प्रत्यर्थी विनिर्दिष्ट समय एवं दिन से पहले सचिव को एक पावती के विरुद्ध नामांकन की एक प्रति परिदत्त करने में असफल रहा। फिर भी हमें पता चला है कि वर्तमान मामले में चुनाव पहले से ही स्थगित कर दिये गये हैं और चुनाव

की प्रस्तावित तिथियां, अब सम्भवत: अक्तूबर अथवा नवम्बर, 1991 में तय की जाएगी । इन घटनाक्रमों में, हम निर्देश देते हैं कि अगस्त 1991 के अन्त तक प्राप्त समस्त नामांकनों को समय में प्राप्त माना जाए बशर्ते कि सचिव इस बात से सन्तुष्ट हो कि ये सब पहले विनिर्दिष्ट समय एवं दिन से 48 घंटे पहले पंजीकृत डाक द्वारा अग्रसारित कर दिए थे । परिषद किसी भी तिथि जिसे वह चुनाव हेतु उचित समझे, तय कर सकती है । यह अपील उपरोक्त तक मंजूर की जाती है ।''

सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश को मध्य नजर रखते हुए परिषद द्वारा पहले से अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं । चुनाव से सम्बन्धित विनियमों की व्यवस्थाओं को कार्य रूप देने हेतु परिषद का विचार रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के परिणाम स्वरूप चुनाव कार्यक्रमों का पुन: समय सारणी बनाना ही उचित होगा ।

इसलिए, परिषद की राय है कि चुनावों के आयोजन में आने वाली समस्त कठिनाइयों को दूर करने तथा जिन उम्मीदवारों के नामांकन उचित पाए गए थे उन्हें भी उचित अवसर दिए जाने के हेतु निम्नलिखित नई तिथियां तय की जाए । इसमें उन उम्मीदवारों को जिन्होंने पहले अपना नामांकन वापस ले लिया था उन्हें भी एक अवसर दिए जाने की बात भी शामिल है । उन उम्मीदवारों के संदर्भ में जिनका नामांकन शुल्क पहले नामांकन देर में प्राप्त होने के कारण वापस कर दिया था उन्हें पूछा जाए कि अगर वह चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो वे फिर से अपना नामांकन शुल्क जमा करवाए ।

1. नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	12-10-91
2. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	25-10-91
3. मतदान की तिथि अथवा तिथियां :	
(i) बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, एवं दिल्ली/नई दिल्ली	6-7-12-91
(ii) अन्य शहर/कस्बे	6-12-91
4. विनियम 112 के तहत डाक द्वारा मतदान की अनुमति हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	4-10-91
5. डाक द्वारा मत पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	10-12-91 (सायं 5 बजे)
6. परिणाम घोषित करने की तिथि	26-12-91

उपरोक्त घटनाक्रमों को मध्यनजर रखते हुए एवं समस्त संविग्धार्थाओं से बचने हेतु 15 वीं परिषद को 18 जनवरी, 1992 को जोकि इसकी प्रथम बैठक का दिन है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित माना जायेगा ।

परिषद के आदेश से

ए० के० मजुमदार
सचिव

दिनांक 20 सितम्बर 1991

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 25—सी० ए० (28)/ 89—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया की परिषद द्वारा श्री ए० के० मेहरा, एफ०सी० ए०, मैसर्स ए० के० मेहरा एण्ड कं०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, 113/195, कमला कुंज (नजदीक एक्साइज आफिस), स्वरूप नगर, कानपुर—208012 (सदस्यता संख्या 9963), को व्यवसायिक दुराचार का दोषी पाया गया और परिषद ने दिनांक 07 जून, 1991 को आदेश दिए कि उनका नाम इंस्टीट्यूट के सदस्यों के रजिस्टर से 15 दिनों की अवधि के लिए हटा दिया जाए, उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर से दिनांक 01 अक्तूबर, 1991 से 15 दिनों कि अवधि के लिए हटाया हुआ माना जाएगा ।

ए० के० मजुमदार
सचिव

दि इंस्टीटयूट ऑफ

कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्टस ऑफ इण्डिया

कलकत्ता—700016, दिनांक 16 सितम्बर 1991

(लागत लेखाकार)

सं० 18—सी० डब्ल्यू० ए० (1) 91—कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उपधारा (5) का अनुसरण करते हुए, सर्व साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा द काउन्सिल ऑफ दि इंस्टीटयूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया का प्रतिवेदन तथा उक्त इंस्टीटयूट का दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त अंकेक्षित लेखे को प्रकाशित किया जा रहा है ।

एस० आर० आचार्या
सचिव

वार्षिक प्रतिवेदन 1990–91

द कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स एक्ट 1959 की धारा 18 (3) के अन्तर्गत जारी :

द इंस्टीटयूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स के केन्द्रीय काउन्सिल की ओर से वर्षान्त 1990–91 का वार्षिक प्रतिवेदन अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है ।

प्रेसीडेंट	वाइस प्रेसीडेंट
श्री शंकर दत्त	श्री पी० डी० फडके

दिनांक 22 जुलाई, 1990 को सम्पन्न काउन्सिल ने अपनी बैठक में श्री शंकर दत्ता, बी० कॉम, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए० एफ० सी० ए०, ए० सी० एम०, ए० को इंस्टीटयूट का प्रेसिडेण्ट तथा श्री पी० डी० फडके बी०ए०, एम० कॉम०, एल० एल० बी०, वाइस प्रेसीडेण्ट 1990–91 के लिए चुना है ।

काउन्सिल :

1989 में निर्वाचित 11 वीं काउन्सिल अपना कार्यकाल 1992 में पूर्ण करेगी । केन्द्रीय सरकार ने अपनी पत्र संख्या 2/8/89–आई० ओ० सी०, दिनांक 11–10–1990 के माध्यम से श्री सी० रामस्वामी, को सलाहकार (लागत) को भारत सरकारी, वित्त मंत्रालय को श्री के० पी० शर्मा, जो कि 30–6–1990 को सेवा निवृत्त हुए, के स्थान पर नामित किया है । केन्द्र सरकार ने श्री पी० विजय राघवन संयुक्त सचिव, कम्पनी अफेयर्स विभाग को श्री सी० आर० सुन्दराजन के स्थान पर काउन्सिल का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने तक अपनी पत्र संख्या 2/8/89–आई० ई० जी० सी०, दिनांक 4–6–1991 के माध्यम से नामित किया है ।

इस वर्ष की अवधि में काउन्सिल की 5 बैठकें हुईं ।

काउन्सिल की कमेटियां :

22 वीं जुलाई 1990 को सम्पन्न बैठक में विभिन्न कमेटियों का पुनर्गठन किया गया । ये नई कमेटियां इस वर्ष की अवधि में कई बार मिलीं । इन कमेटियों के सदस्यों के नाम का विवरण तथा इनके द्वारा की गई बैठकों का विवरण अनुलग्न I में दर्शाया गया है ।

सदस्यता :

इस वर्ष की अवधि में 1009 पात्र सदस्यों को सदस्य बनाया गया एसोसिएट सदस्य के रूप में तथा 71 सदस्यों को फैलो मेम्बर्स के रूप में स्वीकृत किया गया । 31 मार्च 1991 तक की कुल सदस्यता 9869 रही । सदस्यता का गठन अनुलग्नक II में दिया जा रहा है । यह एक बहुत ही आशाजनक स्थिति है जिसे देखकर हमें उत्साह भी होता है कि अधिक से अधिक हमारे सदस्य इसे वृत्ति के रूप में अपना रहे हैं ।

31–3–1991 को गत वर्ष 999 की तुलना में इस वर्ष 1075 सदस्यों ने इसे वृत्ति के रूप में अपनाया है । 3000 ग्रेड सी० डब्ल्यू० ए० आई० पंजी पर है जिन्होंने सेवाओं के अपेक्षित वर्ष तथा अन्य शर्तें पूर्ण कर पात्रता प्राप्त कर ली है ।

वे सदस्य जिन्होंने अपना पार्थिव शरीर का त्याग किया (मृत सदस्य)

इंस्टीटयूट को सूचित करते हुए खेद होता है कि इस वर्ष की अवधि में निम्न लिखित सदस्यों ने अपना पार्थिव शरीर त्याग कर हमें सदा सर्वदा के लिए छोड़ दिया ।

क्रम सं०	नाम	सदस्य सं०	जन्म तिथि
1	2	3	4
		से नाम हटाया गया	
1.	श्री कनाई लाल पाल, एमकॉम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	27–3–1990(एम०/632)	कलकत्ता
2.	श्री बी० व्यंकटपथि राजू, बी० ए० बी० काम	9–6–1990 (2112)	वाइजाग
3.	श्री यतीन्द्र नाथ घोष, बी० कॉम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	29–3–90 (एम/1516)	कलकत्ता
4.	श्री जी० एस० शंकरन, बी० कॉम, ए० आई० सी० डब्ल्य०	24–3–90 (एम०/5279)	जमशेदपुर
5.	श्री आर० रामसुब्रमनियन बी०कॉम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए० एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	13–4–90 (एम०/77)	बम्बई
6.	श्री सी० बी० पटवर्धन, एम० कॉम एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	17–6–90 (एम/1235)	पूणे
7.	श्री बी० एस० बिलमोरिया, एफ० सी० ए, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए	26–7–90 (एम/19)	बम्बई
8.	श्री निलाद्रि कुमार बो, बी० एस० सी०, एफ० सी० एम० एफ० आई० सी डब्ल्यू०	18–1–91 (एम/196)	कलकत्ता
9.	श्री एस० के० बेरी, बी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	1–4–90 (एम/494)	गाजियाबाद

1	2	3	4
10.	श्री रामचन्द्रन, बी० ई० एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	20-2-91	(एम/1415) मद्रास
11.	श्री सी० एस० बालसुब्रमनियन, बी० कॉम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	12-3-91	(एम/2186) पालघाट
12.	श्री टी० श्रीनिवासन बी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	26-3-90	(एम/1669) मद्रास
13.	श्री के० सुब्रमणियन, बी० ए, बी० कॉम, ए० सी० एम ए, एफ० आई० सी डब्ल्यू० ए०	01-10-90	(एम/485) बम्बई
14.	श्री शंकर राय चौधरी, बी० कॉम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	06-02-91	(एम०/3707) दुर्गापुर
15.	श्री टी० एस० रंगनाथन, बी० एस० सी०, बी० एल, एफ० सी० ए, एफ० सी० एम० ए०, ए० एम० बी० आई० एम०, एफ० आई० सी डब्ल्यू० ए०	10-04-91	(एम/437) मद्रास
16.	श्री बी० एस० कालातरी, बी० कॉम, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	31-03-91	(एम/998) ओशार
17.	श्री ई० के० व्यंकटरमणी, बी० एस० सी०, ए० आई० सी डब्ल्यू० ए०	24-05-91	(एम०/504) मद्रास
18.	श्री मणिलाल बधोपाध्याय, बी० कॉम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	19-3-91	(एम/550) उत्तरपाडा
19.	श्री सी० टी० करूपिया, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०	24-5-91	(एम/2793) मद्रास

पंजीकृत विद्यार्थी :

इस वर्ष की अवधि में इंस्टीटयूट में 25686 विद्यार्थियों ने अपना नाम पंजीकृत कराया है। गत वर्ष इनकी संख्या 22333 थी। इस वर्ष के अंत में पंजीकृत छात्रों की संख्या 1,42,246 रही।

उपशिक्षण (कोचिंग)

उपशिक्षण (कोचिंग) हेतु इस वर्ष की अवधि में 36,685 विद्यार्थियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। उसका विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :

	डाक		मौखिक		कुल डाक + मौखिक	
	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91
माध्यमिक	8,726	8,800	17,808	21,896	26,534	30,606
अन्तिम	5,173	4,040	1,532	1,949	6,705	5,989
	13,899	12,840	19,340	23,845	33,239	36,685

1990-91 की अवधि में वर्ष 1989-90 की तुलना में अधिक विद्यार्थियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। वर्तमान पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष की अवधि में क्षेत्रीय काउन्सिलों के माध्यम से विद्यार्थियों को डाक उप शिक्षण (कोचिंग) के माध्यम से अध्ययन टिप्पणियों की आपूर्ति, प्रश्न पत्र तथा उसके प्रस्तावित सवालों की आपूर्ति कर उनकी सहायता प्रदान की गई है। डाक एवं मौखिक उपशिक्षण (कोचिंग) हेतु माध्यमिक एवं अन्तिम परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए उनकी मांग की पूर्ति के लिए संस्थान की परीक्षा के प्रस्तावित प्रश्न एवं उनके उत्तर अनवरत प्रकाशित किए जाते हैं।

उपशिक्षण प्रमाण

उपशिक्षण पूर्णतः प्रमाणपत्र प्राप्ति हेतु पुनर्वैधिकरण :

इस योजना के अन्तर्गत, नवीकर पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया और जिन लोगों ने संबंधित परीक्षा का कार्यकाल समाप्त होने के 3 वर्ष पूर्व उप शिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था ऐसे विद्यार्थियों के लिए डाक एवं मौखिक रूप से 1982 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की।

शिक्षार्थियों की शिकायतें दूर करने के लिए एक विंग :

विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। उनके द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब प्रायः सभी विभागों द्वारा यथा संभव शीघ्रातिशीघ्र दिया जाता है। इस वर्ष की अवधि में सामान्य रूप से शिकायतों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है।

कम्प्यूटरीकरण :

वर्तमान काल में कम्प्यूटर प्रणाली (एच० सी० एल०-हीराईज-III) इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में स्थापित किया गया है जो हमें निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है :

1. प्रति सत्र करीबन 60000 (लगभग) विद्यार्थियों का परीक्षा फल निकालना जिसमें प्रवेश पत्र, अंक

तालिका और प्रमाण पत्र (माध्यमिक और अन्तिम परीक्षा) सफल विद्यार्थियों के लिए तैयार करना भी शामिल है।

2. प्रबंधन लेखा (गृह पत्रिका) की डाक प्रेषण द्वारा भेजने के लिए जिसकी संख्या लगभग 40,000 है उसकी डाक तालिका बनाना। इसमें गृह पत्रिका का कुल लेखा तथा स्टेट्स लिस्ट का निर्माण भी शामिल है।

3. बैंक से प्राप्त खातों की संक्षिप्त तालिका बनाना।

भविष्य योजना

निकट भविष्य में कम्प्यूटर केन्द्र निम्नलिखित कार्य करेगा :

1. प्राप्तियां और भुगतान का वृत्त लेख रखना

2. इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों की तालिका (वेतन-तालिका) बनाना भविष्य निधि का हिस्सा रखना तथा अन्य संबंधित कार्य करना।

3. इंस्टीट्यूट द्वारा अपेक्षित लेखा संबंधी कार्य का लेखा-जोखा रखना।

4. सदस्यों का अभिलेख आदि रखना।

बढ़े हुए कार्य समय रहते करना और तुरन्त एवं प्रभावी कार्य सुनिश्चित करना, वर्तमान कम्प्यूटर की सुविधाओं का विस्तार ऑन लाइन पद्धति पर करने का विचार सक्रिय रूप से किया जा रहा है। इस विषय में विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया गया है और एक अतिरिक्त प्रणाली शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना है ताकि इंस्टीट्यूट के गतिविधियों की प्रगति तथा विद्यार्थियों की एवं सदस्यों की तत्परता से सेवा करने में गुणात्मक प्रगति हो।

आने वाला संशोधित पाठ्यक्रम

इस वर्ष, भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम अग्रेषित किया गया है। यह पाठ्यक्रम भारत सरकार से चर्चा करने हेतु अंतिम चरण में है।

परीक्षा

जून तथा दिसम्बर, 1990 में इंस्टीट्यूट की परीक्षाएं यथावत हुई। भारत में 54 केन्द्रों में तथा भारत के बाहर 8 केन्द्रों में परीक्षाएं संपन्न हुई। परीक्षा केन्द्रों की तालिका अनुलग्नक-III में दी गई है।

हिन्दी को माध्यम बनाने का कार्य प्रगति पर है।

अंतिम परीक्षा में 2542 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की तथा माध्यमिक एवं प्राथमिक परीक्षा में 5876 और 19000 विद्यार्थी सफल घोषित हुए। केवल 3 विद्यार्थियों ने लेखा प्रबंधन भाग-1 की परीक्षा उत्तीर्ण की। विस्तार-पूर्वक परिणाम अनुलग्नक-III में दिए गए हैं।

556 विद्यार्थियों को प्रतिभा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पुरस्कार एवं प्रतिभा प्रमाणपत्र विजेताओं की तालिका अनुलग्नक 5 में दी गई है।

विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना

वृत्तिक विकास निदेशालय द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में योग्यता प्राप्त माध्यमिक एवं अन्तिम परीक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का अवसर देंगे। प्रशिक्षण संबंधी योजना की एक नई पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है और उसे उद्योगों में वितरित किया गया है। यह इंटरव्यू विभिन्न प्रतिष्ठानों से और उद्योगों से अच्छे प्रत्युत्तर आ रहे हैं। क्षेत्रीय काउन्सिलों को यह जवाबदारी दी गई है विद्यार्थियों को लागत एवं लेखा प्रबंधन में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कार्य मों का आयोजन करें।

निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम

देश के विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम निदेशालय द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें सदस्यों के लिए कार्यक्रम, उद्योगों में कार्यपालकों के लिए कार्यक्रम तथा सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए कार्यक्रम अलाभ अर्जनकारी प्रतिष्ठानों में लेखा प्रबंधन संबंधी विभिन्न वृत्तिक रूचि के विभिन्न क्षेत्रों में वित्त तथा संसाधन प्रबंधन भी शामिल है।

सम दिशा में कार्य करने वाले वृत्तिक संस्थानों, लोक उद्यम ब्यूरो, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा रेलवे के राजस्व विभाग आदि ने ये कार्यक्रम चलाए।

इस वर्ष की अवधि में सी० ए० जी० ऑडिट के अधिकारियों के लिए कार्यक्रमों का संचालन किया गया है।

विभिन्न क्षेत्रीय काउन्सिलों तथा चैप्टरों ने भी कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिसका प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के अपने-अपने खण्ड में प्रकाशित किया गया है।

वृत्तिक विकास

इस वर्ष की अवधि में कम्पनी लॉ बोर्ड ने 15 कम्पनियों के विषय में कास्ट आडिट के आदेश दिए और इस तरह इसमें कुल 158 की संख्या आवरणित की गई (संलग्नक में विस्तारपूर्वक वर्णन दिया गया है)। इन कम्पनियों का प्रति दूसरे वर्ष—वित्तीय वर्ष में—कॉस्ट ऑडिट किया जाना है। ये आंकड़े अपेक्षित आंकड़ों से पर्याप्त कम है। मिनी स्टील प्लाट इंडस्ट्री को कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (1) (डी) में शामिल करने के बाद भी कॉस्ट एकाउन्टिंग के अनिवार्य अभिलेख रखने के नियम के अन्तर्गत केवल 37 कम्पनियां ही हुई। इस आदेश में कई कम्पनियों को छोड़ दिया गया है। जो कॉस्ट ऑडिट के अन्दर आ सकती थी। सैकड़ों इकाइयों के विषय में जिनके लिए कॉस्ट ऑडिट के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है उनके विषय में कम्पनी अफेयर्स विभाग को लिख दिया गया है और वे लोग इन कम्पनियों को आदेश जारी करने की

प्रक्रिया कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट इस बात का भी प्रयास कर रहा है कि वे इस बात का भी पता लगायें कि किन इकाइयों को कॉस्ट ऑडिट आर्डर नहीं दिया गया है।

इंस्टीट्यूट ने कम्पनी अफेयर्स विभाग के साथ कई बार आलोचना की ताकि अधिक अधिक उद्योगों को लागत लेखा अभिलेख के अन्तर्गत शामिल किया जा सके। अब इसके ऊपर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। यह आशा की जा रही है कि आगामी आने वाले वर्ष में कई लागत अंकेक्षण आदेश प्राप्त होंगे।

विभिन्न सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी प्रतिष्ठान लागत लेखाकारों को अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता प्राप्त लेखाकारों के समान मान्यता देते हैं इसके परिणाम बहुत ही आशा जनक हैं। आयकर को संशोधित करने का सक्रिय प्रयास किया जा रहा है ताकि एक कास्ट एकाउन्टेन्ट को एकाउन्टैन्ट की व्याख्या में शामिल किया जा सके।

हमारे प्रेसिडेंट ने 1990–91 के वर्ष को "लागत सचेतना" का वर्ष घोषित किया है। इस संवाद के प्रसार हेतु देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय काउन्सिलों चैप्टरों द्वारा कई आयोजन, संगोष्ठियों और सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों का सदस्यों, उद्योगों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा।

विशेष अध्ययन :

सेना की लाजिस्टिक इकाइयों में उत्तम बजटिंग तथा नियंत्रण हेतु लागत प्रणाली को चालू करने की संभावनाओं के अध्ययन के लिए भारत सरकार के मुख्यालय द्वारा इंस्टीट्यूट को नियुक्त किया गया। इस आशय के लिए 6 क्षेत्र निर्वाचित किए गए। इस कार्य को इंस्टीट्यूट के वृत्तिकों के एक दल ने किया तथा वह भी इंस्टीट्यूट के बाहर और उसकी रिपोर्ट सेना के मुख्यालय को दी। यह एक उल्लेखनीय बात है कि इसमें हमारे सदस्य विंग–कमांडर वी० वी० अग्रवाल (सेवा निवृत्त) तथा श्री रमण शेषाद्रि ने सहयोग दिया।

पूर्ण होने के पूर्व कई अध्ययन किए गए। इस वर्ष की अवधि में जो प्रमुख अध्ययन किए गए हैं वे इस प्रकार हैं :

1. भारतीय रेलवे के प्रमुखक कारखानों की मरम्मत और रख रखाव पर नियंत्रण तथा
2. नेशनल डेयरी डिवलपमेंट बोर्ड में लागत अध्ययन हेतु मैनुअल को अद्यतन करना और उसकी समीक्षा करना।

गृह पत्रिका :

इंस्टीट्यूट की गृह पत्रिका ने चुनौती पूर्ण अवधि में प्रबंधन लेखा पर काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं दीं तथा प्रबंधन संबंधी एक नया मोर्चा बनाया जिसमें स्टाक एक्सचेंज तथा शेयर मार्केट, बीमा व्यापार तथा निगमित क्षेत्र भी शामिल कर लिए गए। इसमें बहुत ही उच्च स्तर के प्रबंध अनुभवी वृत्तिकों द्वारा लिखे जाते हैं। सामान्यतया इसमें लिखे जाने वाले प्रबंधों में लेखा गणना तथा वित्त पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न क्षेत्रों को लिया जाता है जहां इनकी आवश्यकता होती है साथ ही ऐसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला जाता है जहां इन क्षेत्रों में प्रमुखता से ध्यान आकर्षित किया जाना है।

यह गृह पत्रिका अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है इस कार्य के लिए एक विद्यार्थी – खण्ड है जिसमें उन परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्व–पूर्ण सामग्री दी जाती है जो परीक्षा के लिए प्रस्तुति करते हैं और यही कारण है कि यह गृह पत्रिका देश और विदेश दोनों ही स्थानों पर बहुत ही लोकप्रिय हो गई है।

शोध कार्य :

आलोचनाधीन वर्ष का आरंभ निरन्तर आधार पर शोध निदेशालय के विकास कार्यक्रमों का आरंभ बहुत ही अच्छा रहा। कास्ट आडिट इन फारमूलेशन इण्डस्ट्री पर प्राप्त प्रकाशित पुस्तिका एक सराहनीय प्रयास रहा। शोध बुलेटिन का प्रकाशन निरन्तर प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है।

कई मोनोग्राफस जो वृत्तिकों के संबंध में हैं निर्णायकता के अन्तिम चरण में हैं। विभिन्न शोध परियोजनाओं के अतिरिक्त इन्हें चिन्हित किया गया है।

देश के विभिन्न विश्व विद्यालयों जिसमें डीम्ड विश्व–विद्यालय भी शामिल हैं हमारी योग्यता को मान्यता देने के लिए अनुरोध किया है तथा लागत एवं प्रबंधन लेखा–विधि संबंधी हमारे कई सदस्यों को शोध कार्य करने की सुविधा प्रदान की है। काश्मिर विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्व-विद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय ने हमारे प्रस्ताव को मान्यता दे दी है और ऐसी आशा की जाती है कि और कई स्थानों से भी मान्यता मिल जाएगी।

जन सम्पर्क समिति :

इस समिति के लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें पूरा करते हुए यह जनसम्पर्क समिति बहुत ही संतोष–जनक कार्य कर रही है। सदस्यों द्वारा विभिन्न दिशाओं से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं और प्रत्येक सुझाव पर बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है।

इंस्टीट्यूट के कार्य एवं उद्योगों में लागत लेखाकारों की उपयोगिता पर एक दृश्य श्रव्य फिल्म इस परियोजना के अन्तर्गत बनाई जा रही है। यह फिल्म करीब करीब पूरी होने जा रही है। उद्योग भवनों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के उच्चतम कार्यपालों, बैंकों तथा सरकारी विभागों

के प्रमुख अधिकारियों से उनके अनुभव के आधार पर साक्षात्कार लिए जा रहे हैं तथा मत संग्रह किया जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में लागत लेखाकारों की भूमिका क्या होगी इस पर भी इस फिल्म में प्रकाश डाला जा रहा है। इस फिल्म का निर्माण उद्योग भवनों, सरकारी निकायों जिसमें चैम्बर्स आफ कामर्स भी शामिल है, सरकारी निकायों, वित्तीय संस्थानों आदि को दिखलाने की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि एक सुन्दर प्रतिछवि वृत्तिकों की दिखलाई जा सके तथा इसके सदस्यों को अधिक अवसर मिलने के अवसर प्राप्त हों।

इस समिति के सदस्यों को अधिक से अधिक अवसर मिलें तथा इस प्रतिष्ठान के लागत लेखाकारों को अधिक से अधिक कार्य करने के अवसर प्राप्त हों इसके लिए इस समिति के अध्यक्ष तथा कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष एवं वित्त निदेशक के मध्य बहुत ही प्रभावी वार्ता हुई।

नेशनल कन्वेन्शन (राष्ट्रीय संयोजन)

लागत एवं प्रबंधन लेखा विधि लेखाकारों का 33 वां राष्ट्रीय संयोजन फरवरी, 1991 में उद्यान नगरी बंगलौर में हुआ। विभिन्न उद्योगों, व्यापारों मंत्रालयों तथा सरकारी अधिग्रहणों का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के विभिन्न भागों से प्रतिनिधियों और शिष्टमंडलों ने इसमें भाग लिया। इस कन्वेन्शन का उदघाटन श्री एच० के० पाटिल, मिनिस्टर फार कोआपरेशन द्वारा किया गया। इस कन्वेन्शन का विषय था "चेन्जिंग ग्लोबाल परसेप्टिव्स—इम्पैक्ट आन द इण्डियन एकोनामी"।

पूर्ण सत्र में श्री एम० वाई० घोरपडे, भूतपूर्व कर्नाटक के मंत्री, श्री एन० वागुल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई०सी० आई० सी० आई० तथा श्री पी० आर० ब्रह्मानन्दा, एक विख्यात अर्थ शास्त्री ने अपने व्याख्यान दिए।

कन्वेन्शन के तकनीकी सत्र में प्रमुख वृत्तिकों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। शोध पत्र विभिन्न विषयों से संबंधित थे। इन शोध पत्रों में कन्वेन्शन की थीम पर प्रकाश डाला गया।

पुरस्कार वितरण समारोह प्रतिवर्ष किया जाता है और यह कन्वेन्शन का एक भाग है जिसमें विद्यार्थीगण अधिक से अधिक संख्या में भाग लेते हैं और वे देश के विभिन्न भागों से आकर इसमें शामिल होते हैं दिसम्बर 89 जून-90 की परीक्षाओं के पुरस्कार तथा प्रतिभा पुरस्कार इस समारोह में वितरित किए गए।

इस नेशनल कन्वेन्शन के संदर्भ में "विद्यार्थियों का तथा पेशेवरों का एक कन्वेन्शन हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियां :

यह इंस्टीटयूट लगातार भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा—इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ एकाउन्टेन्टस की वित्तीय एवं प्रबंधन लेखा विधि समिति में इस वर्ष की अवधि में इसकी दो बैठकें हुई पहली बैठक वैनकावर—कैनाडा तथा इसकी दूसरी बैठक ग्रेबाउन बोस्टवाना में हुई। दोनों बैठकों में एक सदस्य ने भाग लिया उनके साथ एक तकनीकी सलाहकार भी था।

बोस्टवाना में जिस प्रतिनिधि ने दौरा किया था उसका उपयोग बोस्टवाना में आई० सी० डब्ल्यू० ए० आई० का एक ओवरसीज केन्द्र की स्थापना के लिए वहां पर हुई स्थानीय सदस्यों की एक बैठक ने किया।

कानफेडरेशन आफ एशियन एण्ड पैसिफिक एकाउन्टेन्टस (कापा)

चूंकि भारतवर्ष कान्फेडरेशन आफ एशियन एण्ड पैसिफिक एकाउन्टेन्टस के कार्य कारिणी का सदस्य है इसका प्रतिनिधित्व प्रेसिडेन्ट और वाइस प्रेसिडेन्ट द्वारा एक सदस्य और तकनीकी सलाहकार के रूप में काउन्सिल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए किया।

दोनों बैठकें—एक हांगकांग में और दूसरी मैनिला फिलिपाइन्स में सम्पन्न हुई। दोनों बैठकों में हमारे प्रतिनिधि ने भाग लिया।

साउथ एशियान फेडरेशन आफ एकाउन्टेन्टस :

साफा की 12 वीं असेम्बली काठमाण्डू में हुई साथ ही में "कारपोरेट ला तथा एकानोमिक डिवलपमेंट इन एस० ए० ए० आर० सी० कन्ट्रीज" पर एक संगोष्ठी हुई। इस संगोष्ठी का उदघाटन नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री ने किया।

कुछ अपरिहार्य कारणों से 13 वीं साफा असेम्बली में जो लाहौर में हुई भारतीय प्रतिनिधि उसमें भाग नहीं ले सके। 14 वीं असेम्बली ढाका में हुई थी जो बांग्ला देश में है "एकाउन्टेन्टस इन 90 "स" पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया।

इस दिशा में काउन्सिल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार काठमाण्डू में होने वाली साफा असेम्बली में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाईस प्रेसिडेंट ने किया।

इंस्टीटयूट ने निम्नलिखित 3 (तीन) साफा के प्रकाशन प्रस्तुत किए और उनका प्रकाशन किया।

1. कम्परेटिव स्टडी ऑफ प्रोफेसन एथिक्स इन साफा कन्ट्रीज,
2. परफोरमेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, तथा
3. कम्परेटिव स्टडी ऑफ सिलेबस ऑफ वि कॉस्ट एण्ड मैनेजमेंट एकाउन्टिंग इंस्टीटयूटस पद साफा कन्ट्रीज डयूरिंग द इयर। साफा के सदस्यों ने इन प्रकाशनों का स्वागत किया।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन :

श्री शंकर दत्ता, इंस्टीटयूट के प्रेसिडेंट ने 9 वीं अन्तर्राष्ट्रीय कान्फेंस की लन्दन में सम्पन्न इण्टरनेशनल

कन्स्टेरियम ऑफ गवर्नमेंटल फिनान्सियल मैनेजमेंट में दिनांक 10–13 अक्तूबर, 1990 में भाग लिया।

विदेशों के केन्द्र :

तन्जानिया, जाम्बिया यूनाइटेड अरब इमरात (यू० ए०ई०) नेतपा तथा सल्तनते ओमान के सभी विदेशी केन्द्र बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। एक और विदेशी केन्द्र की स्थापना मार्च, 1991 में हुई।

क्षेत्रीय काउन्सिलें :

चारों क्षेत्रीय काउन्सिलें विद्यार्थियों को मौखिक कोचिंग देती रही और साथ ही विद्यार्थियों को डाक द्वारा कोचिंग देती रही इसके अतिरिक्त इसकी गतिविधियों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विभिन्न विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन इन क्षेत्रीय काउन्सिलों ने किया। इस वर्ष की अवधि में 3 पी०सी० तथा पी० सी० एक्सटी प्रिन्टर के साथ स्थापित कर उसके माध्यम से क्षेत्रीय काउन्सिलों ने प्रशिक्षण दिया।

संलग्नक में क्षेत्रीय काउन्सिल की रिपोर्ट दी जा रही है।

स्कन्ध (चैप्टर्स)

इस वर्ष की अवधि में पातियाला और पलक्कड में दो चैप्टरों का उदघाटन किया गया। काउन्सिल ने क्रमशः चैप्टरों को कम्प्यूटर फैसिलिटी देने का एक उत्साह पूर्ण कार्यक्रम भी लिया है।

सामान्य :

1. नए सेक्रेटरी :

श्री एस० आर० आचार्य ने दिनांक 9 अगस्त, 1990 से प्रभावी सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया।

2. कर्मचारी संबंध :

कर्मचारियों और अधिकारियों के संबंध बहुत ही सौहार्द पूर्ण रहे। आई० सी० डब्ल्यू० आई० कर्मचारी एसोसिएशन तथा आई० सी० डब्ल्यू० ए० आई० अधिकारी एसोसिएशन के साथ चतुर्वार्षिक निगोशियेन 1 अप्रैल, 1991 से प्रगति पर है।

3. नई दिल्ली में भवन के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं। बड़ौदा, कोचिन, हावड़ा तथा लखनऊ में हमारे चैप्टरों के भवन निर्माण हेतु निधि मुक्त की जा चुकी है।

4. कल्याण निधि :

इस वर्ष की अवधि में 149 सदस्य आजीवन सदस्य कल्याण निधि के सदस्य बने। काउन्सिल यह चाहती है कि इंस्टीटयूट के सभी सदस्य कल्याण निधि के आजीवन सदस्य बनें।

लेखा

वर्ष 1990–91 का अंकेक्षित इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

सराहना और धन्यवाद ज्ञापन :

यह काउन्सिल अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सभी सदस्यों द्वारा इंस्टीटयूट की प्रगति में दिए गए सहयोग की सराहना करती है। यह काउन्सिल अपने अभिलेखों में विभिन्न सचिवालयों तथा सरकारी विभाग के अधिकारियों विशेषकर उद्योग मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग तथा वित्त मंत्रालय प्रतिवेदन के अधीन इस वर्ष में हमें जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। काउन्सिल यह आशा करती है कि हमें भविष्य में भी इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा और इससे यह वृत्ति और भी अधिक प्रगति करेगी।

काउन्सिल के निर्देशानुसार
शंकर दत्त,
प्रेसिडेंट

कलकत्ता
दिनांक 20 जुलाई, 1991

एम० आर० आचार्य
सेक्रेटरी

अंकेक्षक का प्रतिवेदन

दिनांक 31 मार्च 1991 के समान्य वर्ष का लेखा

मैंने, दि इंस्टीटयूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्टस ऑफ इण्डिया का दिनांक 31 मार्च, 1991 को उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष का तुलन पत्र जो साथ में संलग्न है और अनुलग्नक आय एवं व्यय के लेखे का परीक्षण किया।

लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक जानकारी तथा सूचनाएं जहां तक मुझे जानकारी है और विश्वास है, मुझे उपलब्ध कराई गई है।

प्रतिवेदन में लिया गया तुलन पत्र तथा आय व्यय लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुसार है।

मेरे मतानुसार लेखे को टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्टस एक्ट तथा रेगुलेशन, 1959 की आवश्यकतानुसार रखे गए हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है तथा मुझे दी गई व्याख्याओं के अनुसार विवरण सही और स्पष्ट लेखे का विवरण दर्शाता है :—

1. 31 मार्च, 1991 की तुलन पत्र के मामले में तथा,

11. उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के आय एवं व्यय लेखा का अधिशेष।

दिनांक 20 जून, 1991
10 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट,
कलकत्ता

अमलेन्दु चैटर्जी,
एफ०सी०ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट,
ऑडिटर

द इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस

आफ इण्डिया

31 मार्च का तुलन-पत्र

गत वर्ष 1989–90 रु०		टिप्पणी सं०	इस वर्ष 1990–91
	सांस्थानिक निधि		
2,47,34,891	सामान्य निधि	1.	3,32,23,552
24,75,735	ग्रेच्युईटी निधि	2.	28,41,493
71,513	कर्मचारी कल्याण निधि	3.	89,540
2,72,82,140			3,61,54,985
	द्वारा प्रतिनिधित्व		
1,27,39,315	स्थाई आस्तियां	4.	1,40,28,653
55,34,304	निवेश	5.	1,12,11,027
52,08,865	चालू आस्तियां	6. 69,13,912	
18,80,124	घटायें चालू आस्तियां	7. 26,68,723	42,45,189
33,28,741			
36,79,780	ऋण एवं अग्रिम	8.	66,70,116
2,72,82,140			3,61,54,985

समतिथि के प्रतिवेदन की शर्तों के अनुसार
अमलेन्दु चटर्जी एफ० सी० ए०,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आडिटर

कौंसिल के आदेशानुसार

कलकत्ता
दिनांक 20 जून, 1991

शंकर दत्ता प्रेसिडेन्ट
एस० आर० आचार्य, सेक्रेटरी

31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष हेतु आय तथा व्यय लेखा

गत वर्ष 1989–90 रु०		विवरण	दि० सं०	इस वर्ष 1990–91 रु०
	आय			
35,65,307	द्वारा	वार्षिक अंशदान आदि	(9)	40,86,517
1,02,81,663	,,	परीक्षा शुल्क	(10)	1,17,24,076
1,16,66,376	,,	ट्यूशन शुल्क आदि	(11)	1,47,22,106
1,40,604	,,	ब्याज आदि		8,74,381
1,58,093	,,	पत्रिका शुल्क (विज्ञापन सहित)		1,66,609
6,88,555	,,	वृत्तिक विकास कार्यक्रम		5,06,649
18,99,572	,,	प्रकाशन		27,01,394
—	,,	सैन्य परियोजना		1,50,000
2,84,00,170				2,49,32,27 2

गत वर्ष 1989–90		विवरण	टिप्पणी सं०	गत वर्ष 1990–91
रु०				रु०
	व्यय			
86,48,103	को	स्थापना	(12)	1,10,19,437
33,96,070	,,	कार्यालय व्यय	(13)	47,09,392
1,58,604	,,	विज्ञापन		1,43,254
12,000	,,	सांविधिक अंकेक्षक शुल्क		15,000
25,000	,,	आन्तरिक अंकेक्षण शुल्क		65,000
3,62,148	,,	यात्रा एवं यात्रायात		4,57,398
5,000	,,	इम्प्लाइज रिक्रियेशन क्लब को अंशदान		5,000
37,15,048	,,	परीक्षा प्रभार	(15)	45,26,898
4,56,940	,,	शिक्षक का पारिश्रमिक		6,10,099
12,13,292	,,	उपमुक्त अध्ययन सामग्री		16,43,444
8,90,617	,,	उपमुक्त प्रकाशन भण्डार		10,48,325
9,60,182	,,	काउन्सिल व कमिटी मीटिंग व्यय (16)	(16)	14,30,615
19,86,415	,,	पत्रिका व्यय		24,95,617
7,48,200	,,	क्षेत्रीय का काउन्सिलों को राजस्व अंशदान		7,56,200
60,000	,,	चेप्टरों को अनुदान		1,21,000
90,301	,,	विदेशी निकायों		1,05,458
3,19,849	,,	आन्फेन्स व अन्तर्राष्ट्रीय बैठक		3,37,538
5,13,528	,,	वृत्तिक विकास कार्यक्रम		4,33,775
—	,,	सैन्य परियोजना		1,21,160
4,48,771	,,	ह्रास		6,06,007
1,25,000	,,	क्षेत्रीय काउन्सिल को शिफ्टिंग ग्रान्ट एस०आई०आर०सी०		—
40,000	,,	1992–93 को संयुक्त देनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (14वीं) विश्व कांग्रेस के प्रतिनिधि मण्डल शुल्क हेतु प्रावधान		40,000
2,41,75,068				3,06,90,627
42,25,102		वर्ष के लिये अधिशेष		42,41,655
2,84,00,170				3,49,32,272

समतिथि के प्रतिवेदन की शर्तों के अनुसार हस्ताक्षरित अमल
अमलेन्दु चैटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
अंकेक्षक

कलकत्ता
दिनांक 20 जून, 1991

काउन्सिल के निर्देशानुसार
शंकर दत्ता,
प्रेसिडेन्ट
एस० आर० आचार्य,
सेक्रेटरी

टिप्पणी सं० 1 सामान्य निधि,

31 मार्च, 1991 के अनुसार

गत वर्ष 1989–90			इस वर्ष 1990–91
रु०		रु०	रु०
1,75,14,790	गत लेखानुसार शेष	2,47,34,890	
97,079	घटाये : इस वर्ष वापस	—	
1,74,22,711			2,47,34,890
14,66,157	जोड़े : पूर्वावधि समायोजन		
	1. पूर्वावधि हेतु आयकर वापसी . .	21,78,049	
	2. कार्यालय उपस्कर के विनिमय पर विभेदात्मक मूल्य .	10,944	
	3. कोचीन चैप्टर के भूमि को निर्गमित करना .	2,10,000	
	4. कोटम्बेटोर चेप्टर के भूमि विक्रय पर लागत से अधिक,	1,79,823	
	5. साफा से विचार खाता पट्टे खाते . .	14,052	
	6. विविध लेनदारी कार्यक्रम पुनः अभिलिखित:, .	6,600	
	7. अन्य	6,562	26,06,030
1,88,88,868			2,73,40,920
	घटाये : पूर्वावधि समायोजन:		
	23-08-90 के कार्यकारिणी बैठक लिये गये निर्णयानुसार कापी पुस्तकों के भण्डार को बट्टे खाते डाला गया .	46,700	
	2. 1-07-90 के कार्यकारिणी बैठक में लिये गये निर्णयानुसार त्रिविन्द्रम् चैप्टर को दी गई राशि भवन निर्माण ऋण में परिवर्तित . . .	70,000	
	3. कर्मचारियों को बकाया वेतन . . .	1,72,774	
	4. 18-05-91 की कार्यकारिणी में लिये गये निर्णयानुसार पत्रिकाओं की विभिन्न देनदारी को बट्टे खाते में डालना	5,464	
40,192	5. पुराने उपस्करों के मूल्य बट्टे खाते डालना . .	--	
1,87,88,845	6. अन्य	40,022	3,34,960
1,88,40,845			2,70,05,960
2,19,515	जोड़े : प्रवेश शुल्क (सदस्यता) . . .	2,84,210	
15,18,644	प्रवेश शुल्क (विद्यार्थी)	17,46,648	
13,800	पुस्तकालय को दान	16,050	
2,05,92,804			20,46,90
			2,90,52,868
	घटाएं :		
83,015	पुस्तकालय हेतु क्षेत्रीय काउन्सिलों को	58,971	
	पूंजीगत अनुदान	12,000	70,971
	फर्नीचर हेतु		
2,05,09,789			2,89,81,897
42,25,102	जोड़ें वर्ष हेतु अधिशेष		42,41,655
2,47,34,891			3,32,23,552

टिप्पणी संख्या 2 : कर्मचारी ग्रेच्युईटी निधि—31 मार्च, 1991 के अनुसार

गत वर्ष 1989–90		इस वर्ष 1990–91
रु०		रु०
21,92,614	गत लेखानुसार अधिशेष	24,75,736
2,65,181	योग : इस वर्ष हेतु अंशदान	3,00,000
2,10,953	योग : इस वर्ष हेतु निधि निवेश पर अर्जित ब्याज . .	2,34,511
26,68,748		30,10,247
1,93,012	वियोग : इस वर्ष दत्त ग्रेच्युईटी . . .	1,68,754
24,75,736		28,41,493

टिप्पणी संख्या 3 : कर्मचारी कल्याण निधि–दिनांक 31 मार्च, 1991

गत वर्ष 1989–90		इस वर्ष 1990–91
रु०		रु०
54,290	गत लेखानुसार अधि शेष	71,513
13,176	योग : इस वर्ष हेतु अंशदान	13,032
6,080	योग : इस वर्ष हेतु निधि निवेश पर अर्जित ब्याज . .	7,523
73,546		92,068
2,033	घटायें : इस वर्ष हेतु कर्मचारियों . .	2,128
	की दत्त राशि	
71,513		89,940

टिप्पणी संख्या 4 : 31-3-91 तक की स्थायी आस्तियां .

आस्तियों का विवरण	1-4-90 तक की लागत रु०	वर्षावधि में योग/ अनावरण रु०	वर्षावधि में कटौती रु०	सकल खण्ड 31-3-91 रु०	ह्रास					
					31-3-90 तक रु०	वर्षावधि में रु०	वर्षावधि में ह्रास रु०	योग रु०	31-3-91 तक सकल पुस्तक मूल्य रु०	31-3-90 तक निवल पुस्तक मूल्य रु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भूमि और भवन :										
मुख्यालय	9,87,986	—	—	9,87,986	4,04,117	11,097	—	4,15,214	5,72,772	583,869
क्षेत्रीय काउन्सिलें और केन्द्र	1,14,43,378	2,25,000	1,80,177	1,14,88,201	13,44,249	2,03,048	—	15,47,297	99,40,904	1,00,99,129
फर्निचर व फिटिंग										
मुख्यालय	11,25,865	1,67,922	—	12,93,787	7,54,708	53,908	—	8,08,616	4,85,171	3,71,157
पुस्तकालय की पुस्तकें										
मुख्यालय	4,75,350	72,139	—	5,47,489	2,57,038	29,045	—	2,86,083	2,61,406	2,18,312
कार्यालय उपकरण										
मुख्यालय	4,46,601	14,47,927	—	19,94,528	1,26,160	1,86,836	—	3,12,996	6,181,532	4,20,441
जैनरेटर :										
मुख्यालय	1,18,011	1,62,534	—	2,80,545	72,291	20,825	—	93,116	1,87,429	45,720
मोटर कार :										
मुख्यालय	75,004	—	—	75,004	63,207	2,359	—	65,566		11,797
कम्प्यूटर :										
मुख्यालय	13,18,519	—	—	13,18,519	3,29,629	98,889	—	4,28,518	8,90,001	9,88,890
	1,60,90,714	20,75,522	1,80,177	1,79,86,059	33,51,399	6,06,007	—	3,9 57,406	1,40,28,653	1,27,39,315

टिप्पणी संख्या : 5 : निवेश—31 मार्च, 1991 तक

गत वर्ष 1989–90		इस वर्ष 1990–91
रु०		रु०
22,36,511	(क) कर्मचारी ग्रेच्युइटी निधि बैंकों में स्थायी जमा	24,75,511
47,117	(ख) कर्मचारी कल्याण निधि बैंकों में स्थायी जमा	84,840
	(ग) सामान्य निधि :	
32,50,176	(1) बैंकों में स्थायी जमा	86,50,176
500	(2) जय वृन्दावन प्रिमाँसेस ट्रस्ट फंड बम्बई, 5 शेयर प्रत्येक 100/–	500
55,34,304		1,12,11,027

टिप्पणी संख्या : 6 चालू आस्तियां—31 मार्च, 1991 तक

गत वर्ष 1989–90	विवरण		इस वर्ष 1990–91
रु०		रु०	
8,93,602	प्रकाशन भण्डार (लागत पर)	9,35,092	
7,40,000	कागज भंडार (लागत पर)	14,21,034	
10,18,149	अध्ययन सामग्री भण्डार (लागत पर)	11,60,668	35,16,794
36,981	निवेशों पर अर्जित ब्याज	1,84,956	
	विविध निधी		
61,279	निवेशों पर अर्जित ब्याज (कर्मचारी ग्रेच्युइटी निधि)	47,965	
13,237	निवेशों पर अर्जित ब्याज (कर्मचारी कल्याण निधि)	6,849	2,39,770
76,630	चैप्टरों को भवन निर्माण ऋण पर बकाया ब्याज		92,000
9,63,188	विविध लेनदारी		8,90,884
25,473	बकाया सदस्यता शुल्क		—
	रोकड़ और बैंक शेष :		
14,329	हस्त गत रोकड़	1,45,141	
12,47,477	बैंक में	19,10,803	
1,18,520	डाकघर में	1,18,520	21,74,464
52,08,865			69,13,912

टिप्पणी संख्या : 7.

दिनांक 31-03-91 तक की चालू आस्तियां एंव प्रावधान

गत वर्ष 1989-90			इस वर्ष 1990-91
			रु०
	(क) चालू आस्तियां		
3,05,475	पुस्तकालय जमा		3,27,295
29,639	अंशदान एवं शुल्क		25,214
	सदस्या से अग्रिम प्राप्त		
5,21,555	गैर विशिष्ट जमा० (वापस योग्य)		5,30,793
	विविध लेनदेन :		
2,52,940	मुख्यालय	11,23,386	
84,388	क्षेत्रीय काउन्सिले	1,55,890	
			12,79,276
	ई० आई०आर०सी०	34,932	
	डब्ल्यू० आई० आर० सी०	38,034	
	एन०आई०आर०सी०	67,702	
	एस०आई०आर०सी०	15,222	
66,000	मौखिक उपशिक्षण संस्थानों से काशन मनी "(वापस योग्य)		68,000
1,312	कर्मचारी लोक भविष्य निधि		1,312
9,924	मौखिक उपशिक्षण संस्थानों से काशन मनी पर बकाया ब्याज		15,534
5,680	पुरस्कार निधि (निवल) पर ब्याज		8,959
8,775	पत्रिका विज्ञापन अग्रिम प्राप्त		16,575
32,900	स्थापना उचंत		—
81,591	बकाया सदस्यता शुल्क विदेशी निकायों कारण		85,000
50,000	अग्रिम प्राप्त परीक्षा शुल्क		48,690
1,650	अटकिसन पुरस्कार निधि		1,650
17,652	साफा सेमिनार (निवल)		—
5,189	विद्यार्थियों से प्राप्त वार्षिक अंशदान (वापस योग्य)		9,673
6,000	जे० एन० बोस पुरस्कार निधी		—
—	डब्ल्यू० डी० पुरी स्मारक पुरस्कार निधि		12,000
12,928	सैन्य परियोजना (निवल)		—
1,517	वृत्ति विकास कार्यक्रम— समायोजन हेतु लम्बित		18,762
	जमा नामे०	39000	
	नाम	20238	
	(ख) प्रावधान :		
	प्रतिनिधित्व शुल्क हेतु प्रावधान :		
8,000	सियोल में 12 वीं कापा काम्फेन्स		—
70,000	1992-93 में सम्पन्न होने वाली 14वीं लेखाकारों की विश्व काम्फेन्स		1,20,000
3,00,000	चैप्टर (कानपुर हेतु) रजत जयन्ती कैपिटल अनुदान हेतु प्रावधान		1,00,000
18,80,124			26,68,723

टिप्पणी सं० 8 ऋण तथा अग्रिम

31-3-91 तक

गत वर्ष 1989-90	विवरण		इस वर्ष 1990-91
रु०	जमा		रु०
29,353	टेलेक्स		29,353
11,500	विद्युत		11,500
40,226	दूरभाष		70,226
6,700	अन्यान्य		39,200
87,779			
	भवन निर्माण हेतु क्षेत्रीय काउन्सिलों तथा चैप्टरों को अग्रिम :		
27,82,000	एन०आई०आर०सी०	27,82,000	
1,50,000	जयपुर चैप्टर	1,50,000	
1,00,000	कल्याण अम्बरनाथ चैप्टर	1,00,000	
1,00,000	उदयपुर चैप्टर	1,00,000	
1,00,000	लखनऊ चैप्टर	2,00,000	
1,00,000	विशाखापतनम चैप्टर	1,00,000	
—	बड़ौदा	1,00,000	
—	हावड़ा	2,00,000	
—	कयोमबेटोर	3,60,000	
—	कोचीन	2,00,000	42,92,000
33,32,000			
	अग्रिम :		
1,32,919	कर्मचारियों का उत्सव अग्रिम	1,38,755	
8,42,725	,, भवन निर्माण ऋण	7,39,803	
1,62,160	,, वाहन अग्रिम	1,39,050	
82,124	अन्य रु० 7000/- काउन्सिल के सदस्यों को मिलाकर	37,100	10,54,708
12,19,928			
	चैप्टरों को भवन ऋण :		
90,000	त्रिचिरपल्ली चैप्टर	—	
50,000	लखनऊ चैप्टर	79,172	
1,50,000	त्रिवेन्द्रम चैप्टर	75,000	
1,50,000	जयपुर चैप्टर	1,50,000	
50,000	अहमदाबाद चैप्टर	50,000	
50,000	उदयपुर चैप्टर	50,000	
40,000	कल्याण-अम्बर नाथ चैप्टर	31,112	
—	बड़ौदा चैप्टर	50,000	

गत वर्ष 1989–90	विवरण		इस वर्ष 1990–91
—	हावड़ा चैप्टर	1,00,000	
—	कोचीन	1,00,000	6,85,284
5,80,000			
	चैप्टरों को कम्प्यूटर ऋण :		
49,282	हैदराबाद चैप्टर	—	
49,308	बंगलौर चैप्टर	49,308	49,308
98,590			
	पूर्वदत्त व्यय :		
39,125	डाक–फ्रैंकिंग	1,25,008	
22,358	बीमा	13,529	1,38,537
61,483			
3,00,000	12–5–90 (हैदराबाद, बंगलौर, कानपुर) में संपन्न कार्यकारिणी में लिये गये निर्देशानुसार संचित मूलधन गत रंजत जयन्ती मूलधन को शामिल करने		3,00,000
56,79,780			66,70,116

टिप्पणी सं० 9 : आय

गत वर्ष 1989–90	वार्षिक अंशदान एवं अन्य शुल्क	इस वर्ष 1990–91
रु०		रु०
10,00,642	द्वारा, सदस्यों का वार्षिक अंशदान	11,17,625
22,77,966	,, विद्यार्थियों का वार्षिक अंशदान	26,19,972
350	,, सदस्यों की पुनः स्थापना शुल्क	600
1,05,380	,, सदस्यों का प्रैक्टिस करने हेतु प्रमाण पत्र	1,11,685
1,66,190	,, ग्रेड सी० डब्ल्यू० ए० शुल्क	2,25,030
14,729	,, दे नोवो प्रपत्र शुल्क	11,505
50	,, सदस्यता शिकायत शुल्क	100
35,65,307		40,86,517

टिप्पणी सं० 10 : आय

गत वर्ष 1989–90	परीक्षा एवं अन्य शुल्क		इस वर्ष 1990–91
रु०			रु०
91,48,680	द्वारा,	परीक्षा शुल्क	1,04,16 826
62,917	,,	प्रश्न पत्र सत्यापन शुल्क	63,517
3 17,846	,,	प्रारंभिक परीक्षा फार्म की बिक्री	4,27,030
7,12,024	,,	इण्टर/अंतिम परीक्षा फार्म की बिक्री	7,00,919
40,196	,,	विविध आय	1,15,784
1,02,81,663			1,17,24,076

टिप्पणी सं० 11 : आय

गत वर्ष 1989-90		आय	इस वर्ष 1990-91
रु०			रु०
		ट्यूशन तथा अन्य शुल्क	
94,54,274	द्वारा	ट्यूशन शुल्क	1,21,58,758
2,400	,,	मान्यता हेतु शुल्क	1,200
31,500	,,	अनावर्ति वार्षिक शुल्क	34,000
11,56,639	,,	सेवा शुल्क	16,03,415
6,78,404	,,	अध्ययन नोटो की बिक्री	6,31,110
11,724	,,	कोचिंग रिमेलिडेशन फार्म की बिक्री	11,090
3,31,435	,,	कोचिंग सम्पूर्णीकरण प्रमाणपत्र का पुनः वैधीकरण शुल्क	2,82,533
1,16,66,376			1,47,22,106

टिप्पणी सं० 12 : व्यय—स्थापना

गत वर्ष 1989–90	विवरण		इस वर्ष 1990–91
रु०			रु०
73,82,748	को,	वेतन एवं भत्ते	78,64,954
5,23,336	,,	कर्मचारी भविष्य निधि में मालिकों का अंशदान	22,68,837
292	,,	कर्मचारी लोक भविष्य निधि में मालिकों का अंशदान	—
2,65,181	,,	कर्मचारी ग्रेच्युईटी फंड में मालिकों का अंशदान	3,00,000
8,784	,,	मालिकों का कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान	8,688
2,31,577	,,	कर्मचारियों को चिकित्सालाय	2,05,816
24,766	,,	अवकाश यात्रा भत्ता	36,431
2,11,419	,,	अवकाश नकदीकरण	3,34,711
86,48,103			1,10,19,437

टिप्पणी सं० 13 : व्यय :

गत वर्ष 1989–90		विवरण	इस वर्ष 1990–91
रु०			रु०
		कार्यालयी व्यय	
7,52,770	को	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	8,55,728
12,77,779	,,	डाक तार और टेलेक्स प्रभार	17,73,038
1,72,431	,,	विद्युत	1,83,415
27,125	,,	दर और कर	1,96,900
39,107	,,	बीमा	41,734
1,63,716	,,	मरम्मत और रखरखाव	4,31,799
11,760	,,	वाहन को सही हालत में रखना	85,657
2,89,200	,,	विविध व्यय	4,12,852
5,525	,,	मौखिक कोचिंग सेन्टर से कॉशन मनी पर ब्याज	5,610
2,64,291	,,	अध्ययन सामग्री वितरण व्यय	3,72,139
7,741	,,	वाच एण्ड वार्ड व्यय	6,297
2,757	,,	जेनेरेटर व्यय	10,167
1,00,502	,,	विधि प्रभार	75,742
33,285	,,	बैंक प्रभार	23,454
75,522	,,	चुनाव प्रभार	—
57,246	,,	वृत्ति विकास प्रभार	1,24,243
1,15,313	,,	कम्प्युटर व्यय	1,10,617
33,96,070			47,09,392

टिप्पणी सं० 14 : क्षेत्रीय काउन्सिलों के व्यय की प्रतिपूर्ति :

क्षेत्रीय काउन्सिलों को इस वर्ष की अवधि में दत्त राशि/प्रतिपूर्ति राशि आय-व्यय लेखें के अपने-अपने विभिन्न शिर्षों में शामिल कर लिये गये हैं : जो भी दी 1990-91 की अवधि के व्यय को सूचनार्थ नीचे दिया जा रहा है ।

गत वर्ष 1989–90		विवरण	इस वर्ष कुल	इ० आई० आर०सी०	एस० आई० आर०सी०	डब्ल्यू०आई० आर०सी०	एन०आई० आर०सी०
रु०			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
16,990	1.	मुद्रण एवं पत्र लेखन सामग्री	14,587	10,530	427	—	3,630
4,16,926	2.	विकेन्द्रीकरण योजना हेतु	4,74,740	90,366	1,95,949	78,104	1,10,321
		डाक व तार प्रभार					
4,40,870	3.	डाक शिक्षण मानदेय (विकेन्द्रीयकरण)	5,94,600	2,14,471	1,29,533	1,20,682	1,29,914
40,945	4.	मरम्मत एवं रखरखाव	28,574	2,103	7,250	5,185	14,036
9,15,731			11,12,501	3,17, 470	3,33,159	2,03,971	2,57,901

टिप्पणी संख्या 15	परीक्षा तथा अन्य प्रभार	
गत वर्ष 1989–90 रु०		इस वर्ष 1990–91 रु०
37,06,290.00	को परीक्षा प्रभार	44,85,119.00
8,758.00	को पुरस्कार वितरण व्यय	41,779.00
37,15,048.00		45,26,898.00

टिप्पणी सं० 16	काउन्सिल तथा कमेटी की बैठकों का प्रभार	
गत वर्ष 1989–90		इस वर्ष 1990–91
रु०		रु०
8,34,420.00	को काउन्सिल तथा कमेटी मीटिंग प्रभार	12,81,939.00
1,25,762,00	काउन्सिल के सदस्यों को यात्रा भत्ता	1,48,676.00
9,60,182.00		14,30,615.00

मेरे समतिथि के प्रतिवेदन की शर्तों के अनुसार
अमलेन्दु चैटर्जी एफ०सी०ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट–ऑडिटर
कलकत्ता
दिनांक 20 जून, 1991

काउन्सिल के आदेशानुसार
शंकर दत्त
प्रेजिडेन्ट
एस०आर० आचार्य
सेक्रेटरी

द इन्स्टिच्युट आफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इण्डिया
सुभाष आई०डी० मेमोरियल पुरस्कार निधि : 31-03-91 के अनुसार

	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०
को स्थायी जमा राशि में शेष	5,000.00	द्वारा बैंक में स्थायी जमा शेष		5,000.00
को बैंक से प्राप्त अर्जित ब्याज	119.00	द्वारा वर्षाविधि से प्राप्त ब्याज	750.00	
को संस्थान से मिलने वाली राशि	1,249.50	जोड़ : गत लेखानुसार संस्थान से मिलने वाली राशि	999.50	
			1,749.50	
		जोड़ : 31–3–91 तक अर्जित ब्याज	119.00	
			1,868.50	
		घटाएं : पुरस्कारों की लागत	500.00	1,368.50
	6,368.50			6,368.50

विक्रमजीत मंजुमदार मेमोरियल पुरस्कार निधि : 31–03–91 के अनुसार	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०
को स्थायी जमा राशि में शेष	5,000.00	द्वारा बैंक में स्थायी जमा राशि		5,000.00
को बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	249.00	द्वारा वर्षाविधि से प्राप्त ब्याज	485.70	
को संस्थान में मिलने वाली राशि	1,771.50	जोड़ : गत लेखानुसार संस्थान से मिलने वाली राशि	1,285.80	
			1,771.50	
		जोड़ : 31–03–91 तक अर्जित ब्याज	249.00	2,020.50
	7,020.50			7,020.50
बी० सी० चक्रवर्ती पुरस्कार निधि : 31-03-91 के अनुसार				
को स्थायी जमा राशि में शेष	6,000.00	द्वारा बैंक में स्थायी जमा शेष		6,000.00
को बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	299.00	द्वारा वर्षाविधि से प्राप्त ब्याज	533.20	
को संस्थान से मिलने वाली राशि	287.90	जोड़ : गत लेखानुसार संस्थान को मिलने वाली राशि	354.70	
			887.90	
		जोड़ : 31-3-91 तक अर्जित ब्याज	299.00	
			1,186.90	
		घटाएं : पुरस्कारों की लागत	600.00	586.90
	6,586.90			6,586.90
श्रीमती राजम्मा तथा एम०आर०एस० आयंगर स्मारक पुरस्कार निधि : 31-3-91 तक				
को स्थायी जमा राशि में शेष	5,000.00	द्वारा बैंक में स्थायी जमा शेष		5,000.00
को बैंक से प्राप्त अर्जित ब्याज	90.00	द्वारा वर्षाविधि में प्राप्य ब्याज	732.70	
को संस्थान से मिलने वाली राशि	499.70	जोड़ : गत लेखानुसार संस्थान से मिलने वाली राशि	17.00	
			749.70	
		जोड़ : 31–3–91 तक अर्जित ब्याज	90.00	
			839.70	
		घटाएं : पुरस्कारों की लागत	500.00	
			339.70	
		जोड़ : गत वर्ष जारी किये गये बैंकों के न भुनाये जाने के कारण पुन : लिखि गयी राशि	250.00	589.00
	5,589.70			5,589.70

वि० बिशनदास पुरी स्मारक पुरस्कार निधि : 31-03-91 तक	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०
को बैंक में स्थायी जमा में शेष	12,000.00	द्वारा बैंक में स्थायी जमा शेष		12,000.00
को बैंक से प्राप्त अर्जित ब्याज	1,200.00	31-3-91 तक ब्याज	1200.00	
		घटाएं : पुरस्कार की लागत	1200.00	
		योग : वर्ष हेतु संस्था से अग्रिम	1200.00	1200.00
	13,200.00			13,200.00
ए० के० विश्वास फाउन्डेशन पुरस्कार निधि 31-3-91 तक				
को स्थायी जमा राशि में शेष	22,017.00	द्वारा बैंक में स्थायी जमा में शेष		22,017.00
को बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	1,098.00	वर्षाविधि में प्राप्त ब्याज	1,924.25	
को संस्थान से प्राप्य राशि	424.25			
		31-03-91 तक अर्जित ब्याज	1,098.00	
			3,022.25	
		घटाएं : पुरस्कार की लागत	1,500.00	1522.25
	23,539.25			23,539.25
यू० एन० सुर मैमोरियल पुरस्कार निधि : 31-03-91 के अनुसार				
को स्थायी जमा राशि में शेष	10,000.00	द्वारा बैंक में स्थायी जमा शेष		10,000.00
को बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	165.00	द्वारा वर्षाविधि से प्राप्य राशि	1,480.50	
को संस्था से मिलने वाली राशि	2,986.50	जोड़: गत लेखानुसार संस्थान से मिलने वाली राशि	2,506.00	
			3,986.50	
		जोड़ : 31-3-91 तक अर्जित ब्याज	165.00	
			4,151.50	
		घटाएं : पुरस्कारों की लागत	1,000.00	3,151.50
	13,151.50			13,151.50

पुना चेप्टर ऑफ कॉस्ट एकाउन्टैन्ट्स-रंजत जयन्ति पुरस्कार निधि : 31-3-91 के अनुसार

	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०
को, स्थायी जमा राशि में शेष	12,000.00	द्वारा, बैंक में स्थायी जमा शेष		12,000.00
को, बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	598.00	द्वारा वर्षविधि से प्राप्य राशि	39.50	
को, संस्था से मिलने वाली राशि	39.50	जोड़ : 31-03-91 तक अर्जित ब्याज	598.00	
			637.50	
		जोड़ : वर्षविधि में जमा राशि	1,200.00	
			1,837.50	
		घटाएं : पुरस्कारों की लागत	1,200.00	637.50
	12,637.50			12,637.50

बी० एन० गांगुली मेमोरियल पुरस्कार निधि : 31.03.91 के अनुसार

को, स्थायी जमा राशि में राशि	3,000.00	द्वारा, बैंक में स्थायी जमा राशि		3,000.00
को, बैंक प्राप्य अर्जित ब्याज	276.00	वर्षविधि से प्राप्त ब्याज	189.00	
को, संस्था से मिलने वाली राशि	1,602 60	जोड़ : गत लेखानुसार संस्थान से मिलनेवाली राशि		1,413.60
				1,602.60
		जोड़ : 31-3-91 तक अर्जित ब्याज	276.00	1,878.60
	4,878.60			4,878.60

जी०डी० मंधुरा मेमोरियल पुरस्कार निधि : 31-03-91 के अनुसार

	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०
को, स्थायी जमा राशि में शेष	12,000.00	द्वारा, बैंक में स्थायी जमा शेष		12,000.00
को, बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	749.00	द्वारा, वर्षविधि से प्राप्त ब्याज	1,050.00	
		जोड़ : 31-3-91 तक अर्जित ब्याज	749.00	
				1,799.00

	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०
		घटाएं : गत वर्षानुसार इन्स्टिच्युट से अग्रिम	459.23	
			1,339.77	
		घटाएं : पुरस्कार की लागत	1,200.00	
			139.77	
		जोड : वर्ष हेतु इन्स्टिच्युट से अग्रिम	609.23	749.00
	12,749.00		12,749.00	

डी०डी० कालरा मैमोरियल पुरस्कार निधि : 31–03–91 के अनुसार

	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०
को स्थायी जमा राशि में शेष	6,500.00	द्वारा बैंक मे स्थायी जमा राशि		6,500.00
को, बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	324 00	द्वारा वर्षाविधि से प्राप्त ब्याज	763.70	
को, संस्थान से मिलने वाली राशि	1,191.25	जोड़ : गत लेखानुसार संस्थान से मिलने वाली राशि	427.55	
			1,191.25	
		जोड़ : 31–3–91 तक अर्जित ब्याज	324.00	1,515.25
	8,015.25			8,015.25

मौजी रामजेन मेमोरियल पुरस्कार निधि : 31–3–91 के अनुसार

को, स्थायी जमा राशि मे शेष	10,000.00	द्वारा, बैंक में स्थायी जमा शेष		10,000.00
को बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	229.00	द्वारा वर्षाविधि से प्राप्त ब्याज	1,288.90	
		घटाएं : गत वर्षानुसार इन्स्टि–च्युट से अग्रिम	288.90	
			1,000.00	
		जोड़ : 31–3–91 तक अर्जित ब्याज	229.00	
			1,229.00	
		घटाएं : पुरस्कार की लागत	1,000 00	229.00
	10,229.00			10,229.00

के० रामाचन्द्रण मेमोरियल पुरस्कार निधि : 31–3–91 के अनुसार

	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०
को स्थायी जमा राशि में शेष	6,550.00	द्वारा बैंक मे स्थायी जमा शेष		6,550 00
को बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	118.00	द्वारा वर्षावधि मे प्राप्त ब्याज	959.83	
को संस्थान से मिलने वाली राशि	27.70	जोड़ 31–3–91 तक अर्जित ब्याज	118 00	
			1,077.83	
		जोड़ : गत वर्ष जारी किये गये चैकों के न भुनाये जाने के कारण लिखी गई राशि	1,000.00	
			2,077.83	
		घटाएं : गत लेखानुसार संस्थान से प्राप्य अग्रिम	1,282.13	
			795.70	
		घटाएं : पुरस्कारों की लागत	650.00	145.70
	6,695.70			6,695.70

एन० सरकार मेमोरियल पुरस्कार निधि : 31–3–91 के अनुसार

को, स्थायी जमा राशि मे शेष	10,000.00	द्वारा, बैंक मे स्थायी जमा राशि		10,000 00
को बैंक मे प्राप्य अर्जित ब्याज	156.00	वर्षावधि मे प्राप्य ब्याज	1,100.00	
को सस्थान से मिलने वाली राशि	3,200.00	जोड़ : गत लेखानुसार सस्थान से मिलने वाली राशि	2,600.00	
			3,700.00	
		जोड़ : 31-3-91 तक अर्जित ब्याज	156.00	
			3,856.00	
		घटाएं : पुरस्कारों की लागत	1,000.00	
			2,856.00	
		जोड़ : गत वर्ष जारी किये गये चैकों के न भुनाएं जाने के कारण पुनः लिखि गयी राशि	500.00	3,356.00
	13,356.00			13,356.00

पुरस्कार निधि : बी० श्रीनिवासन स्मारक पुरस्कार निधि :—दिनांक 31-03-91 के अनुसार

	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०
को बैंक के स्थायी जमा में शेष	12,000.00	को बैंकों में स्थायी जमा में शेष		12,000.00
		वर्षाविधि में प्राप्त ब्याज	978.85	
बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	851.00	घटाएं : गत लेखानुसार संस्था से अग्रिम	548.08	
			430.27	
		31-03-91 तक अर्जित ब्याज	851.00	
			1,281.27	
		घटाएं : पुरस्कार की लागत	1,200.00	
			81.27	
		योग : वर्ष हेतु संस्था से अग्रिम	769.73	
				851.50
	12,851.00			12,851.00

जे० एन० बोस स्मारक पुरस्कार निधि :

को बैंक में स्थायी जमा में शेष	11,200.00	द्वारा बैंक में स्थायी जमा में शेष	5,200.00	
		योग : वर्षाविधि में	6,000.00	11,200.00
		वर्षाविधि में प्राप्त ब्याज	1,013.50	
		जोड़ : 31-3-91 तक अर्जित ब्याज	348.00	
को बैंक से प्राप्य अर्जित ब्याज	348.00		1,361.50	
		घटाएं : गत लेखानुसार संस्था से अग्रिम	1,336.08	
			25.42	
		इस वर्ष हेतु संस्था से प्राप्त अग्रिम	1,442.58	
			1,468.00	
		वियोग : पुरस्कार की लागत	1,120.00	348.00
	11,548.00			11,548.00

समतिथि के प्रतिवेदन की शर्तों के अनुसार
अमलेन्दु चैटर्जी एफ०सी०ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑडिटर

काउन्सिल के निर्देशानुसार
शंकर दत्त, प्रेसिडेन्ट
एस०आर० आचार्य, सेक्रेटरी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 1991

सं० एन०-15/13/2/1/86-यो० एवं वि०-(2) कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-8-91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा असम कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ असम राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे।

अर्थात् :—

राजस्व ग्राम का नाम	मौजा व तालुका	जिला
अमीन गांव निम्नलिखित राजस्व ग्रामों समेत	सिला सेन्दूरी घोपा	कामरूप
सिलामहा खेती	सिला सेन्दूरी घोपा	कामरूप
नमूली जलाह	सिला सेन्दूरी घोपा	कामरूप
गौरीपुर	सिला सेन्दूरी घोपा	कामरूप
जैगुरु	सिला सेन्दूरी घोपा	कामरूप
चौकीगेट	सिला सेन्दूरी घोपा	कामरूप

दिनांक 13 सितम्बर 1991

शुद्धि-पत्र

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना सं० 15/13/11/4/88 यो० एवं वि० दिनांक 21-11-90 जो भारत के राजपत्र में सं० 49 भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 8-12-90 को प्रकाशित हुई "नान" के स्थान पर "नाट" पढ़ा जाए।

एस० घोष,
संयुक्त बीमा आयुक्त

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 सितम्बर 1991

सं० एफ० पी०-1 (147)/91/1611—जहां मैसर्स बी० एच० ई० एल० मद्रास कोड नं० टी० एन०/7835 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (1सी) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए संलग्न परिशिष्ट-1 में जिसमें नाम दर्शाए हैं, ने अपने कर्मचारियों के संबंध में आवेदन भेजे हैं।

चूंकि मैं, ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हूं कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी० सी० एस० पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशनके रूप में लाभ जो कि उक्त स्थापना के कर्मचारियों पर लागू है कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1-सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त स्थापना के कर्मचारियों को जैसा कि इस अनुसूची-1 में दिया गया है, जो कि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में थे तथा सी० सी० एस० पेंशन नियमों द्वारा शासित थे निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या नौकरी की अन्तिम तिथि से उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो सरकार के 22-1-90 के आदेश के अनुसरण में 22-1-90 से 21-7-90 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत्त हुए को कर्मचारी पेंशन स्कीम के सभी उपबन्धों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूं।

1. ये कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

3. उक्त प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित नियोक्ता संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिटर्न भेजेगा, वे लेखे तैयार करेगा और निरीक्षण करने की वे सुविधाएं देगा जिसे समय-समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा।

क्र० सं०	नाम/पदनाम	कोड सं०
1	2	3
1.	ए० के० नटराजन उप प्रबन्धक (वित्त)	टी० एन० 7835
2.	गुरुमेल सिंह उप प्रबन्धक (वित्त)	,,
3.	आर० जे० भट लेखा अधिकारी	,,
4.	एल० के० अवस्ती लेखा अधिकारी	,,

1	2	3
5.	एस० पी० शर्मा लेखा अधिकारी	टी० एन० 7835
6.	वशिष्टा दुबे लेखा अधिकारी	,,
7.	आर० आर० सिंह वरिष्ठ लेखा अधिकारी-1	,,
8.	पी०आर पांडे मुख्य सुपरवाईजर (वित्त)	,,
9.	आर० पी० सिंह लेखा अधिकारी	,,
10.	के० के० गोयल वरिष्ठ लेखा अधिकारी-1	,,
11.	एस० एन० शर्मा वरिष्ठ लेखाकार	,,
12.	एस० के० सिंगल प्रबन्धक (वित्त)	,,
13.	वी० एस० लाल वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,
14.	जी० टी० सिंह वरिष्ठ लेखाकार	,,
15.	ए० एन० त्रिपति लेखा अधिकारी	,,
16.	एस० एल० गुप्ता लेखा अधिकारी	,,
17.	एम० कामेश्वर राय मुख्य सुपरवाईजर (वित्त)	,,
18.	पी० एस० वेदाआचलम उप प्रबन्धक	,,
19.	के० सी० पिलई प्रबंधक	,,
20.	के० श्रीनिवास राय वरिष्ठ लेखाकार-1	,,
21.	टी० अंजनीयुलु लेखा अधिकारी	,,
22.	शेख हबीबुररहमान लेखा अधिकारी	,,
23.	नसीम अख्तर लेखा अधिकारी	,,
24.	वी० सहगर वरिष्ठ लेखाकार-1	टी० एन० 7835
25.	के० जगनाधांम लेखा अधिकारी	,,
26.	ई० डी० जोन चरण लेखा अधिकारी	,, ,,
27.	एम० एम० आर० बैग लेखा अधिकारी	,,
28.	एस० कानन प्रबन्धक	,,
29.	बी० एच० विजय कुमार मुख्य प्रबंधक	,,
30.	आर० बी० रमणी वरिष्ठ लेखा अधिकारी	
31.	राजेश्वरी शंकरन प्रभ लेखाकार	,,
32.	आर० सम्पत कुमार लेखा अधिकारी	,,
33.	एस० कानन वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,
34.	के० नागराजन वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,
35.	टी० के० राघवेन्द्रा राय वरिष्ठ लेखाकार-1	,,
36.	एक नागसुन्दरम वरिष्ठ लेखाकार-1	,,
37.	एम० के० रघवरन लेखा अधिकारी	,,
38.	एम० राधाकृष्णन उप प्रबन्धक	,,
39.	जी० स्वामी नाथन एक्स वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,
40.	ए० के० चंदा वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,
41.	पी० के० दास उप प्रबन्धक (पी० एण्ड० ए०)	,,
42.	जी० एल० अरोरा वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,

1	2	3
43.	सी० एस० त्रिवेदी लेखा अधिकारी	टी० एन० 7835
44.	पी० एस० गंगोपाध्याय वरिष्ठ लेखा अधिकारी-1	,,
45.	एम० एल० भट्टाचार्य वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,
46.	एन० पी० शाह	,,
47.	एम० शेन लेखा अधिकारी	,,
48.	आर० सिंह, वरिष्ठ लेखाकार-1	,,
49.	पी० एन० सिंह लेखा अधिकारी	,,
50.	के० माधाल मुख्य सुपरवाईजर	,,
51.	पी० आर० तिवारी वरिष्ठ लेखाकार	,,
52.	सी० पी० बालागोपालन वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,
53.	एस० के० मुर्वी लेखाकार	,,
54.	सुकुमार घोष उप प्रबन्धक	,,
55.	असीम कुमार सेन वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,
56.	आर० एन० सेन गुप्ता वरिष्ठ लेखाकार	,,
57.	जे० एम० हजारा लेखा अधिकारी	,,
58.	डी० पी० आर० वित्तल वरिष्ठ लेखाकार-II	,,
59.	पी० पाल वरिष्ठ लेखाकार-II	,,
60.	मार्कंडेय सिंह मुख्य सुपरवाईजर (एफ०)	,,
61.	एन० एस० राय प्रबन्धक	,,
62.	एस० रामास्वामी उप प्रबन्धक	,,
63.	एस० के० चौपड़ा उप प्रबन्धक	टी० एन० 7835
64.	पी० रामा राय उप प्रबन्धक	,,
65.	वी० प्रियासामी वरिष्ठ लेखा अधिकारी	
66.	एन० एल० धुमल वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,
67.	वी० जी० रामामूर्ति लेखा अधिकारी	,,
68.	एम० के० विश्वनाथ लेखा अधिकारी	,,
69.	पी० एस० सिंह वरिष्ठ लेखाकार	,,
70.	पी० वी० सेतुरमन राय वरिष्ठ लेखाकार	,,
71.	एस० विजय भारत वरिष्ठ लेखाकार	,,
72.	के० एस० वयसा राय वरिष्ठ लेखाकार	,,
73.	एम० रामकोठाई वरिष्ठ लेखाकार	,,
74.	आर० पी० मेनन वरिष्ठ लेखाकार	,,
75.	जी० के० मुजुनाथ मुख्य सुपरवाईजर	,,
76.	के० जयारमन लेखा अधिकारी	,,
77.	के० एस० मूर्ति लेखा अधिकारी	,,
78.	टी० विश्वनाथ वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,
79.	ए० एन० कानजी	,,
80.	वी० एस० घोष लेखा अधिकारी	,,
81.	आर० के० मुखोपाध्याय	,,
82.	एस० के० सेरामनी वरिष्ठ लेखा अधिकारी	,,

1	2	3
83.	के० एल० एन० राय लेखा अधिकारी	टी०एन०7835
84.	आर० वासुदेवन प्रबन्धक (वित्त)	,,
85.	पी० एस० गंगोपाध्याय वरिष्ठ लेखा अधिकारी-1	,,
86.	शंभु सेन	,,
87.	आर० सिंह वरिष्ठ लेखाकार	,,
88.	एस० के० मुदी लेखाकार	,,
89.	आर० एन० राय	,,
90.	पी० एन० सिंह	,,
91.	एस० पी० सिंह	,,

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1615—जहां मैसर्स शान्ति मार्किटिंग एण्ड सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड, 7-1-25/5 व 6, ग्रीनलैंड्स अमीरपट, हैदराबाद-16 (कोड संख्या ए.पी./16950) आन्ध्र प्रदेश ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-2-89 से 31-1-92 तक) ।

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के निगमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती

तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक उस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजाम/89/भाग-1/1621—जहां मैसर्स धामसधारा पेपर मिल्स लिमिटेड, ग्राम व रजिस्टर्ड कार्यालय मादापाम श्रीकाकुलाम-532422 (कोड न. ए.पी./14358) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/डी. एल. आई./एकजाम/89/भाग-1 (280) दिनांक 16-2-91 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 1-9-90 से 31-8-93 तक लागू होगी जिसमें यह तिथि 31-8-93 भी शामिल है ।

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम्/89/भाग-1/1627—जहां मैसर्स गल्फ ओलिफाइन्स (प्रा.) लिमिटेड, नया हरबर रोड़, थेरमल नगर, टूटीकोरीन-628006 (टी.एन./11418) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मदुरै ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 1 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-1-90 से 31-12-90 तक) ।

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी खर्चों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी राशि से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस निगत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 16 सितम्बर 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-2/1633—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, डी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-I में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, डी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-1

क्रम संख्या	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार की अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई	के० भ०नि०आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स ओवलूम इलैक्ट्रीकल्ज इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, ए-16-17 ग्रसिटड (प्रा०) इण्डस्ट्रियल एस्टेट, बाला नगर, हैदराबाद-500037 (ए० पी०)	ए० पी०/3072	2/1959/डी० एल० आई० एक्जम/89/भाग-1/250/14-2-91	30-11-90	1-12-90 से 30-11-93	2/3373/91-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स गेट वे होटल बनजारा हिल्स रोड नं० 1 बनजारा हिल्स, हैदराबाद-500034	ए० पी०/11545	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जम/89/भाग-1 दिनांक 10-7-91	31-8-90	1-9-90 से 31-8-93	2/2132/89-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स पी० ई० एस० इंजीनियर (प्रा०) लि०, पहली मंजिल, पंचहम चैम्बरज, 6-3-1090/1/ए, राज भवन रोड, समजी गुडा, हैदराबाद-500482	ए० पी०/14007	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जम/89/भाग-1/दिनांक 10-7-91	30-11-90	1-12-90 से 30-11-93	2/3643/91-डी० एल० आई०

अनुसूची–2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) । सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-2/1639—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबन्धित बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची- II में विर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार की अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मैसर्स महाराष्ट्र एग्रो प्रोडक्टस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, राजन हाउस, तीसरी मंजिल, प्रभादेवी, बम्बई-25	महा/11072	एस०—35014/9/87—एस० एस० II दिनांक 21—1—87	20—1—90	21—1—90 से 31—7—91	2/1549/86—डी० एल० आई०
2.	मैसर्स हिन्दुस्तान डोर आलीवर लिमिटेड, डोर-आलीवर हाउस, चकला अन्धेरी (ई०) बम्बई—400093	महा/4349	एस०—35014/3/88—एस० एस० II दिनांक 22—2—88	21—2—91	22—2—91 से 21—2—94	2/1708/87—डी० एल० आई०

अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिस इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) । सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,, समय-समय पर निर्विष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी राशि से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 19 सितम्बर 1991

सं० 1-11/87/ (सी० पी० पी०)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 1956 (1956 क 3) की धारा 14 सहित धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) के अन्तर्गत दिए गए अधिकारों के तहत आयोग के पत्रांक एफ० 1-93/74 (सी० पी०) खण्ड (5) दिनांक 13 जून, 1983 और अधिसूचना संख्या 1-93/74 (सी० पी०) दिनांक 19 फरवरी, 1985 व 26 नवम्बर, 1985 के तहत जारी विनियमों को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद् द्वारा निम्न अधिसूचना जारी करता है :—

1 लघु शीर्षक, अनुपालन तथा प्रारम्भ :

1. विश्वविद्यालयों या उनसे सम्बद्ध अन्य संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित योग्यता के विषय में ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (विनियम 1991) कहलायेंगे ।

2. ये विनियम केन्द्र अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा समाविष्टिकृत प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा (2) के खण्ड (एफ) के तहत संघटक तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों समेत प्रत्येक संस्थान तथा आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालयवत दर्जा प्राप्त प्रत्येक संस्थान पर लागू माने जायेंगे ।

3. ये विनियम इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. योग्यताएं :

किसी विश्वविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 1956 की धारा (2) खण्ड (एफ) के तहत मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थान में किसी विषय शिक्षक के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, यदि वह संशोधित सारणी-1 में वर्णित वांछित योग्यता नहीं रखता ।

किसी विश्वविद्यालय में या उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 खण्ड (एफ) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या धारा 3 के तहत विश्वविद्यालयवत् संस्थान में अध्यापक की नियुक्ति के लिए वांछित योग्यता में किसी प्रकार की छूट के लिए विश्वविद्यालय को पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति लेना आवश्यक है ।

ये विनियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां इन विनियमों के लागू होने से पहले शैक्षिक पदों का चयन विधिवत् चयन समितियों द्वारा किया गया है ।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार आयोग की अनुसंधानों के अनुपालन की अवहेलना करने पर विश्वविद्यालयों द्वारा भुगते जाने वाले परिणाम :

यदि कोई विश्वविद्यालय धारा 12 (ए) की उपधारा (5) में सन्दर्भित किसी महाविद्यालय को किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए उस उपधारा के प्रावधानों के विश्व मान्यता प्रदान करता है या धारा (12) या धारा (13) के तहत की गई अनुशंसा का अनुपालन नहीं करता है अथवा धारा 25 की उपधारा (2) खण्ड (एफ) या खण्ड (जी) में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो आयोग विश्वविद्यालय द्वारा इसकी असफलता या अवहेलना के कारणों पर, यदि कोई, विचार करने के उपरांत आयोग अपने कोष से विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले प्रस्तावित अनुदान को रोक सकता है ।

योगेन्द्र नाथ चतुर्वेदी,
सचिव

सारणी—1

ललित कलाएं, प्रबन्ध, अभियांत्रिकी एवम् प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य विषयों में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में खुले विज्ञापन द्वारा प्रोफेसर, रीडर, लैक्चरर के पद की नियुक्तियों तथा रीडर, सीनियर स्केल लैक्चरर, सलक्शन ग्रेड लैक्चरर पदों की प्रोन्नति हेतु न्यूनतम योग्यताएं ।

1. प्रोफेसर

उच्चस्तरीय प्रकाशित कार्य तथा पी० एच० डी० स्तर पर मार्गदर्शन करने के अनुभव सहित शोध कार्य में सक्रिय रूप से सम्बद्ध होने तथा किसी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान/विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाने और/या शोध कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ।

या

एक असाधारण योग्य विद्वान, जिसने ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो ।

2. (अ) रीडर (खुला चयन)

शोध उपाधि या समतुल्य प्रकाशित कार्य सहित उच्च शैक्षिक रिकार्ड । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रणाली से बाहर के प्रत्याशी के स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी होनी चाहिए ।

अध्यापन तथा/या शोध कार्य का लगभग 8 वर्ष का अनुभव (3 वर्ष की शोध उपाधि के अनुभव सहित) तथा विद्वतापूर्ण प्रकाशित कार्य, शिक्षा नवीकरण के क्षेत्र में योगदान तथा नवीन पाठ्यक्रम आदि की रूपरेखा बनाने का अनुभव ।

(ब) रीडर (प्रोन्नति)

(क) रीडर के पद की प्रोन्नति के बारे में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भारत सरकार के पत्र सं० एफ० 1-21/87 यू०-1, दिनांक 22-7-1988 के द्वारा अधिसूचित वेतनमान संशोधन योजना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1-6/90 (पी० एस० सैल) 29 जनवरी, 1990 के द्वारा भेजे गए मार्गदर्शी सिद्धांत लागू होंगे ।

(ख) वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त प्रत्येक प्रवक्ता, रीडर के पद की प्रोन्नति के लिए पात्र होगा, यदि उसने :

1. वरिष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है । 8 वर्ष की सेवा अवधि की शर्त में छूट दी जा सकती है यदि प्रवक्ता वेतनमान में सेवा अवधि 16 वर्ष से कम नहीं है ।

2. पी० एच० डी० उपाधि प्राप्त कर ली है या समकक्ष प्रकाशित शोध कार्य किया है ।

3. शोध तथा ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, स्वतः मूल्यांकन, निदेशकों की रिपोर्टें, उच्चस्तरीय शोध कार्य, शिक्षा नवीनीकरण के क्षेत्र में योगदान नवीन पाठ्यक्रम आदि की रूपरेखा बनाने का अनुभव ।

4. निर्धारित अवधि के दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हो या वरिष्ठ वेतनमान मिलने के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सतत् शिक्षा के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया हो ।

5. निरन्तर अच्छी स्वतः मूल्यांकन रिपोर्ट ।

(ग) रीडर के पद हेतु प्रोन्नति, सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम के तहत गठित चयन समिति या चयन अधिकारियों द्वारा गठित समान समिति के द्वारा की जाएगी ।

2(स) प्रवक्ता (चयनित वेतनमान)

वे प्रवक्ता, जो वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत हैं परन्तु जिनके पास पी० एच० डी० उपाधि या समकक्ष प्रकाशित शोध कार्य नहीं है तथा जिनका योग्यता स्तर स्नातकशिप अथवा शोध कार्य करने का नहीं है परन्तु रीडर पद की प्रोन्नति के लिए उपरोक्त 2ब (ख) की शर्तों को पूरा करते हैं तथा अध्यापन तथा/या विस्तार क्रिया-कलापों में अच्छा रिकार्ड है, को वरिष्ठ वेतनमान दिया जाएगा बशर्ते रीडर पद की प्रोन्नति की उनकी अनुशंसा चयन समिति द्वारा की गई हो । उन्हें चयनित वेतनमान प्राप्त प्रवक्ता कहा जाए । वे पी० एच० डी० उपाधि तथा/या रीडर पद की प्रोन्नति की शर्तों को पूरा कर लेने पर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं, यदि योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें रीडर का पद दिया जा सकता है ।

3. प्रवक्ता

(अ) कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, व्यायाम शिक्षा, विदेशी भाषाएं तथा विधि विषयों के लिए न्यूनतम योग्यताएं ।

उच्च शैक्षिक रिकार्ड सहित किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समतुल्य ग्रेड अथवा किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि प्रत्याशी ने उपरोक्त योग्यताओं को पूर्ण करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) तथा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद (सी०एस० आई० आर०) की संयुक्त प्रवक्ता पात्रता परीक्षा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभिस्वीकृत अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(ब) पत्रकारिता व जन संचार

उच्च शैक्षिक रिकार्ड सहित संचार/जन संचार, पत्रकारिता आदि में भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समतुल्य ग्रेड सहित उपाधि अथवा किसी विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ।

प्रत्याशी ने उपरोक्त योग्यताएं पूर्ण करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) तथा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) की संयुक्त प्रवक्ता पात्रता परीक्षा या विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग द्वारा अभिस्वीकृत अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान मे समाज विज्ञान/विज्ञान/मानविकी विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि सहित संचार जन संचार पत्रकारिता में किसी भारतीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सस्थान मे द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या संचार जन सचार पत्रकारिता में स्नातकोत्तर सनद ।

प्रत्याशी ने उपरोक्त योग्यताएं पूर्ण करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) तथा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसधान परिषद् की सयुक्त प्रवक्ता पात्रता परीक्षा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभिस्वीकृत अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(स) सगीत

उच्च शैक्षिक रिकार्ड सहित 55 प्रतिशत अंक या सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर स्तर में समतुल्य ग्रेड अथवा किसी भारतीय विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि ।

प्रत्याशी ने उपरोक्त योग्यताएं पूर्ण करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) तथा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसधान परिषद् की संयुक्त प्रवक्ता पात्रता परीक्षा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभिस्वीकृत अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

अथवा

पारंपरिक या व्यावसायिक कलाकार, जिसने संसोधित विषय में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की हो ।

3. (ब) प्रवक्ता (चयनित)

प्रत्येक प्रवक्ता विश्वविद्यालय द्वारा पैरा 2(ब) (क) में सदर्भित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संवीक्षा/चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर 3000–5000– रु० के वरिष्ठ वेतनमान के लिए पात्र होगा यदि उसने :

1. नियमित नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है । सेवा अवधि में छूट निम्नांकित टिप्पणी (2) व (3) के अनुसार मिलेगी ।
2. निर्धारित अवधि के दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हो या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सतत् शिक्षा के उच्चस्तरीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया हो ।
3. निरन्तर अच्छी स्वतः मूल्यांकन रिपोर्ट ।

टिप्पणी :

1. प्रवक्ताओं को वरिष्ठ वेतनमान देने तथा रीडर के पद के लिए प्रोन्नत करने के लिए आवश्यक पदों का सृजन सम्बन्धित पदधारी के पदों का उन्नयन करके होगा ।
2. स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद सतत् अनुसंधान को बढावा देने के उद्देश्य से उन प्रत्याशियों को, जिनके पास प्राध्यापक की नियुक्ति के समय पी० एच० डी० या एम० फिल० उपाधियां हैं (इन्हें सयुक्त रूप से "शोध उपाधियों" कहा जाता है) को 2200–4000 के वेतनमान में एक अग्रिम वेतन बढोत्तरी सहित तीन वेतन बढोत्तरियां स्वीकृत की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त प्रोन्नति के समय तदनुरूप सेवा वर्षो का लाभ भी मिलेगा। वर्तमान प्राध्यापक, जिनके पास शोध उपाधि नहीं है तथा वे जिन्हें भविष्य में नियुक्त किया जाना है अपनी सेवा में वे जब भी शोध उपाधि प्राप्त कर लेते हैं रीडर के पद की प्रोन्नति में व समान लाभों के अधिकारी होंगें परन्तु वे अग्रिम बढोत्तरी के अधिकारी नहीं होंगे। वे वर्तमान प्राध्यापक जिनके पास शोध उपाधि है भी समान लाभों के अधिकारी होंगें ।
3. वरिष्ठ वेतनमान चयनित वेतनमान देने के उद्देश्य से पूर्ण सेवा वर्षों की गणना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परिपत्र स० एफ० 1–6/90 (पी० एस० सैल०) दिनांक 27 नवम्बर 1990 के द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगी ।

गुरचरन सिंह,
अवर सचिव
यू० जी० सी०

ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कं०
चार्टर्ड अकाउटेंट
नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1989 ।
कार्यपालक समिति
भारतीय विधुत परिषद् ।

निर्देश : 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के लेखाओं की लेखा-परीक्षा ।

हमने 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के लेखाओं की लेखा-परीक्षा कर ली है और हम 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा सहित 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की चार प्रतियां इसके साथ भेज रहे हैं ।

हमारे सप्रेक्षण निम्नानुसार हैं :—

1.00 कार्यनत परिणाम

1.01. इस वर्ष के अंत में घाटा 6,63,926.26 रु० का रहा जबकि 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के दौरान यह 4,54,574.00 रु० था ।

1.02. घाटा में वृद्धि मुख्यत: गत वर्ष ब्याज की आय के 2,73,510.08 रु० से घट कर 98,030.58 रु० रह जाने के कारण हुई । यह इस तथ्य के कारण हुई कि परिषद् ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 11,00,000 रु० के नियतकालिक निक्षेप भुना लिए थे ।

1.03. अनुशासन समिति के सदस्यों के यात्रा व्यय में जो पूर्व वर्ष के 3,72,328.90 रु० के मुकाबले चालू वर्ष में 5,95,570.00 रु० हुआ, पर्याप्त वृद्धि में भी घाटे में वृद्धि होने में योगदान किया ।

2.00. नामांकन फीस

2.01. विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषदों से चालू वर्ष के लिए नामांकन फीस के रूप में वर्ष के दौरान 2,77,075.00 रु० की राशि प्राप्त हुई । बकाया नामांकन फीस के लिए 6,69,830.00 रु० का प्रावधान किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

राज्य विधिज्ञ परिषद का नाम	प्रावधान
1. महाराष्ट्र	85,000.00
2. पंजाब और हरियाणा	41,000.00
3. हिमाचल प्रदेश	6,000.00
4. दिल्ली	35,630.00
5. केरल	20,000.00
6. उड़ीसा	39,000.00
7. कर्नाटक	43,275.00
8. उत्तर प्रदेश	3,00,000.00
9. तमिल नाडु	39,000.00
10. मध्य प्रदेश	60,000.00
	6,69,830.00

2.02. वर्ष 1986–87 के लिए निम्नलिखित नामांकन फीस शोध्य की :—

राज्य विधिज्ञ परिषद	रकम (रु०)
1. हिमाचल प्रदेश	5,875.00
2. कर्नाटक	48,000.00
3. उत्तर प्रदेश	3,00,000.00
4. पंजाब और हरियाणा	30,000.00
	3,83,875.00

2.03 पंजाब और हरियाणा विधिज्ञ परिषद द्वारा वर्ष 1972–73 से 1986–87 तक के लिए भेजी गई लेखा परीक्षा के रिपोर्टों के आधार पर परिषद ने बकाया नामांकन फीस के लिए 1,01,275.00 रु० का और प्रावधान किया है जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वस्तुत: देय नामांकन फीस और पूर्व वर्णित वर्षों के दौरान परिषद द्वारा किए गए प्रवधान के बीच का अंतर है ।

2.04. 31 मार्च, 1989 तक विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषदों से नामांकन फीस के रूप में 11,54,980.00 रु० शोध्य थे ।

2.05. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 12(3) के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषदों से पश्चातवर्ती वर्ष की 31 दिसम्बर तक भारतीय विधिज्ञ परिषद को अपने लेखाओं की एक प्रति और उसके साथ लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति भेजने की अपेक्षा की जाती है ।

2.06. यह देखा गया कि निम्नलिखित राज्य विधिज्ञ परिषदों ने लेखा-परीक्षा की तारीख तक, नीचे नीचे वर्णित वर्षों के लिए अपने लेखापरीक्षित लेखे नहीं भेजे हैं :—

राज्य विधिज्ञ परिषद का नाम	वर्ष
1. कर्नाटक	1985–86, 1986–87, 1987–88
2. उत्तर प्रदेश	1985–86, 1986–87, 1987–88
3. असम	1986–87, 1987–88
4. गुजरात	1986–87, 1987–88
5. हिमाचल प्रदेश	1986–87, 1987–88
6. मध्य प्रदेश	1986–87, 1987–88
7. उड़ीसा	1986–87, 1987–88
8. बिहार	1987–88
9. केरल	1987–88
10. महाराष्ट्र	1987–88
11. पश्चिमी बंगाल	1987–88

2.07 भारतीय विधिज्ञ परिषद को राज्य विधिज्ञ परिषदों से उपर्युक्त करने प्राप्त के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए ।

3.00 अग्रिम (22,927.00 रू०)

3.01 हमने देखा कि 1986–87 और 1987–88 के दौरान दिए गए अग्रिमों की आज तक वसूली नहीं हुई है ।

4.00 अन्यान्य ऋण (12,61,020.15 रु०)

4.01 1985–86 से 150.00 रू०, 1986–87 से 615.00 रू० और 1987.88 से 409.00 रू० की राशि बकाया है। इन रकमों की शीघ्र वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

4.02 अन्यान्य ऋणियों में वे राज्य विधिज्ञ परिषदें सम्मिलित हैं जिनसे अधिवक्ता अधिनियम की धारा 46 के अधीन नामांकन फीस मद्दे 11,54,980.00 रू० रकम वसूलीय है। इस रकम में 3,43,875.00 रू० की वह रकम भी सम्मिलित है जो 31 मार्च, 1988 को बकाया थी और अब तक वसूल की जानी है। इसके अतिरिक्त इसमें 1,.01, 275.00रू० की वह रकम भी सम्मिलित है जो विन्जु 203 में यथावर्णित पंजाब और हरियाणा विधिज्ञ परिषद से शोध्य हुई है।

5.00 उपाप्त ब्याज

5.01 उपाप्त ब्याज जिसमें भविष्य सिधि खाते पर उपाप्त 1281 रू० का वह ब्याज भी सम्मिलित है, जो 1987–88 की बाबत था, 1988–89 के दौरान प्राप्त नहीं हुआ है।

6.00 स्रोत पर काटा गया कर (2268 रु०)

6.01 जैसा कि पहले रिपोर्ट किया गया था, यह रकम बहुत पुरानी है और आय कर विभाग से वसूलीय है। उसका शीघ्रातिशीघ्र प्रतिहाय कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

7.00 सहायता अनुदान (विधि और निर्धनता पुस्तक के लिए) (4,666.65 रू०)

7.01 इस लेखे 31–3–1988 को 3,666.65 रू० की रकम बकाया थी। पुस्तक के एक अभिदाता को 1000 रू० का चैक दिया गया था जिसका दावा नहीं किया गया और जिसे उचंत खाते में डाल दिया गया था, इसे चालू वर्ष के दौरान इस खाते में अंतरित किया गया। इस प्रकार 31 मार्च, 1979 को इस खाते में अतिशेष 4,666.65 रू० था।

यह रकम चूंकि, पिछले 6 वर्षों से उपयोग में नहीं लाई गई है अतः इसे विधि मंत्रालय को वापस कर दिया जाना चाहिए।

8.00 यात्रा और सवारी

अनुशासन समिति सदस्य (5,95,570 रु०)

8.01 वर्ष के दौरान अनुशासन समिति के सदस्यों के यात्रा व्यय में भारी वृद्धि हुई है। व्यय चालू वर्ष के दौरान 5,95,570.00 रू० था जबकि 31 मई, 1988 को समाप्त पूर्व वर्ष के दौरान उपगत यह व्यय 3,72,328.90 रु० था। हमें स्पष्ट किया गया कि यात्रा व्यय में वृद्धि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में अनुशासन समिति की बैठकों का होना है।

9.00 विनिधान से ब्याज (98.030.58 रु०)

9.01 वर्ष के दौरान परिषद ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 11,00,000.00 रु० की नियतकालिक रसीदें भुना ली हैं।

9.02 इसके परिणामस्वरूप ब्याज की आय 1987–88 में 2,73,510.08 रु० से घट कर चालू वर्ष के दौरान 98,030.58 रू० रह गई है।

10.00 गृह निर्माण अग्रिम

10.01 उधार और अग्रिम से संबंधित सेवा नियम के भाग 5 के विनियम के अनुसार किसी कर्मचारी को तब तक कोई उधार या अग्रिम नहीं दिया जाएगा जब तक उसे पूर्व में दिया गया उधार या अग्रिम का समिति के समाधानप्रद रूप में पूर्णतः संदाया नहीं कर दिया जाता है।

10.2 हमने पाया कि एक कर्मचारी को उसके खाई में बकाया उधार का अतिशेष वसूल किए बिना, 70,000 रु० का उधार स्वीकृत किया गया और वर्ष के दौरान उसे 25,000 रु० की पहली किस्त का संदाय किया गया।

11.00 स्थिर आस्तियां

11.01 परिषद ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित आस्तियां खरीदी हैं :—

(I) कार्यालय उपस्कर 11,334.रु०

(II) पुस्तकें और प्रकाशन 204 रु०

इनका अनुमोदन किया जाए।

11.02 वर्ष 1988–89 के लिए पुनरीक्षित दरों पर अवक्षयण दिया गया है।

12.00 उचंत खाता (1359.83 रु०)

12.01 उचंट खाते में मैसर्स नाइस में एडस से प्राप्त 1000 रू० की रकम है। हमारा सुझाव है कि इसे प्रकीर्ण आय खाते में अंतरित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त 1986–87 से विभिन्न व्यक्तियों के जमा खाते में 474.90 रू० की रकम पड़ी है। इसके लिए आवश्यक प्रविष्टियां की जानी चाहिए। उचंत खाते में 1988–89 में 694.00 रू० भी जमा किए गए हैं जो यूको बैंक द्वारा दी गई अधिक्य जमा है इस पर कारंवाई की जानी चाहिए।

31–3–89 तक इस खाते में 1359.83 रू० का अतिशेष 1985–86 से वसूलीय है। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

13.00 विविध लेनदार

13.01 विविध लेनदारों में 1982–83 से पूर्व के और 1982–83 से आगे के भी कुछ बहुत पुराने अतिशेष भी हैं। यदि इन रकमों के लिए कोई दावा नहीं किया जाता है तो उनके लिए कार्यपालक समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उन्हें बटटे खाते में डाल दिया जाना चाहिए।

14.00 भवन निधि और भवन निधि विनिधान

14.01 भवन निधि विनिधान 41,10,855.26 रु० है जबकि भवन निधि अतिशेष 23,82,137.23 रु० है। यह अंतर वर्ष 1988–89 के दौरान 7,50,000 रु० और वर्ष 1987–88 के दौरान 12,50,000 रू० के भारतीय विधिज्ञ परिषद न्यास से प्राप्त उधार में उपलब्ध कराई गई निधियों के विनिधान के कारण हुआ है। भवन निधि खाते में 2,71.281.97 रू० की अधिक रकम वह रकम है जो परिषद द्वारा भवन निधियों में से लिया गया ऋण है और जिसे अलग से नहीं दिखाया गया है।

14.02 परिषद ने वर्ष के दौरान भवन निर्माण के व्ययों को पूरा करने के लिए 10,75,000 रू० के नियतकालिक निक्षेप भुनाए हैं। 31 मार्च, 1989 को नियतकालिक निक्षेप का अतिशेष 6,50,000 रू० था।

14.03 कार्य की प्रगति में गत वर्ष बनाई गई दीवार की लागत भी है जो 2,48,585 रू० है।

14.04 नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एन० बी० सी० सी०) द्वारा की गई प्रस्थापना के निबंन्धनों के अनुसार (देखिये उनका पत्र सं० 88/डी०/87/488, दिनांक (4–11–87) और परिषद द्वारा करार किए गए अनुसार एन० बी० सी० सी० निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट और इस्पात की मात्रा के लिए अपने बिलों में निम्नलिखित दरों पर प्रत्यय देगा।

(I) सीमेंट 1400 रु० प्रति मी० ट० (अर्थात 70 रु० प्रति बोरी)

(II) इस्पात 6,600.00 रु० प्रति टन (एच०वाई०ई०एस०डी० शलाकाएं)

14.05 परिषद ने एन० बी० सी० सी० द्वारा प्रतिस्थापित उपर्युक्त दरों के आधार पर इस्पात और सीमेंट के बन्द स्टाक का मूल्यांकन किया है।

31 मार्च, 1989 को इस्पात का अंत अतिशेष 2200 मी० ट० था। इसका मूल्य 37,158 रू० है किंतु एन० बी० सी० सी० द्वारा प्रस्थापित दरों के आधार पर उसका मूल्य 14,520 रू० (अर्थात 2,200 × 6,600 रू०) आंका गया अतः 22638 रू० का अंतर कार्य प्रगति खाते में विकलित किया गया।

इसी प्रकार 31 मार्च को स्टाक में 1089 बोरी सीमेंट का मूल्य 54,277.90 रू० था किंतु एन० बी० सी०सी० दरों के अनुसार उसका मूल्य 76230 रू० (अर्थात 70 रू० × 1089) आंका गया अतः लाभ को कार्य प्रगति खाते में जमा किया गया है।

मूल्यांकन के इस आधार का अनुमोदन कार्यपालक समिति द्वारा किया जाए।

14.06 1089 बोरी सीमेंट के बंद स्टाक में 127 बोरी सीमेंट भी सम्मिलित हैं जिन्हें मैसर्स बिरला जूट और सीमेंट इंडस्ट्री से अभी प्राप्त करना है। उनकी कीमत पहले ही अदा की जा चुकी है।

14.07 बचत बैंक खाता, यूको बैंक (भवन निधि खाता)

रोकड़ बहीं के अनुसार अतिशेष 7,05,372.21 रु० है जबकि पास बुक के अनुसार अतिशेष 7,06,122.21 रु० है। अन्तर 10–3–87 को जारी 750 रु० के एक चैक (चैक रु० 600317) के कारण है जो आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वर्ष 1989–90 के दौरान उसके लिए आवश्यक प्रविष्टि की जानी चाहिए।

15.00 आय कर निर्धारण

15.01 परिषद की ब्याज आय के आय कर निर्धारण की स्थिति निम्नलिखित है :—

जैसा कि हमारी पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्णित है आय-कर विभाग ने निर्धारण वर्ष 1964–65 से 1974–75 और 1980–81, 1982–83 और 1983–84 के लिए आय कर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष एक अपील फाइल की थी जिसके लिए तारीख 9–6–1988 नियत की गई थी। अधिकरण ने आय–कर आयुक्त (अपील) द्वारा परिषद के पक्ष में पारित आदेश का अपास्त कर दिया और उसे निदेश दिया कि निर्धारण करने वाले अधिकारी को युक्ति युक्त अवसर देने तथा लिए गए निर्णय के समर्थन में समुचित कारण अभिलिखित करने के पश्चात मामले का पुनर्विनिश्चय करे।

सहायक आय-कर आयुक्त द्वारा निर्धारण वर्ष 1986–87, 1987–88 और 1988–89 के लिए निर्धारण पूरा किया गया और आय कर विभाग द्वारा 10,71,453.00 रू०, 2,28,543 रू० और 1,77,246 रू० की मांग की गई जिसके विरूद्ध परिषद ने 9–3–89 को आय कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलें फाइल की और मामला अभी भी लंबित है। इसके अतिरिक्त निर्धारण वर्ष 1985–86 के लिए जिसके लिए निर्धारण पूरा किया जा चुका था, और 2,17,827 रू० की मांग की गई थी, परिषद ने 6–4–1988 को आय कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल की थी। मामला अभी भी लंबित है।

अन्त में हम लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा अभिलिखित करना चाहेंगे।

भवदीय,
हस्ता०/-
चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट
एस० एम० श्री वास्तव,
सचिव
भारतीय विधिज्ञ परिषद

हस्ता०/-
आर०एन० टंडन,
लेखा अधिकारी
भारतीय विधिज्ञ परिषद

भारतीय विद्युत परिषद

तुलनपत्र 31-3-89 के अनुसार

31-3-88 तक (रु०)	दायित्व		रकम (रु०)	31-3-88 को (रु०)	आस्तियां		रकम (रु०)
23,89,472.93	आरक्षित निधि			1,65,231.00	स्थिर आस्तियां		
	पिछले तुलन पत्र से	23,89,472.93			लागत पर अवक्षयण घटाकर अनुसूची "क" के अनुसार		1,47,236.00
	घटाइये : आय और व्यय लेखा अन्तरित, वर्ष का घाटा	6,65,426.26	17,24,046.67	15,50,000.00	विनिधान खाता (आरक्षित निधि)		
10,74,125.09	भविष्य निधि खाता				राष्ट्रीयकृत बैंक/पब्लिक सेक्टर	3,00,000.00	
	पिछले तुलन पत्र से	10,74,125.09			उपक्रम में सावधिक जमा	1,50,000.00	4,500,00.00
	जोड़िये : अभिदाय	49,412.00					
	जोड़िये : चन्दा	49,412.00		10,74,125.09	भविष्य निधि विनिधान खाता		
	जोड़िये : स्वैच्छिक अभिदाय	8,400.00			डाकघर बचत बैंक खाता में	2,55,668.97	
	जोड़िये : जमा ब्याज	47,356.67			डाकघर सावधिक निक्षेप खाता में	2,50,000.00	
	जोड़िये : दिया गया उपाप्त ब्याज	46,706.26	12,75,412.02		विशेष जमा बचत बैंक खाता में	5,00,000.00	
					उपाप्त ब्याज	47,987.26	
4,48,985.44	उपदान निधि खाता				भविष्य निधि अग्रिम खाता	17,905.79	
	पिछले तुलन पत्र से	4,58,985.44			स्थाई आहरण	2,03,850.00	12,75,412.02
	जोड़िये : जमा ब्याज	13,862.45		4,48,985.44	उपदान निधि विनिधान खाता		
	जोड़िये : उपाप्त ब्याज	15,964.09			यूको बैंक के बचत खाता में	1,63,889.89	
	जोड़िये : वर्ष के दौरान अभिदाय	98,676.00	5,77,487.98		यूको बैंक के खाता नियतकालिक निक्षेप खाता में	50,000.00	
81,888.57	लेनदार				विशेष खाता में	2,50,000.00	
24,601.00	डी० सी० लागत (उचन्त) फीस खाता				डाकघर के नियतकालिक निक्षेप खाते में	95,000.00	
	पिछले तुलनपत्र से	24,601.00			उपाप्त ब्याज	18,598.09	5,77,487.98
	जोड़िये : वर्ष के दौरान परिवर्धन	7,755.00		95,390.18	चालू आस्तियां		
		32,356.00			विनिधान पर उपाप्त ब्याज	2,499.60	
	घटाइये : वर्ष के दौरान संदाय	4,625.00	27,731.00		नकद हाथ में	1,294.91	
3,666.65	सहायता अनुदान (विघ और निर्धनता पुस्तक)				यूको बैंक के बचत बैंक खाता (148) में	752.47	
	पिछले तुलन पत्र से	3,666.65			यूको बैंक के बचत बैंक विशेष खाता (1951) में	934.58	
	जोड़िये : चेक की रकम जिसका दावा नहीं किया गया	1,000.00	4,666.65		यूको बैंक के चालू खाता में	—	
					भारतीय स्टेट बैंक के चालू खाता में	26,862.13	32,343.69

2,15,748.20	कल्याण निधि खाता		
	पिछले तुलन पत्र से	2,15,748.20	
	जोड़िये वर्ष के दौरान	1,62,819.20	
	जोड़िये ब्याज, वर्ष के दौरान	14,723.10	
		3,93,290.50	
	घटाइय व्यय, वर्ष के दौरान	20,521.90	3,72,768.60
	भवन निधि लेखा		
22,00,165.43	पिछले तुलन पत्र से	22,00,165.43	
	जोड़िये :विनिधान पर ब्याज	1,75,206.95	
	जोड़िये ओ एस०	35,125.55	
		24,10,497.93	
	घटाइये : व्यय	28,370.70	23,82,137.23
	भारतीय विधिज्ञ परिषद न्याय से उधार		
12,50,000.00	पिछले तुलन पत्र से	12,50,000.00	
	जोड़िये : वर्ष के दौरान	7,50,000.00	20,00,000.00
	यूको बैंक से ओवर ड्राफ्ट		76,321.63

9,42,637.09	उधार अग्रिम और अन्यान्य ऋणी		
	कर्मचारियों को उधार पर बकाया		
	ब्याज	63,763.85	
	कर्मचारियों को उधार	1,65,552.30	
	अग्रिम, डाक महसूल, अग्रदाय	27,601.00	
	टेलीफोन और अन्य निक्षेप	20,867.00	
	अन्यान्य ऋणी	11,53,011.00	
	अन्याय ऋणी (ब्यास)	1,04,301.69	
	अन्यान्य ऋणी अन्य	4,897.50	
	पूर्व संदत्त व्यय	612.00	15,39,606.34
8,270.00	पुन: मुद्रित स्टाक "अधिनियम"		
	पिछले तुलन पत्र से	8,270.00	
	जोड़िये :वर्ष के दौरान वृद्धि	—	
	घटाइये : वर्ष के दौरान विक्रय	525.00	7,745.0
8,173.70	उचत खाता		1,359.83
7,304.15	पुन: मुद्रित स्टाक "नियम" खाता		
	पिछले तुलन पत्र से	7,304.15	
	जोड़िये : वर्ष के दौरान	4,294.00	
		11,598.65	
	घटाइये : वर्ष के दौरान विक्रय	2,205.00	9,393.65
2,268.00	स्रोत पर काटा गया कर खाता		
	पिछले तुलन पत्र से		2,268.00
2,12,610.20	कल्याण निधि विनिधान खाता		
	यूको बैंक के बचत बैंक खाते में	3,68,708.00	
	उपाप्त ब्याज	4,000.00	3,72,708.00

31-3-88 को (रु०)	दायित्व	रकम (रु०)	31-3-88 को (रु०)	आस्तियां		(रकम रु०)
			31,74,258.46	भवन निधि विनिधान खाता		
				(क) नकद हाथ में	295.85	
				(ख) इण्डियन बैंक मे सावधिक जमा	6,50,000.00	
				यूको बैंक में बचत बैंक खाता	7,05,372.21	
				(ग) प्रोद्भूत ब्याज	2,22,025.00	
				(घ) संग्रहण अग्रिम एन० बी० सी० सी०	6,50,221.00	
				(ङ) चालू कार्य	17,92,191.20	
				(च) प्राप्त सामग्री की लागत हाथ में	907,50.00	41,10,855.26
76,88,653.31		85,26,416.37	76,88,653.31			85,26,416.37

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
जांच की और सही पाया ।
हस्त० —
(ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कं०)
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

हस्ता/—
आर० एन० टण्डन,
लेखा अधिकारी
भारतीय विधिज्ञ परिषद्

हस्ता०/—
एस० एम० श्रीवास्तव,
सचिव
भारतीय विधिज्ञ परिषद्

मोहर

आय और व्यय लेखा

31 मार्च, 1989 समाप्त वर्ष

पूर्व वर्ष (रु०)	व्यय	इस वर्ष (रु०)	पूर्व वर्ष (रु०)	आय	इस वर्ष (रु०)
4,87,084.48	स्थापन (वेतन)	5,78,768.45	9,13,270.00	राज्य विधिज्ञ परिषद्ों के नामांकन फीस	1,54,711.00
25,635.05	अतिकाल भत्ता	—	2,73,510.00	विनिधानों पर ब्याज (जिसमें बचत बैंक खातों पर ब्याज भी सम्मिलित है)	98,030.58
39,058.75	कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	41,919.00			
6,612.00	छुट्टी यात्रा रियायत	4,459.00	5,041.60	उधार और अग्रिमों पर ब्याज (कर्मचारिवृंद खाता)	19,370.44
42,575.00	भविष्य निधि खाता में परिषद् का चन्दा	48,847.00	5,427.50	अनुशासनिक कार्यवाहियां और अन्य फीसें	5,408.00
38,170.00	उपदान निधि खाता में परिषद् का चन्दा	50,430.00	—	प्रकीर्ण आय	959.45
19,911.40	यात्रा और सवारी कर्मचारिवृन्द सवारी	30,311.35	5,54,574.00	तुलन पत्र में आय में अन्तरित व्यय का आधिक्य	6,65,426.26

2,38,746.00	परिषद्	1,62,434.55			
12,273.00	अन्य समितियां	—			
34,401.00	विधि शिक्षा समिति	50,532.25			
3,72,328.90	अनुशासन समिति	5,95,570.00			
116.00	कार्पिय प्रभार	—			
62,728.83	मुद्रण और लेखन सामग्री	52,096.38			
1,05,950.48	डाक महसूल, तार और टेलीफोन	51,101.75			
21,000.00	किराया	21,000.00			
11,222.31	जल और विद्युत	14,806.12			
8,812.00	विज्ञापन/राजपत्र अधिसूचना	6,727.00			
7,662.38	साधारण मरम्मत	9,603.50			
32,293.00	न्यायालय कार्यवाही/आय-कर कार्यवाही	26,568.00			
15,562.72	बैठक कार्यवाही	25,414.50			
2,467.40	बार एसोसिये शन इन्टरनेशनल) अभिदाय	1,128.00			
	पत्र पत्रिकायें और जर्नल	574.00			
1,750.00	संपरीक्षकों को मानदेय	3,000.00			
12,733.75	अवक्षयण	29,533.00			
—	शिलान्यास समारोह व्यय	1,605.47			
6,379.00	रात्रि भोज व्यय	—			
7,248.66	प्रतिनिधि फीस मद्दे	—			
7,000.00	मठन व्यय	2,500.00			
972.50	जरत जयन्ती समारोह व्यय	—			
42.00	अग्नि बीमा	42.00			
345.00	कन्वेंशन मद्दे	4,036.00			
30,836.35	प्रकीर्ण व्यय मद्दे	5,897.51			
16,51,822.96	योग	18,43,905.73	16,51,822.96	योग	18,43,905.73

इसी दिन की हमारी रिपोर्ट
के अनुसार चैक किया और सही पाया
हस्ता०/— ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड
कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

हस्ता०/—

आर० एन० टण्डन,
लेखा अधिकारी,
भारतीय विधिज्ञ परिषद्।

हस्ता०/—

एस० एम० श्रीवास्तव,
सचिव
भारतीय विधिज्ञ परिषद्

(सील)

स्थान : नई दिल्ली

ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कं०
चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस,
नई दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई,
मद्रास, पटना और चंडीगढ़ नई दिल्ली-2

दिनांक 27 अगस्त, 1990,

कार्यपालक समिति
भारतीय विधिज्ञ परिषद्

निदेश : 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा।

हमने 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा कर ली है और हम 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखाओं सहित 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र की चार प्रतियां इसके साथ भेज रहे हैं ।

हमारे संप्रेषण निम्नानुसार हैं :—

1.0 कार्यगत परिणाम

1.1 इस वर्ष के अन्त में घाटा 7,48,432.76 रु० रहा जबकि 31 मार्च, 1989 को समाप्त पूर्व वर्ष के दौरान यह घाटा 6,65,426.26 रु० था ।

1.2 घाटा में वृद्धि मुख्यत: गत वर्ष की ब्याज की आय के 98,030.55 रु० से घटकर चालू वर्ष में 3,232.11 रु० रह जाने के कारण हुई। यह इस तथ्य के कारण हुई कि परिषद् ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 4,50,000/– रु० के नियत कालिक निक्षेप भुना लिए थे।

2.0 नामांकन फीस

2.1 विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषदों से चालू वर्ष के लिए नामांकन फीस के रूप में वर्ष के दौरान 3,93,750.00 रु० की राशि प्राप्त हुई। बकाया नामांकन फीसों के लिए 5,32,935.00 रु० का प्रावधान किया गया है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

राज्य विधिज्ञ परिषद् का नाम	प्रावधान
1. महाराष्ट्र	90,000.00
2. पंजाब और हरियाणा	40,000.00
3. हिमाचल प्रदेश	5,500.00
4. दिल्ली	41,385.00
5. केरल	28,000.00
6. उड़ीसा	36,000.00
7. कर्नाटक	48,750.00
8. उत्तर प्रदेश	21,00,000.00
9. मध्य प्रदेश	43.000.00
	5,32,935.00

2.2 निम्नलिखित नामांकन फीस बकाया है :

राज्य विधिज्ञ परिषद्	रकम (रु०)
1. हिमाचल प्रदेश	11,875.00
2. कर्नाटक	45,000.00
3. उत्तर प्रदेश	2,00,000.00
4. पंजाब और हरियाणा	1,72,425.00
5. दिल्ली	35,630.00
6. उड़ीसा	39,000.00
	5,06,980.00

2.3 पंजाब और हरियाणा विधिज्ञ परिषद् द्वारा वर्ष 1972–73 से 1986–87 तक के लिए भेजी गई लेखा–परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर परिषद् ने बकाया नामांकन फीस के लिए 1,01,275.00 रु० का और प्रावधान किया है जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वास्तव में देय नामांकन फीस और पूर्व वर्णित वर्षों के दौरान परिषद् द्वारा किए गए प्रावधान के बीच का अंतर है ।

2.4 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 12 (3) के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषदों से पश्चातवर्ती वर्ष की 31 दिसम्बर तक भारतीय विधि परिषद् को अपने लेखाओं की एक प्रति और इसके साथ लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति भेजने की अपेक्षा की जाती है।

2.5 यह देखा गया कि निम्नलिखित राज्य विधिज्ञ परिषदों ने लेखा-परीक्षा की तारीख तक, नीचे वर्णित वर्षों के लिए अपने लेखा–परीक्षित लेखे नहीं भेजे हैं :—

राज्य विधिज्ञ परिषद् का नाम	वर्ष
1. कर्नाटक	1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89
2. उत्तर प्रदेश	1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89
3. असम	1986–87, 1987–88, 1988–89
4. मध्य प्रदेश	1986–87, 1987–88, 1988–89
5. गुजरात	1987–88, 1988–89
6. हिमाचल प्रदेश	1987–88, 1988–89
7. उड़ीसा	1987–88, 1988–89
8. बिहार	1987–88, 1988–89
9. केरल	1987–88, 1988–89
10. महाराष्ट्र	1987–88, 1988–89
11. पश्चिमी बंगाल	1987–88, 1988–89

2.6 भारतीय विधिज्ञ परिषद् को संदेय वार्षिक फीस राज्य विधिज्ञ परिषदों की आय के प्रति निदेश से अवधारित की जाती है अतः संपरीक्षित लेखा प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

3.0 अग्रिम धन

3.1 हमारा मत है कि 1986–87, 1987–88, 1988–89 के दौरान दिए गए कुछ अग्रिमों की आज तक वसूली नहीं की गई है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

4.0 अन्यान्य ऋणी

4.1 अन्यान्य ऋणियों में वे राज्य विधिज्ञ परिषदें सम्मिलित हैं जिनसे अधिवक्ता अधिनियम की धारा 46 के अधीन नामांकन फीस मद्दे 10,39,915.00 रु० की रकम वसूलीय है।

4.2 1986–87 से 615.00 रु० की राशि और 1987–88 से 109.00 रु० की राशि बकाया है। इन रकमों की शीघ्र वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, या उनके मुजरे के लिए अध्यपेक्षित संस्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

5.0 स्रोत पर काटा गया कर

5.1 जैसा कि पहले रिपोर्ट किया गया है, यह रकम बहुत पुरानी है और आय-कर विभाग से वसूलीय है। उसका शीघ्र प्रतिदाय कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

6.0 सहायता अनुदान (विधि और निर्धनता पुस्तक)

6.1 30–3–90 को इस मद्दे 4,666.65 रु० की रकम बकाया है। चूंकि इस रकम का उपयोग पिछले छह वर्षों से नहीं किया गया है अतः इसे विधि मंत्रालय को वापस कर दिया जाना चाहिए।

7.0 विनिधान से ब्याज

7.1 वर्ष के दौरान, परिषद् ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 4,50,000.00 रु० की नियतकालिक निक्षेप रसीदें भुना ली है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज की आय 1988–89 में 98,030.58 रु० से घटकर चालू वर्ष के दौरान 3232.71 रु० रह गई है।

8.0 स्थिर आस्तियां

8.1 परिषद् ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित आस्तियां खरीदें हैं :

1. कार्यालय उपस्कर	550 रु०
2. पुस्तकें और प्रकाशन	939 रु०

इनका अनुमोदन किया जाए।

अवक्षयण, आय-कर अधिनियमम, 1961 के अधीन निहित की गई दरों पर दिया गया है।

9.0 उचंत खाता

9.1 उचंत खाते में मैसर्स नाइस एड्स से 1988–89 में प्राप्त 1000.00 रु० की रकम है, इसके अतिरिक्त 1986–87 से विभिन्न व्यक्तियों के जमा खाते में 474.90 रु० की रकम पड़ी है। इसके लिए आवश्यक प्रविष्टियां की जानी चाहिए। 1988–89 में 694.00 रु० की और 1989–90 में 40.00 रु० की रकम उचंत खाते में जमा की गई है जो यूको बैंक द्वारा अधिक जमा की गई रकम है। इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। श्री भारत भूषण से 20 रु० और श्री ए० पी० मुल्ला से 30.00 रु० की कुछ रकमें हुई हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये रकमें किस मद्दे प्राप्त की गई हैं और उन्हें उचित लेखा शीर्ष में अंतरित किया जाना चाहिए।

10.0 विविध लेनदार

10.1 विविध लेनदारों में 1982–83 से पहले के कुछ बहुत पुराने अतिशेष भी हैं। यदि इन रकमों के लिए कोई दावा नहीं किया जाता है तो उनके लिए कार्यपालक समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए।

11.0 भवन निधि और भवन निधि विनिधान

11.1 भवन निधि विनिधान 53,53,407 रु० है जबकि भवन निधि में बकाया रकम 25,41,112 रु० है। यह अंतर भारतीय विधिज्ञ परिषद् न्यास से प्राप्त 30,83,576.00 रु० के ऋण में से उपलब्ध की गई निधि के निवेश के कारण पूरा हुआ है। भवन निधि खाते में 2,71,281 रु० की अधिक रकम वह रकम है जब परिषद् द्वारा भवन निधियों में से लिया गया ऋण है और जिसे अलग से नहीं दिखाया गया है।

11.2 परिषद् ने वर्ष के दौरान भवन निर्माण के व्ययों को पूरा करने के लिए 6,50,000 रु० के नियतकालिक निक्षेप भुनाए हैं। 31 मार्च, 1990 को नियतकालिक निक्षेप मद्दे अतिशेष शून्य था।

11.3 कार्य की प्रगति में चारदीवारी की लागत भी है जो 2,48,585 रु० है।

11.4 नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एन० बी० सी० सी०) द्वारा की गई प्रस्थापना के निबंधों के अनुसार (देखिए उसका पत्र सं० 88/डी०/87/488, दिनांक 4–11–1987) और परिषद् द्वारा किए गए करार के अनुसार एन० बी० सी० सी० निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट और इस्पात की मात्रा के लिए अपने बिलों में निम्नलिखित दरों पर प्रत्यय देगा :—

(i) सीमेंट	1400 रु० प्रति मी० टन (अर्थात 70.00 रु० प्रति बोरी)
(ii) इस्पात	6,600.00 रु० प्रति टन.

11.5 परिषद् ने एन० बी० सी० सी० द्वारा प्रस्थापित उपर्युक्त दरों के आधार पर इस्पात और सीमेंट के बंद स्टाक का मूल्यांकन किया है।

11.6 31 मार्च, 1990 को इस्पात का अन्त अतिशेष 32.04 मी० टं० था। इसका मूल्य 5,77,843 रु० है किंतु एन० बी० सी० सी० द्वारा प्रस्थापित दरों के आधार पर उसका मूल्य 2,11,464 रु० (32.04×6,600 रु०) आंका गया अतः 3,66,379 रु० का अन्तर कार्य प्रगति खाते में विकलित किया गया।

इसी प्रकार 31 मार्च, को स्टाक में 19 बोरी सीमेंट का मूल्य 6383 रू० था किंतु एन० बी० सी० सी० दरों के अनुसार उसका मूल्य 1330 रु० (अर्थात 19×70 रु०) आंका गया अतः 5053 रु० की हानि कार्य प्रगति खाते में विकलित की गई।

11.7 मूल्यांकन के इस आधार का अनुमोदन कार्यपालक समिति द्वारा किया जाए।

12.0 आय-कर निर्धारण

12.1 परिषद् की ब्याज की आय पर आय-कर निर्धारण की स्थिति निम्नानुसार है :—

जैसा कि हमारी पिछली लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में वर्णित है, आय-कर विभाग ने निर्धारण वर्ष 1964–65 से 1974–75 तक और 1980–81, 1982–83 और 1983–84 के लिए आय-कर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अधिकरण के समक्ष एक अपील फाइल की थी।

अधिकरण ने आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा परिषद् के पक्ष में पारित आदेश को अपास्त कर दिया और उसे निदेश किया कि वह विधारण करने वाले अधिकारी को युक्तियुक्त अवसर देने और लिए गए निर्णय के समर्थन में समुचित कारण अभिलिखित करने के पश्चात मामले को पुनः विनिश्चित करे।

आय-कर उपायुक्त ने निर्धारण वर्ष 1986–87, 1987–88 के लिए निर्धारण पूरा कर लिया है और आय-कर विभाग ने 10,71,453 रु०, 2,28,543 रु० तथा 1,77,264 रु० की मांग की है जिसके विरुद्ध परिषद् ने 9–3–1989 को आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल की है और मामला अभी लंबित है। इसके अतिरिक्त निर्धारण वर्ष 1985–86 के लिए जिसका निर्धारण पूरा हो गया है और जिसके लिए 2,17,827 रु० की मांग की गई है, परिषद् ने 6–4–1988 को आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल की थी। मामला अभी भी लंबित है। इन मांगों के लिए खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका अनुमोदन किया जाए।

13.0 अन्त में हम लेखा परीक्षा के दौरान हमें दिए गए सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा अभिलिखित करना चाहेंगे।

भवदीय,

हस्ता०/–

(ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कम्पनी)

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

हस्ता०/–

एस० एम० श्रीवास्तव

सचिव

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

हस्ता०/–

आर० एन० टंडन

लेखा अधिकारी

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

तुलन-पत्र

31 मार्च, 1990 के अनुसार

31-3-1989 तक	दायित्व		31-3-90 तक रकम रकम रु० में
	आरक्षित निधि		
17,24,047	पिछले तुलन पत्र से	17,24,046.67	
	घटाइये: आय और व्यय		
	लेखा से अंतरित, वर्ष का घाटा	7,48,432.76	9,75,613.91
	भविष्य निधि खाता		
12,75,412	पिछले तुलन पत्र से	12,75,12.02	
	जोड़िये: अभिदाय	50,764.00	
	जोड़िये: चन्दा	50,764.00	
	जोड़िये: स्वैच्छिक अभिदाय	2,400.00	
	जोड़िये: जमा ब्याज	63,993.85	
	जोड़िये: दिया गया उपाप्त ब्याज	43,721.50	14,87,055.37
	उपदान निधि खाता		
5,77,488	पिछले तुलन पत्र से	5,77,487.98	
	जोड़िये: जमा ब्याज	41,926.27	
	जोड़िये: उपाप्त ब्याज	14,932.27	
	जोड़िये: वर्ष के दौरान अभिदाय	—	6,34,346.42
85,845	लेनदार		4,94,483.57
27,731	डी० सी० लागत (उपंत) फीस खाता		
	पिछले तुलन पत्र से	27,731.00	
	जोड़िये: वर्ष के दौरान परिवर्धन	35,984.05	
		63,715.05	
	घटाइए: वर्ष के दौरान संदाय	1,214.00	62,501.05
4,666	सहायता अनुदान (विधि और निर्धनता पुस्तक)		
	पिछले तुलन पत्र से		4,666.65
	कल्याण निधि खाता		
3,72,769	पिछले तुलन पत्र से	3,72,768.60	
	जोड़िये: वर्ष के दौरान चन्दा	2,22,215.80	
	जोड़िये: वर्ष के दौरान ब्याज	28,292.90	
		6,23,277.30	

31-3-1988 को	आस्तियां		31-3-90 को रकम रु० में
	स्थिर आस्तियां		
	लागत पर अवक्षयण घटाकर		1,27,828.00
1,47,236	अनुसूची "क" के अनुसार		
4,50,000	विनिधान खाता		
	भविष्य निधि विनिधान खाता		
12,75,412	डाकघर बचत बैंक खाता में	2,19 497.58	
	डाकघर सावधि निक्षेप खाता	2,00,000.00	
	विशेष जमा बचत बैंक खाता में	7,50,000.00	
	उपाप्त ब्याज	43,721.50	
	भविष्य निधि खाता	52,136.29	
	स्थाई आहरण	2,21,700.00	14,87,055.37
	उपदान निधि विनिधान खाता		
5,77,488	यूको बैंक के बचत खाता में	1,19,414.25	
	यूको बैंक के नियतकालिक निक्षेप खाता में	—	
	विशेष खाता में	50,000.00	
	डाकघर के नियतकालिक निक्षेप खाता में	4,50,000.00	
	उपाप्त ब्याज	14,932.17	6,34,346.42
	चालू आस्तियां		
233.344	विनिधान पर उपाप्त ब्याज	—	
	नकद	865.37	
	यूको बैंक के बचत खाता (148) में	2,944.48	
	यूको बैंक के बचत बैंक विशेष खाता (1951) में	1,200.87	
	यूको बैंक के चालू खाता में	2,64,091.93	
	भारतीय स्टेट बैंक के चालू खाता	4,962.13	2,74,064.78
	उधार अग्रिम और अन्यान्य ऋणी		
15,39,606	कर्मचारियों को उधार पर बकाया ब्याज	76,918.30	
	कर्मचारियों को उधार	1,79,339.00	

31-3-1989 तक	दायित्व		31-3-90 तक रकम रु० में	31-3-1989 तक	आस्तियां		31-3-90 को रकम रु० में
	घटाइये/ वर्ष के दौरान व्यय	390.00	6,22,887.30		व्यय के लिये अग्रिम	15,457.00	
					डाक खर्च अग्रदाय	1,000.00	
	भवन निधि लेखा				टेलीफोन और अन्य निक्षेप	20,367.00	
23,47,001	पिछले तुलन पत्र से	23,47,011.68			अन्यान्य ऋणी	10,89,011.15	
	जोड़िये : विनिधान पर ब्याज और				अन्याय ऋणी (न्यास)	2,141.04	
	प्रकीर्ण आय	51,145.10			पूर्व संदत्त व्यय	609.00	13,84,842.89
		23,98,156.78			पुन: मुद्रित स्टाक "अधिनियम		
				7,745	पिछले तुलन पत्र से		7,745.00
	घटाइये : व्यय	57,880.35	23,40,276.43	1,360	उक्त खाता		1,269.83
					पुन: मुद्रित स्टाक "नियम" खाता		
	भारतीय विधिज्ञ परिषद् न्यास से उधार			9,394	पिछले तुलन पत्र से	9,303.65	
20,00,000	पिछले तुलन पत्र से	20,00,000.00			जोड़िये : वर्ष के दौरान	7,670.00	
	जोड़िये : वर्ष के दौरान	10,83,576.00	30,83,576.00			17,063.65	
					घटाइये : वर्ष के दौरान विक्रीत	6,535.00	10,528.65
35,126	ककाया बिल				स्रोत पर काटा गया कर खाता		
	पिछले तुलन पत्र से	35,125.55		2,268.00	पिछले तुलन पत्र से		3,268.00
	वर्ष के दौरान संदत्त	31,495.00			कल्याण निधि विनिधान खाता		
				3,72,709	यूको बैंक के बचत बैंक खाते में	1,10,387.30	
		3,630.55			भवन निधि को उधार	5,12,500.00	6,22,887.30
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	1,97,205.50	2,00,836.05				
					भवन निधि विनिधान खाता		
76,322	यूको बैंक से ओवर ड्राफ्ट		—	41,10,855	(क) नकदी	979.00	
					(ख) यूनियन बैंक में चालू खाता	5,394.80	
					(ग) यूनियन बैंक में बचत बैंक खाता	12,796.47	
					(घ) यूको बैंक में बचत बैंक खाता	3,90,615.14	
					(ङ) उपाप्त ब्याज	8,747.30	
					(च) अग्रिम—एल० जी० सी ि०	4,05,567.09	
					(छ) चालू कार्य	43,16,513.51	
					(ज) प्राप्त सामग्री की लागत	2,12,794.00	
							53,53,406.51
85,26,417	योग रु०		99,06,242.75	85,26,417			99,06,242.75

(सील)
टी० बी० ए० एण्ड कं०
चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस

स्थान/ नई दिल्ली
तारीख 27-8-1990

इस तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार जांच की और सही पाया
हस्ता०/-
(ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कं०)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस

हस्ता०/-
आर० एन० टण्डन
लेखा अधिकारी
भारतीय विधिज्ञ परिषद्

हस्ता०/-
एस० एम० श्रीवास्तव
सचिव
भारतीय विधिज्ञ परिषद्

31 मार्च, 1990 का आय और व्यय

पूर्व वर्ष रु०	व्यय	इस वर्ष रु०	पूर्व वर्ष रु०	आय	इस वर्ष रु०
5,78,768	स्थापना (वेतन)	6,47,576.02	10,54,711	राज्य विधिज्ञ परिषदों से नामांकन फीस	9,26,685.00
41,919	कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	44,007.00	98,031	विनिधानों पर ब्याज (जिसमें बचत बैंक खातों पर ब्याज भी सम्मिलित है)	3,715.71
4,459	छुट्टी यात्रा रियायत	4,241.00			
48,847	भविष्य निधि में परिषद् का चन्दा	50,764.00	19,370	उधार और अग्रिमों पर ब्याज (कर्मचारिवृंद खाता)	15,022.22
50,430	उपदान निधि में परिषद् का चन्दा	55,649.18	5,408	अनुज्ञामनिक कार्यवाहियां और अन्य फीसें	19,983.00
	यात्रा		—	कार्पिंग प्रभार	2,097.50
5,95,570	अनुशासन समिति	5,34,229.00	—	अन्तरण के लिये फीस	19,950.00
50,532	विधि शिक्षा समिति	31,812.00	—	विधि शिक्षा निरीक्षण फीस	60,000.00
1,62,435	परिषद् कर्मचारी	1,90,377.25	959	प्रकीर्ण व्यय	1,210.40
30,311	कर्मचारी वृन्द सवारी	23,941.70	5,65,426	तुलन पत्र में आय में अन्तरित व्यय का आधिक्य	7,48,432.76
52,096	मुद्रण और लेखन सामग्री	37,218.50			
51,102	डाक महसूल, तार और टेलीफोन	54,042.00			
21,000	किराया	23,625.00			
14,806	जल और विद्युत	8,545.15			
6,727	विज्ञापन/राजपत्र प्रकाशन	593.00			
9,604	साधारण मरम्मत	8,800.00			
26,568	न्यायालय कार्यवाही/आय-कर कार्यवाही	4,275.00			
25,414	बैठक व्यय	7,086.90			
1,128	बार एसोसियेशन (इन्टरनेशनल) अभिदाय	2,023.00			
575	पत्र पत्रिकायें और जर्नल	589.40			
3,000	संपरीक्षकों को मानदेय	3,000.00			
29,533	अवक्षयण	20,897.25			
1,605	शिलान्यास समारोह व्यय	—			
—	रात्रि भोज व्यय	15,338.95			
43,036	कन्वेंशन खाता	—			
33,440	प्रकीर्ण व्यय मद	28,464.49			
18,43,905	योग रु०	17,97,096.59	18,43,905	योग रु०	17,97,096.59

(सील)

टी० वी० ए० एण्ड कं०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27-8-1990

इसी दिन की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
चैक किया गया और सही पाया

हस्ता०/-
(ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कं०)
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

हस्ता/-
आर० एन० टण्डन
लेखा अधिकारी
भारतीय विधिज्ञ परिषद्

हस्ता०/-
एस० एम० श्रीवास्तव
सचिव
भारतीय विधिज्ञ परिषद्

31 मार्च, 1990 को स्थिर आस्तियों की अनुसूची

क्रम सं० आस्तियों की प्रतिभूति विशिष्टियां		सकल ब्लाक			अवक्षयण			शुद्ध ब्लाक	
		1-4-89 को	परिवर्धन विक्रय आदि	31-3-90 को	31-3-89 तक	1989-90 के लिए	31-3-90 तक	31-3-90 को	31-3-99 को
1. भवन और भूमि	—	66,829.00	—	66,829.00	—	—	—	66,829.00	66,829.00
2. फर्नीचर	10%	86,759.73	—	86,759.73	59,332.73	2,743.00	62,075.73	24,684.00	27,427.00
3. कार्यालय उपस्कर	33.33%	1,19,554.30	550.00	1,20,104.30	87,572.30	10,843.00	98,415.30	21,684.00	31,982.00
4. कार्यालय साइकिल	33.33%	3,342.90	—	3,342.90	3,173.90	56.00	3,229.90	113.00	169.00
5. वातानुकूलक	33.33%	23,913.85	—	23,913.85	20,892.85	1,007.00	21,899.85	2,014.00	3,021.00
6. प्रशीतक	33.33%	3,210.80	—	3,210.80	3,050.80	53.00	3,103.80	107.00	160.00
7. पुस्तकें और प्रकाशन	33.33%	45,529.47	939.25	46,468.72	27,881.47	6,195.25	34,076.72	12,392.00	17,648.00
योग		3,49,140.05	1489.25	3,50,629.30	2,01,904.05	20,897.25	222,801.30	127,828.00	1,47,236.00

(सील)

टी० वी० ए० एण्ड कं०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
नई दिल्ली

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

43वीं वार्षिक रिपोर्ट 1990-91

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 के अधीन निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

सं. औविनि/बोर्ड ब सम./43वीं वा. म. सं./91-आर.-1077

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 5 जुलाई 1991

परिचालन वातावरण और परिप्रेक्ष्य

1.01 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) भाऔविनि का निदेशक बोर्ड 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखा विवरण सहित भाऔविनि के परिचालनों पर 43वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

1.02 वर्ष 1990-91 में भाऔविनि के परिचालनों, कार्य-निष्पादनों और कार्य-परिणामों की पृष्ठभूमि के रूप में, यह श्रेयस्कर रहेगा, कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जो परिचालनात्मक आर्थिक और औद्योगिक वातावरण रहा, तथा चालू वर्ष में जो संभावनाएं हैं, उनका एक संक्षिप्त सिंहावलोकन किया जावे।

भारतीय अर्थव्यवस्था—1990-91

1.03 1990-91 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कुछ सीमा तक मिश्रित स्वरूप प्रदर्शित किया। आर्थिक क्रियाकलापों की गति समग्र रूप से विषम रहने के बावजूद भी एक तत्काल आकलन के अनुसार 1990-91 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विकास दर 4.5 प्रतिशत से ऊपर, तथा पिछले वर्ष अर्जित की गई दर के निकटतम रहने का अनुमान है। तथापि किसी भी स्थिति में, यदि 1986-87 और 1987-88 में अर्जित क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत की विकास दरों से इसका मिलान करें, तो उपर्युक्त विकास दर तुलनात्मक दृष्टि से काफी अच्छी ठहरती है।

सारणी 1 : भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट सूचक

आधारभूत आर्थिक सूचक	इकाई	1990–91 (अप्रैल-मार्च) (अनुमानित)	1989–90 (अप्रैल-मार्च) (अनन्तिम)	1990–91 में 1989-90 की तुलना में प्रतिशत अन्तर
1	2	3	4	5
— जनसंख्या	मिलियन	843.9	826.5	2.1
— सकल राष्ट्रीय उत्पाद (सराउ) (1980–81 के मूल्यों के आधार पर)	रु० करोड़	2,03,385	1,94,625	4.5
— सराउ प्रति व्यक्ति (1980–81 के मूल्यों के आधार पर)	रु०	2,410	2,354	2.3
— कृषि उत्पादन सूचकांक	1979–82=100	145.3	142.1	2.3
— खाद्यान्न–उत्पादन	मिलि० टन	177.2	170.6	3.8
— उर्वरक–उत्पादन (पोषकों के आधार पर नाइट्रोजन पोटाश खाद)	मिलि० टन	9.0	8.5	5.8
— बिजली उत्पादन	मिलि० का० वा०	264.1	245.1	7.8
— कोयला उत्पादन	मिलि० टन	211.6	200.8	5.4
— तेल–उत्पादन (कच्चा)	मिलि० टन	33.1	34.1	(–) 3.0
— सीमेंट उत्पादन	मिलि० टन	48.7	45.8	6.3
— तैयार इस्पात उत्पादन	मिलि० टन	13.5	13.1	3.0
— रेलवे द्वारा राजस्व–अर्जक माल यातायात	मिलि० टन	319.0	310.0	2.9
— प्रमुख बंदरगाहों पर माल का लदान-उतार	मिलि० टन	153.7	147.1	4.5

1	2	3	4	5
— औद्योगिक उत्पादन (सामान्य सूचकांक)	1980-81=100	212.2	196.4	8.0
— निर्यात	रु० करोड़	32,527	27,681	17.5
— आयात	रु० करोड़	43,171	35,412	21.9
— व्यापार सन्तुलन	रु० करोड़	(-) 10,644	(-) 7,731	37.7
— विदेशी मुद्रा रिजर्व (स्वर्ण एवं विशिष्ट आहरण अधिकारों को छोड़कर)	रु० करोड़	4,388	5,787	(-24.2)
— मुद्रा पूर्ति (मुद्रा[3])	रु० करोड़	2,63,954	2,29,654	14.9
— बैंक प्रदत्त उधार	रु० करोड़	1,16,184	1,01,453	14.5
— वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा	रु० करोड़	1,91,189	1,66,959	14.5
— थोक मूल्य सूचक (औसत)	1981-82=100	182.1	165.2	10.2
— औद्योगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचक (औसत)	1982=100	192.8	173.4	11.2
— मुद्रा स्फीति दर (थो०मू०सूच० पर आधारित) (बिन्दु से बिन्दु आधार पर)—मार्च के अंत में	प्रतिशत	12.2	8.6	—

आर्थिक परिदृश्य

1.04 सारणी-1 में 1990-91 के लिए अनुमानित आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट सूचकों को पिछले वर्ष के अन्तिम संगत सूचकों सहित दर्शाया गयी है[5], और 1989-90 की तुलना में 1990-91 में हुए प्रतिशत परिवर्तन भी दिए गए हैं[5]।

1.05 वर्ष 1990-91 के दौरान देश की आर्थिक स्थिति एवं क्रियाकलापों का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना उपयोगी रहेगा :—

(i) यद्यपि वर्ष 1990-91 के केन्द्रीय बजट प्रस्तावों में राजस्व बजट घाटे को कम करके 7,206 करोड़ रुपये तक लाने का प्रयास था, किन्तु अक्तूबर-दिसम्बर, 1990 की अवधि के दौरान तीन बार अतिरिक्त कर लगाए जाने और वर्ष के दौरान दो बार व्यय में 10 प्रतिशत कटौती की घोषणा के बावजूद भी, बजट घाटा अन्तरिम बजट प्रस्तावों में अनुमान के अनुसार 10,772 करोड़ रुपए का रहा, जो मूल बजट प्राक्कलन से 49% अधिक था। काफी हद तक खाड़ी संकट के व्यापक प्रभाव तथा भारतीय अप्रवासियों की स्वदेश वापसी में लागत के कारण ऐसा हुआ।

(ii) 2 अगस्त, 1990 से आरम्भ हुए खाड़ी संकट के कारण, जिसने बाद में पूरे 43 दिन के भयंकर खाड़ी युद्ध का रूप धारण कर लिया, तीसरी बार उत्पन्न तेल की कमी से देश की पहले से ही अस्थिर विदेशी मुद्रा संतुलन की स्थिति को धक्का लगा। न केवल तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल में 66 प्रतिशत की तीव्रतर वृद्धि हुई, अपितु इराक और कुवैत से धन-प्रेषण में भी अधिक हानि हुई, और पश्चिमी एशिया के देशों में भारत के निर्यात में भी अवनति उठानी पड़ी।

(iii) निर्यात, रुपयों में, जो 1986-87 से त्वरित गति से बढ़ते हुए वर्ष 1989-90 में 36 प्रतिशत तक विकास दर को प्राप्त हो गया था, समीक्षाधीन वर्ष में 18 प्रतिशत से भी नीचे विकास दर को प्राप्त हुआ। इसमें संदेह नहीं, कि सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक निवारक उपाय किए, जिसमें इंजीनियरिंग, रसायन, इलेक्ट्रानिक्स, कपड़ा तथा हस्तशिल्प सहित 100 से भी अधिक मदों पर निर्यात शुल्क वापसी दर में दिनांक 19 मार्च, 1991 को की गई वृद्धि की घोषणा भी शामिल थी, परन्तु जहां तक समीक्षाधीन वर्ष के समग्र निर्यात क्रिया-कलापों का सम्बन्ध है, उसका पूर्ण प्रभाव वर्ष में सामने नहीं आ पाया।

(iv) केन्द्र में हुए राजनैतिक परिवर्तनों के कारण अर्थ-व्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी नीतियों की घोषणा के आस्थगित होने तथा कुछ राज्यों की अशांत स्थिति के फलस्वरूप देश के आर्थिक और कारोबारी वातावरण में कुछ सीमा तक अनिश्चितता बनी रही।

1.06 तथापि, देश की अर्थव्यवस्था ने, 1990-91 के दौरान, खाड़ी संकट के प्रतिकूल प्रभाव तथा भुगतान संतुलन की संकटग्रस्त स्थिति का सामना करते हुए पर्याप्त रूप से अपनी सहन-शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया। 1990-91 में अनुकूल मानसून के कारण देश के हर क्षेत्र में और समय पर पर्याप्त तथा अच्छी वर्षा हुई, जिसके परिणामस्वरूप देश में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन रहा। एक अनुमान के अनुसार, खाद्यान्न का उत्पादन, 1989-90 में 170.6 मिलियन टन की तुलना में 177.2 मिलियन टन होने की आशा है, जो 176.5 मिलियन टन के निर्धारण लक्ष्य से भी अधिक है। मूंगफली, कपास और दिनौले आदि को छोड़कर अधिकांश खाद्येतर अनाज की फसल भी अच्छी होने की संभावना है। कृषि उत्पादन समग्र सूचकांक (1979-82=100) के अनुमानित 145.3 में वर्ष 1990-91

के दौरान 2.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की वृद्धि के समान ही है। वर्ष के दौरान, प्रमुख कृषि उत्पादों के क्रय/समर्थन मूल्य में सरकार द्वारा की गई वृद्धि से, खाद्यान्नों के सरकारी उपार्जन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1989-90 में किए गए 9 मिलियन टन गेहूं के उपार्जन की तुलना में 1990-91 में 11.07 मिलियन टन गेहूं उपार्जित किया गया। इसी प्रकार चावल का उपार्जन 1989-90 के 9.38 मिलियन टन से बढ़कर 1990-91 में 10.40 मिलियन टन हो गया। फरवरी, 1991 के अन्त में खाद्यान्नों का भंडार 18.79 मिलियन टन तक, एक पर्याप्त सुविधाजनक स्थिति में था, जबकि वर्ष 1990 के इसी मास के अन्त में खाद्यान्न भंडार का स्तर केवल 12.18 मिलियन टन था।

1.07 1990-91 की पहली छमाही के दौरान औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। किन्तु (1) खाड़ी संकट तथा (2) भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए निवारक उपाय के रूप में अपनाए गए प्रतिबन्धक आयात उपायों के कारण 1990-91 की दूसरी छमाही में उत्पादन की प्रगति की गति को पूर्ववत् नहीं रखा जा सका। फिर भी 1990-91 की दूसरी छमाही में औद्योगिक विकास दर, गिरावट के कारण, लगभग 5 प्रतिशत हो जाने से 1990-91 की समग्र सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि वर्ष 1989-90 की 8.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 8 प्रतिशत रहने की आशा है।

पूंजी बाजार

1.08 यद्यपि अक्तूबर, 1990 के मध्य तक अनुषंगी पूंजी बाजार कुल मिलाकर उत्साहवर्धक रहा, परन्तु प्राथमिक पूंजी बाजार के क्रियाकलाप की गति, विशेषकर अक्तूबर, 1990 से, बहुत कुछ धीमी ही रही। अनिश्चितताओं के अतिरिक्त, जिन्होंने बाजार के उतार-चढ़ाव पर अपना प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया, वर्ष 1990-91 की दूसरी छमाही के दौरान बाजार को प्रभावित करने वाले अन्य घटक थे—तेल संकट, भुगतान संतुलन स्थिति, विभिन्न उद्योगों में प्रयोग होने वाले माल के आयात पर आरोपित नियन्त्रण, अन्तरिम राजस्व संबंधी उपक्रम, आदि। इन सबका परिणाम यह हुआ कि इकनामिक टाइम्स द्वारा प्रवर्तित साधारण शेयर मूल्यों का सूचकांक (आधार 1984-85=100) 27 मार्च, 1991 को 605.3 था, जो 9 अक्तूबर, 1990 के अपने सर्वोच्च स्तर, अर्थात् 733.4 की तुलना में 17.5 प्रतिशत कम था।

1.09 उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1990-91 में पूंजी निर्गम नियंत्रक ने पूंजी जुटाने के लिए (प्रीमियम को शामिल करते हुए किन्तु बोनस शेयरों को छोड़कर) लगभग 12,341.9 करोड़ रुपए के अनुमोदन निजी और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दिए, जो वित्त वर्ष 1989-90 में 11,843.1 करोड़ रुपए के दिए गए अनुमोदन की तुलना में 4.2 प्रतिशत मामूली से अधिक थे। किन्तु 1990-91 में 441.1 करोड़ रुपए के बोनस शेयरों के निर्गम की सहमति पिछले वर्ष 1989-90 में 374 करोड़ रुपए के बोनस शेयर के निर्गम की सहमति की तुलना में 17.0 प्रतिशत अधिक थी।

1.10 शेयरों, डिबेन्चरों और बांडों के रूप में कुल पूंजी निर्गम, जो कैलेंडर वर्ष 1989 में 11,850 करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे, वर्ष 1990 के दौरान मात्र 7,703 करोड़ रुपए के रहे, जिनसे 35 प्रतिशत त्वरित ह्रास परिलक्षित होता है। ये निर्गम कुल सकल घरेलू बचतों के लगभग 7 प्रतिशत हो रहे।

1.11 1990 में इक्विटी और अधिमान शेयरों के रूप में पूंजी निर्गम, वर्ष 1989 में हुए 1,359 करोड़ रुपए के निर्गम से बढ़कर 1,647 करोड़ रुपए के रहे। यह वृद्धि अधिकांशत: पारस्परिक निधियों (म्यूच्युअल फंड्स) के प्रचलन तथा कुछ कम्पनियों द्वारा आधिकारिक शेयर निर्गमों के कारण रही। वर्ष 1990 के दौरान 4,439 करोड़ रुपए के अर्ध-परिवर्तनीय डिबेन्चर/बांड निर्गम में लगातार तीसरे वर्ष भी वृद्धि परिलक्षित हुई। किंतु संपरिवर्तनीय डिबेन्चर निर्गम, वर्ष 1990 में तेजी से घटकर 1,617 करोड़ रुपए के रह गए, जबकि वर्ष 1989 में ये निर्गम 5,439 करोड़ रुपए के थे।

1.12 वर्ष 1990 के दौरान कुछ संस्थानों द्वारा जारी किए गए बांड और पारस्परिक निधियों (म्यूच्युअल फंड्स), द्वारा निर्धारित अवधि पर बन्द हो जाने वाले पूंजी निर्गम, कुल मिला कर 1,371 करोड़ रुपए के रहे, जबकि वर्ष 1989 के दौरान यह 540 करोड़ रुपए के थे। प्रसंगवश, इन पारस्परिक निधियों/जोखिम पूंजी निधियों ने न केवल प्राथमिक बाजार में प्रचलित पूंजी परचियों के भाग को समाविष्ट किया, वरन् अनुपूरक पूंजी परचियों के बाजार में भी संस्थागत कारोबार आरम्भ किया।

1.13 वर्ष के दौरान सरकार ने प्रतिभूति से संबंधित संस्थानों के लेनदेन की पारदर्शिता जैसे पहलुओं को प्रभावित करते हुए पूंजी बाजार के कार्यों को सरल बनाने के लिए अनेक मार्ग-निर्देश जारी किए, यथा, सार्वजनिक/आधिकारिक निर्गम में न्यूनतम अभिदान, कम्पनियों के प्रबन्ध में परिवर्तन के नवीन मापदण्ड, मर्चेन्ट बैंकिंग और पारस्परिक निधियों (म्यूच्युअल फंडस) के विनियमन हेतु मार्गनिर्देश, प्रतिभूतियों का समय पर सूचीकरण, 50 करोड़ रुपए और इससे अधिक के व्यापक निर्गमों द्वारा जुटाई गई निधियों की उपयोगिता का अनुवर्तन तथा बैंकों को छोड़कर वित्त और लीजिंग कम्पनियों द्वारा पूंजी निर्गम के लिए मार्गनिर्देश, आदि। पहली बार भारत सरकार ने शेयरों के मूल्यांकन तथा उस पर प्रीमियम निर्धारण के मापदण्ड और प्रक्रिया को जनता की जानकारी हेतु जारी किया।

1.14 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) ने मानक सूचीकरण करार की धारा 40 क के प्रावधानों से बीआईएफआर के दायरे में न आने वाली रुग्ण और घाटे वाली कम्पनियों को छूट देने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए। इसने अग्रणी प्रबन्धकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपने मार्गनिर्देश भी संशोधित किए, और सभी पारस्परिक निधियों (म्यूच्युअल फंडस) के लिए नवीन तथ्य और सूचक मानदण्ड निर्धारित किए। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने निर्दिष्ट सूचना तथा उसमें प्रस्तुत तथ्यों के मानकों के अनुसार सार्वजनिक निर्गम संभावनाओं के मूल्यांकन तथा मर्चेन्ट बैंकरों और पारस्परिक निधियों (म्यूच्युअल फंडस) के कार्यकलापों को और अधिक सक्रियतापूर्वक निरीक्षण करना भी आरम्भ किया।

1.15 वर्ष के दौरान स्टाक एक्सचेंजों के, जिनमें देश में स्थापित अपेक्षाकृत नए एक्सचेंज भी शामिल हैं, पण्यावर्त (टर्न-ओवर) में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई। फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ, कि स्टाक एक्सचेंजों और दलालों के पास उपलब्ध आधार-भूत सुविधाएं, पण्यावर्त (टर्न-ओवर) की बढ़ती हुई मात्रा के अनुसार कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। कई बार स्टाक

एक्सचेंजों को निपटान कार्यों को करने के लिए व्यापार से संबंधित कार्यों को रोकना पड़ा। प्राय: सभी स्टाक एक्सचेंजों पर निवेशक हित संरक्षण निधि की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई। वर्ष के दौरान भारत सरकार ने स्टाक एक्सचेंजों में विद्यमान कार्य पद्धतियों में सुधार लाने के लिए और भुगतान समस्याओं को दूर करने तथा लेनदेन के निपटान की कठिनाइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के प्रधान, डा. एस. ए. दवे, की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कार्यदल का गठन किया। कर्ब डील्स तथा अन्य डीलरों एवं उप दलालों सहित विभिन्न स्तरों पर अनियमित शेयर व्यापार से सम्बन्धित समस्याओं की समीक्षा करने के लिए एक अध्ययन दल की भी घोषणा की गई। वर्ष के अन्त में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में शेयरों और डिबेंचरों के नए निर्गमों, इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन, स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति के सूचीकरण, सार्वजनिक निर्गमों की लागत, आवेदन की अधिक राशियों के आबंटन तथा वापसी एवं इससे सम्बन्धित मामलों के बारे में पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों में उपर्युक्त संशोधनों का अध्ययन और उनकी सिफारिश करने के लिए भी श्री एम. जे. फेरवानी की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया गया। इस अध्ययन दल से अपेक्षा की जाती है कि यह नान-वोटिंग शेयरों, जीरो कूपन बांड्स और वारंट्स जैसे नवीन वित्तीय प्रलेख प्रारम्भ करने के लिए सुझाव देगा, तथा इसके लिए मार्गनिर्देश भी तैयार करेगा।

निवेश वातावरण

1.16 खाड़ी संकट और राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अनिश्चितताओं के फलस्वरूप बाजार के रुख में मंदी तथा पूंजीगत माल (मुख्य) समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदनों में पिछले वर्ष प्रदत्त अनुमोदनों की तुलना में 47.9 प्रतिशत की कमी होने के बावजूद, निवेश वातावरण सापेक्षिक रूप से स्थिर रहा। लाइसेंस समाप्त उद्योगों के पंजीकरण में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, छूट प्राप्त उद्योगों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि 20 प्रतिशत तक पहुंच गई, जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या में 76.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और कारोबार चलाने के लिए दिए गए लाइसेंसों में 57.1 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। यद्यपि वर्ष 1990-91 में 1,099 करोड़ रुपए के लिए किए गए 152 नए सार्वजनिक निर्गमों की संख्या अपेक्षाकृत कुछ कम रही, तथापि सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा 1990-91 में की गई मंजूरियों और संवितरणों में क्रमश: 28.2 प्रतिशत और 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह 20,531.5 करोड़ रुपये तथा 12,480.3 करोड़ रुपये के रहे, जबकि 1989-90 में की गई समग्र मंजूरियां और संवितरण क्रमश: 16,005.3 करोड़ रुपए तथा 10,240.2 करोड़ रुपए के रहे थे। वित्त प्रदानता में व्यवहार्यता के आधार पर इकाइयों के परिचालन को जारी रखने के उद्देश्य से संयंत्र और उपस्कर के संतुलन और/या विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण/विशाखन पर निरन्तर बल दिया गया, जो उचित ही था।

राजस्व और मुद्रा विकास

1.17 एक चिन्ताजनक घटना, जिसने देश के आन्तरिक राजस्व परिदृश्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया—वह थी, खाड़ी संकट। इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने अनेक सामयिक उपाय किए, जैसे पैट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि, प्रवर्धित कर और लेवी, प्रतिबन्धित व्यापार नीति, जिसमें खुले सामान्य लाइसेंस सूची से कच्चे माल और संघटकों से सम्बन्धित अनेक मदों को हटाए जाने का भी प्रावधान रहा। फिर भी 1991-92 के आन्तरिक बजट के समय प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय सरकार का घाटा मूल प्राक्कलन से 49 प्रतिशत अधिक आंका गया। कुल कर राजस्व वसूली भी वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों से कम रही। वर्ष 1990-91 का सकल राजस्व घाटा 36,795 करोड़ रुपये के मूल प्राक्कलन की तुलना में 43,331 करोड़ रुपए रहा, जो मोटे तौर पर 5,04,500 करोड़ रुपये के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्यों के आधार पर) का 8.6 प्रतिशत था।

1.18 मुद्रा सम्बन्धी गतिविधियों में मुद्रा-विस्तार का प्रभावी नियमन कुछ हद तक परिलक्षित हुआ। एम3 और एम1 की वृद्धि की गति, 1989-90 में इसी अवधि की वृद्धि की तुलना में काफी कम रही। वस्तुत:, वर्ष 1990-91 में एम3 में 34,300 करोड़ रुपये (14.9 प्रतिशत) की वृद्धि भी, पिछले वर्ष में 37,659 करोड़ रुपये (19.6) की वृद्धि की तुलना में कम ही रही। फिर भी सरकार को बैंकों से प्राप्त निवल उधार में वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति निरन्तर बढ़ती रही, तथा उधार की राशि में पिछले वर्ष में 19,631 करोड़ रुपये की तुलना में स्पष्टत: 21,778 करोड़ रुपए की उच्चतर वृद्धि हुई। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त निवल उधार में भी पिछले वर्ष की 13,031 करोड़ रुपए की तुलना में 13.594 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

1.19 वर्ष 1990-91 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में भी कुल जमा और उधार की गति धीमी रही। कुल जमा में अभिवृद्धि 24,230 करोड़ रुपए (14.5 प्रतिशत) भी पिछले वर्ष में 26,809 करोड़ रुपए (19.1 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में कम रही। बैंक उधार में 14,731 करोड़ रुपए (14.5 प्रतिशत) की वृद्धि भी पिछले वर्ष में 16,734 करोड़ रुपए (19.8 प्रतिशत) वृद्धि की तुलना में कम रही, तथापि उच्चतर उपार्जन, उपार्जन मूल्यों में वृद्धि तथा खाद्यान्न के कम बहिर्ग्रहण के कारण, खाद्य ऋण विस्तार 2,500 करोड़ रुपए (124.6 प्रतिशत) तक पिछले वर्ष में 1,237 करोड़ रुपए की तुलना में काफी अधिक रहा। खाद्येतर ऋण विस्तार भी 12,231 करोड़ रुपए (12.3 प्रतिशत) तक रहा, जो पिछले वर्ष, 1989-90 में 15,497 करोड़ रुपए (18.5%) की तुलना में काफी कम था।

1.20 वर्ष 1990-91 की प्रथम छमाही की साख नीति द्वारा द्रव्यता में वृद्धि को नियंत्रित करने का गंभीरतापूर्वक प्रयास किया गया। इस नीति के अन्तर्गत आन्तरिक और अनिवासी निक्षेपों दोनों में सांविधिक द्रव्यता अनुपात (एसएलआर) को बढ़ाया गया। सितम्बर, 1990 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर संरचना को बड़े पैमाने पर युक्तिसंगत बनाया गया, और ब्याज दर में दी जाने वाली रियायतों को ऋणों के आकार के साथ जोड़ा गया। व्यस्त अवधि के लिए 19 अक्तूबर, 1990 को घोषित साख नीति में, अनप्रयुक्त ऋण पर वचनबद्धता प्रभार के रूप में ऋणियों के लिए असहायमानिक उपाय, अतिक्रमणीय ऋण-सीमाओं/नकदी विलय पर दंडित ब्याज, मांग मुद्रा बाजार का विस्तार तथा तीन वर्ष और इससे अधिक अवधि के बैंक निक्षेपों की नई श्रेणी के सृजन की व्यवस्था की गई। दिसम्बर 1990 में, निक्षेप प्रमाणपत्रों (सीडीएस) की सीमाएं कुल निक्षेपों के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर

3 प्रतिशत कर दी गयीं, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमियों के लिए दण्ड में ढील दी गई, तथा औचित्यपूर्ण पुनर्वित्त की अधिक राशि का भी महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया गया। ऋण नियंत्रण के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में धान/चावल और खाद्यान्नों के लिए अग्रिमों पर न्यूनतम सीमांतों को पारस्परिक सहमति से 15 प्रतिशत बिन्दुओं तक कम किया गया, जो 10 अक्तूबर, 1990 से लागू हो गए। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, दिनांक 1 जनवरी, 1991 से निर्यात ऋण के अभिनिर्धारित आधार-स्तर पर निर्यात पुनर्वित्त के अनुपात को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया। आयात पर नियंत्रण रखने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कच्चे माल के आयात के लिए साख पत्र खोलने की उच्चतम सीमा को आरम्भ में 50 प्रतिशत और उसके बाद दिनांक 20 मार्च, 1991 से, 133.33 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। अग्रिम लाइसेंसों तथा अग्रिम मध्यस्थ लाइसेंसों के मुद्दे अपनी खपत के लिए, आयात के सीमान्तों को भी शून्य से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया गया। विनिर्दिष्ट लाइसेंसों के अधीन आयात के लिए नकद सीमान्त को भी, जो पहले 50 प्रतिशत था, 110 प्रतिशत कर दिया गया। तेल, लुब्रीकेंट, उर्वरकों खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, अखबारी कागज तथा जीवन रक्षक औषधियों को अपवादस्वरूप छोड़कर सभी प्रकार के पूंजीगत माल के आयात को वित्तीय संस्थानों के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा ऋणों के अधीन पात्र बनाया गया। हालांकि 25 लाख रुपए और इससे अधिक, परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए तक के साख पत्रों के लिए कुछ प्रक्रियात्मक छूटें भी प्रदान की गईं।

मूल्य स्थिति

1.21 मूल्य स्थिति चिन्ता का विषय बनी रही। बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82 = 100) मार्च, 1990 में 170.1 से बढ़कर मार्च 1991 में 190.9 हो गया, जिससे मुद्रा-स्फीति की दर में बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर 12.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी (आधार : 1982 = 100) 1990-91 में 201 तक जाकर, मार्च 1990 के अन्त में 177 सूचकांक से तुलनात्मक रूप में, 13.5 प्रतिशत तक बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर, बढ़ गया। फिर भी सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुवर्तन तथा आर्थिक स्थिति की सांविधिक समीक्षा करते हुए, संभव सीमा तक इसे नियंत्रित करने के अनवरत गम्भीर प्रयास करने के कारण, मुद्रा-स्फीति दबाव का प्रभाव प्रकटतया कम ही रहा।

विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन

1.22 आयात बिल में त्वरित वृद्धि तथा निर्यातों में गिरावट की प्रवृत्ति के कारण, वर्ष 1990-91 में व्यापार घाटा 10,644 करोड़ रुपए हुआ, जबकि वर्ष 1989-90 में यह घाटा 7,731 करोड़ रुपए का रहा था, इस प्रकार व्यापार घाटे में 37.7% प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाड़ी संकट के कारण कुवैत और मध्य पूर्वी अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि में भी काफी कमी हुई। वर्ष 1990-91 में विदेशी निवेशों में भी, प्रथमतः नई विदेशी निवेश नीति की घोषणा में विलम्ब होने और बाद में खाड़ी युद्ध के कारण पर्याप्त कमी आई। यदि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्णधारिता के पुनर्मूल्यांकन तथा दिनांक 18 जनवरी, 1991 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा एसडीआर 555.925 मिलियन के प्रथम वैकल्पिक ऋण की व्यवस्था तथा एसडीआर 716.9 मिलियन के लिए प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा के अन्तर्गत क्रय-व्यवस्था का अनुमोदन प्रदान न किया गया होता, तो वर्ष 1990-91 में देश की भुगतान संतुलन स्थिति ने एक गंभीर मोड़ ले लिया था। तथापि भुगतान संतुलन की स्थिति चिन्ता का विषय बनी रही।

उद्योग की प्रगति

औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति

1.23 वर्ष 1990-91 की प्रथम छमाही के दौरान, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि को विशेष रूप से प्रभावशाली माना जा सकता है, क्योंकि 1989-90 की दूसरी छमाही में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि के तत्काल बाद ही उपर्युक्त वृद्धि हुई थी। परन्तु 1990-91 की तीसरी तिमाही में औद्योगिक कार्यकलापों की गति एकदम मंद हो जाने के कारण केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष की अन्तिम तिमाही में औद्योगिक कार्यों में फिर कुछ गति आयी, किन्तु आयातित कच्चे माल और पूंजी माल पर कड़ाई के कारण, प्रगति धीमी ही रही। एक तत्काल अनुमान के अनुसार औद्योगिक उत्पादन का औसत सामान्य सूचकांक (आधार वर्ष 1980-81=100), जो 1989-90 में 196.4 था, अनुमानतः 212.2 तक पहुंचने की आशा है, जो पिछले वर्ष के प्राप्त 8.6 प्रतिशत की प्रगति दर की तुलना में 8 प्रतिशत के आस-पास अनुमानित वृद्धि दर्शाता है।

1.24 वर्ष 1989-90 (वास्तविक) और 1990-91 (अनुमानित) के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की क्षेत्रवार प्रवृत्ति सारणी-2 में दी गई है।

1.25 यद्यपि 'खान और खनन' तथा 'विद्युत सृजन' से सम्बन्धित औसत सूचकांक में क्रमशः पिछले वर्ष की 6.3 प्रतिशत तथा 10.9 प्रतिशत की तुलना में, 2.3 प्रतिशत तथा 7.8 प्रतिशत की अपेक्षाकृत धीमी विकास दर रिकार्ड की गई, विनिर्माण क्षेत्र में औसत उत्पादन सूचकांक विभिन्न समस्याओं के बावजूद भी अनुमानित 8.9 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त हुआ।

सारणी 2 : औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्ति

आधार/ 1980-81=100

भार	क्षेत्र	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
		1990-91* अप्रैल/मार्च	1989-90 अप्रैल/मार्च
(1)	(2)	(3)	(4)
11.46	खनन एवं खदान	2.3	6.3
77.11	विनिर्माण	8.9	8.6
11.43	बिजली	7.8	10.9
100.00	समस्त उद्योग	8.0	8.6

*अनुमानित

1.26 विद्युत क्षेत्र में, ताप और परमाणु विद्युत सृजन में केवल 5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 12.1 प्रतिशत थी । तथापि जल-विद्युत उत्पादन में पिछले वर्ष की 7.3 प्रतिशत की तुलना में 15.2 प्रतिशत की व्यापक वृद्धि परिलक्षित हुई ।

1.27 वर्ष 1990-91 के दौरान देश की ऊर्जा आवश्यकताएं मोटे तौर पर लगभग 285.2 बिलियन यूनिट रहीं, जिसके लिए विद्युत उपलब्धता केवल 264.1 बिलियन यूनिट तक प्राप्त की जा सकी । इससे लगभग 8 प्रतिशत तक विद्युत की कमी रही । इसके परिणामस्वरूप वर्ष भर देश के विभिन्न राज्यों में लागू की गई बिजली की कटौती जारी रही । तमिलनाडु में, दिनांक 18 मार्च 1991 से, उच्च शक्ति वाले उद्योगों में बिजली की कटौती 30 प्रतिशत तक बढ़ानी पड़ी ।

1.28 वर्ष के दौरान कोयले का उत्पादन 211.6 मिलियन टन हुआ, जबकि 1989-90 में कोयला उत्पादन 200.8 मिलियन टन था । इससे कोयला उत्पादन में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । विक्रेय स्टील का उत्पादन, पिछले वर्ष के 9 मिलियन टन के मुकाबले 9.3 मिलियन टन रहा और सीमेंट का उत्पादन 1989-90 में 45.8 मिलियन टन की तुलना में 48.7 मिलियन टन हुआ ।

1.29 वर्ष 1990-91 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन भी केवल 33.1 मिलियन टन हुआ जो वर्ष 1989-90 के उत्पादन से 3 प्रतिशत कम था, और वर्ष के लिए निर्धारित 35 मिलियन टन के मूल उत्पादन लक्ष्य से काफी कम था । सरकार ने, विशेष रूप से अगस्त, 1990 के बाद, पैट्रोलियम उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाये । पैट्रोलियम उत्पादों की कमी और कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में गिरावट के कारण परिवहन तथा अवस्थापनात्मक क्षेत्रों में भी नियंत्रण लगाये गये ।

1.30 समग्र रूप से, वर्ष 1990-91 के दौरान अवस्थापना क्षेत्र की कार्य गति विषम रही । छः अवस्थापना उद्योगों (अर्थात् बिजली, कच्चा पैट्रोलियम परिशोधक उत्पाद, विक्रेय इस्पात, कोयला और सीमेंट) जो सामान्यः सूचकांक, में 28.78 प्रतिशत भार सामूहिक रूप से रखते हैं, के संयुक्त सूचकांक की विकास दर पिछले वर्ष 6.2 प्रतिशत की तुलना में 4.9 प्रतिशत रही । यद्यपि बिजली, कोयला, विक्रेय इस्पात और सीमेंट का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 7.8%, 5.4%, 3.1% और 6.3% अधिक था, फिर भी यह उत्पादन वर्ष 1990-91 में इनके लिए निर्धारित लक्ष्यों से कम ही रहा । साथ ही तेल (कच्चे) तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मामले में क्रमशः 3 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत की कमी हुई ।

1.31 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के 2 अंकों वाले स्तर में 17 प्रमुख औद्योगिक समूहों में से अनेक उद्योग समूह, अर्थात् खाद्य उत्पादों, पेय पदार्थों, सूती कपड़ा तथा कपड़ा उत्पादों (मिल-कपड़े को छोड़कर) जूट तथा जूट उत्पाद, कागज तथा कागज उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, रबड़ और प्लास्टिक, रसायन और रसायन उत्पाद, उर्वरक, अलौह खनिज उत्पाद, मूल धातु धातु उत्पाद, मशीनरी और मशीनों के औजार बिजली मशीनरी और उपयंत्र (इलेक्ट्रानिक्स सहित) परिवहन उपकरण (वैगन और कोच को छोड़कर) तथा अन्य विनिर्माण उद्योगों ने सकारात्मक विकास किया । केवल कच्चा तेल, पैट्रोलियम उत्पाद, विक्रय योग्य कच्चा लोहा, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, वनस्पति, मिल का कपड़ा, जीप तथा मोपेड से सम्बन्धित उद्योग समूहों के उत्पाद में गिरावट आई ।

1.32 जहां तक क्षमता के उपयोग का सम्बन्ध है, इस वर्ष मिश्रित प्रवृत्ति परिलक्षित हुई । विद्यमान सम्पन्न इकाइयों ने देश में उपलब्ध विभिन्न व्यापक वित्तीय सेवाओं के माध्यम से वित्त व्यवस्था करते हुए अपनी स्थापित क्षमताओं का बेहतर ढंग से उपयोग किया । किन्तु नई और सीमान्त इकाइयां आंशिक रूप से कच्चे माल और संघटकों के आयात पर रोक लगने तथा अंशतः अपनी द्वीय समस्याओं के कारण अपनी क्षमताओं का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पायीं। इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-1** में वर्ष 1990-91 के लिए 60 चुनिंदा औद्योगिक उत्पादों की प्रतिस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का प्रतिशत और उनके सम्बन्ध में भाऔविनि की 626 वित्तपोषित संस्थाओं से सम्बन्धित आंकड़े, उनसे प्राप्त निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर दिए गए हैं।

उद्योगों की वित्तीय प्रगति

1.33 वर्ष 1990-91 की पहली छमाही में निगमित क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष भी उत्साहवर्धक वित्तीय परिणाम परिलक्षित हुए। सामान्यतः, 1990-91 की पहली छमाही में बिक्री और सकल लाभ में ऊंची विकास दर की उपलब्धि, मोटर-वाहन, सीमेंट, विद्युत मशीनरी, सूती वस्त्र उद्योग तथा होटल उद्योग में देखी गयी परन्तु, दूसरी छमाही में अनिश्चितता की स्थिति, विभिन्न आयातित औद्योगिक निविष्टियों में कटौती और तेल संकट के कारण अधिक लेवी लगाए जाने तथा भुगतान संतुलन की जटिल स्थिति के कारण निगमित क्षेत्र के कार्य परिणामों की प्रगति में काफी कमी आई। फिर भी, यह आशा की जाती है, कि समग्रतः 'रुग्ण' अथवा 'बन्द' इकाइयों को छोड़ कर समस्त उद्योगों समूहों की अन्य इकाइयों द्वारा (रबड़ और प्लास्टिक, साइकिल, लकड़ी और लकड़ी उत्पादों के अतिरिक्त) पिछले वर्ष की प्रगति के स्तर की तुलना में, समग्रतः बेहतर वित्तीय प्रगति प्राप्त की जा सकेगी।

परिप्रेक्ष्य

संभावनाएं (1991-92)

1.34 तेल संकट तथा उसके फलस्वरूप खाड़ी युद्ध के कारण आर्थिक परिदृश्य में गम्भीर परिवर्तन हुए हैं। मन्दी की प्रवृत्ति के भय के कारण, जिसकी अस्पष्ट छाया विश्व के विकसित देशों में भी दृष्टिगोचर हो रही है, आर्थिक परिदृश्य को तात्कालिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक भारत का प्रश्न है, इस बात में कोई सन्देह नहीं है, कि इन स्थितियों के बावजूद अर्थ-व्यवस्था के सुदृढ़ मूलाधार तथा निगमित क्षेत्र के कार्य निष्पादन मजबूत बने हैं। अतः भारत के संदर्भ में बहुत कुछ निर्भर करता है, कृषि, उद्योग, विदेशी निवेश, व्यापार, कराधान राजस्व और वित्त जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काफी समय में आवश्यक समझी जा रही भावी नई दिशाओं के सृजन पर। आठवीं योजना के लक्ष्यों तथा कार्य नीतियों को भी शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि प्राथमिकताओं, विकास संभावनाओं एवं संसाधनों के सम्बन्ध में समुचित अवधारणा निर्मित की जा सके।

1.35 बढ़ते हुए बजट घाटे के कारण उत्पन्न वित्तीय असंतुलन तथा उसे रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए अपनाए गए उपायों को और अधिक प्रभावशाली एवं प्रतिबोधात्मक बनाने की आवश्यकता है, ताकि अर्थ-व्यवस्था की वित्तीय शक्ति पुनः जीवन्त हो सके। इस क्षेत्र में, 1991-92 के वित्तीय वर्ष के लिए परिकल्पित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.5% इस बजट घाटे को नियंत्रित रखने का सरकार का इरादा विश्वास उत्पन्न करने वाला कदम प्रतीत होता है। गैर-विकासात्मक खर्च को कम करने के अलावा, इस बात की आवश्यकता है, कि उपसहायता प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान किया जाए, तथा कुछ समयावधि के दौरान, उनमें क्रमिक रूप से कटौती की योजना बनाई जाए।

1.36 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 अप्रैल 1991 को चालू वर्ष के लिए नई साख नीति की घोषणा सही रूप में विदेशी मुद्रा की मांग तथा उसके संरक्षण को संतुलित रखते हुए मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखती है, जो उचित ही है। साख व्यवस्था पर इसका निश्चित रूप से हितकारी प्रभाव ही पड़ेगा।

1.37 इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 20% की औसत घरेलू बचत दर में से निवेश में 93.5% अंशदान करने में सफलता मिली, तथा केवल 6.5% भाग ही बाह्य पूंजी से निधिक किया गया। सातवीं योजना अवधि के दौरान, औसत घरेलू बचत दर 20.4% रही, जिससे सकल पूंजी निर्माण में केवल 89.5% का ही वित्त पोषण हुआ तथा 10.5% भाग की कमी बाह्य स्रोतों से पूरी की गई। बचत निवेश अन्तराल को दूर करने के लिए आगामी वर्षों में अपेक्षित मात्रा में घरेलू बचत को बढ़ाने की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उस संदर्भ में वित्तीय बाजारों के बदलते हुए परिदृश्य से उद्योग को भी अपेक्षाकृत काफी पूंजी आधार उच्च स्तर पर बिना अति-पूंजीकरण की ओर झुके हुए, करना होगा, जिससे न केवल पूंजी बाजार में अच्छी परिपत्रियों की सापेक्ष कमी दूर हो सके, वरन परियोजना वित्त पोषण के लिए भी उद्योग वित्तीय संस्थानों पर अपनी निर्भरता को भी कम करने में सफल हो सके।

1.38 जहां तक भारत के परिदृश्य का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि समग्र रूप से आर्थिक स्थिति के बारे में बेहतर जागरूकता है। साथ ही, अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ आर्थिक मूलाधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान तथा देश में उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की भी सभी स्तरों पर प्रबल आकांक्षा अनुभव की जा रही है। अपनी विस्तृत प्रशिक्षित कार्यशक्ति एवं विकसित वित्तीय एवं कारोबार क्षेत्रों के माध्यम से भारत के पास वह सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षण बिन्दु बन सकती है, बशर्ते कि उपयुक्त "नीति-मिश्र" का अनुसरण किया जाए। चालू वर्ष, 1991-92 की आर्थिक संभावनाएं वृहत् आर्थिक प्रबंध पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है, जिसके लिये आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाना मध्यावधि परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। तथापि इसकी कार्य क्षमता, राजस्व घाटे को नियन्त्रित करने तथा मुद्रा संभरण की वृद्धि, इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबन्ध करने और भुगतान घाटे में संतुलन के लिए प्रासंगिक होगी। आयातों में तत्काल कमी करने और मूल्य वृद्धि के दबावों को रोकने के लिए उठाए गए उपाय संभवतः अल्पावधि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से ऐसे उद्योगों, जो कि कच्चे माल के आयात पर निर्भर हैं, और नई परियोजनाओं, जिनमें बड़ी मात्रा में आयातित संयंत्र और उपस्कर हैं, को प्रभावित तो करेगा, परन्तु मध्यावधि एवं दीर्घावधि में, बहुत कुछ समग्रतः जुटाए गए संसाधनों और निर्यात की दिशा में उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

2. परिचालन संसाधन एवं कार्य परिणाम

(क) **परिचालन**

समग्र परिचालन

2.01 वर्ष 1990-91 के दौरान, किंचित अनिश्चित परिचालन वातावरण के बावजूद भाअौविनि मंजूरियों और संवितरणों के क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति को बनाए रखने में समर्थ रहा। भाअौविनि की समग्र मंजूरियां, इसकी विभिन्न सहायता योजनाओं के अन्तर्गत 960 परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 2,965.06 करोड़ रुपए की रहीं, जो 1989-90 में 928 परियोजनाओं के लिए 2,294.90 करोड़ रुपए की मंजूरियों से 29.2 प्रतिशत अधिक थीं।

2.02 वर्ष 1990-91 के दौरान कुल संवितरण 1,574.94 करोड़ रुपए के रहे, जोकि 1989-90 में 1,121.84 करोड़ रुपए के संवितरणों से 40.4 प्रतिशत से अधिक थे।

2.03 मंजूरियों और संवितरणों, दोनों ही मामलों में भाऊवित्त वर्ष के लिए निर्धारित अपने लक्ष्यों को पार करने में समर्थ रहा।

2.04 संचयी रूप से मार्च, 1991 के अंत तक भाऊवित्त द्वारा इसकी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल मंजूरियां 3,958 परियोजनाओं के लिए 11,422.96 करोड़ रुपए की रहीं। 31 मार्च, 1991 तक समग्र संवितरण 7,045.60 करोड़ रुपए के रहे, जिसमें से नकद संवितरण अर्थात् गारंटियों को छोड़कर संवितरणों की राशि 6,918.27 करोड़ रुपए की थी। संवितरण की गई कुल सहायता राशि, मंजूर की गई कुल सहायता राशि की लगभग 61.7 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष के 62.8 प्रतिशत के लगभग निकटतम ही थी। 31 मार्च, 1991 तक कुल बकाया राशि ऋणियों द्वारा पुनर्अदायगी की निवल राशि को छोड़कर 5,921.45 करोड़ रुपए की थी।

सारणी 3 : मंजूर एवं संवितरित सहायता का योजना-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

वित्तपोषण योजना	1990–91 (अप्रैल–मार्च)			31 मार्च, 1991 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां	संवितरण	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां	संवितरण
		रु०	रु०		रु०	रु०
I. परियोजना वित्त						
— परियोजनाओं से सम्बन्धित	729	2,223.86 (75%)	1,157.80 (73.5%)	3,453	9,584.06 (83.9%)	6,091.43 (86.5%)
उप जोड़ (I)	729	2,223.86 (75%)	1,157.80 (73.5%)	3,453 (83.9%)	9,584.06 (86.52)	6,091.43
II. वित्तीय सेवायें						
— उपकर वित्त	94	204.65 (6.9%)	110.44 (7.0%)	327	513.27 (4.5%)	360.88 (5.1%)
— उपस्कर लीजिंग	31	102.59 (3.5%)	60.81 (3.9%)	95	314.67 (2.8%)	208.54 (3.0%)
— उपस्कर उपार्जन	3	5.94 (0.2%)	7.23 (0.5%)	27	39.43 (0.3%)	24.15 (0.3%)
— उपस्कर उधार	80	171.15 (5.8%)	154.50 (9.8%)	130	318.53 (2.8%)	208.06 (3.0%)
— पूर्तिकर–उधार	8	87.50 (2.9%)	5.18 (0.3%)	71	370.84 (3.3%)	13.91 (0.2%)
— क्रेता–उधार	25	79.78 (2.7%)	16.78 (1.1%)	39	130.62 (1.1%)	35.98 (0.5%)
— लीजिंग एवं किराया खरीद संस्थाओं को वित्त	34	89.59 (3.0%)	62.20 (3.9%)	63	151.54 (1.3%)	102.65 (1.4%)
उप जोड़ (II)	275	741.20 (25%)	417.14 (26.5%)	752	1,838.90 (16.1%)	954.17 (13.5)%
कुल जोड़ (I+II)	1,004*	2,965.06 (100%)	1,574.94 (100%)	4,205	11,422.96 (100%)	7,045.60 (100%)

टिप्पणी : (1) *वास्तविक सहायता प्राप्त परियोजनाएं वर्ष 1990–91 की 960, और 31 मार्च 1991 तक, 3,958 थीं। कुछ परियोजनाओं ने एक से अधिक योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की है।

(2) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

सहायता का योजना-वार वर्गीकरण

2.05 भाऔवित्तनि की सहायता को मुख्यत: दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

—परियोजना वित्त और

—वित्तीय सेवाएं।

यद्यपि, परियोजना वित्त आरम्भ से ही भाऔवित्तनि के कारोबार का मूलाधार बना हुआ है, किन्तु वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में मूल रूप से भाऔवित्तनि ने 1986-87 से ही प्रवेश किया। परियोजना और वित्तीय सेवाओं, दोनों ही क्षेत्रों में वर्ष 1990-91 में मंजूर और संवितरित सहायता का योजना-वार विस्तृत वर्गीकरण एवं 31 मार्च, 1991 को योजना-वार संचयी आंकड़ों की स्थिति सारणी-3 में दी गई है।

2.06 वर्ष के दौरान, जबकि परियोजना-वित्त के अन्तर्गत मंजूरियों और संवितरणों में क्रमश: 40.7 प्रतिशत और 40.5 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई, वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संवितरणों में ही 40.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, मंजूरियों में, पिछले वर्ष की मंजूरियों की तुलना में 3.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। कुल मंजूरियों में, वर्ष के दौरान, वित्तीय सेवाओं का भाग 25 प्रतिशत रहा।

परियोजना वित्त

परियोजना वित्त

2.07 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परियोजना वित्त मंजूरियों की राशि 729 परियोजनाओं के लिए 2,223.86 करोड़ रुपए, (कुल मंजूर की गई सहायता की 75 प्रतिशत) रही, जबकि पिछले वर्ष यह 692 परियोजनाओं के लिये 1,580.35 करोड़ रुपए की थी। इसी प्रकार, परियोजना वित्त के लिए किए गए संवितरणों की राशि 1,157.80 करोड़ रुपए, (कुल संवितरित की गई राशि की 73.5 प्रतिशत) रही, जबकि पिछले वर्ष संवितरण 824.30 करोड़ रुपये के रहे थे।

सारणी 4 : परियोजना वित्त का सुविधावार वर्गीकरण (करोड़ रुपये)

सुविधा	1990–91 (अप्रैल–मार्च)		31 मार्च 1991 तक संचयी	
	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परियोजना वित्त				
— रुपया ऋण	1,469.02 (66.1%)	858.65 (74.2%)	6,780.57 (70.8%)	4,776.10 (78.4%)
— विदेशी मुद्रा ऋण*	552.19 (24.8%)	233.25 (20.1%)	1,968.58 (20.5%)	1,022.91 (16.8%)
— हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान	141.06 (6.3%)	15.87 (1.4%)	627.39 (6.5%)	165.09 (2.7%)
— गारंटियां				
— आस्थगित अदायगियों हेतु	38.28 (1.8%)	32.16 (2.7%)	126.19 (1.3%)	77.16 (1.3%)
—विदेशी ऋणों हेतु	23.31 (1.0%)	17.87 (1.6%)	81.33 (0.9%)	50.17 (0.8%)
जोड़	2,223.86 (100%)	1,157.80 (100%)	9,584.06 (100%)	6,091.43 (100%)

* इसमें इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित बकाया ऋण राशि का भाग, जहां सहायता की मंजूरी के समय संपरिवर्तन के अधिकार की शर्त रखी गई थी, इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित संपरिवर्तनीय डिबेंचर और शेयरों/डिबेंचरों में संपरिवर्तित अतिदेय ब्याज आदि के भाग भी शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत द्योतक हैं।

सहायता का सुविधा-वार वर्गीकरण

2.08 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तथा 31 मार्च, 1991 तक संचयी रूप से मंजूरियों और संवितरण तथा उक्त तिथि को परियोजना वित्त का सुविधा-वार वर्गीकरण, चार पृथक शीर्षकों, अर्थात् रुपया ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी एवं प्रत्यक्ष अभिदान और गारंटियों के अधीन सारणी-4 में दिया गया है।

उधार

(क) रुपया ऋण

2.09 वर्ष के दौरान मंजूर किए गए 1,469.02 करोड़ रुपए के रुपया ऋणों ने, जिसमें उपस्कर वित्त सहायता शामिल नहीं है, वर्ष 1989-90 में 1,139.54 करोड़ रुपए की रुपया ऋण मंजूरियों की तुलना में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान 858.65 करोड़ रुपए के रुपया ऋण संवितरण भी (जिसमें उपस्कर वित्त सहायता शामिल नहीं है), 1989-90 में 664.66 करोड़ रुपये के रुपया ऋण संवितरणों की तुलना में 29.2 प्रतिशत अधिक रहे।

(ख) विदेशी मुद्रा ऋण

2.10 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थानों के पास उपलब्ध ऋणों के आधार पर पूंजीगत माल के आयात का वित्तपोषण किए जाने के दिशा निर्देश के कारण, विदेशी मुद्रा ऋण मंजूरियों और संवितरणों में भी वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान 552.19 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा ऋण (उपस्कर वित्त को छोड़कर), मंजूर किए गए, जो पहले वर्ष 312.53 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ऋण मंजूरियों की तुलना में 76.7 प्रतिशत अधिक थे। इसी प्रकार वर्ष के दौरान 233.25 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा ऋण संवितरण (उपस्कर वित्त को छोड़कर) 1989-90 के दौरान 127.67 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा ऋण संवितरणों की तुलना में 82.7 प्रतिशत अधिक थे।

2.11 वर्ष के दौरान परियोजना वित्त (जिसमें उपस्कर वित्त सहायता शामिल नहीं है), के अंतर्गत मंजूरियों और संवितरणों के रूप में रुपया ऋण; कुल मंजूरियों और संवितरणों के क्रमशः 66.1 प्रतिशत और 74.2 प्रतिशत थे। वर्ष के दौरान परियोजना वित्त के अधीन विदेशी मुद्रा ऋण की मंजूरियों और संवितरणों के अंश क्रमशः 24.8 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत रहे।

निवेश

2.12 भाऔविनि के निवेश कार्य मूलतः आकार में मामूली, किन्तु स्वरूप में उत्प्रेरक रहते हैं। भाऔविनि की इक्विटी भागीदारी बहुत सामान्य स्तर पर मात्र परियोजना वित्त मामलों तक ही सीमित है, और वह भी यथासंभव; इसके द्वारा प्रदान किए जाने के लिए सहमत अन्य प्रकार की सहायता के साथ मिलकर की जाती है। वर्ष के दौरान, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान की शर्तों पर भाऔविनि की 141.06 करोड़ रुपये की मंजूरियों में, 1989-90 में 100.90 करोड़ रुपये की ऐसी ही मंजूरियों की तुलना में 39.8 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल परियोजना वित्त मंजूरियों में हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान का भाग 6.3 प्रतिशत था।

2.13 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने 76 संस्थाओं को 73.32 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए इक्विटी शेयरों में, और 10 संस्थाओं को 40.43 करोड़ रुपये की सीमा तक डिबेंचरों में, हामीदारी की सुविधा प्रदान की। प्रत्यक्ष अभिदान से संबंधित लगभग 27.31 करोड़ रुपए की मंजूरियों में इक्विटी शेयरों के 60 मामले (11.70 करोड़ रुपये), अधिमान शेयरों के 11 मामले (2.94 करोड़ रुपये) तथा डिबेंचरों के 12 मामले (12.67 करोड़ रुपये) शामिल थे।

2.14 वर्ष के दौरान, भाऔविनि द्वारा शेयरों और डिबेंचरों के लिए हामीदारीकृत संस्थाओं के 61.06 करोड़ रुपये के 45 निर्गम बाजार में जारी किए गए। हामीदारी दायित्व के रूप में जो शेयर और डिबेंचर भाऔविनि को लेने पड़े, उनकी राशि 7.10 करोड़ रुपये की रही। इसके अतिरिक्त, भाऔविनि ने प्रत्यक्ष अभिदान से संबंधित मंजूरियों के लिए 78 कम्पनियों के लगभग 11.68 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों, 1.51 करोड़ रुपये के अधिमान शेयरों तथा 1.58 करोड़ रुपये के डिबेंचरों में अभिदान किया।

गारंटियां

2.15 वर्ष के दौरान, चार मामलों में गारंटियां प्रदान करने पर सहमति हुई, जिनमें से दो मामले मशीनरी संभरकों को कुल मिलाकर 38.28 करोड़ रुपये की आस्थगित अदायगियों से संबंधित थे, तथा दो मामले कुल मिलाकर 23.31 करोड़ रुपये के विदेशी ऋणों से संबंधित थे। वर्ष के दौरान परियोजना वित्त मंजूरियों के मामले में आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों दोनों के लिए समग्र गारंटी का हिस्सा 2.8 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान दो मामलों में गारंटियां निष्पादित की गईं, जिनमें से एक गारंटी उत्तर प्रदेश में स्थित सिन्थेटिक फाइबर इकाई के लिए 32.16 करोड़ रुपये हेतु विदेशी मशीनरी के संभरण से संबंधित थी, और दूसरी गारंटी उड़ीसा में चार्जक्रोम परियोजना द्वारा लिए गए 17.87 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित थी।

परियोजना वित्त के अंतर्गत सहायता का प्रयोजन-वार वर्गीकरण

(क) नई परियोजनाओं को सहायता

2.16 भाऔविनि द्वारा वर्ष 1990-91 में मंजूर की गई कुल परियोजना वित्त सहायता में से 223 नई परियोजनाओं को 1,136.42 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई, जिसमें 33.1 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वित्तीय सहायता में नई परियोजनाओं का भाग 51.1 प्रतिशत था, जबकि विद्यमान इकाइयों का भाग, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी विस्तार, विशाखन, आधुनिकीकरण आदि योजनाओं के लिए 48.9 प्रतिशत रहा।

2.17 वर्ष के दौरान वित्तपोषित 223 नई परियोजनाओं में से 8 परियोजनाओं के मामले में पूंजी लागत 3 करोड़ रुपये तक थी, 41 परियोजनाएं अलग-अलग 3 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये के पूंजी लागत के बीच की थीं, जिनमें पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच थी, 42 परियोजनाओं की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये से लेकर 20 करोड़ रुपये तक थी, और 84 परियोजनाएं ऐसी थीं, जिनकी पूंजी लागत प्रति परियोजना 20 करोड़ रुपये से अधिक थी।

(ख) विद्यमान परियोजनाओं को सहायता

2.18 विद्यमान 506 परियोजनाओं को 1,087.44 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। इनमें से 70 परियोजनाओं को अपने विस्तार और विशालन कार्यक्रम के लिए 202.40 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर हुई। 177 परियोजनाओं को अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए 350.03 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई, और 259 परियोजनाएं ऐसी थीं, जिन्हें या तो संतुलन उपस्कर या परियोजना अधिव्यय, या अन्य अनुमेय प्रयोजनों, आदि, की लागत को पूरा करने के लिए 535.01 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी।

2.19 भाओवित्तनि उन विद्यमान इकाइयों की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर देता रहा, जो या तो उपस्कर वित्तपोषण योजना या इसकी सामान्य योजनाओं के अधीन क्षमताओं के विस्तार, नए उत्पादनों के रूप में विशाखन, संयंत्र और उपस्कर के संतुलन तथा विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता चाहती थी। चीनी, वस्त्र और जूट की विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, तीन आधुनिकीकरण निधियों, अर्थात् चीनी विकास निधि, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि और जूट आधुनिकीकरण निधि से सम्बन्धित योजनाएं वर्ष भर कार्यरत रहीं। वर्ष के दौरान, मंजूर 350.03 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण सहायता में, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अधीन 70 वस्त्र इकाइयों को 52.60 करोड़ रुपये, जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के अधीन 4 जूट इकाइयों को 11.35 करोड़ रुपए और अन्य आधुनिकीकरण योजनाओं के अधीन चीनी इकाइयों सहित 103 परियोजनाओं को 286.08 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है। वित्तीय संस्थानों और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना तथा जूट आधुनिकीकरण निधि योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही, जबकि भारत सरकार द्वारा भाओवित्तनि को केन्द्रीय अभिकरण बनाकर, आरम्भ की गई चीनी विकास निधि योजना की समीक्षा चीनी और वनस्पति निदेशालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा की जाती रही।

परियोजना वित्त के अधीन भाओवित्तनि की सहायता के विशेष पहलू (1990-91)

2.20 1990-91 में परियोजना वित्त के अधीन भाओवित्तनि की सहायता की कुछ विशेष पहलू/मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं :—

— सहायता प्राप्त 223 नई परियोजनाओं में से 23 परियोजनाएं ऐसी थीं, जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित की गई थीं। इन्हें 66.02 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

— निगमित क्षेत्र के अस्पतालों और बहु-आयामी स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भाओवित्तनि की सहायता योजना के अधीन 15 अस्पतालों को 27 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

— 44 होटल तथा पर्यटन से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए 54.56 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

— निर्यात दायित्व वाली 57 निर्यातोन्मुख परियोजनाओं को 266.11 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

— प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित 8 परियोजनाओं को 46.75 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

— वर्ष के दौरान ऐसी 106 परियोजनाओं को 919.95 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जिनमें विदेशी सहयोग और/अथवा विदेशों में प्रौद्योगिकी अन्तरण की सुविधा थी।

— ग्यारह परियोजनाएं ऐसी थीं, जिन्होंने देश में पहली बार कुछ उत्पादों के विनिर्माण, या देश में पहली बार बेहतर और उन्नत प्रौद्योगिकी आरम्भ करने पर विचार किया। ऐसी परियोजनाओं को 69.26 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

वित्तीय सेवाएं

मर्चेंट बैंकिंग

2.21 भाओवित्तनि ने वर्ष 1986-87 में मर्चेंट बैंकिंग एवं समवर्गीय सेवाएं आरम्भ करके वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश किया। यद्यपि भाओवित्तनि ने इस क्षेत्र में देर से कदम रखा, फिर भी चार वर्ष की अवधि में भाओवित्तनि के मर्चेंट बैंकिंग एवं समवर्गीय सेवाएं विभाग, वित्तीय सेवाओं के अधीन, उपस्कर वित्त, उपस्कर लीजिंग, उपस्कर उपार्जन, उपस्कर उधार, पूर्तिकार उधार, क्रेता उधार, लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं का वित्तपोषण, आदि, जैसी अनेक योजनाएं आरम्भ करने के अतिरिक्त निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित, दोनों ही क्रियाकलापों का विस्तार करके अपने को सुप्रतिष्ठित करने में सफल रहा है। वर्ष के दौरान, मर्चेंट बैंकिंग एवं समवर्गीय सेवाएं विभाग ने परियोजना परामर्श, ऋण सामूहिकीकरण, न्यासिता दत्तकार्य, समामेलन और विलयन, आदि, के क्षेत्र में भी अपने क्रियाकलापों को गहन किया।

2.22 वर्ष के दौरान, भाओवित्तनि के मर्चेंट बैंकिंग एवं समवर्गीय सेवाएं विभाग ने, अपने बम्बई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय सहित, 82 मर्चेंट बैंकिंग दत्तकार्य पूरे किए, जिनमें से 31 निर्गम प्रबन्ध सेवाओं, 16 परियोजना परामर्श, 29 परियोजना मूल्यांकन, 5 डिबेंचर न्यासिता तथा एक समामेलन और विलयन की योजना से सम्बन्धित था। निर्गम प्रबन्ध दत्तकार्यों से, वर्ष के दौरान, 520 करोड़ रुपये की निधियां जुटाने में सहायता मिली। संचयी रूप से भाओवित्तनि के मर्चेंट बैंकिंग विभाग ने जुलाई, 1986 में अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1991 तक 129 सार्वजनिक निर्गमों सहित 248 दत्तकार्य पूरे किए थे, जिनसे 1,391.93 करोड़ रुपये की निधियां जुटाने में सहायता मिली थी।

उपस्कर वित्त

2.23 वर्ष के दौरान उपस्कर वित्त योजना के अधीन 94 इकाइयों को कुल मिला कर 204.65 करोड़ रुपये की ऋण सहायता (77 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा ऋण सहित) मंजूर

की गई । उपर्युक्त ऋण सहायता, पिछले वर्ष 92 इकाइयों को मंजूर की गई 129.36 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से 58.2 प्रतिशत अधिक थी । उपस्कर वित्त योजना के अधीन भाऔविनि ने संचयी रूप से 327 इकाइयों को 513.27 करोड़ रुपये की सहायता (117.66 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा ऋण सहित), मंजूर की थी, जिसके अन्तर्गत 31 मार्च, 1991 तक 360.88 करोड़ रुपये (मंजूरियों का 70.3 प्रतिशत) का संवितरण, 41.34 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा में संवितरण सहित, किया गया था ।

उपस्कर लीजिंग

2.24 भाऔविनि द्वारा इसकी वित्तीय सेवाओं के अधीन प्रदान की जा रही उपस्कर लीजिंग सेवाओं में वित्तीय लीज (मास्टर लीज सहित) सामयिक लीज, बिक्री एवं लीज-वापसी व्यवस्था शामिल हैं । वर्ष के दौरान, 102.59 करोड़ रुपये की लीज लागत पर उपस्कर प्रदान करने के लिए 31 लेन-देन को अन्तिम रूप प्रदान किया गया । संचयी रूप से 31 मार्च, 1991 तक उपस्कर लीजिंग के अधीन 314.67 करोड़ रुपये की समग्र मंजूरियां दी गई, जिनमें से 208.54 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया ।

उपस्कर उपार्जन

2.25 उपस्कर उपार्जन योजना के अधीन वर्ष 1990-91 में 3 औद्योगिक इकाइयों को 5.94 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । समग्र रूप से, 31 मार्च, 1991 तक उपस्कर उपार्जन योजना के अधीन भाऔविनि की मंजूरियां 39.13 करोड़ रुपए की थीं । जिनके अंतर्गत 24.15 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया था ।

उपस्कर उधार

2.26 उपस्कर उधार योजना, जो भाऔविनि द्वारा 28 जुलाई, 1989 से आरम्भ की गई थी, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सक्रिय रूप से कार्यरत रही । उपस्कर उधार योजना के अधीन वर्ष 1990-91 के दौरान 80 विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को 171.15 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जबकि पिछले वर्ष 57 इकाइयों को 114.32 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी। संचयी रूप से 31 मार्च, 1991 तक उपस्कर उधार योजना के अधीन समग्र मंजूरियां 318.53 करोड़ रुपये की थीं, जिनके अन्तर्गत 208.06 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया था ।

पूंजीकार उधार

2.27 पूंजीकार उधार योजना के अधीन वर्ष 1990-91 के दौरान 8 उपस्कर विनिर्माता इकाइयों को 87.50 करोड़ रुपये का उधार मंजूर किया गया । संचयी रूप से 31 मार्च, 1991 तक पूंजीकार उधार योजना के अधीन 71 उपस्कर विनिर्माता इकाइयों को 370.84 करोड़ रुपये की सीमा तक सहायता मंजूर की गई थी, जिनके अन्तर्गत 13.91 करोड़ रुपये की संवितरण किया गया था । इस योजना के अधीन ऋण सुविधाओं के प्रयोग की गति धीमी होने का कारण यह था, कि अधिकांश ग्राहकों ने अनुभव किया, कि उनके द्वारा अपने उपभोक्ता क्रेताओं के लिए आहरित मियादी बिलों की सह-स्वीकृति/बैंक गारंटियां प्राप्त करनी कठिन थी । अतः इस योजना के अन्तर्गत समग्र मंजूरियां और स्वर्ण योजना भी, वर्ष के अंत में समीक्षाधीन थी ।

क्रेता उधार

2.28 क्रेता उधार योजना ने, जो पिछले वर्ष ही आरम्भ की गई थी, वर्ष के दौरान, भली प्रकार प्रगति की । 1990-91 के दौरान, इस योजना के अधीन 25 औद्योगिक इकाइयों को 79.78 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गयी । संचयी रूप से 31 मार्च, 1991 तक इस योजना के अधीन 130.62 करोड़ रुपये का उधार मंजूर किया गया था, जिनके अन्तर्गत 35.98 करोड़ रुपये का संवितरण किया जा चुका था । इस सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ग्राहकों द्वारा कुछ कठिनाइयां अनुभव की गई, जो आहरित मियादी बिलों की सह-स्वीकृति के उन मामलों से संबंधित थीं, जहां कि संस्थानों द्वारा सहायता मंजूर की गई थी । अतः वर्ष के अन्त में इस योजना की भी समीक्षा जारी थी ।

लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं का वित्तपोषण

2.29 भाऔविनि, पहले के ही भांति लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं को मात्र चयनात्मक आधार पर सहायता प्रदान करता रहा । तदनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केवल 34 लीजिंग संस्थाओं को ही 89.59 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । फिर भी यह पिछले वर्ष 31 लीजिंग संस्थाओं की मंजूर की गई 38 करोड़ रुपये की सहायता से काफी अधिक रही । 31 मार्च, 1991 तक भाऔविनि ने संचयी आधार पर 63 लीजिंग संस्थाओं को 151.54 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की थी, जिसके अन्तर्गत कुल मिलाकर 102.65 करोड़ रुपये के संवितरण किए जा चुके थे ।

समग्र परिचालन

आवेदनों की गति

2.30 परियोजना वित्त के अधीन, भाऔविनि ने 1990-91 के दौरान, या, तो स्वयं, या, संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर 751 पात्र संस्थाओं से कुल मिलाकर 8,476.46 करोड़ रुपए के आवेदनों पर (उपस्कर वित्त योजना के अधीन आवेदनों सहित) विचार किया । 81.47 करोड़ रुपये की सहायता के लिए 7 संस्थाओं के आवेदनों को, या तो आवेदकों द्वारा वापस ले लिया गया, अथवा प्रगति के अभाव या प्रस्तावित परियोजना के व्यवहार्य न होने के कारण उन्हें बंद मान लिया गया । मार्च, 1991 के अंत तक 493.40 करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में 33 संस्थाओं के (17 संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर) आवेदन विचाराधीन थे, और उनके संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई चल रही थी । 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान 711 अन्य संस्थाओं के आवेदनों पर वित्तीय सहायता मंजूर की गई । 97.5% मामलों में पूरी सूचना एवं आंकड़ों की प्राप्ति की तारीख से, चार माह से भी कम की अवधि में निपटा लिया गया ।

2.31 उपरोक्त आवेदनों के अतिरिक्त, संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर समग्रतः 1,213.55 करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए 74 संस्थाओं के आवेदन भाऔविबैंक एवं भाऔमानिनि के अग्रणी दायित्व में विचाराधीन थे, जिनमें आगे चल-

कर भाऔविनि को सम्मिलित किए जाने और भागीदार बनाए जाने की भी पूरी संभावना थी ।

2.32 वित्तीय सेवाओं के अधीन अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में भाऔविनि ने 585 करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए 211 संस्थाओं से सहायता (उपस्कर वित्त योजना से भिन्न) के आवेदनों पर विचार किया । इनमें से 181 संस्थाओं के आवेदनों के लिए भाऔविनि द्वारा उपलब्ध वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता मंजूर की गई । 23 संस्थाओं के मामलों में यह आवेदन, पात्रता के अभाव में और/अथवा अन्य सम्बन्धित पहलुओं के कारण, वापस ले लिए गए मान लिये गये, और मार्च, 1991 के अन्त में 12.56 करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए 7 संस्थाओं के आवेदन भाऔविनि के विचाराधीन थे ।

समग्र सहायता—उद्योग-वार

2.33 वर्ष 1990-91 के दौरान भाऔविनि द्वारा मंजूर उद्योग-वार सहायता का प्रसार एवं 31 मार्च, 1991 तक संचयी आंकड़े सारणी-5 में दिए गए हैं ।

2.34 1990-91 के दौरान भाऔविनि की सहायता में जिन उद्योगों को उल्लेखनीय भाग प्राप्त हुआ, वे हैं—लोहा व इस्पात (12.8%), रसायन व रसायन उत्पाद (10.6%), वस्त्र (9.9%), सिन्थेटिक रेसिन्स व प्लास्टिक सामान (9.1%), कृत्रिम रेशे (7.5%), सीमेंट (5.9%), मशीनरी और उपांग (5.8%), चीनी (4.4%), इलैक्ट्रानिक्स (3.4%), विद्युत मशीनरी और सामान (3.3%), लीजिंग (3%) कागज और कागज उत्पाद (3%), परिवहन उपस्कर (2.5%), और अन्य (18.8%) । वर्ष के दौरान, दी गई सहायता का उल्लेखनीय पहलू यह था, कि संख्यावार आधार पर वस्त्र उद्योग की 166 इकाइयां इस दृष्टि से सर्वाधिक रहीं, उसके पश्चात रसायन और रसायन उत्पाद (114), लोहा और इस्पात (69), मशीनरी और उपांग (52), चीनी (52), होटल और पर्यटन से संबंधित परियोजनाएं (44), इलैक्ट्रानिक्स (43), परिवहन उपस्कर (39), सीमेंट (38), सिन्थेटिक रेसिन्स और प्लास्टिक सामान (36), लीजिंग और किराया खरीद संस्थाएं (34), कागज और कागज उत्पाद (32), आदि का स्थान रहा ।

सारणी 5 : सहायता का उद्योग वार स्तर

(करोड़ रुपयें)

उद्योग	1990–91 (अप्रैल–मार्च)			31 मार्च, 1991 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
चीनी—सहकारिता	29	69.96	2.3	230	384.38	3.3
—अन्य	23	62.35	2.1	102	214.74	1.9
वस्त्र	166	293.32	9.9	708	1,144.35	10.0
पटसन	4	11.35	0.4	43	59.85	0.5
रसायन :						
—मूल रसायन	63	137.13	4.6	193	589.32	5.2
—उर्वरक व कीटनाशक	19	74.33	2.5	79	547.85	4.8
—कृत्रिम रेशे	21	222.06	7.5	74	831.52	7.3
—कृत्रिम रेसिन्स, प्लास्टिक सामान व उत्पाद	36	270.21	9.1	129	559.35	4.9
—अन्य रसायन व रसायन उत्पाद	51	177.54	6.0	206	496.17	4.3
सीमेंट तथा सीमेंट उत्पादन	38	174.47	5.9	155	791.02	6.9
कागज व कागज उत्पाद	32	88.89	3.0	129	370.65	3.2
रबर उत्पाद	12	40.62	1.4	53	200.25	1.8
लोहा व इस्पात	69	379.26	12.8	259	1,058.82	9.3
मशीनरी व उपांग	52	172.54	5.8	247	686.35	6.0

1	2	3	4	5	6	7
परिवहन उपस्कर व पुर्जे	39	73.44	2.5	162	480.94	4.3
इलैक्ट्रानिक्स	43	101.35	3.4	187	561.47	4.9
बिजली मशीनरी व उपस्कर	27	97.27	3.3	122	277.10	2.4
धातु उत्पाद	20	44.41	1.5	118	233.85	2.0
अलौह धातु	8	28.56	1.0	47	130.38	1.1
विविध अधातु खनिज उत्पाद	31	58.60	2.0	111	247.59	2.2
गैस व बिजली	4	9.50	0.3	28	305.22	2.7
होटर और पर्यटन सम्बन्धी क्रिया-कलाप	44	54.55	1.8	141	235.78	2.1
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सवाएं	15	27.00	0.9	30	68.06	0.6
मत्स्य	1	8.51	0.3	2	11.77	0.1
खनन	8	38.21	1.3	34	126.06	1.1
विविध अन्य उद्योग	71	160.14	5.4	306	658.58	5.8
लीजिंग	34	89.59	3.0	63	151.54	1.3
जोड़ :	960	2,965.06	100.0	3,958	11,422.96	100.00

2.35 संचयी आधार पर भाऔविनि के कुल निवेश में से वस्त्र, रसायन एवं रसायन उत्पाद, लोहा व इस्पात, कृत्रिम रेशे, सीमेंट, मशीनरी, चीनी, इलैक्ट्रानिक्स, सिन्थेटिक रेसिन्स और प्लास्टिक, उर्वरक, परिवहन उपस्कर और कागज सर्वाधिक सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों के रूप में उभर कर आए, जिन्हें भाऔविनि की सहायता का 76.3% भाग प्राप्त हुआ ।

2.36 उत्पादों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार 1990-91 के दौरान मंजूर की गई सहायता एवं 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार संचयी सहायता का उद्योग-वार वितरण सारणी-6 में दिया गया है :

सारणी 6 : उत्पादों के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार सहायता का उद्योग वार वितरण

(करोड़ रुपये)

उद्योग	1990–91 (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च 1991 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मूल उद्योग (अर्थात, मूल धातू उद्योग, औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन, आदि)	209	841.46	28.4	795	3,548.67	31.1
	(171)	(596.65)	(26.0)	(718)	(2,825.79)	(32.4)
पूंजी माल उद्योग (अर्थात मशीनरी व उपांग, बिजली मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्कर आदि)	161	444.60	15.0	718	2,005.86	17.6
	(179)	(589.90)	(25.7)	(656)	(1,5978.30)	(18.3)

1	2	3			4		
मध्यवर्ती माल उद्योग (अर्थात् रसायन, उत्पाद, धातु उत्पाद, अधातु, खनिज उत्पाद, पटसन टायर एव ट्यूब आदि)	183	877.04	29.6	773	2,82292	24 7
	(195)	(607.10)	(26.5)	(695)	(2,010.28)	(23.1)
उपभोक्ता माल उद्योग (अर्थात् चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद, सूती/ ऊनी वस्त्र, कागज और अन्य विविध उद्योग)	312	622.36	21.0	1,424	2,549.48	22.3
	(287)	(367.10)	(16.0)	(1,304)	(1,951.71)	(22.4)
सेवा उद्योग (अर्थात् होटल, चिकित्सा सेवाएं, जहाज-रानी, आदि)	95	179.60	6.0	248	496.03	4.3
	(96)	(134.15)	(5.8)	(191)	(326.90)	(3.8)
जोड़	960	2965.06	100.0	3,958	11,422.96	100.0
	(928)	(2,294.90)	(100.0)	(3,564)	(8,712.98)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष 1989–90 और संचयी 31 मार्च 1991 के हैं ।

2.37 पिछले वर्ष की तुलना में, 1990-91 में भाऔविनि की सहायता प्राप्त मूलभूत उद्योगों, मध्यवर्गी माल उद्योगों, उपभोक्ता माल उद्योगों और सेवा उद्योगों की स्थिति में सुधार हुआ । तथापि, पिछले वर्ष 1989-90 की तुलना में इस वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि होने से उपभोक्ता वस्तुओं (69.5%), मध्यवर्ती माल उद्योगों (44.5%), मूलभूत उद्योगों (41.0%) और सेवा उद्योगों (33.9%) में सुधार परिलक्षित हुआ । लेकिन 1990-91 में पूंजीगत माल उद्योगों में 24.6% की गिरावट आई । वर्ष के दौरान प्रतिशत के हिसाब से वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि मूलभूत उद्योगों (22.2%) में रही, और उसके बाद उपभोक्ता वस्तु उद्योगों (8.7%) में बढ़ोत्तरी देखी गई ।

समग्र सहायता—राज्य-वार

2.38 वर्ष 1990-91 में तथा 31 मार्च, 1991 तक संचयी आधार पर भाऔविनि की सहायता का राज्य-वार ब्यौरा सारणी-7 में दिया गया ।

2.39 वर्ष के दौरान, मात्रा-वार आधार पर भाऔविनि की सहायता में प्रथम पांच स्थान महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को प्राप्त हुए । यद्यपि परियोजनाओं की संख्या-वार आधार पर अवरोही क्रम में प्रथम पांच स्थान क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के रहे ।

2.40 पिछले वर्ष सहायता के प्रतिशत भाग की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान भाऔविनि की सहायता में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्यों ने अपनी स्थिति में सुधार किया।

सारणी 7 : सहायता का राज्य केन्द्र शासित प्रदेश-वार प्रसार

(करोड़ रुपये)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1990–91 (अप्रैल मार्च)			31 मार्च, 1991 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	99	310.96	10.5	374	1,105.05	9.7
अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	1	0.16	—
असम	8	13.05	0.4	41	101.83	0.9

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	11	23.08	0.8	83	187.78	1.6
गोवा	5	10.88	0.4	30	66.94	0.6
गुजरात	85	448.16	15.1	356	1,449.32	12.7
हरियाणा	46	86.24	2.9	178	375.39	3.3
हिमाचल प्रदेश	20	59.18	2.0	53	161.12	1.4
जम्मू-कश्मीर	2	5.00	0.2	21	31.75	0.3
कर्नाटक	50	151.32	5.1	249	541.89	4.8
केरल	13	8.20	0.3	96	154.27	1.4
मध्य प्रदेश	55	224.80	7.6	177	617.63	5.4
महाराष्ट्र	157	626.20	21.1	698	2,216.26	19.4
मणिपुर	—	—	—	1	2.45	—
मेघालय	—	—	—	6	8.13	0.1
नागालैंड	—	—	—	4	2.60	—
उड़ीसा	14	52.09	1.7	77	336.43	3.0
पंजाब	53	144.77	4.9	189	598.60	5.2
राजस्थान	57	155.90	5.2	165	597.91	5.2
सिक्किम	—	—	—	3	2.90	—
तमिलनाडु	114	192.32	6.5	390	794.61	7.0
त्रिपुरा	—	—	—	3	4.41	—
उत्तर प्रदेश	96	291.12	9.8	419	1,346.01	11 8
पश्चिमी बंगाल	33	79.86	2.7	217	400.63	3.5
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.45	—	1	1.42	—
चण्डीगढ़	2	7.62	0.3	6	15.34	0.1
दादरा एवं नगर हवेली	4	14.47	0.5	12	25.32	0.2
दमन एवं दीव	2	1.96	0.1	6	7.26	0.1
दिल्ली	23	40.71	1.4	69	206.79	1.8
पाण्डिचेरी	10	16.72	0.5	33	62.76	0.5
जोड़	960	2,965.06	100.0	3,958	11,422.96	100.0

2.41 समग्र रूप से, 31 मार्च, 1991 तक भाऔविनि द्वारा मंजूर की गई कुल संचयी सहायता में प्रथम पांच स्थान महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों ने प्राप्त किए । अन्य स्थान क्रमशः मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उड़ीसा के रहे ।

समग्र सहायता—क्षेत्रवार

2.42 अपने चार्टर के अनुसार, भाऔविनि या तो सहकारी या निगमित क्षेत्रों की औद्योगिक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने का पात्र है । वर्ष 1990-91 और संचयी आधार पर 31 मार्च, 1991 तक परियोजनाओं को मंजूर, संवितरित वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण सारणी-8 में दिया गया है ।

सारणी 8 मंजूर एवं संवितरित सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1990–91 (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च, 1991 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. सहकारी	40	108.59 (3.7%)	33.91 (2.2%)	351	645.47 (5.7%)	475.70 (6.8%)
उप जोड़ (I)	40	108.59 (3.7%)	33.91 (2.2%)	351	645.47 (5.7%)	475.70 (6.8%)
II. निगमित						
—निजी	810	2,481.27 (83.7%)	1,295.47 (82.2%)	2,979	8,564.26 (75.0%)	5,125.50 (72.7%)
—सरकारी	45	182.25 (6.1%)	78.57 (5.0%)	323	861.37 (7.5%)	601.24 (8.5%)
—संयुक्त	65	192.95 (6.5%)	166.99 (10.6%)	305	1,351.36 (11.8%)	843.16 (12.0%)
उप जोड़ (II)	920	2,856.47 (96.3%)	1,541.03 (97.8%)	3,607	10,777.49 (94.3%)	6,569.90 (93.2%)
कुल जोड़ (I+II)	960	2,965.06 (100%)	1,574.94 (100%)	3,958	11,422.96 (100%)	7,045.60 (100%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं ।

सहकारी क्षेत्र को सहायता

2.43 1990-91 के दौरान, सहकारी क्षेत्र की 40 परियोजनाओं को 108.59 करोड़ रुपये तक की सहायता मंजूर की गई जो पिछले वर्ष में मंजूर की गई 69.67 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से 55.9% अधिक थी । वर्ष के दौरान वित्तपोषित औद्योगिक सहकारिताओं की संख्या भी पिछले वर्ष से अधिक रही, जिनमें 29 चीनी सहकारिताएं, 4 वस्त्र सहकारिताएं और उर्वरक, मूलभूत रसायन, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक सामान उद्योगों से सम्बद्ध 7 अन्य सहकारिताएं शामिल थीं ।

2.44 संचयी आधार पर 31 मार्च, 1991 तक भाऔविनि ने 351 औद्योगिक सहकारिताओं को 645.47 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की थी, जिसके अन्तर्गत 475.70 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की जा चुकी थी । यद्यपि महाराष्ट्र का स्थान सर्वोपरि बना रहा, फिर भी भाऔविनि के लिए यह संतोष का विषय है, कि सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दी गई सहायता और प्राथमिकता के कारण लगभग सभी राज्यों के सहकारी आन्दोलन में गतिशीलता आई है । इस समय भाऔविनि की सहायता-पेटी में 351 सहकारिताओं में से जबकि महाराष्ट्र में 130 सहकारिताएं हैं, उत्तर प्रदेश में 44 हैं, कर्नाटक में 30, गुजरात में 25, तमिलनाडु में 24, आन्ध्र प्रदेश में 24, पंजाब में 19, उड़ीसा में 12, हरियाणा में 11, बिहार में 6, और आसाम, केरल और मध्य प्रदेश प्रत्येक में 5, राजस्थान में 4, पश्चिम बंगाल में 3, पांडिचेरी में 2 और गोवा, दादरा और नगर हवेली, प्रत्येक में एक-एक सहकारिता है । चूंकि, लगभग सभी सहकारिताएं या तो कृषि आधारित

हैं या कृषि के लिए निवेश उपलब्ध करवाती हैं, भाऔविनि सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहित करके, सामान्य रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में, आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के अतिरिक्त, कृषि और उद्योग के बीच अच्छा अन्तर्सम्बन्ध बनाने में सफल हुआ है।

2.45 351 औद्योगिक सहकारिताओं में से 230 चीनी सहकारिताएं, 98 वस्त्र सहकारिताएं तथा 23 अन्य सहकारिताएं हैं। चीनी सहकारिताएं बहुत से अनुषंगी और सहायक उद्योगों को प्रवर्तित करने में जैसे औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन के लिए निर्माण शालाओं, कन्फेक्शनरी इकाइयों, खोई आधारित कागज संयंत्रों, मिश्रित और दानेदार उर्वरकों के उत्पादन आदि, में सहायक रही हैं। वस्त्र कताई सहकारिताओं ने ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अवसर प्रदान किए हैं। पिछले कई वर्षों में जूट, उर्वरक, कृत्रिम रेशे, वनस्पति तेल, कोकोआ अभिसंस्करण, कागज, रसायन और रसायन उत्पाद, आदि, जैसे बहुत से अन्य उद्योगों में सहकारिता आन्दोलन का फैलाव, भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता से समग्र देश में मध्यम और बड़े आकार की औद्योगिक सहकारिताओं द्वारा प्राप्त की गई सफलता और शक्तियों का अर्थपूर्ण प्रमाण है। रुग्ण परन्तु मूलत: व्यवहार्य औद्योगिक इकाइयों के पुनर्स्थापन में, संस्थानात्मक सहायता से श्रमिकों की सहकारिताएं बनाकर बंद इकाइयों को पुन: आरम्भ करने का प्रयोग भी यथेष्ठ सफल रहा है।

निगमित क्षेत्र को सहायता

2.46 निगमित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र को, जो भाऔविनि को सौंपे गए विशेष दायित्व की पूर्ति के फलस्वरूप, भाऔविनि से मिलने वाली वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा लाभभोगी रहा है, वर्ष के दौरान 810 परियोजनाओं के लिए 2,481.27 करोड़ रुपए (कुल का 83.7 प्रतिशत) सहायता प्राप्त हुई, जो 1989-90 में निजी क्षेत्र की ऐसी 764 परियोजनाओं को मंजूर की गई 1,808.93 करोड़ रुपए की सहायता के मुकाबले 37.2 प्रतिशत अधिक थी। संचयी रूप से 31 मार्च, 1991 तक भाऔविनि द्वारा निजी क्षेत्र की 2,979 परियोजनाओं को 8,564.26 करोड़ रुपए (कुल का 75 प्रतिशत) की सहायता मंजूर की गई, जो इस क्षेत्र के विकास एवं उत्थान के लिए, अपनी स्थापना के पिछले 43 वर्षों के दौरान, भाऔविनि की सकारात्मक भूमिका निभाने की प्रतीक है।

2.47 1990-91 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को सरकारी बजट के स्रोतों के अन्तर्गत न आने वाली 182.25 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई, जो कुल सहायता का 6.1 प्रतिशत थी। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को गत वर्ष मंजूर की गई 127.58 करोड़ रुपए की सहायता के मुकाबले, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान की गई सहायता 42.9 प्रतिशत अधिक थी, परन्तु वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की संख्या, कुल मिलाकर, वही रही। संचयी रूप से भाऔविनि ने सार्वजनिक क्षेत्र की 322 परियोजनाओं को 861.87 करोड़ रुपए (कुल मंजूर की गई संचयी सहायता का 7.5 प्रतिशत) की सहायता मंजूर की थी, जिसके अन्तर्गत 601.21 करोड़ रुपए के संवितरण हो चुके थे।

2.48 वर्ष के दौरान, संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में, सहायता की मात्रा तथा मंजूर की गई परियोजनाओं, दोनों में ही काफी गिरावट रही। 1989-90 में संयुक्त क्षेत्र की 86 परियोजनाओं को मंजूर की गई 288.72 करोड़ रुपए की सहायता की तुलना में, वर्ष 1990-91 के दौरान संयुक्त क्षेत्र की 65 परियोजनाओं को 192.95 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर हुई। संचयी रूप से, 31 मार्च, 1991 तक संयुक्त क्षेत्र की 305 परियोजनाओं को भाऔविनि की मंजूरी 1,351.36 करोड़ रुपए (कुल का 11.8 प्रतिशत) थी जिसमें से 843.16 करोड़ रुपए के संवितरण हो चुके थे।

2.49 वर्ष के दौरान, निगमित क्षेत्र की 920 परियोजनाओं को जिनमें निजी, सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं आती हैं, कुल मिलाकर 2,856.47 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। संचयी रूप से, 3,607 परियोजनाओं को दी गई सहायता 10,777.49 करोड़ रुपए (कुल का 94.3 प्रतिशत) थी, जिसके अन्तर्गत किए गए संवितरण 6,569.90 करोड़ रुपए के थे।

2.50 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार निगमित क्षेत्र में, भाऔविनि की संचयी सहायता की मात्रा की दृष्टि से महाराष्ट्र का स्थान प्रथम रहा, जिसे 1,969.76 करोड़ रुपए (18.3 प्रतिशत) की सहायता प्राप्त हुई। इसके बाद क्रमश: गुजरात 1,335.53 करोड़ रुपए (12.4 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश 1,254.77 करोड़ रुपए (11.7 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश 1,080.71 करोड़ रुपए (10.0 प्रतिशत), तमिलनाडु 763.06 करोड़ रुपए (7.1 प्रतिशत), मध्य प्रदेश 612.83 करोड़ रुपए (5.7 प्रतिशत), राजस्थान 593.19 करोड़ रुपए (5.5 प्रतिशत) तथा पंजाब 566.25 करोड़ रुपए (5.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। संख्या की दृष्टि से निगमित क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाओं की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र (568) में थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश (375), तमिलनाडु (366), आन्ध्र प्रदेश (350), गुजरात (331), कर्नाटक (210) और पश्चिम बंगाल (214) का स्थान रहा।

पिछड़े क्षेत्रों तथा उद्योग-रहित जिलों को वित्तीय सहायता

2.51 केन्द्र द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को रियायती वित्त प्रदान करने वाली वर्तमान योजना का विचाराधीन पुनरावलोकन पूरा होने तक, भाऔविनि सहित वित्तीय संस्थान, केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में विद्यमान मापदण्डों एवं मार्ग-निर्देशों का निरन्तर अनुसरण करते रहे, ताकि देश में संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को मदद मिल सके। सरकारी मार्ग-निर्देशों में इस बात का प्रावधान है कि अभिनिर्धारित विकास क्षेत्रों में स्थापित हो रही परियोजनाएं, वित्तीय संस्थानों से उसी आधार पर रियायती वित्त पाने की पात्र होंगी, जैसी कि श्रेणी "ख" पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाली परियोजनाएं हैं,

जब तक कि कोई विकास क्षेत्र पहले से ही श्रेणी "क", अर्थात् उद्योग-रहित/विशेष क्षेत्र/जिले, में वर्गीकृत न किया गया हो ।

2.52 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 457 परियोजनाओं को मंजूर सहायता 1,406.78 करोड़ रुपए की रही । यह सहायता 1989-90 में अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 420 परियोजनाओं को मंजूर की गई 1,012.42 करोड़ रुपए की सहायता के मुकाबले 39 प्रतिशत अधिक थी । केन्द्र द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में परियोजनाओं को समग्र सहायता 1990-91 के दौरान कुल मंजूर सहायता का 47.4 प्रतिशत रही । पिछले वर्ष यह सहायता कुल की केवल 44.1 प्रतिशत ही थी ।

2.53 श्रेणी "क", "ख" और "ग" के अन्तर्गत पिछड़े जिलों/क्षेत्रों का वर्गीकरण करने की विद्यमान योजना के अनुसार श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिले) में स्थित 102 परियोजनाओं को 310.71 करोड़ रुपए, श्रेणी "ख" जिलों/क्षेत्रों में स्थित 191 परियोजनाओं को 594.52 करोड़ रुपए और श्रेणी "ग" जिलों/क्षेत्रों की 164 परियोजनाओं को 501.55 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई । अधिसूचित पिछड़े जिलों की प्रत्येक श्रेणी अर्थात् "क", "ख" और "ग" को, केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर की गई कुल सहायता का प्रतिशत के रूप में क्रमशः 22.1 प्रतिशत, 42.3 प्रतिशत और 35.6 प्रतिशत अंश प्राप्त हुआ ।

2.54 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से भाऔविनि ने अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित 1,820 परियोजनाओं को 5,508.60 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की, जो भाऔविनि की समग्र निवल संचयी मंजूरियों का 48.2 प्रतिशत थी । इन मंजूरियों के अन्तर्गत 31 मार्च, 1991 तक 3,493.25 करोड़ रुपए का संवितरण किया जा चुका था ।

नई, विस्तार और विशाखम परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

2.55 1990-91 में भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित 293 नई और विस्तार/विशाखम परियोजनाओं के अध्ययन से यह पता चलता है, कि इस अवधि के दौरान भाऔविनि की सहायता विभिन्न उद्योगों में, महत्वपूर्ण क्षमता सृजित करने में समर्थ हो सकेगी । आशा है कि वर्ष के दौरान, वित्तपोषित उपर्युक्त परियोजनाओं से प्रत्यक्ष रोजगार तथा अन्य सामाजिक ढांचे के विकास के अतिरिक्त लगभग 57,072 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा । इन परियोजनाओं का वार्षिक उत्पादन मूल्य 7,840.69 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है । प्रतीयित सकल मूल्य लगभग 3,231.85 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है जो देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इन परियोजनाओं का योगदान दर्शा सकेगा है । इससे सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशिष्ट-।। में दिया गया है ।

भाऔविनि द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति (1990-91)

2.56 688 परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार जिसमें (क) अधिष्ठायक वित्त तथा (ख) वित्तीय सेवाओं के मामले (उपस्कर वित्त को छोड़कर) शामिल नहीं है 1990-91 में भाऔविनि के परिचालनों से यह पता चलता है कि भाऔविनि की सहायता 12,119.64 करोड़ रुपए का निवेश जुटाने में समर्थ होगी, जिसका विवरण परिशिष्ट-।।। में दिया गया है ।

जन हित में प्रदान की गई मंजूरियां

2.57 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 26 (2) की व्यवस्थाओं के अनुसार निदेशक (ों) के विलबद्ध होने के कारण भाऔविनि को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982 की शर्तों के अधीन जन-हित में सहायता मंजूर करनी पड़ी हो ।

(ख) परिचालन गतिविधियां

औ वि वि अधिनियम, 1948 के अधीन प्राधिकृत करना

2.58 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने, औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप खण्ड (16) के अन्तर्गत अपनी प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए दिनांक 18 मई, 1990 की अधिसूचना द्वारा, उद्यम पूंजी, जोखिम पूंजी, फैक्टरिंग तथा डिस्काउंटिंग के द्वारा सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई अथवा लगने वाली कम्पनियों को भाऔविनि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से पात्र औद्योगिक इकाइयों के रूप में निर्दिष्ट कर दिया । चूंकि विकास बैंकिंग क्षेत्र में उद्यम पूंजी, जोखिम पूंजी, फैक्टरिंग तथा डिस्काउंटिंग, सभी अभिनव आविष्कार हैं, अतः इनसे आगामी वर्षों में, भाऔविनि के परिचालनों की परिधि काफी हद तक बढ़ जाने की सम्भावना है ।

निर्यात प्रोत्साहन योजना

2.59 देश में निर्यात को प्रोत्साहित करने की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों ने वित्तपोषित औद्योगिक इकाइयों के लिए अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजना को अगले वर्ष तक के लिए लागू रखने पर सहमति व्यक्त की । यह भी सहमति हुई, कि न्यूनतम निर्यात दायित्व वाली कम्पनियों के मामले में उनकी निर्यात बिक्री अपेक्षाओं को, उनके कुल बिक्री मूल्य के 25% प्राप्त होने या उससे अधिक हो जाने पर, उन्हें संस्थानों को देय ब्याज अदायगी के 1/5वें भाग के बराबर ब्याज रियायत के रूप में प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से न्यूनतम निर्यात दायित्व के अतिरिक्त, माना जाएगा । इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन की पात्र बनने के लिए, इकाइयों को अपनी क्षमता उपयोग का कम से कम 50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना होगा । इन-प्रतिशत निर्यात-उन्मुख इकाइयों को, निर्माण अवधि के दौरान (दो वर्ष से अनधिक) ब्याज में रियायत के रूप में दिए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहन को, परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने तथा उनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने पर ही, उन्हें उपलब्ध कराया जाने की सहमति हुई ।

ऊर्जा संरक्षण योजना

2.60 विदित हो, कि सातवीं योजना अवधि के दौरान, ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय संस्थानों ने दो योजनाएं आरंभ की थीं, जिन्हें ऊर्जा जांच उप-सहायता योजना (ईएएस) तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु उपस्कर वित्त योजना (ई.एफ.ई.सी.) के नाम से जाना जाता है। वर्ष के दौरान उपर्युक्त योजनाओं का परिचालन आठवीं योजना के अन्त तक, अर्थात्, 31 मार्च, 1995 तक बढ़ा दिया गया। प्रति कम्पनी उपलब्ध सहायता की राशि को भी 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये अथवा कम्पनी की स्थिर परिसम्पत्तियों (पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर) के सकल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, योजना के अधीन अनुमत्य रियायत को एक मानक स्तर से जोड़ा गया— यदि पिछले तीन वर्षों की समग्र औसत विशेष ऊर्जा खपत में, 10 प्रतिशत से अधिक बचत कर ली जाए, तो ब्याज-दर में 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी, तथा, यदि बचत 5 से 10 प्रतिशत की बीच हो, तो ब्याज-दर में 1 प्रतिशत की कमी की जा सकती है, बशर्ते कि उक्त बचत अनुमोदित ऊर्जा जांच अभिकरण द्वारा सत्यापित हो। तथापि, उन संस्थाओं को ब्याज की ऐसी रियायतें नहीं दी जानी थीं, जो कि वित्तीय संस्थानों के दायित्वों की पूर्ति करने में पहले से चूक कर रही हों।

विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबन्ध योजना

2.61 विदेशी विनिमय जोखिमों से विदेशी मुद्रा के ऋणियों की हित रक्षा करने तथा ऐसी हित रक्षा की लागत को उनमें साम्यिक रूप में विभक्त करने के लिए पहली अप्रैल, 1989 से दो वर्षों के लिए विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना (ईआरएएस) को 31 मार्च, 1994 के अन्त तक तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वर्ष के दौरान, मुख्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय में लगातार अवमूल्यन तथा उधार की लागतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, योजना के अधीन संयुक्त लागत बैण्ड की चार बार समीक्षा की गई, तथा बैण्ड के अधीन लागू वार्षिक ब्याज की दर की पहली मई, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि हेतु 16% से बढ़ाकर 17%, पहली अगस्त, 1990 से 31 अक्तूबर, 1990 की अवधि हेतु 17.5%, पहली नवम्बर, 1990 से 31 जनवरी, 1991 तक की अवधि हेतु 18.5% तथा पहली फरवरी 1991 से 31 मार्च, 1991 तक की अवधि हेतु 20% कर दिया गया।

परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा वित्तपोषण हेतु सामूहिक व्यवस्था

2.62 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विद्यमान प्रावधानों में एक मुख्य परिवर्तन यह किया गया, कि 20 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं को औपचारिक सामूहिक वित्तपोषण व्यवस्थाओं की परिधि से बाहर कर दिया गया। नई व्यवस्था के अनुसार, जिसे पहली नवम्बर, 1990 से लागू करने की सहमति हुई, 20 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के मामले में संस्थानों द्वारा या तो स्वयं, या अन्य संस्थानों की भागीदारी में, किसी भी अन्तर-संस्थानात्मक मंच अर्थात् वरिष्ठ कार्यपालकों की बैठक (एस ई एस) अथवा अन्तर संस्थानात्मक बैठक (आई आई एम) को हवाला भेजे बिना, मूल्यांकन तथा वित्तपोषण किया जा सकता है। अब परियोजना वित्तपोषण भागीदारी योजना के अन्तर्गत केवल 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं पर ही सामूहिक दृष्टिकोण तथा संयुक्त वित्तपोषण आधार पर विचार किया जाना है। यहां भी, उक्त संदर्भ को, एक बार, प्राथमिक अवस्था में, तथा, बाद में, सहायता की भागीदारी तय करते समय सीमित किया गया। पुनर्स्थापन के मामलों के सम्बन्ध में यह सहमति हुई, कि केवल उन्हीं मामलों को ही, जिनमें अन्य भागीदार संस्थानों द्वारा एक करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जानी हो, अथवा जिनके प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन किया जाना हो, वरिष्ठ कार्यपालकों की बैठक में विचारार्थ लाया जाएगा। उक्त व्यवस्थाओं में, परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा वित्तपोषण के सम्बन्ध में पर्याप्त परिचालनात्मक ढील दी गई है, तथा प्रत्येक संस्था इस बात के लिए स्वतंत्र है, कि वह या तो स्वयं, अथवा सामूहिक मंच के बाहर के किसी अन्य संस्थान(नों) के साथ भागीदारी करके, व्यवहार्य परियोजनाओं को समग्र सहायता दे सकती है। अतः विद्यमान सामूहिक व्यवस्था की औपचारिक स्वरूप के स्थान पर इच्छानुसार प्रकृति की व्यवस्था कर दी गई है, और इस विवेकाधिकार का प्रयोग उस संस्थान द्वारा किया जाना है, जिसके पास भावी ऋणी द्वारा वित्तीय सहायता का आवेदन दिया गया हो।

ऋण की शर्तों, आदि, में परिवर्तन

(क) ब्याज दर ढांचा

2.63 2 मार्च, 1981 के बाद, पहली बार परियोजना वित्त तथा वित्तीय सेवाओं, दोनों ही क्षेत्रों के अन्तर्गत, भाऔविनि के ब्याज दर ढांचे में पहली अगस्त, 1990 से परिवर्तन किया गया, ताकि हमें पिछले नौ वर्षों के दौरान, उधार की लागत में हुई वृद्धि के अंशतः समतुल्य लाया जा सके। एक दो-तल्ला (टू-टियर) ब्याज ढांचे को अपनाया गया, प्रथम-तल वाली ब्याज दर को दो वर्षों की प्रारम्भिक अवधि अथवा परियोजना की निर्माण अवधि, जो भी कम हो, के लिए लागू किया गया, तथा द्वितीय-तल वाली ब्याज दर (प्रथम-तल वाली ब्याज दर से सामान्यतः 1% से अधिक) को वित्तपोषित संस्थाओं के लिए यथास्थिति दो वर्षों की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति अथवा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के तत्काल बाद लागू किया गया।

2.64 इसके अतिरिक्त, आधुनिकीकरण सम्बन्धी सभी ऋणों को, चाहे वे उधार ऋण योजना या वस्त्र आधुनिकीकरण निधि या जूट आधुनिकीकरण निधि योजना ('विशेष ऋणों' को छोड़कर) के अंतर्गत हों, पहली अगस्त, 1990 से उक्त द्वितीय-तल वाली सामान्य उधार ब्याज दर ढांचे के प्रावधानों के अधीन किया गया।

2.65 जहां तक विदेशी मुद्रा ऋणों का संबंध है, ऋणियों को विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना (विजोप्रयो) को अपनाने का विकल्प दिया गया, जिसके अनुसार विकल्प को अपना लेने पर निम्नाही आधार पर यथानिर्धारित विजोप्रयो ब्याज दर लागू होगी। यद्यपि जहां उप-ऋणियों ने विनिमय जोखिम को स्वयं वहन करने का विकल्प लिया हो तथा विजोप्रयो को नहीं चुना हो, वहां विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्याज दर ढांचा अपरिवर्तित रहा।

2.66 परियोजना वित्त के अधीन ब्याज दर ढांचे में संशोधन होने के फलस्वरूप भाऔविनि की वित्तीय सेवाओं से संबंधित

विभिन्न योजनाओं की ब्याज/लाभ की दरों में भी परिवर्तन किया गया ।

(ख) सीमान्तक शुल्क

2.67 वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य, पहली अगस्त, 1990 से सीमान्तक शुल्क लगाने की प्रणाली की शुरूआत करना था, जोकि निवर्तमान ऋणों से अनाहरित ऋण शेषों (रुपया तथा विदेशी मुद्रा) पर लगाए जाने वाले वचनबद्धता प्रभार सम्बन्धी प्रथा के स्थान पर मंजूर की गई सुविधा(ओं) के लिए प्रयुक्त प्रलेखों के निष्पादन के समय वसूल किया जाना है ।

(ग) संपरिवर्तनीयता विकल्प

2.68 संपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों के सम्बन्ध में विद्यमान मानदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । यद्यपि इस बात पर सहमति हुई कि जहां-कहीं कम्पनी द्वारा किसी रुग्ण इकाई को विलयन के जरिए अपने में मिला लेने पर, उसे स्वस्थ कम्पनी मानकर रुपया ऋण को इक्विटी में परिवर्तन करने के अपने विकल्प को संस्थानों द्वारा छोड़ दिया गया हो, तो अधिग्रहण के बाद , वहां कम्पनी के नवीन सहायता प्रदान करते समय 5 करोड़ रुपए की अवसीमा तक (जिस पर संपरिवर्तनीयता खण्ड लागू नहीं होता) पहुंचने के उद्देश्य से संपरिवर्तन विकल्प से मुक्त ऐसे ऋणों को भी ध्यान में रखना होगा ।

2.69 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंजूर की गई सहायता के सम्बन्ध में विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार 148 मामलों में संपरिवर्तन की शर्त लागू की गई । समीक्षाधीन अवधि में केवल दो मामलों में संपरिवर्तनीयता अधिकार का उपयोग किया गया, और 9 मामलों में इसे छोड़ दिया गया । संचयी रूप से, संपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों के प्रारम्भ होने से अब तक भाऔविनि में 1,651 मामलों में संपरिवर्तनीयता की शर्त लगाई गई, और 131 मामलों में संपरिवर्तन विकल्प का उपयोग किया गया, तथा 554 मामलों में, सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विकल्प के उपयोग से छूट प्रदान की गई ।

परियोजना मूल्यांकन नीति

2.70 निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के उद्देश्य से, अन्तर-संस्थानात्मक स्तर पर कुछ उद्योगों/उत्पादों के 21 बाजार मूल्यांकन अध्ययन किए गए । इस सम्बन्ध में औद्योगिक एल्कोहल, वनस्पति, डुप्लेक्स बोर्ड्स, टिटेनियम डाई-आक्साइड, स्पांज आयरन, सिरेमिक टाइल्स, स्टिरिन, एक्रीलोनिट्राइल, ग्रेनाइट, प्लास्टिक फोम बोर्ड्स/प्रोफाइल्स, ब्लैक एण्ड व्हाइट पिक्चर ट्यूब्स, फलूटिड ट्यूब्स एण्ड वायर्स, पार्टिकल बोर्ड्स, फाइबर बोर्ड्स, मल्टीफिलामेन्ट पोलीप्रोपिलीन फिल्म, स्पेशिलिटी पोलियस्टर फिलामेन्ट यार्न, कंटीन्यूअस कास्टिंग रिफ्रेक्ट्रीज, स्पिनिंग यूनिट्स, कैपरोलेक्टम, डेनिम फैब्रिक्स, कास्टिक सोडा/क्लोरीन, लीड एसिड बैटरीज इत्यादि के सम्बन्ध में आपूर्ति-भांग अध्ययनों का उल्लेख किया जा सकता है । उपर्युक्त अध्ययनों में से कुछ अध्ययन उन संस्थाओं के सम्बन्ध में किए गए जिनमें, भाऔविनि अग्रणी है । इसके अलावा वर्ष के दौरान भाऔविनि द्वारा फूड प्रोसेसिंग, कागज, चीनी, धागा कातने वाली इकाइयां, पैट्रो-कैमिकल्स, बाल-बियरिंग्स, ब्रेक-लाइनिंग्स इत्यादि जैसे विभिन्न उद्योगों की स्थिति पर आन्तरिक अध्ययन भी किए गए ।

2.71 अध्ययनों के अलावा, परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय ऊर्जा संरक्षण उपायों (ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोतों के उपयोग सहित, जहां कहीं व्यवहारिक हों, पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था का पर्याप्तता, प्रदूषण-नियंत्रण तथा कामगारों, सामान तथा उपस्कर की सुरक्षा तथा कामगारों, सामान तथा उपस्कर की सुरक्षा पर भी बल दिया गया । संस्थानात्मक वित्त हेतु परियोजनाओं के मूल्यांकन के समय प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार सृजन, आनुषंगीकरण, आयात-प्रतिस्थापन और/अथवा निर्यात-उन्मुखता, इत्यादि, की सम्भावनाओं को भी उचित महत्व दिया गया ।

अनुवर्तन प्रक्रिया

2.72 जिन परियोजनाओं में आयातित प्रौद्योगिकी का विलयन अथवा चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम और/अथवा विदेशी सहयोगियों को रायल्टी की अदायगी शामिल हो, उन परियोजनों के मामले में स्थल दौरा करते समय आयातित प्रौद्योगिकी के विलयन की सीमा, उत्पादन-चरण कार्यक्रम के अधीन प्राप्त सफलता, ऐसी परियोजनाओं के मूल्यांकन के समय किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में रायल्टी की अदायगी हेतु विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन के सम्बन्ध में जानकारी, आदि, एकत्रित करने का प्रयत्न आरम्भ किया गया । इसी प्रकार ऋणी संस्था के वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के तुरन्त बाद एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक पुनः मूल्यांकन करने का निश्चय किया गया, ताकि मूल्यांकन लागत, उसकी लाभप्रदता के पुनः निर्धारण और निधि प्रवाह की तुलना में परियोजना की वास्तविक कार्यान्वयन लागत का वस्तुतः निर्धारण किया जा सके, तथा मूल्यांकन और अन्य विधिक प्रलेखों में पहले की समाहित अन्तिम पुनर्अदायगी अनुसूची की तुलना में संशोधित पुनर्अदायगी अनुसूची (यों) जहां कहीं आवश्यक हो, का पुनर्निधारण किया जा सके ।

2.73 सहायता प्राप्त कम्पनी/इकाई की स्थिति के आधार पर सहायता प्राप्त कम्पनियों के कार्यों के व्यापक अनुवर्तन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यपालकों की बैठकों (आर ई एम) तथा नामित निदेशक संस्थान मंचों का निरन्तर उपयोग किया गया ।

नामित निदेशक

2.74 नामित निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में, भाऔविनि द्वारा सरकारी एवं संस्थानात्मक मार्गनिर्देशों का पालन किया जाता रहा, जिनके अनुसार भाऔविनि ने 971 वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में 384 नामित निदेशक नियुक्त किए थे, जिनमें से 170 शासकीय और 214 गैर-शासकीय थे । भाऔविनि में स्थापित नामित निदेशक कक्ष की अध्यक्षता सहायक स्तर पर अन्य अधिकारियों सहित कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती रही । इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय के तीन वरिष्ठ अधिकारियों तथा क्षेत्रीय/शाखा/अन्य कार्यालयों के अधिकारियों को नामित निदेशक कक्ष के सदस्य के रूप में पदनामित किया गया, ताकि वे कक्ष को सौंपे गए विभिन्न कार्यों को पूरा कर सकें ।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय

2.75 स्थायी समन्वय समिति के मंच तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय सक्रिय बना रहा । बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साझे ग्राहकों के बारे में, पारस्परिक

आधार पर सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली भी और गहन हुई, और सामान्यतः संयुक्त बैठकों में सदैव बैंकों को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया।

सरकार से पारस्परिक-सम्पर्क

2.76 भाऔविनि ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के साथ पारस्परिक सम्पर्क तथा विचारों का आदान-प्रदान जारी रखा। इसको भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्यकारी दलों में प्रतिनिधित्व भी दिया गया। भाऔविनि, चीनी विकास निधि तथा जूट आधुनिकीकरण निधि के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता रहा, तथा विभिन्न उद्योगों, विशेषतः, चीनी, वस्त्र और जूट से सम्बन्धित मामलों में, आधुनिकीकरण तथा नई क्षमताओं के सृजन से सम्बन्धित सभी नीतिगत मामलों में सम्मिलित किया जाता रहा।

(घ) पोर्टफोलियो प्रबन्ध

निवेश पोर्टफोलियो

2.77 भाऔविनि के निवेश पोर्टफोलियो में विसपोषित संस्थाओं में किए गए वे निवेश शामिल हैं, जो (क) हामीदारी दायित्वों के अनुसरण में शेयरों के अधिग्रहण, (ख) जिन मामलों में सहमति हुई है, उनके शेयरों में प्रत्यक्ष अभिदान, (ग) वर्तमान संपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों के अनुसार मंजूर किए गए ऋणों के सम्बन्ध में संपरिवर्तनीयता विकल्प के प्रयोग, (घ) बोनस शेयर निर्गम, (ङ) आधिकारिक शेयरों में अभिदान, (च) डिबेंचरों के सपरिवर्तनीय भाग के संपरिवर्तन तथा (छ) रुग्ण/संभाव्य रुग्ण मामलों के सम्बन्ध में अतिदेय ब्याज के शेयरों/डिबेंचरों में संपरिवर्तन के कारण होते हैं। भाऔविनि, निवेश संस्थान न होने के कारण, अपने निवेशों को यथासंभव, मुख्यता हेतु एक समय के अन्दर ही भुनाने का प्रयास करता है। जिन मामलों में कम्पनियां स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, और जहां सामान्यतः प्रतिभूतियों का व्यापार होता रहता है, उन मामलों में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के स्टाक/शेयर पैनल पर प्रतिष्ठित दलालों के माध्यम से खुले बाजार में छोटे-छोटे टुकड़ों में बिक्री की जाती है। अन्य मामलों में जो कार्य प्रणाली अपनायी जाती है, वह यह है, कि समय-समय पर निवेश पोर्टफोलियों की समीक्षा की जाती है, और करार की भावना, प्रचलित कीमतों शेयरों के मूल्य-निर्धारण, अन्य सम्बद्ध पहलुओं, परिचालनात्मक एवं कानूनी मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए या तो पूर्व-निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार अथवा करार की प्रसंविदाओं के अनुसार अथवा परस्पर समझौते से शेयरों को बेचने के निर्णय लिए जाते हैं।

2.78 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने 15.87 करोड़ रुपये के मूल्य के शेयर/डिबेंचर लिए, तथा 2.47 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के अपने निवेशों की बिक्री की, जिससे 10.57 करोड़ रुपये का लाभ निवेशों की बिक्री पर हुआ। वर्ष 1990-91 के दौरान, इक्विटी शेयरों से लाभांश के रूप में 5.76 करोड़ रुपये का राजस्व तथा पूंजी लाभ के रूप में 10.57 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इक्विटी शेयरों (पूंजी लाभ सहित) पर औसत प्रतिलाभ वर्ष के दौरान 12.8 प्रतिशत रहा। मार्च, 1991 के अन्त तक भाऔविनि के निवेशों का प्रमुख भाग संघटकवार इस प्रकार था, इक्विटी शेयरों में 84.6% (130.55 करोड़ रुपए), अधिमान शेयरों में 3.7% (5.70 करोड़ रुपये), तथा डिबेंचरों में 11.7% (17.99 करोड़ रुपये)।

बकाया ऋण पोर्टफोलियो

2.79 31 मार्च, 1991 को स्थिति के अनुसार भाऔविनि की बकाया ऋण सहायता 5,479.64 करोड़ रुपये थी। यह 2,681 वित्तपोषित संस्थाओं के विषय में थी।

2.80 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण सहायता में से, सामान्य पुनर्अनुसूचीकरण आदि के बाद, देय राशि (वर्ष के दौरान, 390.71 करोड़ रुपये थी इसमें से 348.84 करोड़ रुपये की वसूली की गई जिसके फलस्वरूप वर्ष में मूलधन राशि का वसूली अनुपात 89.3% रहा। वर्ष के दौरान देय ब्याज की निवल राशि 492.20 करोड़ रुपये रही, जिसमें से 4.55.19 करोड़ रुपये (92.5%) वसूल किये गए।

2.81 कुल अतिदेय राशि 211.41 करोड़ रुपये (मूलधन के रूप में 129.04 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 82.37 करोड़ रुपये) थी। ये अतिदेय राशियां 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि के कुल बकाया ऋणों का लगभग 3.9% थीं।

पुनर्स्थापन कार्यक्रम

2.82 रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए भाऔविनि के प्रयास, बीआईएफआर मामलों में अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, बीआईएफआर के प्रयासों के अनुरूप थे। 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम की धारा 15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप, भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में रुग्ण संस्थाओं की संख्या जो थी, उनमें से 88 संस्थाएं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में रजिस्टर्ड थीं। इनमें से 87 मामलों में भाऔविनि से व्यवहार्यता अध्ययन करने/परिचालन एजेंसी के रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। 31 मार्च, 1991 तक भाऔविनि 73 मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका था, जिनमें से 21 रिपोर्टें वर्ष के दौरान प्रस्तुत की गई थीं। वर्ष की समाप्ति पर, भाऔविनि के पास परिचालन एजेंसी के रूप में विस्तृत जांच के लिए 14 मामले थे। भाऔविनि द्वारा 31 मार्च, 1991 तक प्रस्तुत की जा चुकी रिपोर्टों के 73 मामलों में से 46 मामलों में बीआईएफआर द्वारा अन्तिम निर्णय ले लिया गया था। इनमें से 37 मामलों में पुनर्स्थापन योजनाओं को मंजूरी दे दी गई थी, तथा 9 मामलों में परिसमापन करने की सिफारिश की गई। 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार, बकाया 27 मामलों में बीआईएफआर द्वारा विभिन्न स्तरों पर सुनवाइयां चल रही थीं, और उनका निर्णय अभी किया जाना था। कुल मिलाकर, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔविनि के 63 अग्रणी मामलों में बीआईएफआर द्वारा 102 सुनवाइयां की गईं।

2.83 इनके अतिरिक्त, परिचालन एजेंसी के रूप में भाऔविनि 3 गैर-अग्रणी मामलों में भी सम्मिलित था। अग्रणी दायित्व के चार मामलों में भी भाऔविनि द्वारा बीआईएफआर

के तत्वाधान में, सम्भाव्यता अध्ययन/पुनरुद्धार योजनाएं बनाई गई थीं, परन्तु ये परिचालन एजेन्सी के रूप में नहीं थीं। कुछ गैर-वित्तपोषित रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए योजनाओं की संवीक्षा करने/नया रूप देने में भी भाऔविनि की सुविज्ञता बीआईएफआर को उपलब्ध करवाई गई।

2.84 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की परिधि में न आने वाले मामलों अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत् न आने वाले मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों के निकट सहयोग से बनाए गए मार्गनिर्देशों की पृष्ठभूमि में पुनर्स्थापन पैकेज निर्मित एवं अभिकल्पित किए गए। पुनर्स्थापन पैकेज के भाग के रूप में प्रबन्ध के परिवर्तन/समामेलन अथवा विलयन आदि के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देश भी वर्ष के दौरान प्राप्त हुए, जिनमें यह अपेक्षा की गई है कि समग्र प्रक्रिया निष्पक्ष एवं स्पष्ट होनी चाहिए। भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड के मार्गनिर्देशों का उद्देश्य बीआईएफआर की परिधि में न आने वाली रुग्ण इकाइयों को समस्याओं से मुक्त कराने के लिए न्यायोचित एवं सम्यक आधार पर अधिग्रहण आदि के माध्यम से पुनर्जीवित करना था। अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके अग्रणी दायित्व के मामलों में किए जा रहे पुनर्स्थापन प्रयासों के साथ भी भाऔविनि को सक्रिय रूप से सहयोजित किया जाता रहा।

2.85 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, एक वर्जन से भी अधिक वित्तपोषित इकाइयां, जो भाऔविनि के पुनर्स्थापन कार्यक्रमों के अन्तर्गत थीं, स्वास्थ्य लाभ करती हुई/प्रगति के पथ पर अग्रसर होती देखी गईं। इनके अतिरिक्त पुनर्स्थापन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में समामेलन/अधिग्रहण के लगभग एक वर्जन प्रस्तावों पर भी भाऔविनि द्वारा अनुवर्तन किया जा रहा था। इतनी ही संख्या में, भाऔविनि की अग्रणी दायित्व के मामलों में समाधाता के द्वारा निपटान की प्रक्रिया जारी थी।

कमजोर औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद राहत औद्योगिक

2.86 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा 17 अक्तूबर, 1989 से कमजोर औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद राहत योजना लागू करने के बारे में उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, सरकार ने बीआईएफआर मामलों के सम्बन्ध में कुछ छूट प्रदान की, जिसके अनुसार पुनर्स्थापन पैकेज के अनुमोदन की तारीख से पांच वर्षों (अन्य मामलों में, तीन वर्षों) तक अदा किए गए उत्पाद शुल्क के 50% से अधिक उत्पाद-शुल्क ऋण, कुल राशि के पैकेज के 33% (अन्य मामलों में पुनर्स्थापन पैकेज की लागत के 25%) से अधिक न होने की शर्त के अधीन प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते कि, (क) बीआईएफआर पुनर्स्थापन पैकेज के भाग के रूप में राहत की सिफारिश करे, (ख) सम्बन्धित रुग्ण इकाई में 1,000 अथवा अधिक कर्मचारी काम में लगे हों, और (ग) राज्य सरकार और वित्तीय संस्थान ऐसे अनुमोदित पैकेज हेतु पर्याप्त त्याग कर रहे हों। योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, उपयुक्त मामलों में प्रत्येक के गुणावगुण आधार पर, 10 वर्ष की अवधि तक उत्पाद-शुल्क की बकाया देयराशियों की वसूली स्थगित करने और/अथवा पात्र मामलों में उत्पाद-शुल्क की बकाया देयराशियों पर ब्याज छोड़ने पर भी सहमत हो गई।

(घ) संसाधन एवं वित्तीय प्रबन्ध

रुपया संसाधन जुटाना

2.87 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान भाऔविनि द्वारा 1,564.24 करोड़ रुपए (34.21 करोड़ रुपए के प्रारंभिक रुपया शेष-शेष को छोड़कर) के रुपया संसाधन जुटाए गए। संसाधन जुटाने की दृष्टि से 1990-91 का वर्ष कुल मिलाकर कठिनाई का वर्ष रहा; संसाधन जुटाने की कठिन स्थिति में आशा की किरण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जैसे सहयोगी संस्थानों तथा सेना सामूहिक बीमा निधि, आदि, जैसे संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई गई रुपया निधि सहायता थी। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई समग्र सहायता भी मददगार एवं उत्साहजनक थी।

2.88 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, देश के भीतर जुटाए गए रुपया संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रहीं:—

— 35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शेयर पूंजी का जुटाया जाना (12.50 करोड़ रुपये 31 मई, 1990 को जुटाए गए और 22.50 करोड़ रुपए 26 मार्च, 1991 को जुटाए गए)।

— आरक्षित निधियों में 60.15 करोड़ रुपये की वृद्धि।

— (क) ऋणियों द्वारा ऋणों की पुनर्अदायगी और (ख) निवेशों की बिक्री/विमोचन के द्वारा कुल 370.04 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई प्राप्ति।

— तीन सार्वजनिक बांड निर्गमों (26 जून, 1990, 24 सितम्बर, 1990 और 26 दिसम्बर, 1990 को जारी की गई क्रमशः 56वीं, 57वीं और 58वीं सीरीज) द्वारा कुल 400 करोड़ रुपये के रुपया संसाधन में वृद्धि।

— 677.90 करोड़ रुपए के उधार, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (200 करोड़ रुपये), भारतीय जीवन बीमा निगम (200 करोड़ रुपये), भारतीय यूनिट ट्रस्ट (175 करोड़ रुपये), भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहयोगी कम्पनियां (50 करोड़ रुपये), सेना सामूहिक बीमा निधि (50 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (1.90 करोड़ रुपए) और बायोटेक कंसोर्टियम लि. (एक करोड़ रुपए) से लिये गये। ऐसे उधारों पर ब्याज की दर 13% से 14.5% के बीच रही।

— भारतीय रिजर्व बैंक से कार्यशील निधियों का संभव सीमा तक लाभ उठाना; 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार जिसके खाते में बकाया राशि 44 करोड़ रुपये थी।

— भारत सरकार से ब्याज अन्तरजन्य निधियों में से 9.25 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई राशि की प्राप्ति।

रुपया संसाधनों का उपयोग

2.89 रुपया संसाधनों का उपयोग, मंजूर सहायता के 1,274.87 करोड़ रुपए का नकद संवितरण करने, भारतीय वित्तीय संस्थानों तथा अन्य संस्थाओं को 139.40 करोड़ रुपए के ऋणों की पुनर्अदायगी करने, केन्द्रीय सरकार को 10.91 करोड़ रुपये के ऋण पुनर्अदा करने, 17.73 करोड़ रुपए के लाभांश की अदायगी, 24.25 करोड़ रुपए की कर देयता के भुगतान की व्यवस्था के लिए, तथा 83.67 करोड़ रुपये अन्य कार्यों के लिए, किया गया। वर्ष के अन्त में नकद शेष 57.62 करोड़ रुपए था।

मांग मुद्रा बाजार में भागीदारी

2.90 वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी, कि भाआवित्रनि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 अक्तूबर 1990 से केवल ऋणदाता के रूप में मांग मुद्रा बाजार में (रात्र-पर्यंत मांग मुद्रा तथा 14 दिनों तक की अवधि के लिए अल्पावधि नोटिस मुद्रा) भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई। भाआवित्रनि के उधार-कार्य केवल इसको अल्पावधि अधिशेष निधियों के नियोजन तक ही सीमित रहने की अपेक्षा थी, बशर्ते कि, भाआवित्रनि के पास भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध कोई अल्पावधि उधार बकाया न हो।

विदेशी मुद्रा संसाधन और उनका उपयोग

2.91 समीक्षाधीन वर्ष के अधीन, भाआवित्रनि ने विदेशी बैंकों के सहयोग से 100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का अनुबन्ध किया, जिसमें सनवा बैंक लि., हांगकांग ने एजेंट के रूप में और बी.टी. एशिया लि., एल.टी.सी.बी. एशिया लि., सनवा इंटरनेशनल फाइनेंस लि. ने व्यवस्थापक के रूप में कार्य किया।

2.92 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाआवित्रनि ने आवास विकास वित्त निगम लि., (एच.डी.एफ.सी.) तथा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., (आई. एल. एण्ड एफ. एस.) से क्रमशः 40 मिलियन अमरीकी डालर और 15 मिलियन अमरीकी डालर का प्रतिरूप रुपया निधियों में विनिमय भी किया। एच.डी.एफ.सी. तथा आई.एल. एंड एफ.एस., दोनों ने उपर्युक्त डालर निधियां इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन, वाशिंगटन (आई.एफ.सी. डब्ल्यू.) से जुटाए थे।

2.93 समग्रतः 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के अन्त में भाआवित्रनि के विद्यमान विदेशी मुद्रा संसाधनों में निम्नलिखित शामिल थे :—

— जर्मन मार्क में 25 ऋण व्यवस्थाओं के अधीन जर्मन संघीय गणराज्य के क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबउ से कुल 408 मिलियन जर्मन मार्क का उधार,

— अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से विदेशी मुद्राओं में जुटाए गए 808,610 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष संसाधन,

— इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉआपरेशन लि., फिनलैंड की फिनिश निधि से 30 मिलियन फिन मारका ऋण की व्यवस्था,

— एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 150 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की व्यवस्था।

2.94 उपर्युक्त विदेशी मुद्रा संसाधनों के प्रति भाआवित्रनि 31 मार्च, 1991 तक 2,086.24 करोड़ रुपये के समकक्ष विदेशी मुद्राओं के उप-ऋणों के लिए वचनबद्ध था। 31 मार्च, 1991 तक विदेशी मुद्रा उप-ऋणों का वास्तविक संवितरण 1,064.25 करोड़ रुपए के बराबर था, जिसमें से 250.04 करोड़ रुपए का संवितरण वर्ष 1990-91 के दौरान ही किया गया था।

2.95 वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में लिए गए वास्तविक उधार कुल उधार कुल 380.04 करोड़ रुपये के समकक्ष थे, और विदेशी मुद्रा ऋणों की पुनर्अदायगी 199.05 करोड़ रुपये के समकक्ष थी। 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार निवल बकाया विदेशी मुद्रा ऋण 1,720.46 करोड़ रुपए के थे, जबकि 31 मार्च, 1990 (किन्तु 31 मार्च, 1991 को लागू दर से पुनर्मूल्यांकित आधार पर) को 1,539.47 करोड़ रुपए के थे।

निधियों के स्रोत और उपयोग (संक्षेप)

2.96 भाआवित्रनि के आरम्भ से लेकर और 31 मार्च, 1991 तक इसके कुल संसाधन 8,897.85 करोड़ रुपये के थे, जिनमें शेयर पूंजी 135 करोड़ रुपए, आन्तरिक जनन 2,298.52 करोड़ रुपए, बाह्य वाणिज्यिक उधार 1,546.32 करोड़ रुपये, विदेशी ऋण 299.20 करोड़ रुपये, सरकार एवं अन्य संस्थानों से उधार 1,323.82 करोड़ रुपये और बाजार से उधार 3,294.99 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। इनका उपयोग 5,688.93 करोड़ रुपए के रुपया संवितरणों, 1,064.25 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा संवितरणों, 165.09 करोड़ रुपए के निवेश, 395.44 करोड़ रुपए के बांडों के विमोचन, सरकार तथा भारतीय वित्तीय संस्थानों/संस्थाओं को 345.04 करोड़ रुपये की पुनर्अदायगी, 438.21 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा ऋणों की पुनर्अदायगी, 72.48 करोड़ रुपये के लाभांश की अदायगी के प्रावधान के लिए, 192.05 करोड़ रुपये कर के लिए, 469.99 करोड़ रुपये अन्य उपयोगों के लिए किया गया, तथा अन्त में नकद शेष 66.37 करोड़ रुपए का था।

राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

2.97 भाआवित्रनि अधिनियम, 1948 की धारा 40 के अनुसरण में, भाआवित्रनि को गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र की किसी भी अन्य कम्पनी के समान ही अपनी आय, लाभ और अर्जनों पर आयकर, (अधिकर, यदि कोई हो) देना पड़ता है। आयकर अधिनियम, 1961 भी करयोग्य आय की गणना करने के प्रयोजन से, भाआवित्रनि और अन्य किसी कम्पनी में सिवाय इसके कोई अन्तर नहीं करता कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कुल आय में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कटौतियां अनुमेय हैं :—

— जब तक विशेष आरक्षित निधि में जमा की गई राशि प्रदत्त शेयर पूंजी (आरक्षित निधि की जितनी राशि को पूंजीगत स्वरूप दिया गया है, उसे छोड़कर) के दुगने से अधिक नहीं होती। धारा 36 (1) (8) के अधीन कुल आय की 40% सीमा तक विशेष आरक्षित निधि, और

— अधिनियम की धारा 80ड की व्यवस्थाओं के अनुसार अन्य देशीय कम्पनियों से लाभांशों के रूप में प्राप्त आय के केवल 60% की सीमा तक अन्तर कम्पनी लाभांश।

2.98 भाऔविनि अपने अस्तित्व के 43 वर्षों के दौरान 192.05 करोड़ रुपये की राशि तो कर के रूप में ही राष्ट्रीय राजकोष में अदा कर चुका है, जो इसकी 135 करोड़ रुपये की प्रदत्त शेयर पूंजी की डेढ़ गुना के निकट है।

(ड) लेखे और लेखा-परीक्षण

लेखा-विवरण

2.99 भाऔविनि का लेखा-विवरण अन्त में दिया गया है, जिसमें 31 मार्च, 1991 की स्थिति का तुलन-पत्र, 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि के साथ-साथ पिछले वर्ष के आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। तथापि, भाऔविनि के कार्य-परिणामों और वित्तीय स्थिति की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है।

कार्य परिणाम

2.100 भाऔविनि के 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के कार्य परिणामों में 102.33 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ दिखाया गया है, जबकि 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान यह 90.14 करोड़ रुपये था। इस प्रकार इसमें 13.5% की वृद्धि परिलक्षित होती है। वर्ष के दौरान, कराधान के लिए 24.25 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के पश्चात, निवल लाभ 78.08 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष निवल लाभ 67.44 करोड़ रुपये था। इस प्रकार इसमें 15.8% की वृद्धि हुई।

विनियोजन

2.101 भाऔविनि के निदेशक बोर्ड द्वारा निवल लाभ में से किए गए विनियोजन का विवरण सारणी-9 में दिया गया है।

2.102 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने अपनी आरक्षित राशि में 60.15 करोड़ रुपये की राशि अन्तरित की, जिसमें सामान्य आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि तथा विशेष आरक्षित निधि शामिल है। यह पिछले वर्ष की आरक्षित राशि में अन्तरित राशि से 9.8% अधिक थी।

सारणी 9: निवल लाभ का विनियोजन

(करोड़ रुपये)

		इस वर्ष 1990-91	पिछला वर्ष 1989-90
	(1)	(2)	(3)
		रू०	रु०
निवल लाभ		78.08	67.44
विनियोजन निम्नलिखित को आन्तरित			
(क) सामान्य आरक्षित निधि	17.19		22.30
(ख) हितकारी आरक्षित निधि	1.50		2.50
(ग) विशेष रिजर्व [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन]	40.74	60.15	30.00
कर्मचारी कल्याण निधि का आबंटन		0.20	0.50
लाभांश की अदायगी		17.73 (16%)	12.14 (14%)
जोड़		78.08	67.44

लाभांश

2.103 संतोषजनक कार्य-परिणामों को ध्यान में रखते हुए भाऔविनि के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर पिछले वर्ष घोषित 14% की तुलना में वर्ष 1990-91 के लिये 16% लाभांश अदा करने का अनुमोदन किया है।

कार्य-परिणामों की प्रवृत्ति

2.104 भाऔविनि के कार्य-परिणामों की प्रवृत्ति का समग्र मूल्यांकन सारणी-10 में दिए गए पांच वर्षों के संक्षिप्त आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है।

सारणी 10 : पांच वर्षों के दौरान भा औ वि नि के कार्य परिणाम

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष			31 मार्च को समाप्त वर्ष	
	1987	1988	1989*	1990	1991
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिये गये उधारों पर ब्याज	225.48	285.30	277.77	462.95	591.48
घटाएं : लिये गये उधारों की लागत	160.78	212.10	213.62	357.95	475.47
निवल ब्याज राजस्व	64.70	73.20	64.15	105.00	116.01
अन्य आय	8.00	9.36	11.26	12.93	22.44
निखिल आय	72.70	82.56	75.41	11.93	138.45
व्यय :...					
—कार्मिक व्यय	6.55	6.12	5.02	8.55	12.41
—निदेशों पर हानि	0.18	0.02	0.31	0.18	0.18
—निदेशकों तथा समिति सदस्यों के शुल्क तथा व्यय	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04
—अन्य व्यय व अनुदान	3.14	4.51	3.70	10.23	9.48
—मूल्यह्रास	1.18	3.00	5.81	8.80	14.01
कर-पूर्व लाभ	61.62	68.88	60.55	90.14	102.33
कराधान	18.14	16.22	10.02	22.70	24.25
निवल लाभ	43.48	52.66	50.53	67.44	78.08
लाभांश (दर)	11.0%	12.0%	13.0%	14.0%	16.0%

(*) 1989 के आंकड़े 9 माह (जुलाई-मार्च) के हैं।

2.105 उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में :—

— ऋण परिचालनों से ब्याज आय में 27.8% की वृद्धि हुई ।

— उधार लागत की मद के अन्तर्गत 32.8% की वृद्धि हुई ।

— निवल आय, कर-पूर्व लाभ और निवल लाभ में क्रमश: 17.4%, 13.5% तथा 15.8% की वृद्धि हुई ।

— अन्य आय में वृद्धि 73.5 प्रतिशत रही ।

— उधार लागत, जो 1989-90 में ऋणों पर प्राप्त ब्याज आय का 77.3% थी, 1990-91 में 80.4% रही ।

— 1990-91 में कर-पूर्व लाभ निवल आय के प्रतिशत के रूप में 73.9% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 76.4% था ।

— सकल आय के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ 1990-91 में 12.7% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 14.1% था ।

— 1990-91 में निवल आय के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ 56.4% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 57.2% था।

— सकल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में कार्मिक व्यय 0.19% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 0.17% था।

वित्तीय स्थिति

2.106 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि की परिसम्पत्तियों और देयताओं की स्थिति सहित पिछले पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति, जैसा कि भाऔविनि के तुलन-पत्र से स्पष्ट है, संक्षेप में सारणी-11 में दी गई है।

सारणी 11 : पांच वर्षों के दौरान भाऔविनि की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष		31 मार्च को समाप्त वर्ष		
	1987	1988	1989	1990	1991
(1)	(2)	(3)	(4)*	(5)	(6)
परिसम्पत्तियां					
नकद व बैंक शेष	137.00	193.38	140.93	46.80	66.37
निवेश					
—सहायता प्राप्त संस्थाओं में	72.83	96.53	111.75	141.99	159.23
—अन्य संस्थाओं में	2.81	6.50	20.10	27.00	31.91
सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऋण	2,117.10	2,733.21	3,373.53	4,179.04	5,362.21
स्थिर तथा अन्य परिसम्पत्तियां	132.73	221.45	309.61	510 84	777.77
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयताएं	21.93	22.92	32.51	39.84	93.56
	2,484.40	3,273.99	3,987.43	4,945.51	6,491.05
देयतायें और शेयरधारी निधि					
शेयर पूंजी	57.50	70.00	82.50	100.00	135.00
रिजर्व तथा आरक्षित निधि	182.17	225.62	270.94	327.42	389.45
उधार					
(क) बांड	1,729.40	2,083.80	2,314.70	2,851.39	3,105.23
(ख) सरकार तथा भा औ वि बैंक से	79.30	70.73	67.85	60.09	270.04
(ग) जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम व इसकी आनुषंगिक इकाइयों से	—	—	—	100.00	350.00
(घ) विदेशों मुद्राओं से	285.78	611.75	988.60	1,005.95	1,497.27
अन्य चालू देयतायें और प्रावधान	20.29	179.87	2[illegible]6.88	439.11	619.[illegible]
निर्धारित निधियां	8.03	9.90	13.45	21.71	30.87
स्वीकृतियों पर देयता	2 .93	22.92	32.51	39.84	93.56
	2,484.40	3,273.99	3,987.43	4,945.51	6,491.05
ऋण इक्विटी	8.7:1	9.3:1	9.5:1	9.4:1	9.9:1
निवल मूल्य : निवल लाभ	5.5:1	5.6:1	7.0:1	6.3:1	6.7:1

(*) 1989 के आंकड़े 9 माह (जुलाई मार्च) के हैं।

2.107 भाऔविनि के वर्ष 1990-91 के तुलन-पत्र के आधार पर इसकी कुछ उल्लेखनीय वित्तीय उपलब्धियां संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

* वर्ष के दौरान, भाऔविनि के निवेश पोर्टफोलियो में 12.1% की वृद्धि ।

* वर्ष के दौरान, भाऔविनि के ऋण पोर्टफोलियो (बकाया राशियां) में 28.3% वृद्धि ।

* स्थिर तथा अन्य परिसम्पत्तियों में वृद्धि 52.2% रही ।

* आरक्षित राशि और आरक्षित निधियां प्रदत्त शेयर पूंजी की 2.8 गुना थीं ।

* वर्ष के दौरान, भाऔविनि की शेयर पूंजी, आरक्षित राशि और आरक्षित निधि के निवल मूल्य में 22.7% की वृद्धि ।

* मार्च, 1991 के अन्त में सकल निवल परिसम्पत्ति व निवल मूल्य का अनुपात 12.1 : 1 था ।

* वर्ष के दौरान, कुल लिये गये उधारों में 30% की वृद्धि ।

* मार्च, 1991 के अन्त में भाऔविनि का ऋण-इक्विटी अनुपात 9.9 : 1 था ।

* मार्च, 1991 के अन्त में भाऔविनि का निवल मूल्य वर्ष के दौरान इसके निवल लाभ का 6.7 गुणा था।

लेखांकन नीतियां

2.108 भाऔविनि द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नितियां तथा लेखे का रूप ग्रहण करने वाली टिप्पणियां अनुसूची 17 में दी गई हैं तथा यह 31 मार्च, 1991 की स्थिति के तुलन-पत्र का भाग है । उल्लेखनीय है कि अब तक भाऔविनि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियां सर्वदा सुसंगत रही है ।

लेखा-परीक्षण

2.109 लेखा-परीक्षकों के दो समूहों द्वारा भाऔविनि के लेखों की सांविधिक लेखा-परीक्षा के अतिरिक्त भाऔविनि ने आन्तरिक नियंत्रण और आन्तरिक लेखा-परीक्षा हेतु स्वयं की एक एक व्यापक प्रणाली गठित कर रखी है। विभिन्न कार्यालयों (अर्थात् क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय) और भाऔविनि के निगमित कार्यालय प्रमुख विभागों के कार्य-निष्पादन बजट हेतु भी एक प्रणाली प्रचलन में है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कार्यालय और संबंधित प्रभाग/विभाग को कार्य-निष्पादन के लिए आबंटित बजट तथा निष्पादन कार्यों के संबंध में मूल्यांकन किया जाता है । लागोबार विकास मंजूरियों, संवितरणों, वसूलियों, चूकों, आन्तर-शाखा एवं अन्तर-प्रधान कार्यालय से संबंधित लेखांकन प्रविष्टियों और अन्य प्रशासनिक, कार्मिक, प्रशिक्षण तथा सम्पदा मामलों के विषयों पर क्षेत्रीय शाखा एवं अन्य कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने की भी एक नियमित व्यवस्था है ।

आन्तरिक लेखा-परीक्षा

2.110 आन्तरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग, जिसे कार्यपालक निदेशक के माध्यम से अध्यक्ष को रिपोर्ट करने का दायित्व सौंपा गया है, भाऔविनि की आय का पूर्ण और सही लेखांकन, संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा प्रणालियों एवं कार्यविधियों की प्रभावोत्पादकता के बारे में प्रबन्धक-वर्ग को जानकारी देना सुनिश्चित करता है । वर्ष के दौरान आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग, ऋणों और अग्रिमों तथा वित्तीय सेवाओं से प्राप्त आय का 100% सत्यापन करने के अतिरिक्त, संवितरणों, वसूलियों, संवितरण-पश्चात अनुवर्तन, बीमा और विधिक प्रलेखन आदि जैसे परिचालनात्मक क्षेत्रों में भी कार्यरत रहा । कार्य-प्रणालियों और कार्यविधियों की आन्तरिक लेखा-परीक्षा में, संगठन की उत्पादकता और कुशलता पर प्रकाश डाला गया । लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों के अनुपालन और लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों पर आन्तरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग द्वारा वर्ष भर बारीकी से नजर रखी जाती रही ।

सांविधिक लेखा-परीक्षा

2.111 वर्ष 1990-91 के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक मैसर्स लोढ़ा एण्ड कं., सनदी लेखापाल, 14, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट, कलकत्ता और मैसर्स सुमेर बंसल एण्ड कं., सनदी लेखापाल, 36, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली थे । मैसर्स लोढ़ा एण्ड कं., सनदी लेखापाल को 29 जून, 1990 को हुई भाऔविनि के शेयरधारियों की वार्षिक महासभा में भाऔविनि के शेयरधारियों (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न) द्वारा औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अधीन लेखा-परीक्षकों के रूप में चुना गया । मैसर्स सुमेर बंसल एण्ड कं., सनदी लेखापाल को औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 34 (1) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भाऔविनि के लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया ।

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

2.112 औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 34 (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में वर्ष के लेखा-विवरणों से पहले दी गई है ।

कर-लेखा परीक्षा

2.113 इसके अतिरिक्त, कर लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 क ख की व्यवस्थाओं के अनुसार, मैसर्स अवतार एण्ड कं., सनदी लेखापाल, ई-89, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली वर्ष 1990-91 के लिए भाऔविनि के कर लेखा-परीक्षक थे ।

प्रवर्तन सेवाएं—

एक सिंहावलोकन

3.01 भाऔविनि द्वारा प्रदत्त प्रवर्तन सेवाएं मूलतः सहायक उपायों के रूप में हैं, और इनमें, विशेष रूप से संरचित प्रवर्तन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता, सलाहकारी सेवाओं, उद्यमीयता विकास, प्रबन्ध विकास, जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त, पर्यटन और पर्यटन

सम्बन्धी कार्यों, विज्ञान पार्कों, अनुसंधान एवं विकास तथा सम्बद्ध अनुसंधानोन्मुख कार्यों की व्यवस्था शामिल है। वर्ष के दौरान, न केवल विद्यमान विभिन्न प्रवर्तन सेवाओं के लिए सहायता के प्रवाह को गतिशील बनाया गया, अपितु (क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (राग्राविनि), (ख) बायोटेक कन्सोर्शियम इंडिया लि., (बीसीआईएल) (ग) भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण अभिकरण लि., (आईआईसीआरए) और (ग) ओटीसी एक्सचेंज आफ इंडिया लि., (ओटीसीईआई) की स्थापना में सहायता तथा भागीदारी करके इस दिशा में नए आयाम भी जोड़े गए।

3.02 वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर भाऔविनि द्वारा उपयोग की गई कुल राशि 721.09 लाख रु. रही। संचयी रूप से 31 मार्च, 1991 तक भाऔविनि ने अपनी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के लिए 4,621.37 लाख रुपये का उपयोग किया। सारणी 12 और 13 में भाऔविनि द्वारा इसकी प्रवर्तन सेवाओं के लिए उपयोग की गई राशि और इसके निधिकरण का ब्यौरा दिया गया है।

सारणी 12 : प्रवर्तन सेवाओं पर भा औ वि नि द्वारा उपयोग की गई राशि

(लाख रुपये)

भाऔविनि द्वारा सहायता प्रदान की गई सेवाओं का स्वरूप	1990–91 (अप्रैल मार्च) राशि/रुपये		31 मार्च, 1991 तक संचयी राशि/रूपये	
(1)	(2)		(3)	
(i) प्रवर्तन योजनाएं				
उप सहायता	75.14		429.76	
—ऋण सहायता	—		23.50	
—उद्यमी विकास कार्यक्रम योजना	1.65	76.79	2.56	455.82
(ii) औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण		—		9.63
(iii) तकनीकी सलाहकारी संगठनों के लिये सहायता				
—तकनीकी सलाहकारी संगठन	1.26		77.99	
—औद्योगिक परामर्श दाताओं को निर्देशिका	—	1.26	0.43	78.42
(iv) उद्यमीयता विकास के लिये सहायता				
—उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को लागत में हिस्सेदारी	21.90		89.35	
—भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता	—		93.00	
—उद्यमीयता विकास संस्थानों को सहायता	—	21.90	20.25	202.60
(v) प्रबन्ध विकास संस्थान की प्रबन्ध विकास गतिविधियों के लिये मदद		74.76		1,114.78
(vi) जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम के माध्यम से जोखिम पूंजी सहायता के लिये मदद		160.00		1,963.23
(vii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के लिये सहायता		—		250.00
(viii) ओ० टी० सी० एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि० के लिये सहायता		40.00		40.00
(ix) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि के लिये सहायता		205.00		205.00

1	2		3	
(x) बाईटेक कंसोर्टियम इण्डिया लि० के लिये सहायता		100.00		100.00
(xi) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता		15.87		34.28
(xii) अनुसंधान आदि का प्रवर्तन				
—भा औ वि नि पीठें	5.21		37.46	
—विशेष अनुसंधान अध्ययन रिपोर्टें आदि	—		10.63	
—इण्डियन इकनामिक जर्नल को सहायता	—		0.15	
—भा औ वि नि० अनुसंधान फैलोशिप	—	5.21	0.20	48.44
(xiii) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों के लिये सहायता				
—ग्रामीण विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिपादन	—		1.00	
—गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिये अनुसंधान और सूचना व्यवस्था	—		11.00	
—विश्व आर्थिक कांग्रेस	—		4.00	
—इण्डियन इकोनोमैट्रिक सोसायटी	—		0.50	
—लघु और मध्यम उद्योग विश्व सम्मेलन	—		1.00	
—भारतीय आर्थिक संगठन	0.20		0.20	
—अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों पर अनुसंधान के लिये भारतीय परिषद	5.00	5.20	5.00	22.70
(xiv) विशेष संगठनों को सहायता				
—गहरा कुआं परियोजना के लिये मुनिगुडा, उड़ीसा के 'नई आशा ग्रामीण कुष्ठ रोग न्यास'	—		0.21	
—धारवाड़ (कर्नाटक) के बहु आयामी विकास अनुसंधान केन्द्र	—		14.00	
—नई दिल्ली का पालिसी ग्रुप (गैर लाभ अर्जक अनुसंधान संगठन)	2.50		5.50	
—राष्ट्रीय पब्लिक वित्त तथा नीति संस्थान को सहायता	—		0.50	
—विकास कार्यों के लिये व्यवसायिक सहायता	10.00		10.00	
—शारीरिक औषधियां व पुनर्स्थापन का भारतीय संगठन	0.10		0.10	
—औद्योगिक विकास में अध्ययनों का संस्थान	2.50	15.10	2.50	32.81
(xv) पुनश्चर्या कार्यक्रम और राज्य स्तरीय संस्थानों को सहायता		—		4.30
(xvi) अन्य (परियोजना के प्रत्यक्ष वित्त के लिये प्रयुक्त)		—		59.36
जोड़		721.09		4,621.37

सारणी 13 : भाऔविनि की प्रवर्तन सेवाओं के लिये वित्तीय स्रोत

(लाख रुपये)

निधि	1990-91 (अप्रैल-मार्च) राशि रु०	31 मार्च 1991 तक संचयी राशि रु०
(1)	(2)	(3)
हितकारी आरक्षित निधि : (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन भाऔविनि के लाभों से बनाई गई)	49.47	1,110.39
ब्याज, अन्तर-जन्य निधियां : (भाऔविनि, क्रिदितांस्तल्त फर वाइडर फबऊ, भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच हुए करारों की शर्तों के अधीन के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों के लिये भाऔवि नि द्वारा अदा किये गये ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त धन की द्योतक हैं)	671.62	3;510.98
जोड़	721.09	4,621.37

प्रवर्तन योजनाएं

3.03 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, भाऔविनि अपने ही सामर्थ्य के आधार पर, 14 प्रवर्तन योजनाएं चला रहा है, जिनमें से आठ सलाहकारी उप-सहायता योजनाएं हैं, चार ब्याज उप-सहायता योजनाएं, और दो उद्यमीयता विकास योजनाएं हैं । उपर्युक्त सभी योजनाओं ने वर्ष के दौरान सक्रिय रूप से गतिशीलता अर्जित की, और इन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता की राशि के उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में 57% की वृद्धि हुई । भाऔविनि द्वारा अपनी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के अधीन वर्ष 1990-91 के दौरान और संचयी रूप से मार्च, 1991 के अंत तक किए गए समग्र उप-सहायता संवितरणों का ब्यौरा सारणी 14 में दिया गया है ।

सारणी 14. भाऔविनि द्वारा इसकी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के अधीन संवितरित उप-सहायता

(लाख रुपये)

प्रवर्तन योजनाओं के नाम	1990-91 (अप्रैल-मार्च राशि	31 मार्च 1991 तक संचयी राशि रु०
(1)	(2)	(3)
—व्यवहार्यता, अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिये ग्रामीण, कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र, छोटे उद्यमियों को उप-सहायता योजना	41.85	281.53
—पशु पालन, डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, मछली पकड़ने से सम्बद्ध उद्योगों को सलाहकारी उप-सहायता योजना	10.74	16.81
—कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन तथा मत्स्य पालन में लगे हुए या इस से सम्बद्ध उद्योगों को सलाह्-कारी उप-सहायता योजना	10.86	16.43
—सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिये उप-सहायता योजना	1.55	18.65
—बाजार अनुसंधान,/सर्वेक्षण की लागत को पूरा करने के लिये नये उद्यमियों को उप-सहायता योजना	1.88	16.19
—ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिये उप-सहायता योजना	—	0.35
—लघु क्षेत्र की इकाइयों को बाजार सहायता उपलब्ध करवाने के लिये उप-सहायता योजना	0.41	1.50
—अति लघु और लघु क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिये उप-सहायता योजना	0.21	13.80
—अति लघु, लघु और सहायक इकाइयों के आधुनिकीकरण कार्य-क्रम के कार्यान्वियन के लिये उप-सहायता योजना	—	4.75

(1)	(2)	(3)
—ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों के उपयोग हेतु सलाहकारी उप-सहायता योजना	—	0.92
—बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व-विकास और स्व-नियोजन के लिये ब्याज उप-सहायता योजना	1.18	2.20
—महिला उद्यमियों के लिये ब्याज उप-सहायता योजना	6.46	11.19
—देशी तकनीक को ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये ब्याज उप-सहायता योजना	—	45.35
—लघु क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिये ब्याज उप-सहायता योजना	—	0.09
—इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के द्वारा प्रौद्योगिकी विकास के लिये सहायता योजना	—	23.50
—पर्यटन तथा पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये उद्यमी विकास सहायता योजना	—	1.40
—रुग्ण इकाइयों में विनियोजना एवं छटनी के फलस्वरूप बेरोजगार लोगों में स्व-नियोजन प्रोत्साहित करने हेतु सहायता योजना	0.39	1.16
जोड़	76.79	455.82

3.04 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र की विशेष भूमिका है, तथा यह रोजगार-उन्मुख औद्योगिक विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय कार्य नीति का एक अनिवार्य अंग बन चुका है, भारतीवित्त की प्रवर्तन योजनाएं, विगत कुछ वर्षों के दौरान इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए विद्यमान सहायक सेवाओं के सुविदित अंतरालों को पाटने में सफल रही हैं।

सलाहकारी सेवाओं के लिए सहायता

(क) तकनीकी सलाहकारी संगठन

3.05 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, राज्य-स्तरीय संस्थानों और बैंकों द्वारा स्थापित तकनीकी सलाहकारी संगठन विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते रहे, उदाहरणार्थ, व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्टें तथा परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, बाजार सर्वेक्षण औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण परिचालन-उपरान्त सलाहकारी सेवाएं, विभिन्न लक्ष्य समूहों से उद्यमियों की पहचान और प्रशिक्षण, आदि। 18 तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने (कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन सहित), जिन्होंने अपनी सलाहकारी सेवाओं के नेटवर्क द्वारा पूरे देश को समाहित किया हुआ है, वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के 4,412 दत्तकार्य पूरे किए। यह तकनीकी सलाहकारी संगठन 75% या उससे अधिक कारोबार केवल ग्रामीण-विकास, अति लघु और लघु क्षेत्र के (अनुषंगी सहित) औद्योगिक क्षेत्रों पर केन्द्रित करते रहे। उपर्युक्त तकनीकी सलाहकारी संगठन मार्च, 1991 के अंत तक संचयी रूप से 39,387 दत्तकार्य पूरे कर चुके थे, जिनका ब्यौरा सारणी-15 में दिया गया है।

सारणी 15 : सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति का सार

दत्तकार्यों की प्रकृति	पूरे किये गये दत्तकार्यों की संख्या	
	1990–91 (अप्रैल-मार्च)	प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन के आरम्भ से 31 मार्च 1991 तक
(1)	(2)	(3)
I. विवेश-पूर्व सलाहकारी दत्तकार्य		
—व्यवहार्यता, व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट आदि	2,672	19,417
—औद्योगिक संभावना/क्षेत्र विकास सर्वेक्षण	106	616
—बाजार सर्वेक्षण	53	801
—परियोजना रूपरेखा	797	10,277
—प्रारम्भिक तथ्य निरूपण अध्ययन	3	132
—मूल्यांकन	41	1,106
—अन्य	277	2,666
उप-जोड़ (I)	3,949	35,015
II. निवेश-पश्चात् सलाहकारी दत्तकार्य :		
—निदानात्मक अध्ययन	109	1,158
—रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन	28	559
—अन्य	119	1,257
उप-जोड़ (II)	256	2,974
III. टर्नकी दत्तकार्य/कार्यात्मक औद्योगिक काम्पलेक्स आदि	12	81
IV. उद्यमीयता विकास कार्यक्रम	195	1,317
कुल जोड़ (I+ + +IV)	4,412	39,387

3.06 31 मार्च, 1991 तक सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों (कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन को छोड़कर) की शेयर पूंजी में भाऔविनि की भागीदारी 61.42 लाख रुपये थी। किन्तु हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश पंजाब (चंडीगढ़ सहित) तथा हरियाणा (दिल्ली सहित) के तकनीकी सलाहकारी संगठनों के लिए भाऔविनि का दायित्व अग्रणी संस्था के रूप में भी था।

3.07 **हिमाचल सलाहकारी संगठन लि. (हिमकान) ने,** वर्ष के दौरान, 360 दत्तकार्य पूरे किए, जिनमें अन्य कार्यों के साथ-साथ 2 निवेश-पश्चात् अध्ययन तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग निदेशालय के अनुरोध पर तैयार की गई स्थानीय संसाधनों पर आधारित 50 परियोजना रूपरेखाएं भी शामिल थीं। हिमकान ने मण्डी, नगरोता बागवान, बद्दी, बरोटीवाला और परवाणू क्षेत्रों का लागत-लाभ-अध्ययन भी किया। 'पीटर हाफ बिल्डिंग', जिसे पहले 'गवर्नर्स रेजिडेंस' के नाम से जाना जाता था, को पांच सितारा होटल में बदलने के लिए हिमकान द्वारा विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन भी किया गया। इसने सोलन तथा कांगड़ा जिलों में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मेनसैट योजना के अधीन सौंपे गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

3.08 **राजस्थान सलाहकारी संगठन लि. (राजकान) ने,** 332 दत्तकार्य पूरे किए जिनमें, अन्य कार्यों के साथ-साथ, 318 तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें, 6 निदानात्मक अध्ययन तथा भाऔविनि के निमित्त राजस्थान में गंगापुर-किशनगढ़ में स्थित एक वस्त्र इकाई के कार्यों का अनुवर्तन भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, राजकान ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मेनसैट कार्यक्रम के अंतर्गत 4 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए। राजकान द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔविबैंक) द्वारा प्रायोजित कौशल एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के तीन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जो अलवर स्थित तेल निष्कासन इकाइयों, नागौर स्थित फोर्जिंग इकाइयों तथा किशनगढ़ स्थित स्टोन-कटिंग और पालिशिंग इकाइयों के लिए थे।

3.09 **मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लि. (एमपीकान) ने,** 577 निवेश-पूर्व सलाहकारी कार्य तथा 11 निवेश-पश्चात् अध्ययनों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में मिश्र-धातु तलाई उद्योग का औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण, भोपाल दुग्ध महासंघ की ओर से इन्दौर, उज्जैन, रायपुर, जबलपुर, ग्वालियर तथा भोपाल के दुग्ध-संघों के कार्य का लागत-विश्लेषण-अध्ययन तथा बालाघाट, सिवनी, दमोह और रायसेन जिलों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सौंपे गए मूल्यांकन अध्ययन के कार्य को भी पूरा किया। एमपीकान ने मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि., के अनुरोध पर राज्य के छत्र जिलों, अर्थात् रायपुर, बिलासपुर, बालाघाट, दुर्ग, राजनन्दगांव और सरगुजा के विशेष संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य में चावल की भूसी की उपलब्धता के बारे में भी सर्वेक्षण किया। इसके अतिरिक्त, एमपीकान ने हिन्दी में "उद्यमवीर" नामक पुस्तिका भी प्रकाशित की जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के 10 महिला और 28 पुरुष उद्यमियों की सफलता की गौरव गाथा का वर्णन है।

3.10 **उत्तर भारत तकनीकी सलाहकारी संगठन लि. (निटकान) ने,** 306 निवेश-पूर्व अध्ययनों तथा 62 निवेश-पश्चात् अध्ययनों के अतिरिक्त 15 से 20 प्रतिशत तक सकल ऊर्जा संरक्षण संभाव्यता से संबंधित छह ऊर्जा-संरक्षण-अध्ययन पूरे किए। इसने राज्य में मध्यम और बड़े आकार की अनेक औद्योगिक इकाइयों की ऊर्जा लेखा-परीक्षा करने में भी विशेषज्ञता प्राप्त की। पंजाब राज्य में चावल की भूसी की उपलब्धता का पता लगाने के लिए भी एक सर्वेक्षण किया गया। निटकान ने, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योगों के विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्रों के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी सफल आयोजन भी किया।

3.11 **हरियाणा-दिल्ली औद्योगिक सलाहकार लि. (हरविकान) ने,** 193 निवेश-पूर्व सलाहकारी कार्य तथा 18 निवेश-पश्चात् अध्ययन किए, तथा हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में विकास केन्द्रों को विकसित करने के उद्देश्य से स्थलों का चुनाव करने के लिए हरविकान की सेवाएं प्राप्त कीं। इसके अतिरिक्त, हरविकान ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (आईआरईडीए) द्वारा आयोजित उद्यमीयता विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन का कार्य, हरियाणा वित्तीय निगम की ओर से मोटे धागे, स्टोन क्रशिंग इकाइयों, रोलर फ्लोर मिलों, सालवेन्ट एक्सट्रेक्शन संयंत्रों तथा कोल्ड स्टोरेजों के लिए बाजार अध्ययन कार्य भी पूरे किए।

3.12 वर्ष के दौरान, भाऔविनि का जोर इसके अग्रणी दायित्व के अधीन तकनीकी सलाहकारी संगठनों की सेवाओं के गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न पहलुओं को सुधारने, उनकी परिचालनों को कम्प्यूटरीकृत करने और उनके द्वारा आयोजित उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और कार्य-नियोजन के बीच आपसी संबंध स्थापित करने पर रहा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔविनि के अग्रणी दायित्व के अधीन कार्यरत सभी पांचों तकनीकी सलाहकारी संगठनों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक रही।

3.13 वित्तीय संस्थानों द्वारा आयोजित सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों को जीवन्त और प्रभावी सलाहकारी संगठनों के रूप में विकसित करने के लिए, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बीच इस बात पर सहमति हुई है, कि उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से संस्थागत प्रतिनिधियों, कुछ चुने हुए तकनीकी सलाहकारी संगठनों के अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों तथा बाहरी विशेषज्ञों का एक कार्यकारी दल बनाया जाए, ताकि इन संगठनों के कार्यों की समीक्षा की जा सके, तथा ऐसे तरीके सुझाए जा सकें जिनसे उनके कार्य-निष्पादन एवं संगठनात्मक संरचना में उल्लेखनीय सुधार किया जा सके।

(ख) औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका

3.14 भाऔविबैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की ओर से तैयार की गई औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका में वर्ष के दौरान 52 नए परामर्शदाताओं के नाम शामिल किए गए। इस प्रकार 31 मार्च, 1991 तक निर्देशिका में सम्मिलित किए गए परामर्शदाताओं की कुल संख्या 1,400 हो गई। औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका देश में उपलब्ध तकनीकी, औद्योगिक एवं प्रबंध परामर्श सेवाओं के बारे में, एक सुयोग्य मार्गदर्शक की भूमिका निभाती रही।

उद्यमीयता विकास के लिए सहायता

3.15 अपनी भूमिका के अनुरूप, भाऔविबैं शीर्ष तथा राज्य दोनों स्तरों पर (क) उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के लिए निधियां उपलब्ध कराकर, और (ख) इस क्षेत्र में संस्थानात्मक आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में सहायता प्रदान करके देश में उद्यमीयता विकास आन्दोलन को सहायता प्रदान करता रहा। मार्च, 1991 तक भाऔविबैं ने स्वयं अपनी ओर से तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि., के साथ मिलकर 49,670 भावी उद्यमी लाभान्वित करने वाले 1,725 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई अथवा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमति दी। 31 मार्च, 1991 तक उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी के लिए भाऔविबैं द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि सहायता की कुल राशि 89.35 लाख रुपए थी, जिसमें से 21.90 लाख रुपये की राशि समीक्षाधीन वर्ष, अर्थात् 1990-91, में प्रदान की गई।

3.16 उद्यमीयता विकास के लिए संस्थानात्मक अवस्थापना के क्षेत्र में देश में अब शीर्ष स्तर पर भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान (ईडीआईआई) और राष्ट्रीय उद्यमीयता एवं लघु कारोबार विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और राज्य स्तर पर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में उद्यमीयता विकास संस्थान/केन्द्र (आईईडी/सीईडी) हैं। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में भाऔविबैंक द्वारा कुछ प्रशिक्षण-एवं-विकास केन्द्र भी चलाए जा रहे हैं।

3.17 शीर्ष स्तर पर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि., तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित **भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान** ने 31 मार्च, 1991 को अपने सफल परिचालनों के 8 वर्ष पूरे कर लिए। 8 वर्ष की अवधि के दौरान, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने 11 प्रदर्शन उद्यमीयता विकास कार्यक्रम, 10 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमीयता विकास कार्यक्रम, 2 विशेष उद्यमीयता विकास कार्यक्रम और 13 सामान्य उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित किए। भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने देश में अधिकतर शिक्षकों के लिए कई पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और विशेष कार्यक्रमों के आयोजन सहित प्रशिक्षकों के लिए 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान आयोजित की गई, महत्वपूर्ण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भारतीय उद्यमी प्रशिक्षक सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन, प्रबंध संस्थानों में उद्यमीयता शिक्षा शुरू करने के बारे में कार्यशाला, उद्यमीय कार्यों में विकास प्रक्रिया पर कार्यशाला, भारतीय विश्वविद्यालयों में लघु कारोबार केन्द्रों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यशाला, असम में पोलिटेकनीकों और इंजीनियरिंग कालेजों के प्राचार्यों के लिए संगोष्ठी, 10 कार्य-निष्पादन उन्नयन कार्यक्रम, तथा देश के विभिन्न भागों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदत्त एक दर्जन कार्य सम्मिलित हैं। भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने वर्ष 1990-91 के दौरान, उद्यमियों और प्रशिक्षकों के उपयोग के लिए परियोजना तैयारी के संबंध में एक नियम-पुस्तिका प्रतिपादित की, तथा (क) समस्याओं का समाधान, (ख) नकदी संकट और (ग) प्रत्यायोजन पर तीन श्रव्य-दृश्य फिल्मों का निर्माण किया। भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान की जो अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें उद्यमीयता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का मूल्यांकन अध्ययन तथा अवसरों की खोज की प्रक्रिया संबंधी अध्ययन भी शामिल हैं।

3.18 उद्यमीयता विकास के लिए राज्य स्तरीय संस्थान/केन्द्र प्रारम्भिक स्तर पर उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित करते रहे और उद्यमीयता विकास कार्यक्रम में लगे हुए विभिन्न राज्य और जिला स्तर के संगठनों को मानव संसाधन संबंधी सहायता उपलब्ध करवाते रहे। राज्य स्तर पर कार्यरत लगभग सभी उद्यमीयता विकास संस्थान/केन्द्र, अल्पावधि में ही उद्यमीयता विकास संबंधी क्रियाकलापों को उल्लेखनीय रूप से, सक्रिय बनाने में सफल रहे हैं। संबंधित राज्यों में उद्यमीयता विकास से संबद्ध सभी मामलों में उन्हें 'नोडल एजेंसी' भी बनाया गया है। इन संस्थानों/केन्द्रों के नियंत्रक-निकायों में अपने नामितियों के माध्यम से भाऔविबैं का यह प्रयास रहा है, कि उनकी संगठनात्मक समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त, उन्हें सार्थक दिशानिर्देश एवं प्रतिबोध प्रदान किया जाए। राज्य स्तरीय संस्थानों/केन्द्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए तथा संबंधित राज्यों में इन संस्थानों एवं केन्द्रों को व्यवहार्य एवं जीवंत संगठन बनाने के लिए भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान (ईडीआईआई) की सेवाओं का उपयोग भी किया जा रहा है।

प्रबंध विकास के लिए सहायता

3.19 प्रबंध विकास के क्षेत्र में भाऔविबैं का योगदान मुख्यत: इसके द्वारा 1973 में प्रायोजित **प्रबंध विकास संस्थान (एमडीआई)** के माध्यम से जारी रहा। इस संस्थान का उद्देश्य, उद्योग और बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत प्रबंधकों की प्रबंधकीय योग्यताओं और दक्षताओं को विकसित और सुदृढ़ करना है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रबंध विकास संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में 63 प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 21 कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम, 26 आन्तरिक (इन-कम्पनी) प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक प्रायोजित कार्यक्रम तथा 17 विकास बैंकिंग-उन्मुख कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले भागीदारों की संख्या 1,197 रही। अंतर-राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र के तत्वाधान में प्रबंध विकास संस्थान द्वारा आयोजित निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेखन पर कार्यशाला में बंगलादेश, चीन, मलयेशिया, म्यनामार (भूतपूर्व बर्मा), नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, न्यू गिनी, फिलिपीन्स, पश्चिमी समोआ, आदि, अनेक देशों से सरकारी तथा निजी क्षेत्र के भागीदारों ने भाग लिया। 31 मार्च, 1991 तक समग्र रूप से प्रबंध विकास संस्थान ने 1,081 प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिनमें 24,969 भागीदारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और इनमें से 542 अन्य विकासशील देशों के थे।

3.20 प्रबंध विकास संस्थान द्वारा 1988 में शुरू किए गए 15 माह के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम का, प्रबंध विकास संस्थान के कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। यह कार्यक्रम, चार भारतीय प्रबंध संस्थानों तथा जेवियर श्रमिक संबंध संस्थान (एक्स.एल.आर.आई.), जमशेदपुर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार के कार्मिक विभाग की निरन्तर सहायता से कार्यरत राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अधिकारियों की प्रतिभा एवं कार्यक्षमता को तराशना है, ताकि वे परिवर्तन के सूत्रधार की भूमिका निभा सकें और विकास की प्रक्रिया के प्रति मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धता के लिए समान विचार वाले प्रबंधकों को एक केन्द्रक के रूप में सज्ज कर सकें। वर्ष के दौरान, प्रबंध विकास संस्थान ने द्वितीय राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया, तथा तृतीय राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम आरम्भ किया।

3.21 अनुसंधान के क्षेत्र में प्रबंध विकास संस्थान ने 'एप्पल' अनुसंधान परियोजना नामक अनुसंधान परियोजना का प्रथम चरण पूरा किया। राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा राज्य औद्योगिक निवेश निगमों की भूमिका सहित संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं का अध्ययन भी पूरा किया गया। वर्ष के अंत में, प्रबंध विकास संस्थान जिन क्षेत्रों में अध्ययन कर रहा था, वे थे (क) जन संसाधन विकास पद्धतियां, (ख) प्रबंध-शिक्षा, (ग) भारतीय प्रबंधन की शैलियां, (घ) वृत्तिक समितियों की समस्या, प्रणाली और सामाजिक सहायता, तथा (ङ) अचल परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यन की प्रथा एवं उसके वित्तीय पहलू। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधकीय सलाहकारी सेवाओं के क्षेत्र में तथा अर्ध-चालित (सेमी कंडक्टर) इकाइयों के संगठनात्मक स्वरूप के अध्ययन में प्रबंध विकास संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति भी अच्छी रही।

3.22 वर्ष 1990-91 के दौरान प्रबंध विकास संस्थान को भाऔविबैं की सामान्य निधियों से 5 लाख रुपए के वार्षिक अंशदान के अतिरिक्त, भाऔविबैं ने 74.76 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। 31 मार्च, 1991 तक समग्र रूप से भाऔविबैं द्वारा हितकारी आरक्षित निधि और ब्याज-अंतरण निधियों से 1.114.78 लाख रुपए और अपनी सामान्य निधियों से 90 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रबंध विकास संस्थान को उपलब्ध कराई जा चुकी थी।

ग्रामीण विकास और उससे संबंधित क्रियाकलापों के लिए सहायता

3.23 भाऔविबैं ग्रामीण विकास के लिए पहले भी विभिन्न ग्रामीण विकासात्मक कार्यकलापों में अपने अंशदान के द्वारा अल्प वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। परन्तु संस्थानात्मक वित्त के क्षेत्र में मुख्यतः स्वैच्छिक अभिकरणों और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने हेतु समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सर्वप्रथम भाऔविबैं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण एवं पूर्णतः नवीन प्रयास **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (राग्राविनि)** की स्थापना था, जिसकी निकाय निधि में भाऔविबैं ने 2 करोड़ रुपए और इसके प्रारम्भिक और स्थापना खर्चों के लिए 5 लाख रुपए अंशदान के रूप में दिए। अभी तक भारतीय स्वैच्छिक अभिकरणों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों अथवा स्थानीय धर्मार्थ न्यासों से ही सहायता प्राप्त होती थी। विगत काल में कभी-कभी कुछ सुस्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों को वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों से भी कुछ अनुदान प्राप्त करने में सफलता मिलती रही थी, परन्तु सही परिप्रेक्ष्य में दीर्घकालीन आधार पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई अभिकरण नहीं था। भाऔविबैं द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि स्वैच्छिक कार्य के प्रोत्साहन के लिए संस्थानात्मक क्षेत्र में एक नया कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन गवाहाटी में दिनांक 21 अप्रैल, 1990 को समिति के रूप में पंजीकृत एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी निर्धनों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना, उनका उन्नयन, उन्हें सहायता प्रदान करना और उनका विकास करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि का मुख्य कार्य उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों को वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना, ग्रामीण, आर्थिक और सामाजिक रूप से अशक्त समूहों के लोगों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए लोगों द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रोत्साहित करना एवं सहायता क्षेत्रों का अभिनिर्धारण तथा निर्धनों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में लगे स्वैच्छिक अभिकरणों और गैर-सरकार संगठनों को सहायता देना है।

3.24 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि का प्रबंध एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसके सदस्य सामाजिक कार्य के लिए समर्पित प्रमुख व्यक्ति हैं, और जिसके अध्यक्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री एस. एस. पाटिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की कार्य योजना अपने प्रारम्भिक चरण में अभी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम तक ही सीमित है। अपने प्रथम परिचालन वर्ष के दौरान ही राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की 25 स्वैच्छिक एजेंसियों को लगभग 44.44 लाख रुपए के वसूलनीय और गैर-वसूलनीय अनुदान मंजूर किए, जिनमें से 31 मार्च, 1991 तक लगभग 12 लाख रुपए का संवितरण किया जा चुका था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की भूमिका का महत्व देखते हुए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी इसके कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। आशा है कि आगामी वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि देशभर में ग्रामीण विकास और सामाजिक उत्थान कार्यों में लगी हुई स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले एक राष्ट्रीय संस्थान/अभिकरण की भूमिका में उभर कर आएगी।

जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के लिए सहायता

(क) जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड

3.25 भाऔविबैं द्वारा जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के लिए सहायता प्रदान करने का माध्यम, वर्ष 1976 में भाऔविबैं द्वारा प्रवर्तित पूर्ववर्ती जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के उत्तराधिकारी के रूप में **जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड (जोपूप्रौविनि)** बना रहा।

3.26 जोखिम पूंजी के क्षेत्र में जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि., ने 1990-91 के दौरान, 27 मध्यम आकार की परियोजनाओं के प्रथम पीढ़ी के 37 उद्यमियों को 319 लाख रुपये की सहायता मंजूर की। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं या तो नई प्रौद्योगिकी पर अथवा नए उत्पादों या नए उपयोगों पर आधारित थीं। 1976 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के प्रारम्भ होने से 31 मार्च, 1991 तक जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि., प्रथम पीढ़ी के 360 उद्यमियों को उनकी 219 मध्यम और बड़े आकार की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए संचयी रूप से 2,821.73 लाख रुपये की सहायता मंजूर कर चुका था। इन मंजूरियों में से 2,439.73 लाख रुपए के संवितरण किए जा चुके थे, जिनमें से वर्ष 1990-91 में किए गए संवितरण 264.50 लाख रुपये के थे।

3.27 अपनी प्रौद्योगिकी वित्त एवं विकास योजना के अन्तर्गत जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि., ने, वर्ष के दौरान, उच्च जोखिम प्रौद्योगिकी-उन्मुख 14 परियोजनाओं को ऋणों और उद्यम पूंजी के रूप में कुल मिलाकर 935.25 लाख रुपये की सहायता मंजूर की। संचयी रूप से जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि., 31 मार्च, 1991 तक अपनी प्रौद्योगिकी विकास योजना के अंतर्गत 25 प्रौद्योगिकी उन्मुख परियोजनाओं को 1,535.10 लाख रुपये की सहायता

मंजूर कर चुका था । इन मंजूरियों में से 535.65 लाख रुपये का संवितरण किया जा चुका था, जिसमें से 464.05 लाख रुपए का संवितरण वर्ष 1990-91 में ही किया गया । परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान संवितरणों के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दृष्टिगोचर हुई ।

3.28 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि., के परिचालनों में एक जोखिम पूंजी निधि स्थापित करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, प्रस्तावित 30 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि की औपचारिकताओं को अन्तिम रूप देने के प्रयास किये गये । प्रस्तावित जोखिम पूंजी निधि, जिसका प्रबन्ध जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि., द्वारा किया जाएगा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजना के रूप में चलाया जाएगा । इसका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक लाभप्रद उद्यमों को उद्यम पूंजी प्रदान करना होगा, जिनमें नए उत्पाद/प्रौद्योगिकी/सेवाएं शामिल हों, अथवा जिनका लक्ष्य शानी या नए बाजार बनाना हो । निधि में से निवेश उन्हीं उद्यमों के लिए किए जाएंगे, जिनमें अर्थव्यवस्था में औसत से अधिक मूल्यों का योगदान करने की संभाव्यता एवं क्षमता हो। योजना के अन्तर्गत विचार किए जाने वाले प्रस्तावों में ऐसी प्रौद्योगिकीय नवीनताएं शामिल होनी चाहिए, जिनमें गुणवत्ता उन्नयन, ऊर्जा खपत में कमी, लागत में कमी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, विद्यमान उत्पादों/प्रक्रियाओं के निर्यात में वृद्धि तथा आयातित प्रौद्योगिकी/प्रक्रियाओं/उत्पादों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल और/अथवा देशी स्रोतों से बनाने के लिए उन्हें ग्रहण करने/आशोधन करने आदि की बात सम्मिलित हो । सिद्धान्त रूप में सहमति हो गयी है, कि निधि के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा भाऔविनि द्वारा अंशदान किए जाएंगे। जोखिम पूंजी निधि के परिचालन जुलाई, 1991 में शुरू किए जाने की संभावना है ।

3.29 अब तक, जोपूंप्रौविनि को समग्र वित्तीय सहायता भाऔविनि द्वारा उपलब्ध करवाई गई है । 31 मार्च, 1991 तक भाऔविनि. जोपूंप्रौविनि को ब्याज सहित ऋणों की व्यवस्था के अतिरिक्त अपनी हितकारी आरक्षित निधि तथा ब्याज अन्तरजन्य निधियों में से 1,963.23 लाख रुपये की राशि संवितरित कर चुका था । अपनी सामान्य निधि में से भी, भाऔविनि ने जोपूंप्रौविनि को इसकी शेयर पूंजी के लिये भी 500 लाख रुपये का अभिदान किया था ।

(ख) इंडस-वेंचर मैनेजमेंट कम्पनी लि.

3.30 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने इंडस जोखिम पूंजी निधि की शेयर पूंजी में 100 लाख रुपये की सीमा तक हिस्सेदारी के लिए भी सहमति प्रदान की, जिसका संचालन इंडस-वेंचर मैनेजमेंट कं. लि., द्वारा किया जा रहा है । इंडस-वेंचर मैनेजमेंट क. लि., एक संरक्षक कम्पनी है जो हिन्दुस्तान लीवर लि., के भतपूर्व अध्यक्ष (1973–1980) श्री टी. थामस, तथा, मफतलाल द्वारा प्रवर्तित की गयी है । जोखिम पूंजी निधि में भागीदारी के लिए सहमत अन्य भागीदार हैं—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, औद्योगिक निवेश ट्रस्ट, आई.एफ.सी. वाशिंगटन, एशियाई विकास बैंक, डच बैंक, बैंक आफ टोक्यो, एफ. एम. ओ., हालैण्ड और आगा खां निधि । प्रस्तावित इंडस जोखिम पूंजी निधि का उद्देश्य भारत में लघु/मध्यम आकार के नए उद्यमों में उद्यमियों को इक्विटी पूंजी सहायता उपलब्ध करवाना तथा सक्रिय भागीदारी द्वारा प्रबन्धन सहायता एवं वाणिज्यिक रूप से आकर्षक प्रतिलाभ, विशेष रूप से दीर्घावधि पूंजी लाभ, उपलब्ध कराना है ।

पर्यटन, पर्यटन सम्बन्धी कार्यों, सुविधाओं और सेवाओं के लिए सहायता

3.31 पर्यटन वित्त के लिए भाऔविनि की सहायता (क) पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं में भाऔविनि के प्रत्यक्षतः सम्मिलित होने, तथा (ख) 1989 में अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों एवं कुछ बैंकों के साथ मिलकर भाऔविनि द्वारा प्रायोजित **भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.**, को प्रदत्त सहायता के रूप में जारी रही ।

3.32 भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि., ने अपने परिचालन के दूसरे वर्ष में 55 परियोजनाओं को 84.98 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की, जिनमें होटल और रेस्तरां परियोजनाओं के अतिरिक्त, मनोरंजन पार्कों, किराये पर उपलब्ध कराने के लिए कार एजेंसियों, अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए नौकाओं, सफारी पार्कों, रज्जु मार्गों, सांस्कृतिक केन्द्रों, पर्यटक इम्पोरियमों, आदि, से संबंधित परियोजनाएं भी शामिल हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि., ने 39.22 करोड़ रुपये के संवितरण किए, जो पिछले वर्ष के संवितरणों से 207.4% की वृद्धि दर्शाते हैं ।

3.33 भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि., के परिचालनों की एक मुख्य बात यह है कि 31 मार्च, 1991 तक इसके द्वारा वित्तपोषित 94 परियोजनाओं में से 37 परियोजनाएं ऐसी थीं, जो पर्यटन के क्षेत्र में पहली बार कदम रखने वाले नए उद्यमियों द्वारा स्थापित की गई । भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि., द्वारा 31 मार्च, 1991 तक वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए 531.43 करोड़ रुपये के कुल निवेश संसाधन जुटाये जाने की संभावना है, और उम्मीद है, कि इन से 11,433 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा ।

पूंजी बाजार के विकास से सम्बन्धित एजेंसियों के लिए सहायता

(क) निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेंसी

3.34 भारतीय मुद्रा बाजार के पर्याप्त उदार होने तथा निगमित क्षेत्र द्वारा संसाधन जुटाने के लिए परम्परागत अवसरों का सहारा लेने के बजाय अधिकाधिक पूंजी बाजार में प्रवेश करने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की, एक अन्य ऐसी व्यावसायिक एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई, जो औद्योगिक संस्थाओं तथा समग्रतः ऋणियों/पूंजी जुटाने वालों के उधार दायित्वों के साख मूल्यांकन को निर्धारित कर सके । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔविनि को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, द्वारा एक और निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेंसी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई । प्रथम एजेंसी के रूप में भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लि., पहले ही से है । तदनुसार, एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में **भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेंसी लि., (इकरा)** नामक एक कम्पनी 16 जनवरी, 1991 को संस्थापित की गई जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये है । भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेंसी लि., की प्रारम्भिक प्रदत्त शेयर पूंजी 3.50 करोड़ रुपये होगी, जिसके लिए भाऔविनि, भायूट्र, जीबीनि, साबिनि, गृविनिनि इनफ्रास्टरकचरल

जंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज, भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों ने, जिसमें कुछ विदेशी बैंक भी शामिल हैं, प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। इकरा को ; मार्च, 1991 को कारोबार शुरू करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त चुका है, तथा आशा है, कि जुलाई 1991 से यह पूर्णतः स्चालनरत हो जायेगी।

) ओटीसी एक्सचेंज आफ इण्डिया

3.35 वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, कम्पनी अधि-यम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में 25 तम्बर, 1990 को प्रथम ओटीसी एक्सचेंज आफ इण्डिया ल., (ओटीसीइआई) की संस्थापना की थी। भारतीय यूनिट स्ट तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ल., द्वारा अन्य संस्थानों, पारस्परिक निधियों और बैंकों के साथ मिलकर प्रवर्तित किए गए ओटीसीइआई का उद्देश्य भारत में आवर-दि-काउटर बाजार का सृजन करना है, ताकि लघु एवं मध्यम आकार की कम्पनियों को बाजार से पूंजी जुटाने एवं उनके साधनों को तरलता प्रदान करने के लिए सहायता दी जा सके। ओटीसीइआई को 15 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के रूप में कार्य करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। ओटीसीइआई भारत की लिमिटेड कम्पनियों द्वारा निर्गमित किसी प्रकार की प्रति-भूतियों के व्यापार का, जन हित में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में व्यापार की जा रही प्रतिभूतियों को छोड़कर, संवर्धन सहा-यता, विनियम तथा नियंत्रण कर सकती है। इससे यह भी आशा की जाती है कि यह प्रतिभूतियों को खरीद-फरोख्त करने वाले निवे-शकों के संरक्षण के लिए निधि का सृजन, देख-रेख तथा प्रबन्ध भी करेगी। ओटीसीइआई की प्रारम्भिक प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपये है, जिसके लिए भायूट्र, भाऔसानिनि, भाऔविबैंक, भास्टेबैंक, पूंजी बाजार, भाऔविनि, जीबीनि, साबीनि तथा कैनबैंक ने अंशदान किया है। मार्च, 1991 के अन्त में ओटीसीइआई अपनी उप-विधियों को अंतिम रूप प्रदान करने तथा अपने क्रियाकलापों के लिए औपचारिकताओं का नियमन करने में लगी थी।

आवास विकास एवं वित्त के लिए सहायता

3.36 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि., तथा भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा स्थापित साधारण बीमा निगम गृह वित्त लि., में भाऔविनि की भागीदारी का उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने आन्ध्र बैंक द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित आवास वित्त सहायक कम्पनी की प्रारम्भिक पूंजी में, कम्पनी की 10 करोड़ रुपये की प्रस्तावित प्रदत्त पूंजी के 5% की सीमा तक, अंशदान करने के लिए सिद्धांत रूप में अपनी सहमति व्यक्त की। आन्ध्र बैंक की प्रस्तावित आवास वित्त सहायक कम्पनी मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश की तथा पड़ोसी राज्यों, यथा, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश की भी आवास ऋण आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

बायो-टैक्नोलाजी के विकास के लिए सहायता

3.37 बायो-टैक्नोलाजी, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अनुप्रयोग का वह अग्रिम क्षेत्र है, जिसे (1) स्वास्थ्य और पशु-पालन देख-भाल अर्थात् वेक्सीन, इन्जाइम और प्रतिरक्षक-निदान का सम्-प्रयोग और (2) कृषि/ग्रामीण अनुप्रयोगों अर्थात् टिशू कल्चर, बायो-कीटनाशकों, बायो-उर्वरकों आदि के मामलों में पर्याप्त महत्व प्राप्त हो चुका है। बायो-टैक्नोलाजी के क्षेत्र में समाज द्वारा प्रयोज्य उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं के विकास के लिए सुवि-धाओं के प्रवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए वित्तीय संस्थानों ने भारत सरकार के अनुमोदन से 14 सितम्बर, 1990 को **बायोटैक कन्सोर्शियम (इण्डिया) लि.**, नामक कम्पनी की, संस्थापना की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जोखिम पूंजी कम्पनी के रूप में कार्य करने वाली इस नई कम्पनी के उद्देश्य हैं: वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ उद्योगों, उद्यमियों तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ परस्पर सम्बन्ध विक-सित करना, उत्पाद और प्रक्रिया विकास के लिए राष्ट्रीय सुवि-धाओं की लिंकिंग तथा उन्हें लागू करना, और, बायो-टैक्नोलाजी पर आधारित व्यवहार्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में व्यवहार्यतापूर्व रिपोर्ट एवं परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना। कम्पनी की वर्तमान 5 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भाऔविनि, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि., द्वारा अभिदान किया गया है, जिसमें भाऔविनि का अभिदान एक करोड़ रुपये का रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता

3.38 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, रांची (बिहार), बम्बई (महाराष्ट्र), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), कानपुर (उत्तर प्रदेश), मैसूर (कर्नाटक), लुधियाना (पंजाब) तथा भोपाल (मध्य प्रदेश) में सात विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों (स्टेप) के लिए निधियां जुटाने में भाऔविनि की भागीदारी का उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़कपुर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क आई. आई. टी. (के)-स्टेप को 25 लाख रुपये तक की निधि सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमति व्यक्त की। आई.आई.टी. (के)-स्टेप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमियों को उनके स्वयं के औद्योगिक उद्यम स्थापित करने में सहायता देने तथा उद्योग एवं आई.आई.टी. को लाभदायक सम्पर्क हेतु परस्पर मिलाने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। यह प्रायोगिक संयत्रों/बेंच स्केल पर नई एवं प्रमाणित प्रौद्योगिकी से नवीन विचार प्राप्त करने के लिए मूल अवस्थापना सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। आई.आई.टी. (के) सक्रिय रूप में सम्मिलित होने से यह आशा की जाती है, कि वह आई.आई.टी. (के)-स्टेप, आस-पास की औद्योगिक इकाइयों तथा प्रायोजित उद्यमियों के प्रयोग के लिए परिष्कृत मशीन औजारों, विश्लेषक और परीक्षण उपकरण, कंप्यूटरों और अर्ध-औद्योगिक संसाधकों का एक पूल बनाने में समर्थ होगा। आई.आई.टी. (के)-स्टेप के मुख्य क्षेत्र इलैक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन, इंजी-नियरिंग और परिणामोत्तर प्रौद्योगिकी होंगे।

3.39 यद्यपि, बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी-स्टेप (बी.आई.टी.-स्टेप), रांची (बिहार) के सिवाय, वित्तपोषित स्टेप्स की परियोजनाएं वर्ष के दौरान क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में थीं, सभी स्टेप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्य तथा उद्यमीयता विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे। 31 मार्च, 1991 तक अनुदान के रूप में स्टेप्स को भाऔविनि द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि सहायता 34.28 लाख रुपये रही, जिसमें से 15.87 लाख रुपये वर्ष 1990-91 में प्रदान किए गए।

अनुसंधान तथा अनुसंधान-उन्मुख गतिविधियों के लिए सहायता

(क) भाऔविबैंक पीठें

3.40 औद्योगिक प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध, औद्योगिक वित्त, क्षेत्रीय अर्थ-व्यवस्था और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भाऔविबैंक ने छः पीठों की स्थापना की है, जो हैं—भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी तथा मद्रास विश्वविद्यालयों में एक-एक ।

3.41 वर्ष के दौरान, 18 दिसम्बर, 1990 को गुवाहाटी विश्वविद्यालय में प्रा. पी. सी. गास्थामी द्वारा "राज्य क्षेत्र में वित्तीय संसाधन एवं आर्थिक विकास : असम में एक अध्ययन" विषय पर भाऔविबैंक सार्वजनिक व्याख्यान दिया गया। यद्यपि कलकत्ता और दिल्ली विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद को पीठें वर्ष भर रिक्तावस्था में रहीं, तथापि, बम्बई, मद्रास और गुवाहाटी विश्वविद्यालयों में भाऔविबैंक पीठों के अधीन विकास एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य जारी रहा।

3.42 अहमदाबाद और दिल्ली की पीठों को भाऔविबैंक की सहायता-वृत्ति अनुदान के रूप में तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गुवाहाटी की पीठों को वार्षिक अनुदान के रूप में दी जाती रही है। वर्ष के दौरान भाऔविबैंक द्वारा संवितरित अनुदान की राशि 5.21 लाख रुपये थी । मार्च, 1991 के अन्त तक इन पीठों को सहायता-वृत्ति तथा अनुदान के रूप में 37.46 लाख रुपए की कुल निधि-सहायता दी जा चुकी थी।

(ख) भाऔविबैंक अनुसंधान छात्रवृत्तियां

3.43 वर्ष के दौरान, भाऔविबैंक ने अनुसंधान छात्रवृत्तियों की अपनी योजना को भाऔविबैंक पीठों से अलग करके उन्हें नया रूप प्रदान किया। नई योजना के अन्तर्गत, विकास बैंकिंग, उद्यमीयता विकास, उद्यमों का प्रबन्ध, श्रम-प्रबन्ध, पर्यटन एवं सम्बन्धी क्रियाकलापों का प्रबन्ध, वित्तीय सेवाओं का प्रबन्ध, निवेश विश्लेषण, पोर्टफोलियो प्रबन्ध, परिसम्पत्तियों और देयताओं का प्रबन्ध, आदि, से सम्बन्धित क्षेत्रों में डाक्टरेट डिग्री के लिए अनुसंधान के लिए भारत में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में रजिस्टर्ड पात्र प्रत्याशियों को चार छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी हैं । इन छात्रवृत्तियों की अवधि तीन वर्ष है, जिनके लिए 5,000/- रुपए के प्रासंगिक अनुदान सहित तीन वर्ष तक का अनुसंधान कार्य जल्दी पूरा होने पर कम समय के लिए अनुसंधान फैलो को 2,400/- रुपए प्रति माह की अदायगी किये जाने का प्रावधान है। जुलाई, 1991 से आरम्भ होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से नवीन योजना के चालू होने की संभावना है।

(ग) अन्य अनुसंधान-उन्मुख संगठनों को सहायता

3.44 वर्ष के दौरान, इण्डियन इकानामिक एसोसिएशन, पालिसी ग्रुप, इंस्टीट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डवलपमेंट, इण्डियन काउन्सिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल इकानामिक रिलेशन्स तथा प्रोफेशनल एसिस्टेन्ट फार डवलपमेन्ट एक्शन (प्रदान) को सहायता प्रदान की गई, ताकि ये संगठन अपने अनुसंधान-उन्मुख कार्यकलापों को बढ़ा सकें। वर्ष के दौरान, इन संस्थाओं को दी गई सहायता 20.20 लाख रुपए रही। पालिसी ग्रुप ने, वर्ष के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था के वृहत-अर्थमिति माडल के निर्माण के लिए पहले कदम के रूप में, "कम्प्रहेन्सिव डाटा बेस आफ दि इण्डियन इकोनामी" नामक एक पुस्तक दो खण्डों में प्रकाशित की।

प्रभाव

3.45 भाऔविबैंक की प्रवर्तन सेवाओं का प्रभाव, विशेष रूप से, ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र, स्व-नियोजन उपायों तथा उद्यमीयता विकास के सम्बन्ध में उल्लेखनीय रहा है। उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को भाऔविबैंक जैसे संस्थानों की सहायता ने इस परिकल्पना का खण्डन कर दिया है, कि उद्यमी जन्म-जात होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। आज सैकड़ों योग्य युवा, उद्यमीयता और उद्यम निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से 'रोजगार पाने वालों' से 'रोजगार प्रदान करने वाले' की स्थिति में आ गए हैं। उद्योग में प्रबन्ध-व्यवसायीकरण भी धीरे-धीरे जड़ पकड़ रहा है। उद्यमीयता आधार विस्तृत हो रहा है। प्रौद्योगिक आधार में उन्नयन प्रारम्भ हो गया है। लघुतम औद्योगिक इकाई स्तर तक परामर्श-संस्कार पहुंच चुके हैं। विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन की गति में वृद्धि हो गयी है। विकास बैंकिंग की सुविधा अब केवल दीर्घावधि ऋण-प्रदाता के रूप तक ही सीमित नहीं रह गई है। जोखिम पूंजी, प्रौद्योगिकी वित्त, पर्यटन वित्त, आवास वित्त, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा विज्ञान पार्कों आदि को वित्तीय सहायता, संभाव्यता तथा विश्वास दोनों ही को परिलक्षित कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में इन सभी तथा अनेक अन्य गुणात्मक उपलब्धियों से देश के विकास-वित्तीय संस्थानों द्वारा, जिनमें से भाऔविबैंक एक है, और सब में सबसे पहले का है, किए जा रहे उत्प्रेरक परिचालनों एवं प्रवर्तनात्मक कार्यों का प्रतिबोध उल्लेखनीय सीमा तक प्रतिबिम्बित होता है।

4. आन्तरिक मामले

निदेशक बोर्ड

4.01 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की बारह बैठकें हुईं, जिनमें से ग्यारह नई दिल्ली में तथा एक हैदराबाद में हुई।

4.2 कुछ परिवर्तन निर्वाचित तथा नामित निदेशकों में भी, वर्ष के दौरान, भाऔविबैंक के बोर्ड पर हुए। 29 जून, 1990 को हुई 42वीं वार्षिक महासभा में श्री वी. अटल तथा श्री जे. एस. वाष्णेय के स्थान पर क्रमशः श्री एम. एन. गोइपी, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, तथा श्री राशिद जिलानी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक को अनुसूचित बैंकों की श्रेणियों में आने वाले शेयरधारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाऔविबैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया। श्री बी. डी. शाह तथा श्री एस. एस. कदम को भी (क) बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों तथा इसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों, और (ख) सहकारी बैंकों की श्रेणियों में आने वाले शेयरधारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाऔविबैंक के निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया। बाद में, 4 जनवरी, 1991 को हुई एक विशेष महासभा में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध निदेशक, श्री के. पी. नरसिम्हन को उनके पूर्ववर्ती निदेशक, अर्थात्, श्री एम. जी. दीवान, जिन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत होने के फलस्वरूप भाऔविबैंक के निदेशक बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया था, की अवधि के असमाप्त भाग (अर्थात् 29 सितम्बर, 1991 तक) के लिए बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों तथा इसी

प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाआवित्रि के निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया।

4.03 नामित निदेशकों की श्रेणी में केन्द्र सरकार ने 17 जुलाई, 1990 से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग में संयुक्त सचिव डा. पी. जे. नायक को श्री एम. सी. सत्यवादी के स्थान पर भाआवित्रि के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया।

4.04 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड श्री वी. अटल, श्री जे. एस. वार्ष्णेय, श्री एम. जी. दीवान और श्री एम. सी. सत्यवादी को निदेशक के रूप में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के साथ सम्बद्ध रहने के दौरान उनके द्वारा की गई उपयोगी और बहुमूल्य सेवाओं के प्रति अपनी परम आदर भावना व्यक्त करता है।

4.05 बोर्ड ने डा. बी. के. मदान के 4 अक्तूबर 1990 को हुए निधन पर भी शोक प्रस्ताव पारित किया। श्री मदान दिसम्बर, 1959 से जून, 1964 तक भाआवित्रि के निदेशक तथा भाआवित्रि द्वारा प्रवर्तित दो संगठनों, अर्थात् प्रबन्ध विकास संस्थान तथा मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लिमिटेड के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे।

4.06 भाआवित्रि परिवार ने श्री एन. डी. नांगिया के, जो मार्च, 1967 से मई, 1970 की अवधि में भाआवित्रि के अध्यक्ष थे, दिनांक 10 दिसम्बर, 1990 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट किया।

सलाहकारों के तदर्थ समूह

4.07 वर्ष के दौरान, अस्पतालों, इलेक्ट्रानिक्स तथा फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रस्तावों पर विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने के लिए भाआवित्रि के सलाहकारों के तदर्थ समूह की चार बैठकें हुईं।

अन्तर-संस्थानात्मक तथा राज्य-स्तरीय समन्वय

4.08 अन्तर-संस्थानात्मक बैठकों (अ. सं. बै.), वरिष्ठ विधिक कार्यपालक बैठकों (व. का. बै.), वरिष्ठ विधिक कार्यपालक बैठकों (व. वि. का. बै.) तथा क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकों (क्षे. का. बै.) के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय बनाए रखा गया। 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान 11 अन्तर-संस्थानात्मक बैठकें, 24 वरिष्ठ कार्यपालक बैठकें, 6 वरिष्ठ आयोजित की गईं। इनके अतिरिक्त प्रवर्तन क्रियाकलापों विधिक कार्यपालक बैठकें तथा 21 क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकें के क्षेत्र में भी अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय स्थिर रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ कार्यपालक की दो बैठकें आयोजित की गईं।

4.09 राज्य स्तर पर भाआवित्रि के क्षेत्रीय/शाखा/अन्य कार्यालयों के प्रधानों ने राज्य स्तरीय समन्वय समितियों तथा राज्य स्तरीय अन्य मंचों की विभिन्न बैठकों में भाग लिया, तथा समन्वय बनाए रखा। वर्ष के दौरान भाआवित्रि की राज्य सलाहकारी समितियों की भी दो बैठकें—एक आन्ध्र प्रदेश में तथा एक हरियाणा में आयोजित की गईं।

विदेशी एजेंसियों से विचार विनिमय

4.10 भाआवित्रि ने विदेशों के अनेक विकास वित्तीय संस्थानों (वि.वस) तथा विश्व बाजार में कार्यरत अन्तरराष्ट्रीय बैंकों के साथ निरन्तर घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा। उनके अनेक उच्चाधिकारियों ने भाआवित्रि का दौरा किया, और भारतीय वित्तीय पद्धति, भारत में निवेश के अवसर एवं पारस्परिक हित से सम्बन्धित अन्य मामलों के बारे में विचार-विमर्श किया। भाआवित्रि ने क्रेदितांस्तल्त-फर-वांइडरफबउ (के. एफ. डब्ल्यू.), एशियाई विकास बैंक (ए वि. बैंक) तथा इंटरनेशनल बैंक फार रिकन्सट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट (अर्थात् विश्व बैंक) के दलों से अत्यन्त लाभदायक विचार-विमर्श किए।

4.11 भाआवित्रि के अध्यक्ष श्री डी. एन. डावर ने 6 से 12 मई, 1990 तक एशिया एवं प्रशान्त के विकास वित्तीय संस्थानों के संघ के 13 वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलयेशिया की यात्रा की, तथा उन्होंने सिंगापुर में पारस्परिक हितों के विषयों पर वहां के बैंकों तथा विदेशी संस्थानों के कार्यपालकों के साथ विचार-विमर्श किया। श्री एस. के. जैन, महाप्रबन्धक, 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सुविधा के लिए, एजेंट, मन्दा बैंक लिमिटेड से एक ऋण करार पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 15 जुलाई, 1990 से 18 जुलाई, 1990 तक हांगकांग की यात्रा पर गए। श्री दीन दयाल, उप महाप्रबन्धक ने भी राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन द्वारा प्रायोजित यूनाइटेड किंगडम में उद्यम पूंजी संगठन विषयक अध्ययन पाठ्यक्रम में दिनांक 1 मई, 1990 से 12 मई, 1990 तक भाग लिया।

13वां भाआवित्रि रजत जयन्ती स्मारक व्याख्यान

4.12 "विकास की अग्रणी भूमिका में एशिया का संपोषण: 1990 के दशक में चुनौतियां तथा अवसर" विषय पर एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष श्री किमीमासा तारुमिजु ने दिनांक 5 मई, 1990 को भाआवित्रि का तेरहवां रजत जयन्ती स्मारक व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में काफी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, और इसकी अध्यक्षता हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री एच. टी. पारिख ने की।

संगठनात्मक गतिविधियां

4.13 भाआवित्रि क्रमिक रूप से कार्य के विकेन्द्रीकरण और अपने कार्यालयों तथा विभिन्न विभागों के प्रधानों को प्राधिकारों के प्रत्यायोजन की अपनी नीति पर अमल करता रहा।

4.14 प्रशिक्षण, प्रबन्ध सूचना पद्धति, अभिलेखों की माइक्रो-फिल्मिंग सहित अभिलेखों के रख-रखाव, जड़-सम्पत्ति का अर्जन एवं विक्रय, कंप्यूटरीकरण, अशक्तता लाभ, स्टाफ कल्याण, पुस्तकालय आदि से सम्बद्ध विषयों की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनकी देखरेख के लिए गठित भाआवित्रि के कार्मिकों की विभिन्न समितियां भाआवित्रि के क्रियाकलापों से संबंधित क्षेत्रों में पहले की ही भांति संतोषजनक ढंग से कार्य करती रहीं। सामरिक-नीति निर्धारित करने के साथ-साथ कार्यान्वयन योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने के उद्देश्य से जुलाई, 1990 में भाआवित्रि के वरिष्ठ कार्यपालकों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

कार्मिक

4.15 मार्च, 1991 के अंत तक भाऔविनि में कार्मिकों (क्षेत्रीय, शाखा और अन्य कार्यालयों के स्टाफ सहित) की कुल संख्या 1,160 थी। मार्च, 1991 के अंत तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 183, 36 और 16 थी। उक्त तारीख तक महिला कर्मचारियों की संख्या 185 थी।

4.16 वर्ष के दौरान, भारत सरकार के अनुमोदन से भाऔविनि के अधिकारियों के वेतनमानों और भत्तों में संशोधन किया गया। इसी प्रकार कर्मकार स्टाफ के वेतनमानों और भत्तों में संशोधन के सम्बन्ध में भाऔविनि और अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक 5 सितम्बर, 1990 को हस्ताक्षर किए गए। वेतनमानों में उक्त संशोधन पूर्व-प्रभावी रूप में दिनांक पहली नवम्बर, 1987 से लागू किये गये, जिससे समस्त अधिकारी एवं कर्मकार स्टाफ लाभान्वित हुए।

मानव संसाधन विकास

4.17 मानव संसाधन विकास पर, संचालन समिति (प्रशिक्षण) द्वारा, जिसके अध्यक्ष महोदय स्वयं प्रधान हैं, समग्र दिशा-निर्देश और पथ-प्रदर्शन सहित, पहले की ही भांति अधिकाधीक ध्यान दिया जाता रहा। आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान संगठन में उत्पादकता बढ़ाने के समय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य-दक्षता में वृद्धि के अतिरिक्त अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने तथा उपयोगी कार्य-संस्कृति को बढ़ावा देने पर अधिकाधिक बल दिया गया। भाऔविनि में मुख्य क्रियाकलापों के कंप्यूटरीकरण के साथ-साथ पर्सनल कम्प्यूटरों के, जिनमें इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग विभाग द्वारा विकसित साफ्टवेयर एप्लिकेशनों का उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्रों पर विशेष बल दिया गया आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, अन्यमहत्व पूर्ण क्षेत्रों, जैसे विदेशी मुद्रा परिचालनों, वित्तीय सेवाओं के विपणन, आर्थिक एवं वित्तीय विश्लेषण, सम्पत्तियों और देयताओं के प्रबन्ध आदि को भी शामिल किया गया।

4.18 वर्ष के दौरान, विभिन्न अवधि के 79 आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 32 कार्यक्रम प्रधान कार्यालय में तथा 24 कार्यक्रम पटना प्रशिक्षण केन्द्र में, 19 कार्यक्रम बम्बई प्रशिक्षण केन्द्र में और 4 कार्यक्रम अन्य क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में कुल मिलाकर 197 दिन प्रयोग में लाए गए। आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों के कुल मिलाकर 1,192 भागीदारों को (कई कर्मचारियों ने एक से अधिक कार्यक्रम में भाग लिया) प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुषंगी कार्यक्रम के रूप में और अन्य संस्थानों के विद्वानों एवं शिक्षाविदों के साथ विचार-विनिमय के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबन्ध विकास के लिए भाऔविनि द्वारा प्रायोजित संगठन—प्रबन्ध विकास संस्थान सहित देश के अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्टाफ के 69 सदस्यों ने भाग लिया।

4.19 भाऔविनि में नौकरी के लिए आवेदन देने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी भाऔविनि सरकार के मार्ग-निर्देशों पर निरन्तर अमल करता रहा।

4.20 रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय की योजना के अधीन भाऔविनि ने वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के पांच अधिकारियों को अपने पुनर्स्थापन वित्त विभाग में कार्य एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराईं।

इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग तथा संप्रेषण प्रणाली

4.21 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भाऔविनि द्वारा प्रधान कार्यालय में यूनिक्स वातावरण में काम करने वाले आईबीएम आईएम-6040 मेनफ्रेम, ईएसपीएल मिनी सिस्टम, डाट मैट्रिक्स प्रिंटर्स और नेटवर्क-।। सहित पर्सनल कम्प्यूटर तथा भाऔविनि के सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में ईएसपीएल द्वारा सप्लाई किए गए पर्सनल कंप्यूटरों, डम्ब टर्मिनल्स, आदि, सहित मिनी सिस्टम्स स्थापित करने का उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, अधिकारियों को डेस्क स्तर पर कम्प्यूटिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, निगम के प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में डाट मैट्रिक्स प्रिंटर्स सहित 29 पर्सनल कम्प्यूटर लगाए गए अचानक बिजली चले जाने के कारण इस प्रणाली के डिस्क में उत्पन्न होने वाले अवरोध से बचने के लिए बीस मिनट की बैटरी पैकेज वाली यूपीएस प्रणाली भी समस्त स्थानों पर लगाई गई।

4.22 वर्ष के दौरान, यूनिक्स वातावरण में रुपया ऋण लेखांकन, सामान्य वित्तीय लेखांकन, विदेशी मुद्रा ऋण लेखांकन, परियोजना सूचना पद्धति के क्षेत्रों में विकसित एप्लिकेशन साफ्टवेयरों को प्रयोग करने वालों के लिए प्रणालियों को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न संकेत देकर उन्हें संशोधित किया गया, ताकि सम्बन्धित व्यक्ति अपेक्षाकृत और अधिक कारगर ढंग से इन पैकेजों का उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यों, अवकाश का हिसाब रखने, भर्ती आदि सहित व्यक्तिगत सूचना प्रणाली के पैकेजों का कार्यान्वयन, बैंक समाशोधन, चिकित्सा बिलों, यात्रा भत्ता बिलों, वित्तीय सेवाओं के लिए लेखांकन पद्धतियों तथा विदेशी मुद्रा संसाधनों तथा परिचालन विभाग के कार्यों के स्वचालन के लिए नए पैकेजों का विकास किया गया।

4.23 इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही, कि निगम के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कंप्यूटर पद्धतियों के नेटवर्क के बारे में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीएमसी लिमिटेड को ठेका दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रधान कार्यालय में यूनिक्स वातावरण में मल्टीयूजर्स मोड में काम करने वाली कंप्यूटरीकृत टेलेक्स पद्धति भी लगाई गई, जिसके माध्यम से इसके विभिन्न विभागों में स्थापित पर्सनल कंप्यूटर टर्मिनलों पर विभिन्न डेस्क अधिकारियों को सीधे ही टेलेक्स संदेश भेजने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त भाऔविनि के प्रधान कार्यालय तथा बंगलौर शाखा कार्यालय में कन्वेंशनल फैक्स मशीनों के अलावा पर्सनल कम्प्यूटर पर आधारित नवीनतम फैक्स सिस्टम भी स्थापित किए गए।

स्टाफ के लिए कल्याण कार्य

4.24 भाऔविनि के स्टाफ कल्याण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा, आवास एवं चिकित्सा सुविधाएं अनिवार्य संघटक बने रहे। स्टाफ कल्याण निधि, जिसमें वर्ष के दौरान वृद्धि की

गई, स्टाफ कल्याण की गतिविधियों का मूल आधार बनी रही। वर्ष के दौरान, स्टाफ कल्याण निधि के अंतर्गत प्रशासित निवर्तमान कल्याण योजनायें पुन: अतिरूपित की गई, और उनमें अनेक सुधार किए गए। यह 1 जनवरी 1991 से लागू कर दिए गए।

खेल-कूद और जन-कल्याण कार्यों हेतु अंशदान

4.25 वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए मद्रास में आयोजित राष्ट्रीय विशेष ओलिम्पिक खेल-कूद, 1991 की आयोजक समिति को 2 लाख रुपए का अंशदान दिया। स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सामुदायिक कल्याण कार्यों के लिए अदेही पब्लिक चैरिटेबल (एजुकेशनल) ट्रस्ट, बम्बई को 75,000/- रुपए का अंशदान दिया गया। इसी वर्ष अखिल भारतीय बधिर स्पोर्ट्स कौंसिल, नई दिल्ली, तथा इण्डियन एसोसिएशन आफ फिजीकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन, नई दिल्ली, को भी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करने हेतु अंशदान दिया गया।

अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह

4.26 भारत रत्न, बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर जन्म शताब्दी के अवसर पर, 1990-91 के वर्ष को देश भर में 'सामाजिक न्याय वर्ष' के रूप में मनाया गया। कृतज्ञ राष्ट्र ने भारतीय संविधान के शिल्पी, दलितों के मसीहा तथा समता एवं स्वतंत्रता के उन्नायक, डा. भीमराव अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह उपयुक्त रूप से मनाने का निर्णय लिया।

4.27 भाऔविनि ने वर्ष के दौरान डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधान कार्यालय सहित अपने विभिन्न क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में हिन्दी तथा अंग्रेजी निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। सामाजिक न्याय वर्ष के अवसर पर इस आशुनिबन्ध प्रतियोगिता का विषय था—''भारत के सामाजिक सुधार में डा. भीमराव अम्बेडकर का योगदान'', जिसकी घोषणा प्रतियोगिता के समय ही की गई। इन प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर स्टाफ के चवालिस सदस्यों ने (अधिकारियों सहित) भाग लिया, जिनमें से हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को अम्बेडकर शताब्दी समारोह के समापन उत्सवों के अवसर पर पुरस्कृत किया गया।

परिसर

4.28 वर्ष के दौरान, भाऔविनि के हैदराबाद और गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने परिसर में स्थानान्तरित हो गए। इस प्रकार अब भाऔविनि के 20 कार्यालयों में से 11 कार्यालय अपने-अपने भवनों में स्थित हैं।

4.29 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, भाऔविनि द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में एक भूखण्ड लिये जाने का उल्लेख किया गया था। ताकि इसके निगमित कार्यालय को, जो इस समय चार अलग-अलग स्थानों पर है, एक ही स्थान पर रखा जा सके। फरवरी, 1990 में जमीन के उक्त प्लाट के अधिग्रहण करने के पश्चात् एक 21-मंजिला कार्यालय परिसर हेतु नक्शे बनाने का काम आरम्भ किया गया और उसे पूरा किया गया। कार्यस्थल पर मिट्टी की खुदाई का काम आरम्भ हो चुका था।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

4.30 शासकीय कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में प्रगामी अभिवृद्धि के लिए, भारत सरकार की नीति के अनुरूप, भाऔविनि ने हिन्दी के प्रयोग को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को सुदृढ़ किया। इसके लिये वर्ष 1990-91 में एक कार्य योजना बनाई गई, और इसे कार्यान्वित किया गया। आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपिक में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से इस वर्ष हिन्दी आशुलिपि का विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया। जो अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखते थे, उनके लिए भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रदत्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित करने की विशेष व्यवस्था की गई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पहली बार भाऔविनि के कलकत्ता कार्यालय में हिन्दी की विशेष कक्षाएं आरम्भ की गई। भाऔविनि के अधिकारियों और स्टाफ को हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली और बम्बई में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें हिन्दी में उपयुक्त टिप्पण तथा प्रारूपण पर विशेष ध्यान दिया गया।

4.31 प्रधान कार्यालय सहित भाऔविनि के प्रत्येक क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हिन्दी के प्रयोग पर निरन्तर निगरानी रखती रहीं, और सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सुझाव देती रहीं। प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों पर हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों/प्रभागों में 'नोडल प्वाइंट' गठित किए गए। भाऔविनि के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय भारत के विभिन्न नगरों में गठित नगर-स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते रहे।

4.32 पहले की भांति, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी प्रशासन परिपत्र, परिचालन परिपत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञापन तथा सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किए गए। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए भाऔविनि के विभिन्न कार्यालयों में द्विभाषिक टेलेक्स, टाइपराइटर तथा पर्सनल कंप्यूटर लगाए गए।

4.33 भाऔविनि के प्रधान कार्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में हिन्दी दिवस मनाने हेतु विशेष समारोह आयोजित किए गए। इनमें सरकारी काम हिन्दी के प्रयोग पर संगोष्ठी, निबन्ध-प्रतियोगिताएं तथा हिन्दी में वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, तथा इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उपयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किए गए।

4.34 भाऔविनि ने सितम्बर, 1990 में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में भाऔविनि को उसके द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट हिन्दी प्रकाशनों के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। भाऔविनि ने केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया, तथा इसके दस कर्मचारियों को प्रशंसा-पत्र एवं सर्वोत्तम प्रविष्टि हेतु एक को नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ। भाऔविनि के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी को राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में इसके योगदान के लिए प्रसिद्ध असमी साहित्यकार विद्वान

एवं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डा. बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य के कर-कमलों से भारत सरकार की राजभाषा ट्राफी प्रदान की गई।

आभार

4.35 निदेशक बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों, भाऔविनि के शेयरधारियों, बांड-धारकों तथा जमाकर्ताओं, सहयोगी पूंजीगत-वित्त तथा मर्चेंट बैंकिंग संगठनों, विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य स्तर की विभिन्न वित्तीय एवं प्रवर्तन अभिकरणों, आदि, से प्राप्त सहायता, सहयोग और समर्थन के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है।

4.36 निदेशक बोर्ड भाऔविनि द्वारा विदेशों में स्थित विभिन्न वित्तीय संस्थानों, विशेष रूप से विश्व बैंक, आर्थिक विकास संस्थान, एशियाई विकास बैंक, एशिया एवं प्रशान्त के विकास वित्तीय संस्थानों के संघ, जर्मन गणराज्य के क्रीदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबउ और अनेकों विदेशी समवर्ती बैंकों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय के सदस्यों से प्राप्त निरन्तर सहयोग के लिए भी और अधिक आभारोक्ति प्रकट करता है।

4.37 निदेशक बोर्ड, निगम के सभी स्तर पर स्टाफ के समस्त सदस्यों द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निष्ठा एवं समर्पण भाव से की गई सेवाओं के लिए भी, उनकी सराहना अंकित करते हुए, प्रसन्नता व्यक्त करता है।

डी. एन. डावर
अध्यक्ष

परिशिष्ट-I

1990–91 के दौरान चुने हुए उद्योगों की विस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक हैं)

क्रम सं०	उत्पाद	माप इकाई	1990–91 में स्थापित क्षमता और उत्पादन					
			सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में			निगम की वित्तपोषित संस्थाओं के सम्बन्ध में		
			विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1990–91 में अनुमानित उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग	विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1990–91 में अनुमानित उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	चीनी	लाख टन	96.84 (401)	102.49*	105.83	14.4 (60)	12.14	84.31 —
2.	सूती धागा (मिल क्षेत्र)		7.70 मिलियन तकुए (770)	1459.07 मिलियन कि. ग्राम	—	6.00 मिलियन तकुए (160)	431.10 मिलियन कि. ग्राम	—
3.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)		2.81 लाख खड्डियां (281)	2594.24 मिलियन मीटर	—	0.48 लाख खड्डियां (58)	1211.4 मिलियन मीटर	—
4.	पटसन वस्त्र	लाख टन	17.00 (73)	14.25	83.82	0.52 (2)	0.36	69.23
5.	कागज और गत्ता	लाख टन	29.48 (305)	23.00	78.02	8.75 (29)	5.72	65.37

*[illegible] 22 अप्रैल, 1991 तक की अवधि का है।
अन्य उत्पादों के लिए उत्पादन आंकड़े अप्रैल 1990 से मार्च, 1991 के हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	रेयन पल्प	लाख टन	1.96 (5)	2.15	109.69	0.33 (1)	0.41	124.24
7.	अखबारी कागज	लाख टन	3.00 (5)	2.86	95.33	0.75 (1)	0.79	105.33
8.	प्लाईवुड	मिलियन वर्ग मी०	199.04 (61)	77.58	65.17	53.80 (5)	18.06	33.57
9.	सीमेंट	मिलियन टन	62.00 N.A.	48.70	78.55	46.34 (76)	39.72	83.56
10.	नाइट्रोजन उर्वरक	लाख टन	81.48 (47)	70.60	86.65	11.14 (4)	6.11	54.85
11.	फॉस्फेटिक उर्वरक	लाख टन	28.44 (20)	22.36	78.62	6.60 (10)	7.73	117.12
12.	कास्टिक सोडा	लाख टन	11.27 (40)	9.65	85.63	2.37 (8)	2.36	99.58
13.	सोडा एश	लाख टन	14.59 (7)	13.90	95.27	5.60 (4)	4.57	81.61
14.	कैल्शियम कार्बाइड	लाख टन	2.15 (7)	0.91	42.33	0.78 (3)	0.33	42.31
15.	एसिटिक एनहाइड्राइड	हजार टन	36.13 (13)	24.62	68.14	0.12 (1)	0.11	91.67
16.	एसिटिक एसिड	लाख टन	1.05 (21)	0.77	73.33	0.08 (2)	0.06	75.00
17.	कार्बन ब्लैक	लाख टन	1.80 (8)	1.17	65.00	1.07 (4)	0.58	54.21
18.	तरल क्लोरीन	लाख टन	5.85 (29)	3.39	57.95	1.52 (7)	0.98	64.47
19.	नायलोन फिलामेंट धागा	हजार टन	97.60 (13)	36.75	37.65	0.14 (5)	0.11	78.57
20.	नायलोन टायर कार्ड	हजार टन	30.13 .A.	40.56	134.6	0.12 (3)	0.13	108.33
21.	पालिएस्टर फिलामेंट धागा	हजार टन	173.52 (19)	167.71	96.65	2.21 (10)	1.98	89.59
22.	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर	हजार टन	230.06 (10)	125.85	54.70	0.25 (3)	0.19	76.00
23.	विस्कोस स्टेपल फाइबर	हजार टन	178.30 (4)	145.69	81.71	2.97 (3)	2.52	84.85
24.	ऑटो टायर	लाख संख्या	288.28 (24)	220.80	76.59	60.39 (8)	42.83	70.92
25.	ऑटो ट्यूबें	लाख संख्या	200.73 (26)	192.00	95.65	32.64 (4)	21.81	66.82

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26.	रबर गर्मीनिरोधक	मिलियन संख्या	1193.00 (5)	1039.00	87.1	808.00 (2)	720.00	89.11
27.	पुनर्प्रयोग की गई रबर	हजार टन	50.00 (14)	51.43	102.8	0.13 (2)	0.07	55.72
28.	खालों से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	106.68 (42)	65.48	61.38	6.20 (4)	4.41	71.13
29.	त्वचा से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	644.76 (65)	314.11	48.7	20.90 (3)	13.24	63.35
30.	कांच की शीटें	मिलियन वर्ग मी०	45.79 (9)	43.00	93.91	12.67 (4)	10.12	79.88
31.	फाइबर ग्लास	हजार टन	6.34 (5)	5.81	91.64	0.51 (2)	0.35	69.01
32.	कांच की बोतलें और विविध कांच का सामान	लाख टन	6.51 (27)	6.87	105.5	0.77 (2)	0.51	66.23
33.	कृत्रिम डिटर्जेंट	हजार टन	414.52 (23)	243.84	58.8	0.07 (1)	0.01	14.29
34.	साबुन	हजार टन	427.24 (53)	417.33	97.7	0.26 (1)	0.07	26.92
35.	फैटी एसिड	हजार टन	210.65 (25)	152.46	72.4	0.10 (1)	0.05	50.00
36.	ग्लिसरीन	हजार टन	40.58 (23)	20.14	49.69	0.18 (1)	0.01	16.11
37.	रिफ्रेक्ट्रीज	लाख संख्या	16.00 (71)	11.20	70.00	2.29 (8)	1.62	70.74
38.	सिरेमिक टाइल्स	लाख टन	3.65 (23)	3.52	96.44	1.34 (4)	0.84	62.69
39.	विस्फोटक	हजार टन	230.00 (22)	128.36	55.81	0.26 (3)	0.14	53.85
40.	आक्सीजन	एससीएम	226.03 (190)	169.42	74.95	149.87 (5)	99.84	66.62
41.	घड़ियां	मिलियन संख्या	183.80 (16)	128.97	70.17	8.88 (2)	16.36	184.23
42.	बिक्री योग्य स्टील	लाख टन	116.70 (6)	120.40	103.17	22.39 (3)	20.36	90.93
43.	स्टील इंगोट्स/बिल्लेट्स	लाख टन	56.31 (173)	48.54	86.20	21.46 (24)	14.58	67.94
44.	स्टील गढ़ाई	लाख टन	4.21 (85)	1.99	47.27	1.05 (8)	0.88	95.24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45.	स्टील ढलाई	लाख टन	3.13 (90)	2.48	79.2	0.64 (7)	0.51	79.69
46.	शीत कृत इस्पात पत्तियां	लाख टन	15.00 (57)	5.70	38.00	2.67 (11)	1.68	62.92
47.	स्पौन्ज आयरन	लाख टन	6.00 (5)	4.20	70.00	3.30 (2)	2.47	74.85
48.	दुपहिये	लाख संख्या	32.00 (24)	16.87	52.72	29.50 (4)	27.76	94.10
49.	वाणिज्यिक वाहन	लाख संख्या	2.64 (13)	1.76	66.67	1.90 (4)	0.54	28.42
50.	कारें	लाख संख्या	2.16 (5)	2.12	98.15	0.60 (1)	0.30	50.00
51.	वी० बेल्ट्स	लाख संख्या	185.00 (20)	146.90	79.4	12.00 (1)	11.92	99.30
52.	कन्वेयर बेल्ट्स	हजार टन	9.00 (9)	16.47	183.0	2.38 (1)	2.68	112.60
53.	जी०एल०एस० लेम्प्स	मिलियन संख्या	343.00 (20)	305.63	89.11	61.76 (9)	51.31	83.08
54.	फ्लोरेसेन्ट ट्यूबें	मिलियन संख्या	777.00 (18)	683.92	88.02	5.00 (1)	4.88	97.60
55.	पॉवर एवं वितरण ट्रांसफार्मर्स	मिलियन किलोवाट्स	44.28 (32)	40.20	90.79	10.10 (3)	6.09	60.30
56.	इलैक्ट्रिकल पंख	लाख संख्या	76.00 (17)	49.26	64.82	3.00 (1)	1.23	41.00
57.	डीजल इंजिन	हजार संख्या	336.00 (34)	269.38	80.17	50.56 (7)	24.06	47.59
58.	ट्रैक्टर	हजार संख्या	126.10 (20)	134.83	106.92	0.71 (2)	0.76	107.04
59.	पावर टिलर्स	हजार संख्या	16.00 (5)	5.50	34.37	0.05 (1)	0.03	60.00
60.	होटल	लाख संख्या@	160.00 (694)	107.43	67.14	10.97 (20)	7.96	72.56

@ कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमशः किराये के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है ।

परिशिष्ट-II

1990-91 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार एवं विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

(करोड़ रुपये)

उद्योग	परियोजनाएं	कुल पूंजी लागत	संभावित प्रत्यक्ष रोजगार	उत्पाद मूल्य	सकल मूल्य वृद्धि	क्षमता प्रतिवर्ष
	सं०	रु०	सं०	रु०	रु०	
1	2	3	4	5	6	7
चीनी	22	605.59	12,317	575.88	163.64	9.74 लाख टन चीनी
खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग	14	172.87	2,266	353.03	109.79	45,000 टन सोयाबीन की प्रोसेसिंग, 15,000 टन पशु चारे की प्रोसेसिंग, 99.6 मिलियन शीतल पेय बोतलों की बोतलबंदी, 6,000 टन नूडल्स, 19,800 टन वनस्पति, 9,000 टन आम का रस, 24,000 टन अपरिष्कृत खाद्य तेल का परिशोधन, 3,370 टन आलू के चिप्स, 5,616 टन गेंहूं की भूसी से निर्मित उत्पाद, 2000 टन शीतल पेय रस, 7,380 टन टमाटर पेस्ट, 2,880 टन फल सब्जी उत्पाद, 800 टन मशरूम की प्रोसेसिंग, 26 लाख कबाब तैयार करना एवं उनकी प्रोसेसिंग करना, 72,200 टन फलों तथा 4,000 टन एकवा (मछली) खाद्य की प्रोसेसिंग
वस्त्र	29	368.97	5,611	402.36	136.38	1.94 लाख तकुए, 1,128 रोटर्स, 172 करघे, 79.42 लाख मीटर कपड़ा, 5,136 टन फिलामेंट यार्न की टेक्सचराईजिंग तथा 404.9 लाख मीटर कपड़े की प्रोसेसिंग ।
कागज एवं कागज उत्पाद	7	103.53	1,236	86.05	32.41	18,975 टन लिखाई एवं छपाई कागज, 20,130 टन क्राफ्ट पेपर, 8,250 टन कोटिड कागज, 6,000 टन डुप्लेक्स/ ट्रिप्लेक्स बोर्ड, 4,950 टन इलैक्ट्रिकल ग्रेड इंसुलेशन स्पेशेलिटी कागज तथा 240 लाख लेमिनेटिड कम्पोजिट कंटेनर्स ।
उर्वरक	1	12.95	24	20.49	7.47	66,000 टन सिंगल सुपर फास्फेट ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रसायन एवं रसायन उत्पाद	44	956.41	4,857	791.12	309.99	38,000 टन सल्फ्यूरिक एसिड, 6,000 टन फूड ग्रेड फास्फोरिक एसिड, 1,000 टन एंटीमनी ट्राईआक्साइड, 4,200 टन एसीटिक एंहाईड्राइड, 3,960 टन आक्सलिक एसिड, 5,300 टन एलिफेटिक-अमाइंस, 6,000 टन एसीटिक एसिड, 3,900 टन वेटानेपेथोनॉल, 720 टन एमिनो एसिड, 6,000 टन एसीटलडिहाइड, 3,100 टन इथाइल एसिटेट 5,500 टन साइंट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेड, 58.55 लाख घन मीटर आक्सीजन गैस, 99 लाख लिटर औद्योगिक अल्कोहल, 66,000 टन चावल भूसी/सोयाबीन, आदि की प्रोसेसिंग, 53,000 टन एथिलीन आक्साइड मोनोथिलीन ग्लाइकोल, 1,000 टन निकल केटेलिस्ट, 3,300 टन पोटेशियम क्लोरेट, 3,400 टन ओर्थो नाईट्रोक्लोरोबेंजीन, 5,250 टन पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजिन, 2,355 टन डिस्पर्स डाइयां, 1,000 टन एमुलशन विस्फोटक, 300 टन अल्फा फिनाइल ग्लाईसीन आधारित नमक, 604 टन दवाइयां, 350 टन वैट डाइयां, 24,000 टन फेथेलिक एन्हाइड्राइड, 1,845 टन रियेक्टिव डाइयां, 195 टन 6 एपीए एवं 7 एडीसीए, 250 टन इलैक्ट्रोप्लेटिंग रसायन, 9,000 टन कंडक्टिव ग्रेड ब्लैक कार्बन, 1,800 टन बेंजॉइक एसिड, 1,800 टन सोडियम बेंजोनेट, 1,000 टन कैम्फर, 36,000 टन लिग्नोसल्फोनेट, 1,000 टन एक्रीलिक बाइंडर्स, 10,000 टन सिन्थेटिक रूटाइल, 132 लाख बोतलें इंट्रावीनस, फ्लुइड, ओरल पोलियों की दवाई की 100 मिलियन खुराकें, पोलट्री टीके की 274.5 मिलियन खुराकें तथा 30,000 टन डिटर्जेंट बार तथा पाउडर।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कृत्रिम रेशे	6	684.80	2,152	538.95	301.34	10,200 टन पोलिएस्टर चिप्स, 18,150 टन पी० ओ० वाई०, 25,000 टन विशिष्ट पोलिएस्टर फिलामेंट धागा, 9,524 टन पोलिएस्टर/पोलीप्रोपीलीन फिलामेंट धागा ।
कृत्रिम रेसिन्स एवं प्लास्टिक उत्पाद	17	1485.98	1,450	985.76	475.67	5,000 टन स्टाइरीन एकीलोनाइट्राइल 30,000 टन इसोबुटिलीन इसोप्रीम रबड़ 3.20 लाख टन इथोलिन, 1.55 लाख टन प्रोपीलीन, 0.49 लाख टन बुटाडाइन, 5.18 मिलियन थर्मोप्लास्टिक जूतों के सोल, 2.50 मिलियन थर्मोसेट जूतों के सोल, 2,500 टन पीवीसी पाइप एवं फिटिंग्स 2,000 टन मल्टीलेयर शीटें, 2,500 टन इंजेक्शन मोल्डिड मदें, 5,000 टन स्पन बोंडिंग बिना बुने फेबिक्स, 6,000 टन कास्ट पोलिएस्टर मोल्डिड उत्पाद, 300 टन सिंथाई तंत्र, 3,000 टन पीवीसी रिजिड फोम शीटें, 700 टन मोल्डिड उत्पाद, 600 टन पोलीस्ट्रीन शीटें तथा 300 टन स्पेनडेक्स धागा ।
रबड़ उत्पाद	4	22.20	525	26.79	12.94	6,000 टन टायर ट्रीड्स, 600 टन कोल्ड क्यूरिंग कुशन, प्रोफीलक्टिक्स के 250 मिलियन पीस ।
कांच एवं कांच उत्पाद	3	298.74	723	176.96	124.69	25 मिलियन वर्ग मीटर फ्लोट ग्लास, 68 मिलियन जीएलएस ग्लास शैल तथा 3,200 टन कांच उत्पाद ।
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	8	767.78	1,167	406.19	240.48	32.42 लाख टन सीमेंट तथा 9,000 टन सीमेंट की चादरें ।
विविध अधातु खनिज उत्पाद	16	161.71	2,328	144.65	75.77	26,000 टन फर्श/दीवार की सेरेमिक टाइलें, 7,500 टन रेसिन बोंडिड रॉकवूल, 3.92 लाख वर्गमीटर ग्रेनाइट स्लैब, 25,000 वर्ग मीटर ग्रेनाइट मोन्यूमेंट्स, 4.54 लाख वर्ग मीटर ग्रेनाइट टाइलें, 3.61 लाख वर्ग मीटर संगमरमर की टाइलें, 1.05 लाख वर्ग मीटर ग्रेनाइट पैनल्स तथा 1,920 टन कंटीन्यूअस कास्टिंग रिफ्रेक्टरीज ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लोहा एवं इस्पात	25	2,270.55	6,423	2,092.40	760.89	3.75 लाख टन पिग आयरन, 5.13 लाख टन स्पंज आयरन, 50,000 टन स्टेनलेस स्टील, 27,100 टन स्टील फोजिंग्स, 2.60 लाख टन हाट/कोल्ड रॉल्ड कायल्स, 48,400 टन स्टील इन्गोट्स, 97,000 टन कार्बन एवं एलॉय स्टील सीमलेस ट्यूब्स, 15,280 टन स्टील कास्टिंग्स, 1.5 लाख टन कार्बन एलॉय एवं स्पेशल स्टील रॉड्स, 3 लाख टन वायर रॉड्स एवं स्ट्रक्चरल स्टील तथा 10,700 टन स्टील की तारें।
मशीनरी एवं उपांग	10	110.54	1,704	264.29	77.31	5.4 मिलियन बॉल/स्फेरीकल/टेपर रोलर/सिलिंडरीकल बियरिंग, 12.4 लाख बायमेटल बियरिंग तथा बुश, 2,000 लाख नीडल रोलर्स, 80 लाख नीडल केजिस एवं बुश, 6 सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न स्पिनिंग लाइंस, 20 ड्रा टेक्सचराइजिंग मशीनें, 60 टू फार वम ट्विस्टर, 12 मल्टीलेयर ब्लॉन फिल्म लाइंस, 2 लाख एंड मिल्स, 48 ट्विस्ट ड्रिल्स, 15,000 टन एयर कंडीशनर्स तथा 4.5 लाख रेफ्रिजरेटर्स।
इलैक्ट्रिकल मशीनरी :	6	79.31	705	93.61	35.03	4 लाख सिकुड़ने वाले रेपराउंड केबल स्लीव्स, 30 लाख मिनिएचर सरकट ब्रेकर्स, सोलर फोटो वाल्टिक मोडयूल्स/सिस्टम्स 3 मेगावाट क्षमता तक, 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले थिन फिल्म अमोर्फस सिलिकॉन फोटो वाल्टिक मोडयूल्स, 4 जी एल एस चेनें, 2 एफटीएल चेन तथा 325 किलोमीटर्स हाई टेंशन एक्सएलपीई केबल्स।
इलैक्ट्रानिक उपस्कर	13	217.92	2,471	305.72	109.16	500 हाई फ्रीक्वेन्सी कम्युनिकेशन सेट, 35,000 वर्ग मीटर पीसी बी, 4,000 वर्ग मीटर मल्टी-लेयर पीसीबी, 12,370 मिलियन रनिंग मीटर वीडियो टेप, 3,500 टन ग्लास पोस्सी क्लैड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						लेमिनेट्स, 10,000 वाशिंग मशीनें, 50,000 कंप्यूटर की-बोर्ड, 24 मिलियन मैकेनिकल कांटेक्ट की-स्विच, 12,500 इमेज इंटेंसीफायर ट्यूबें, 18,750 पावर सप्लाई यूनिटें, 30,000 लाइनें इंटीग्रेटिड लोकल एंड ट्रंक एक्सचेंज, 3 लाख मोनोक्रोम कंप्यूटर मानिटर ट्यूबें, 100 मिलियन अल्युमिनियम इलैक्ट्रोलिटिक केपेसिटर्स एवं 2,000 टन इलैक्ट्रानिक ग्रेड कॉपर क्लैड लेमिनेट्स ।
परिवहन उपस्कर	9	69.82	1,483	78.83	32.62	2,000 टू-व्हीलर स्कूटर्स, 9 लाख डैश बोर्ड, 33,000 क्रैंक शाफ्ट, 40,000 रियर एक्सल शाफ्ट, 2,500 क्राउन व्हील एवं स्पीडर किटें, 85,000 फ्रंट फार्क, 645 टन प्रीसिशियन मेटेलिक सिंक्रपंरग, 250 टन ओटोमोटिव ट्रांसमिशन गियर्स, 5 मिलियन पिस्टन रिंग तथा 7.9 लाख प्रोपेलर शाफ्ट कम्पोनेंट्स ।
धातु उत्पाद	6	40.35	902	50 00	22.23	1,335 टन टेंसिल फास्टनर्स, 7.25 मिलियन सेरेमिक कोटिंग आफ कटिंग टूल्स, 37.5 मिलियन होजरी नीटिंग नीडल, 35 लाख दर्जन स्टील कटलरी तथा 1,152 मिलियन बाल प्वाइंट पैन टिप ।
अलौह धातु	3	101.45	398	206.29	37.81	3,000 कापर इनेमल्ड वायर, 3,000 टन एल्युमिनियम एलॉय, 30,000 टन एल्युमिनियम पाउडर तथा 2,800 टन इलैक्ट्रालिटिक जिंक ।
होटल एवं पर्यटन	33	187.51	4,806	103.12	76.12	2,541 कमरे
अस्पताल	9	110.60	2,464	60.78	43.76	1,184 बिस्तर
प्राकृतिक गैस	2	29.00	380	40.70	14.04	3.46 लाख घन मीटर प्राकृतिक गैस का वितरण ।
अन्य	6	71.52	680	46.72	32.06	
कुल	293	8930.10	57,072	7840.69	3231.60	

परिशिष्ट-III

भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति 1990–91 (अप्रैल-मार्च)

(करोड़ रुपये)

वित्तपोषण प्रवृत्ति	नई परियोजनाएं	विस्तार/विशाखन परियोजनाएं	आधुनिकीकरण परियोजनाएं	पुनर्स्थापन, सन्तुलन उपस्कर आदि के लिए सहायता	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परियोजनाओं की संख्या	223	70	177	218	688
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
I. प्रवर्तक योगदान :					
—शेयर पूंजी	727.62	51.10	27.70	26.53	832.95
	(9.6)	(3.8)	(1.4)	(2.2)	(6.9)
—अप्रतिभूत गौण ऋण	31.06	8.79	22.32	25.75	87.92
	(0.4)	(0.6)	(1.1)	(2.2)	(0.7)
—आंतरिक प्रोद्भूत, आदि	361.68	197.35	293.82	156.51	1,009.36
	(4.8)	(14.5)	(14.7)	(13.1)	(8.3)
II. दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात् भाऔविनि, भाऔवि बैंक, भाऔसामिनि, एवं भाऔपु बैंक द्वारा सहायता :					
—ऋण तथा अग्रिम	3,404.13	748.37	1,145.40	766.32	6,064.22
	(45.0)	(55.0)	(57.4)	(64.2)	(50.0)
—इक्विटी सहायता	343.45	15.01	14.32	7.37	380.15
	(4.5)	(1.1)	(0.7)	(0.6)	(3.2)
III. निवेश संस्थानों अर्थात् जीबीनि, साबीनि और भायूट्र द्वारा सहायता :					
—ऋण तथा अग्रिम	138.52	62.65	71.19	23.12	295.48
	(1.8)	(4.6)	(3.6)	(1.9)	(2.4)
—इक्विटी सहायता	70.00	0.25	7.77	2.50	80.52
	(0.9)	(—)	(0.4)	(0.2)	(0.7)
IV. बैंकों द्वारा सहायता					
—दीर्घकालीन ऋण	352.14	24.51	28.99	33.46	439.10
	(4.6)	(1.8)	(1.5)	(2.8)	(3.6)
—इक्विटी सहायता	656.56	39.39	1.35	9.10	706.40
	(8.7)	(2.9)	(0.1)	(0.8)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V. राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा सहायता :						
—दीर्घकालीन वित्त		17.76	3.50	3.00	3.71	27.97
		(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.2)
—इक्विटी सहायता		66.39	0.16	2.63	0.21	69.39
		(0.9)	(—)	(0.1)	(Negl.)	(0.6)
VI. अधिकारिक निर्गम		890.15	171.10	182.35	126.86	1,370.46
		(11.8)	(12.6)	(9.1)	(10.6)	(11.3)
VII. आस्थगित अदायगियां		164.50	6.90	—	1.12	172.52
		(2.2)	(0.5)	—	(0.1)	(1.4)
VIII. विदेशी संस्थानों से ऋण		256.46	15.56	62.35	—	334.37
		(3.4)	(1.1)	(3.1)	—	(2.8)
IX. अन्य		87.86	17.18	132.32	11.47	248.83
		(1.2)	(1.3)	(6.6)	(1.0)	(2.1)
जोड़		7,568.28	1,361.82	1,995.51	1,194.03	12,119.64
		(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.00)

टिप्पणियां : 1. इक्विटी सहायता में हामीदारियां एवं प्रत्यक्ष अभिदान सम्मिलित है ।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

3. उपरोक्त में अभिव्यय को पूरा करने तथा वित्तीय सेवाओं के मामले (उपस्कर वित्त को छोड़कर) शामिल नहीं हैं ।

वार्षिक लेखे 1990-91

सेवा में

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी

हमने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 31 मार्च, 1991 के संलग्न तुलन-पत्र और निगम के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष की लेखों का लेखा-परीक्षण किया है, और शेयरधारियों को निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :—

1. तुलन-पत्र और लेखे, लेखा-पुस्तकों के साथ तालमेल में हैं ।

2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक पाए गए हैं ।

3. हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र और तुलन-पत्र पर दी गई लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट हैं, इसमें सभी सम्बन्धित जानकारी दी गई है तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है और इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता चलता है ।

लोढा एण्ड कम्पनी **सुंदर बंसल एण्ड कंपनी**

सनदी लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 5 जून, 1991

31 मार्च 1991 को तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 1991 को लाख रुपये	31 मार्च 1990 को लाख रुपये
परिसम्पत्तियां			
रोकड़ और बैंक शेष	1	6,637.33	4,680.23
वित्त-पोषित संस्थाओं में निवेश (लागत पर)	2	15,923.15	14,199 71
अन्य संस्थाओं में निवेश (लागत पर)	—	3,191.28	2,700.02
वित्त-पोषित संस्थाओ को ऋण	3	536,220.49	4,17,904.30
स्थिर परिसम्पत्तिया	4	18,105.20	11,536.07
अन्य सम्पत्तियां	5	59,671.65	39,547.40
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता (विलोम प्रविष्टि पर)	—	6,355.45	3,983 96
जोड़		6,49,104 35	4,94,551 69
देयताए और शेयरधारी निधि			
शेयर पूंजी	6	13,500.00	10,000.00
रिजर्व और आरक्षित निधिया	7	38,945.25	32,741.75
दीर्घकालीन ऋण	8	5,22,253.98	4,01,743.94
चालू देयताएं तथा व्यवस्थाए	9	61,963.31	43,910.53
निर्दिष्ट निधिया	10	3,086 56	2,171.51
स्वीकृतियो पर देयताए (विलोम प्रविष्टि पर)	—	9,355 45	3,983.96
जोड़		6,49,104 55	3,94,551.69

लेखांकन नीतिया और टिप्पणिया 17

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का भाग हैं ।

हरिश चन्द्र	एम० पी० बैनर्जी	डॉ० एन० दावर	एम० एन० गोईपोरिया	एन० एन० खान	बी० डी० शाह	एम० एम० कदम
महाप्रबन्धक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	एन० आर० कृष्णन्	पी० एल० करिहालू	के० पी० नरसिम्हन	डी० एम० पटेल

निदेशक

इसी तारीख की हमारी सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

नई दिल्ली : 5 जून, 1991

लोढ़ा एण्ड कम्पनी

सुमेर अग्रवाल एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
1	2	3	4
ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए घटाकर)	11	59,147 47	46,295.48
ऋणों की लागत	12	47,546 76	35,794.83
निवल ब्याज राजस्व		11,600.71	10,500.65
अन्य परिचालनों से आय	13	2,244.07	1,292.46
जोड़		13,844.78	11,793.11
कार्मिक व्यय	14	1,240.89	855.11
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस, आदि	—	4.14	2.91
किराया, अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास	15	1,675.81	1,147.63
अन्य व्यय	16	686.44	267.81
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि को अनुदान (वि० मु० वि० जो० वि)	—	—	500.00
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	—	5.00	5.00
कराधान के लिए व्यवस्था	—	2,424 87	2,270.00
		6,037.15	5,048.46
ऊपर लिखित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखा का भाग हैं ।			
समायोजन :			
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि		1,790.60	2,230 20
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि		4,074 00	3,000.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 ख के अधीन कर्मचारी कल्याण निधि		20.00	50.00
लाभांश		1,773.03	1,214.45
		7,897.63	6,744.65

हरिश्चन्द्र शर्मा महाप्रबन्धक | एस०पी०बैनर्जी कार्यपालक निदेशक | डी०एन०डावर अध्यक्ष | एम०एन०गोईपोरिया एन०आर०कृष्णन | एस०एच०खान पी०एल०करिहालू | बी०डी०शाह के०पी०नरसिम्हन | एस०एस०कदम डी०एस पटेल

निदेशक

हमी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

नई दिल्ली : 5 जून, 1991

लोढ़ा एण्ड कम्पनी
सुमेर अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

अनुसूची 1

रोकड़ और बैंक शेष

विवरण	31 मार्च 1991 को लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये
रोकड़ और बैंक शेष		
— हाथ में मकदी/टिकटें	1.29	1.67
— हाथ में वसूली हेतु प्रस्तुत चैक/ड्राफ्ट	961.08	604.29
भारत के बैंकों में शेष		
— चालू खातों में (टिप्पणी नं० 8 देखें)	4,745.40	2,618.65
— अल्पावधि जमा में	54.00	196.25
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
— चालू खातों में	701.85	633.31
— अल्पावधि जमा में	173.31	626.06
जोड़	6,637.33	4,680.23

अनुसूची 2

वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश (लागत पर)

विवरण	धारा के अन्तर्गत*			31 मार्च 1991 को लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये
	23(घ)	23(च)	23(झ)		
(i) इक्विटी शेयर	5,719.65	5,016.65	2,318.84	13,055.14	11,712.56
(ii) अधिमान शेयर	262.61	202.40	104.72	569.73	401.66
(iii) डिबेंचर	634.90	933.20	230.93	1,799.03	1,838.91
(iv) शेयरों और डिबेंचरोंपर आवेदन राशि	93.75	405.50	—	499.25	247.18
31 मार्च, 1991 का जोड़	6,710.91	6,5572.75	2,654.49	15,925.15	14,199.71
31 मार्च, 1991 का जोड़	6,645.41	5,252.91	2,301.39	14,199.71	
कथित निवेश					
— बही मूल्य				7,691.61	7,189.09
— बाजार मूल्य				28,803.02	18,670.55
अकथित निवेश उन निवेशों सहित जिनके लिए चालू दरें उपलब्ध नहीं हैं ।					
— बही मूल्य				7,732.29	6,763.44
— विश्लेषित मूल्य				3,708.41	3,822.06

* औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 से सम्बन्धित है ।

अनुसूची 3

वित्त-पोषित संस्थाओं को ऋण

(अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को घटाकर)

विवरण	31 मार्च, 1991 को लाख रुपए	31 मार्च 1990 को लाख रुपए
(i) भारतीय रुपयों में	4,23,048.28	3,38,875.78
(ii) विदेशी मुद्राओं में	1,13,177.21	79,028.52
जोड़	5,36,220.49	4,17,904.30

टिप्पणियां

(i) संस्थाओं द्वारा देय ऋण, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध	शून्य	शून्य
(ii) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	शून्य	शून्य
(iii) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज किस्तों की कुल अतिदेय राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हितबद्ध है।	शून्य	शून्य

अनुसूची 4

स्थिर परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च 1991 को		निवल मूल्य	
	मूल्य लागत लाख रुपए	संचित मूल्यह्रास लाख रुपए	31 मार्च 1991 को लाख रुपए	31 मार्च, 1990 को लाख रुपए
—फ्रीहोल्ड भूमि तथा भवन	1,444.46	257.57	1,186.89	1,033.94
—पट्टे पर भूमि तथा भवन	5,554.97	294.66	5,260.31	5,147.85
—फर्नीचर तथा फिटिंग	205.18	67.10	138.08	128.71
—कार्यालय उपस्कर कम्प्यूटर सहित	468.85	295.35	173.50	166.18
—बिजली के संस्थापन	169.44	71.08	98.36	39.66
—वाहन	20.14	15.92	4.22	6.27
—पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियां—संयंत्र एवं मशीनरी	12,395.45	2,421.28	9,974.17	3,494.78
उप जोड़	20,258.49	3,422.96	16,835.53	10,017.39
—पूंजीगत खर्चों के लिए अग्रिम	1,269.67	—	1,269.67	1,418.68
जोड़	21,528.16	3,422.96	18,105.20	11,536.07
31 मार्च, 1990 को	13,459.77	1,923.70	11,536.07	

अनुसूची 5 अन्य परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च 1991 को लाख रुपये	31 मार्च 1990 को लाख रुपये
प्रोद्भूत ब्याज, परन्तु देय नहीं	10,090.53	7,020.04
वित्तीय सेवा योजनाओं के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम	20,672.90	13,377.65
जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड को अग्रिम	1,035.60	860.10
हाउसिंग डैवलपमैंट कारपोरेशन लि० को अग्रिम	7,246.38	—
इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेनशियल सर्विसेज लि० को अग्रिम	2,717.39	—
कर्मचारियों को अग्रिम	289.45	250.42
कम्पनी जमा राशियां (आयकर पर सरचार्ज) योजना 1976/अन्य जमा राशियां	96.16	147.60
विनिमय अन्तर उचन्त खाता (निवल)	551.62	128.92
अग्रिम आयकर, स्रोत बिन्दु पर काटे गए कर सहित	5,500.43	7,641.38
अन्य परिसम्पत्तियां	11,471.19	10,121.29
जोड़	59,671.65	39,547.40

अनुसूची 6 शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये
1	2	3
अधिकृत :		
प्रत्येक पांच हजार रुपये के 5,00,000 शेयर	25,000.00	25,00,000
जारी और अभिदत्त :		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,85,000 शेयर (पिछले वर्ष 2,25,000) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन को पुनर्अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के संबंध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)	14,250.00	11,250.00
प्रदत्त :		
(i) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर	500.00	500.00
(ii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज)	200.00	200.00
(iii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपय के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज)	134.60	134.60
(iv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपए के 3,308 शेयर (चतुर्थ सीरीज)	165.40	165.40
(v) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवी सीरीज)	500.00	500.00
(vi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सीरीज)	250.00	250.00
(vii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 (सातवीं सीरीज)	250.00	250.00
(viii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपए के 10,000 शेयर (आठवीं सीरीज)	500.00	500.00
(ix) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (नौवीं सीरीज)	500.00	500.00

1	2	3
(x) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (दसवीं सीरीज)	1,000.00	1,00.000
(xi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (ग्यारहवीं सीरीज)	1,000.00	1,000.00
(xii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (बारहवीं सीरीज)	1,250.00	1,250.00
(xii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (तेरहवीं सीरीज)	1,250.00	1,250.00
(xiv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपय के 25,000 शेयर (चौदहवीं सीरीज)	1,250.00	1,250.00
(xv) पूर्णपया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपय के 50,000 शेयर (पन्द्रहवी सीरीज)	2,500.00	1,250.00
(xvi) प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 50,000 शेयर (सोलहवीं सीरीज) (रुपये 3750 राशि मांगी गई और प्रदत्त)	2,250 00	—
जोड़	13,500 00	10,000 00

अनुसूची 7 — रिजर्व और आरक्षित निधियां

विवरण	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि	14,643.11	12,852.51
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि	100.00	100.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि	351.61	251.08
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	22,503.11	18,429 11
क्रेडितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष अनुदान	1,347.42	1,109.05
जोड़ .	38,945.25	32,741.75

अनुसूची 8 — दीर्घकालीन ऋण

विवरण	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये
1	2	3
बांड (अप्रतिभूत-औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी—भार. सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त)		
(a) 6½% बांड	—	—
(b) 6¾% बांड	7,810.00	7,810.00
(c) 7¼% बांड	10,050.22	10,050.22
(d) 7½% बांड	10,995.00	10,995.00
(e) 8¼% बांड	7,975.00	7,975.00
(f) 8¾% बांड	8,004.80	8,004.80
(g) 9% बांड	19,701.00	19,701.00

1	2	3
(h) 9.75% बांड	32,269.13	32,269.13
(i) 11% बांड	69,548.00	69,548.00
(j) 11 5% बांड	1,23,602.00	83,602.00
(k) 7 6% बांड (येन मुद्रा)	6,382.98	5,497.53
(l) 6 9% बांड (येन मुद्रा)	7,092.20	5,497.53
(m) 6.3% बांड (येन मुद्रा)	7,092.20	5,497.53
	3,10,522.53	2,66,447.74
उधार		
(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	24,085.00	4,925.00
(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा (4) के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम व उसकी सहायक इकाईयो से	35,000.00	10,000.00
(ग) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अधीन भारत सरकार से	21.32	50.82
(घ) क्रदितास्तल्त–फर–बाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	1,146.76	1,033.65
(ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किए गए विदेशी बांडों से प्राप्त राशि में से विदेशी मुद्रा में	1,751.31	1,530.61
(च) विदेशी ऋण संस्थानों से विदेशी मुद्राओं में	1,49,727.06	1,17,756.12
जोड़	5,22,253.98	4,01,743.94

अनुसूची 9 चालू देयताएं और प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये
1	2	3
(क) चालू देयताएं		
भारतीय रिजर्व बैंक स अल्पावधि उधार (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत निगम द्वारा रु० 49 करोड़ के जारी किए गए बांडो से प्रत्याभूत)–पिछले वर्ष रु० 33.40 करोड़)	4,400.00	3,000.00
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अल्पावधि उधार (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अन्तर्गत निगम द्वारा जारी किए गए तदर्थ बांड से प्रत्याभूत)	—	10,000.00
फुटकर लेनदार	6,048.99	3,348.94
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नही		
(क) बांडो पर	7,964.80	7,171.85
(ख) सरकार स उधार	3.44	3.52
(ग) विदेशी ऋण संस्थानों से उधार	2,854.45	2,259.04

1	2	3
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार	1,697.37	777.01
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 की शर्तों के अनुसार जमा राशि	29,690.00	7,000.00
अग्रिम पावतियां	379.57	119.41
दावा न किया गया लाभांश	0.50	0.45
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप-ऋणियों को लौटाई जाने वाली राशि/भारत सरकार को देय राशि	1,938.45	1,573.71
(ङ) प्रावधान		
उचन्त में डाली गई राशियां		
(क) ब्याज	312.02	294.44
(ख) वचनबद्धता प्रभार	0.05	0.05
(ग) परासंगिक प्रभार	2.38	2.38
कराधान के लिए प्रावधान	4,898.97	7,145.27
लाभांश के लिए प्रावधान	1,773.04	1,214.46
जोड़ (ङ)	6,986.46	8,656.60
जोड़ (क)+(ङ)	61,963.31	43,910.53

अनुसूची 10 — निर्धारित निधि

विवरण	31 मार्च, 1991 को लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि	1,517.46	1,188.80
विशेष जूट विकास निधि	207.61	193.50
कर्मचारी कल्याण निधि	211.81	188.91
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि	1,149.68	600.30
जोड़	3,086.56	2,171.51

अनुसूची 11 — ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय

विवरण	31 मार्च, 1991 का समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1990 का समाप्त वर्ष लाख रुपये
ब्याज आय	50,845.33	41,225.31
अल्पावधि तथा अन्य जमा पर ब्याज	1,360.30	1,848.56
वचनबद्धता प्रभार तथा अप फ्रंट फीस	1,799.41	1,061.84
पट्टा किराया	3,611.73	1,960.00
स्थायी प्रभार	1,530.70	199.77
जोड़	59,147.47	46,295.48

अनुसूची 12 ऋणों की लागत

विवरण	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
बांडों और उधारों पर ब्याज	46,824.24	35,393.76
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधिपर ब्याज	102.66	61.03
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर बंधनबद्धता प्रभार	59.15	20.84
बांड जारी करने की लागत	560.71	319.20
जोड़	47,546.76	35,794.83

अनुसूची 13 अन्य परिचालनों से आय

विवरण	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
कारोबार सेवा शुल्क	544.06	398.80
लाभांश	576.48	431.86
निवेशों की बिक्री से लाभ	1,056.89	380.16
विविधआय	66.64	81.64
जोड़	2,244.07	1,292.46

अनुसूची 14 कार्मिक व्यय

विवरण	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
वेतन एवं भत्ते	1,177.29	805.32
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय	4.24	4.44
अन्य कार्मिक व्यय	59.36	45.35
जोड़	1,240.89	855.11

अनुसूची 15 किराया, रखरखाव तथा मूल्यह्रास

विवरण	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
किराया, कर, बीमा और रोशनी	196.71	183.48
मरम्मत एवं रखरखाव	78.56	83.97
स्थाई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	1,400.54	880.18
जोड़	1,675.81	1,147.63

अनुसूची 16 अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
लेखा परीक्षण शुल्क	1.55	1.55
यात्रा व विराम व्यय	51.70	48.12
संचार व्यय	73.29	64.76
मुद्रण, लेखन–सामग्री और विज्ञापन	57.47	56.71
निवेशों पर हानि	206.24	17.51
अन्य व्यय	296.19	79.16
जोड़	686.44	267.81

अनुसूची 17

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. संलग्न वित्तीय विवरण पिछली लागत आधार पर तैयार किए गए हैं । निम्नलिखित लेखांकन नीतियों का सुसंगत रूप से अनुपालन किया जा रहा है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो :—

2. **राजस्व महत्ता**

(क) ब्याज, वचनबद्धता प्रभारों, कमीशन आदि के रूप में आय का गणन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है, उन मामलों को छोड़कर, जिन मामलों में ऋणियों ने कतिपय निरन्तर चूकें की हों, क्योंकि ऐसे मामलों में वसूली की संभावना बहुत ही कम समझी जाती है । ऐसे मामलों में प्राप्ति आधार पर ही आय का गणन किया जाता है । जब ऋण करार के निष्पादित होने अथवा राशि प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की स्थिति हो, वचनबद्धता प्रभारों का आय के रूप में गणन उसी समय किया जाता है, सीमांतक शुल्क का गणन राशि प्राप्त होने पर ही किया जाता है ।

(ख) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय से आदेश प्राप्त किए हैं, उन ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज का गणन ऐसी राशियों के प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है ।

(ग) लाभांश आय का गणन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है ।

(घ) पट्टदेवार के साथ किए गए पट्टा करार में यथा-निर्दिष्ट वचनबद्धता की तारीख से पट्टाकृत परिसम्पत्तियों के किराए का गणन किया जाता है और इससे पहले मशीनरी संभरकों को दिए गए अग्रिमों और/अथवा इस प्रयोजन के लिए किए गए व्यय, यदि कोई हों, पर वित्तीय प्रभारों की वसूली की जाती है ।

3. निवेश

3.1 मूल्यांकन :

निवेश का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है । अभिदान/शेयरों/डिबेंचरों के न्यागमन, आदि के अन्तर्गत प्राप्त सीमांतक शुल्क या हामीदारी कमीशन का समायोजन इसी मूल्यांकन के अन्तर्गत किया जाता है ।

निवेशों के सकल बाजार

मूल्य/विभाज्य मूल्य के संदर्भ में बही-मूल्य की तुलना सार्वभौमिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है ।

3.2 लेन-देन :

(क) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 से सम्बन्धित खण्ड के अंतर्गत धारित निवेश की औसत लागत के आधार पर किया जाता है ।

(ख) अन्य स्वस्थ कम्पनियों, राष्ट्रीयकृत या परिसमापन कम्पनियों या नकारात्मक निवल मूल्य वाली कम्पनियों या उन कम्पनियों, जहां परिसम्पत्तियों की बिक्री होनी हो, के साथ विलयन किए जाने पर प्रस्तावित कम्पनियों के शेयरों के मूल्य में हानि, यदि कोई हो, का गणन उसके अन्तिम रूप से पता लगने/निर्धारित किए जाने पर किया जाता है ।

4. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(क) निम्नलिखित के शेष—

(1) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई अप्रयुक्त राशि को छोड़कर),

(2) उनमें से उप-ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण,

(3) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में शेष, और

(4) विदेशी मुद्रा में दी गई गारंटियों के संबंध में प्रासंगिक देयताओं की अभिव्यक्ति 31 मार्च, 1991 को प्रचलित तार अन्तरण विक्रय दरों के आधार पर भारतीय मुद्रा में की गई है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई विदेशी मुद्रा उधार की बकाया राशि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर उसके पास राशि रखने की तारीख से किया गया है । प्रत्येक ऋण के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होने के कारण हुए लाभ, यदि कोई हो, का गणन तभी किया जाता है, जब विदेशी साख संस्थानों को ऋण की पूरी अदायगी कर दी गई हो, और उन ऋणों में से वित्तपोषित संस्थाओं को दिए गए ऋण पूर्ण रूप से वसूल कर लिए गए हों । इस प्रकार के उतार-चढ़ाव से हुई हानि का, यदि कोई हो, तभी गणन किया जाता है, जब उसे ऋण का भुगतान कर दिया गया हो । इस दौरान :—

(1) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली और पुनर्भुगतान,

(2) वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा शेष का संपरिवर्तन, और,

(3) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों के परिचालन से संबंधित विनिमय अन्तर का गणन विनिमय अन्तर उचन्त खाते में किया जाता है । विनिमय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अंशदान को भी उक्त खाते में जमा किया जाता है ।

(ग) विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत उप-ऋणियों द्वारा मंजूर किए गए विदेशी मुद्रा ऋणों की शेष राशियों उनके संवितरण के समय प्रचलित दर पर रुपया समकक्ष में अभिव्यक्त की जाती है । उधारों की पुनर्अदायगी के समय विनिमय उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध में घाटे/आधिक्य को विनिमय जोखिम प्रबंध निधि से पूरा किया जाएगा । विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि में किसी प्रकार के घाटे या सरचार्ज की अदायगी या प्रतिपूर्ति भारत सरकार करेगी ।

5. स्थिर परिसम्पत्तियां

(क) स्थिर परिसम्पत्तियों का गणन उनकी मूल लागतों पर, मूल्य-ह्रास को घटाकर, किया जाता है ।

(ख) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्तियों के पट्टे की मूल अवधि पर या इन परिसम्पत्तियों से संबंधित आयकर मूल्य-ह्रास दरों के सम्बन्ध में निर्धारित पूर्ण वर्षों की संख्या पर, जो भी कम हो, परिवर्धन के माह से यथानुपात आधार पर सरल विधि से मूल्यह्रास किया जाता है ।

(ग) अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य पद्धति द्वारा किया जाता है (आयकर अधिनियम, 1961 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार) ।

6. कर्मचारी हित

बीमांकक आधार पर निर्धारित उपदान सम्बन्धी देयता का गणन किया गया है । उपदान के लिए अलग निधि का सृजन किया गया है, जो पूर्णतः निधिकृत है ।

7. पूर्व-अवधि समायोजन

कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सभी पूर्व-अवधि समायोजनों को, जिसमें वर्ष के दौरान निश्चित एवं निर्धारित समायोजन भी शामिल है, लेखे के संगत शीर्षों में गणन कर लिया गया है ।

(ख) लेखे का भाग टिप्पणियां

(कोष्ठकों में 31 मार्च, 1990 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े हैं)

1. निगम, तुलन-पत्र में दर्शायी गई देयताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित के संबंध में प्रासंगिक रूप से उत्तरदायी है :—

(क) बकाया हामीदारी संविदा (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (घ) के अधीन) 121.25 लाख रुपये (314.00 लाख रुपये),

(ख) निवेश के रूप में अंशतः प्रदत्त शेयरों/डिबेन्चरों के लिए आयातित राशि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 20, धारा 23 (घ) तथा धारा 23 (च) के अधीन), 2153.99 लाख रुपये (240.88 लाख रुपये), और

(ग) लगभग 3722.68 लाख रुपये (2202.55 लाख रुपये) (प्रदत्त निवल अग्रिम) के पूंजी लेखे पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित की जानी है ।

(घ) आयकर प्राधिकरण द्वारा की गई 231.00 लाख रुपए (191.37 लाख रुपए) के आयकर की मांग, जिसके लिए निगम/विभाग ने कुछ मामलों के संबंध में अपील/संदर्भ दायर कर रखे हैं ।

2. फुटकर लेनदारों में 1262.48 लाख रुपए (1361.78 लाख रुपये) की राशि उन बांडों से संबंधित है, जो परिपक्व हो गए हैं, किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है अथवा अदा नहीं किए गए हैं ।

3. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (घ) और 23 (च) के अधीन निवेशों में 213.53 लाख रुपये की राशि (432.78 लाख रुपये) जो कुछ कम्पनियों की शेयर पूंजी में निवेश की गई है और जिन्होंने या तो परिसमापन कर दिया है अथवा जो "रुग्ण" हैं और उनका स्वस्थ कम्पनियों के साथ विलीनीकरण का प्रस्ताव है ।

4. 31 मार्च, 1991 तक हितकारी आरक्षित निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान में से 201.42 लाख रुपए (60.17 लाख रुपए) का आंशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में कुछ तकनीकी सलाहकारी और अन्य संगठनों की शेयर पूंजी में अभिदान कर के किया गया है । अतः इस राशि का निगम के "निवेशों" में गणन नहीं किया गया है ।

5. (क) रुग्ण इकाइयों सहित कतिपय इकाइयों के लिए जहां कहीं भी पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार योजनाएं बनाई गई हैं, या बनायी जा रही हैं या कार्यान्वयन के अधीन हैं और ऐसी योजनाओं के आधार पर इकाइयां व्यवहार्य पाई गई हैं, वहां दिए गए ऋण और अग्रिम अच्छे समझे गए हैं चाहे प्रतिभूति का मूल्य कुछ भी क्यों न हो ।

(ख) कुछ संस्थाओं और राज्य/केन्द्र सरकार के उपक्रमों को दिए गए ऋणों/अग्रिमों को, जिनके लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटियां दी हुई हैं, अच्छा समझा गया है चाहे प्रतिभूतियों का मूल्य कुछ भी हो, या गारंटियों को पालन करने के लिए कहा गया हो ।

6. तुलन पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 2154.00 लाख रुपए (2089.20 लाख रुपए) की राशि बकाया थी, जिनको कि केन्द्रीय/राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था । इसके अतिरिक्त तुलन-पत्र की तारीख को 35.11 लाख रुपए (35.11 लाख रुपए) की राशि कुछ कम्पनियों पर बकाया है जिनकी देनदारियां उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अवरुद्ध कर दी गई हैं । अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मुआवजे में से अथवा गारंटी-कर्ताओं से उक्त राशि का कितना हिस्सा वसूल हो सकेगा ।

7. भारत के बैंकों के चालू खातों में (क) निगम की सहमति से केन्द्रीय और/अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में/भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में बैंकरों द्वारा निवेश किए गए शून्य लाख रुपए (लगभग 499.85 लाख रुपए) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गत बिलों के रूप में 500.00 लाख रुपए (2,100.00 लाख रुपए) की राशि शामिल है ।

8. निगम द्वारा अधिग्रहण किए गए कुछ परिसरों के संबंध में हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी किए जाने की प्रक्रिया जारी है ।

9. वर्ष के दौरान निम्नलिखित से संबंधित लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किए गए हैं :—

(क) 1-4-90 से वचनबद्धता प्रभार का गणन वास्तविक रूप से प्राप्त होने अथवा ऋण करार निष्पादित होने पर किया गया है, जबकि पहले ऐसी राशि ऋण करार के निष्पादित होने के बाद ही आय में क्रेडिट की जाती थी ।

(ख) कतिपय न्यायालय निर्णयों को देखते हुए शेयरों और डिबेनचरों के अंशदान के मद्दे प्राप्य सीमान्तक शुल्क और हामीदारी कमीशन को निवेश की लागत के अंतर्गत समायोजित किया गया है, जबकि पहले इसे लाभ व हानि खाते में क्रेडिट किया जाता था ।

(ग) परिवर्धन के माह से पट्टाकृत परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष उस अवधि, जिसके लिए परिसम्पत्तियों को वस्तुतः उपयोग में लाया गया, पर विचार किए बिना पूरे वर्ष के समकक्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया, जिससे इस वर्ष का लाभ 914.00 लाख रुपए तक बढ़ गया है ।

उपर (क) और (ख) के कारण लाभ पर पड़ा प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है ।

10. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक समझे गए हैं, पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं ।

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Bombay, the 5th October, 1991

No. C.L. 2/91-92/5/37—In pursuance of Rule 18 of the Rules made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of India of the 20th April, 1946 as amended under Notification No. F(8)(70)B/52 dated the29th April, 1954 the following list (for the quarter ended 30th September 1990) is hereby advertised of securities lost etc. in respect of which prima facie grounds exist for believing that the securities, have been lost and that the claim of applicants is just. All persons other than respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the chief Accountant, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Bombay.

The list has been divided into two parts: Part 'A' being securities now advertised for the first time and part 'B' the list of securities previous advertised :—

LIST 'A'

Number of Security	Value Rs./gms.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		CALCUTTA CIRCLE			
		3% Conversion 1946			
CA-394361	4000/-	Shri Kankendra Nath Dutta	16-3-86	Kankendra Nath Dutta	Jt. Manager's Order dated 26-7-90 Dy. No. LCO. 25/90-91 dated 26-7-90
		NEW DELHI CIRCLE			
		3% Conversion Loan 1946			
DH-029626	5000/-	Controller of Defence Accounts (Eastern Command)	16-3-57	Punjab & Sind Bank Dampier Nagar, Mathura	LN-707 dated 29-8-90
DH-029627	1000/-	Do.	16-3-57	Do.	LN-707 dated 29-8-90
		3% First Development Loan, 1970-75			
DH-006554	25000/-	Allahabad Bank Lucknow	15-4-54	Mahila Vidyalaya, Lucknow	LN-708 dated 26-9-90
		NAGPUR CIRCLE			
		National Defence Gold Bonds, 1980 Series 'B',			
NG-002473	185 gms.	M/s. Sardarmal Sunderlal Gandhi	26-10-67	M/s. Sardarmal Sunderlal Gandhi	CO-11 dated 12-7-1990

LIST 'B'

Number of Security	Value Rs./gms.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued	Date of publication under P.D. Act, 1944 of list in which the security was first published.
1	2	3	4	5	6	7
		PATNA CIRCLE				
		National Defence Gold Bond—1980 'A' Series				
PT-000040	37 gms.	Babulal Agrawal	28-12-65	Babulal Agrawal	CO. 319 Dtd. 22-5-1985	—
PT-000046	15 gms.	Dnyanavati Sultania	27-10-77	Dnyanavati Sultania	CO. 292 Dtd. 29-4-1986	—
		National Defence Gold Bond—1980 'B' Series				
PT-000033	451 gms.	Dnyahavati Sultania	27-10-77	Dnyanavati Sultania	CO. 292 Dtd. 29-4-1986	—
PT-000044	10 gms.	Prahalad Das	15-11-65	Prahalad Das	CO. 90 Dtd. 24-9-87	—

STATE BANK OF NDIA
CENTRAL OFFICE

Bombay, the 1st September 1991

No. 11/1991.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of the concerned Associate Banks, the State Bank of India has approved the undernoted amendments in Regulation 2 of State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala Saurashtra/Travancore (Officers') Service Regulations 1979 :—

1. These regulations shall apply to all officers of the State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/Travancore and to such other employees of the State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/Travancore to whom they may be made applicable to by the Competent Authority to the extent and subject to such conditions as such Authority may decide.

2. They shall also apply to officers transferred/posted/deputed outside India except to such extent as may be specifically or generally prescribed by the Competent Authority.

3. They shall, however, not apply to employees appointed/engaged in any country outside India and permanently serving there.

By the Orders of the Central Board

Sd./- ILLEGIBLE
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 19th September 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 54-EL(1)/13/91.—Whereas in pursuance to Regulation 82 of Chartered Accountants Regulations, 1988 read with sub-regulation (1) of Regulation 134 (as amended by Chartered Accountants) (Amendment) Regulations, 1991, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India was pleased to notify dates relating to the election of members to the Council and Regional Councils of the Institute vide Notification No. 54-EL(1)/4/91 dated 19-3-1991.

And whereas in view of the judgement of the Supreme Court dated 10-9-91 in Civil Appeal No.(s) 3571-73/91, it has become necessary to change some of the dates notified earlier.

Now, therefore, in pursuance of the proviso to Regulation 82 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 read with sub-regulation (1) of Regulation 134 (as amended by Chartered Accountants (Amendments) Regulations, 1991 and read with the Resolution passed by the Council under Regulation 205 at its 151st meeting held on 16-9-91, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the following changed dates relating to the election of members to the Council and Regional Councils of the Institute :—

1.	Date of scrutiny of nominations	12-10-91
2.	The last date for withdrawal of nominations	25-10-91
3.	The date or dates of polling:	
	(i) Bombay, Madras, Calcutta and Delhi/New Delhi	6/7-12-91
	(ii) Other cities/towns	6-12-91
4.	The last date for receipt of applications for permission to vote by post under Regulation 112	4-10-91
5.	The last date and time for receipt of ballot papers by post	10-12-91 5 p.m.
6.	The date of declaration of result	26-12-91

RESOLUTION & ORDER PASSED BY THE COUNCIL PURSUANT TO REGULATION 205 AT ITS 151ST MEETING HELD ON 16TH SEPTEMBER, 1991

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India had earlier issued a Notification No. 54-EL(1)/4/91 dated 19th March, 1991 under Regulation 82 read with Sub-Regulation (1) of Regulation 134 intimating, inter alia, the various dates of Election to the 15th Council and the 14th Regional Councils of the Institute. However, some candidates went to the High Courts in respect of which the Council had to file an appeal to the Supreme Court. The Supreme Court by its order dated 10th September, 1991 has directed as under :—

"In view of the reasoning set out earlier, we set aside the judgement and order passed by the Bombay High Court and we hold that the nomination of the respondent was liable to be rejected on the ground that it was not received in time, as the respondent had failed to deliver to the Secretary against an acknowledgement a nomination before the specified time and date. However, we find that, in the present case, the elections have already been postponed and the proposed dates for elections will now be probably fixed in October or November, 1991. In these circumstances, we direct that all the nominations received upto the end of August, 1991 must be treated as received in time provided that the Secretary is satisfied that they were forwarded by registered post 48 hours before the time and date specified earlier. The Council may fix the elections on any date they consider proper. The appeal is allowed to the extent aforesaid."

In view of the aforesaid directions of the Supreme Court, difficulties have arisen regarding implementation of the programme of Election as notified earlier by the Council. In order to give effect to the provisions of the Regulations governing Elections, the Council is of the view that it would be expedient to re-schedule the programme in view of the directions of the Supreme Court.

The Council is therefore of the opinion that the following new dates be fixed in order to remove all difficulties in holding the elections and to give a fair opportunity to all the candidates whose nominations are found in order. It will include the opportunity being given to those candidates also who had earlier withdrawn their nominations. The candidates whose nomination fees had been returned on account of late receipt of nomination may, if they wish to contest, be asked to remit the said fee again :—

1. Date of scrutiny of nominations—12-10-91.

2. The last date for withdrawal of nominations—25-10-91.

3. The date or dates of polling :—

(i) Bombay, Madras, Calcutta and Delhi/New Delhi—6/7-12-91.

(ii) Other cities/towns—6-12-91.

4. The last date for receipt of applications for permission to vote by post under Regulation 112—4-10-91.

5. The last date and time for receipt of ballot papers by post—10-12-91 (5 p.m.).

6. The date of declaration of result, 26-12-91.

In view of the aforesaid circumstances and to avoid all ambiguities, the 15th Council shall be deemed to have been constituted on 18th January, 1992 i.e. the day of its first meeting, for a period of three years.

By order of the Council.

The 20th September 1991.

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 25-CA(28)/89.—Pursuant to Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 188, it is hereby notified that Shri A. K. Mehra, FCA, M/s A. Kay Mehra & Co., Chartered Accountants, 113/195, Kamla Kunj, (Near Excise Office), Swroop Nagar, Kanpur 208 012 (M. No. 9963) having been found guilty of professional misconduct by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, and the Council on 7th June, 1991 having ordered that his name be removed from the Register of Members of the Institute of Chartered Accountants of India for a period of 15 days, his name shall stand removed from the Register of Members for a period of 15 days with effect from 1st October, 1991.

A. K. MAJUMDAR, Secy.

THE INSTITUTE OF COST & WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700 016, the 16th September 1991.

No. 18-CWA(1)/91.—In pursuance of Sub-Section (5) of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act 1959, the Annual Report of the Council of the Institute of Cost and works Accountants of India and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March 1991 are hereby published for general information.

S. R. ACHARYYA, Secy.

ANNUAL REPORT 1990-91

[Issued Under Section 18(5) of the Cost and Works Accountant Act, 1959]

It gives me great pleasure to present on behalf of the Central Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India, the Annual Report and the Audited Accounts of the Institute for the year ended 31st March, 1991.

The Council at its meeting held on 22nd July, 1990, elected Shri Sankar Dutta, B. Com, FICWA, FCA, ACMA as President and Shri P D. Phadke, BA M.Com. LLB, FICWA as Vice-President of the Institute for the year 1990-91.

Council

The eleventh Council elected in 1989 will be completing its term in July 1992. The Central Govt. vide their letter No. 2/8/89-IGC dt. 11-10-90 nominated Shri C. Ramaswamy, Adviser (Cost), Ministry of Finance, Govt. of India in the Council in place of Shri K. P. Sarma, who retired on 30-6-90. The Central Govt. also nominated Shri P. Vijayaraghavan, Joint Secretary, Deptt. of Company Affairs vide letter No. 2/8/89-IGC dt. 4-6-91 in place of Shri C. R. Sundararajan till the expiry of the present term of the Council.

The Council met 5 times during the year.

Committees of the Council

At the meeting of the Council held on 22nd July 1990 various Committees were reconstituted. The new Committees met several times during the year. Annexure I gives the details of members and meetings held by the then Committees.

Membership

During the year, 1009 eligible candidates were admitted as Associate Members and 71 Associate Members were elevated as Fellow Members. As on 31st March 1991, the total membership was 9869. The composition of Membership is given in Annexure II. It is encouraging to note that more and more members are joining practice.

As on 31st March 1991, 1075 members were in practice as against 999 at the previous year. More than 3000 as Grad. CWAs were on roll who would be eligible for membership on completion of requisite number of years' service and fulfilment of other conditions.

Members who left the Mortal World

Institute regrets to report sadi and untimely demise of its following members during the year :

Sl. No.	Name	Membership No.	Date of death
1.	G.S. Sankaram, BCOM AICWA	5279	24-3-1990
2.	T. Srinivasan, BA AICWA	1669	26-3-1990
3.	Kanailal Pal, MCOM AICWA	632	27-3-1990
4.	Jitendranath Ghosh, BCOM AICWA	1516	29-3-1990
5.	N.K. Berry, BA AICWA	494	1-4-1990
6.	R. Ramasubramanian, BCOM FICWA	77	13-4-1990
7.	B. Benkatapathi Raju, BA BCOM AICWA	2112	9-6-1990
8.	C.B. Patwardhan, MCOM FICWA	1235	17-6-1990
9.	B.S. Billimoria, FCA FICWA	19	26-7-1990
10.	K. Subramaniam, BA BCOM ACMA FICWA	485	1-10-1990
11.	Niladri Kumar Bose, BSc. FCMA FICWA	196	18-1-1991
12.	Sankar Ray Chowdhury, BCOM AICWA	3707	6-2-1991
13.	T. Ramabhadran, BE FICWA	1415	20-2-1991
14.	C.S. Balasubramanian, BCOM AICWA	2186	12-3-1991
15.	Monilal Bandopadhyay, BSc. AICWA	550	19-3-1991
16.	B.S. Kalantri, BCOM BICWA	998	31-3-1991
17.	T.S. Ranganathan, BSCBE FCA FCMA AMBIM FICWA	437	10-4-1991
18.	E.K. Venkataramani, BSc AICWA	504	24-5-1991
19.	Ct. Karuppiah, FICWA	2793	24-5-1991

REGISTERED STUDENTS

During the year, 25686 students registered themselves with the Institute. In the previous year, this number was 22333. The number of registered students at the end of the year stood at 1,42,246.

COACHING

During the year, 36685 registered students enrolled themselves for coaching. The break-up is given below :

	POSTAL		ORAL		TOTAL POSTAL+ORAL	
	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91
Intermediate	8,726	8,800	17,898	21,896	26,534	30,696
Final	5,173	4,040	1,532	1,949	6,705	5,989
Total	13,899	12,040	19,340	23,845	33,239	36,685

There has been an increase in the enrolments of students during 1990-91 in comparison to the year 1989-90. Facilities for postal coaching in the form of supply of study notes, test papers and suggested answers through the Regional Councils continue to be provide to the students during the year under the existing syllabus. Publication of suggested answers to questions set at the Institute's examination (Intermediate and Final) is continued to meet the demands of the students undergoing postal and oral coaching.

REVALIDATION OF COACHING COMPLETION CERTIFICATES

Under this scheme, a Refresher form of coaching has been provided to 1982 postal and oral students who obtained coaching completion certificates before 3 (three) years of the relevant term of examinations.

STUDENTS' COMPLAINT SETTLEMENT WING

Strenous efforts made to attend to the queries of the students as promptly as possible by all the Departments. There is a general reduction in the number of complaints during the past year.

Computerisation

Presently the Computer System (HCL—Horizon III) installed at the Institute's Head Quarters is providing the following facilities :

1. Processing of Examination results, twice a year, for about 60,000 (approx) students per term, including the preparation of admit cards, marksheets and also certificates (both for Inter and Final) for the successful candidates.
2. Preparation of Mailing list for the despatch of Management Accountant (Journal) for about 40,000 records per month. This includes total accounting of the journals and generation of a status list.
3. Preparation of summarised list of bank challans received from Bank.

Future Plan

The Computer Centre intends to do the following jobs in near future :

(a) Processing of receipts and payments.

(b) Preparation of Pay Roll of Institute's Employees, Provident Fund and other allied work.

(c) Maintenance of Membership records etc.

(d) Other related accounting jobs as may be required by the Institute.

To take care of the increased workload and to ensure prompt and efficient services, expansion of the existing Computer facilities with on line system was under active consideration. Expert advice in this regard has been obtained and the additional system is expected to be available very soon so as to cover major areas of activity of the Institute for betterment and increasing the promptness in the quality of services to the students and members.

Incoming Revised Syllabus

During the year, the proposed Revised Syllabus has been forwarded to the Govt. of India for its approval. The syllabus is under final stage of discussion with the Government of India.

Examination

As usual, Institute examinations were held in the months of June and December 1990. The examinations were conducted at 54 Centres in India and 8 Centres outside India. The list of examination Centres is given in Annexure III.

Progressively, Hindi is being introduced as a medium.

In Final Examination, 2542 students were declared as passed and the Intermediate and Preliminary Examinations were cleared by 5876 and 19000 students respectively. Only 3 students could pass Management Accountancy Part I Examination. Detailed results are shown in Annexure IV.

The Certificate of Merit was awarded to 556 students. The list of prize winners and Certificate of Merit holders is given in Annexure V.

Practical Training Scheme for Students

Allround efforts have been initiated by the Professional Development Directorate to offer scope of training to more nos. of Intermediate and Final qualified students in various organisations. A new training scheme booklet has been published and circulated to Industries. The Institute has been receiving good response from the various industries and other organisations. The Regional Councils have been entrusted to organise programmes to give the students a practical insight in areas of cost and management accountancy.

Continuing Education Programme

A number of programmes were organised by the Programme Directorate at different places in the country. These included programmes for the members, executives in Industry and Government, in Non-Profit Making organisations in different areas of professional interests related to Management Accounting, Finance and Resource Management.

Joint programmes with the sister professional institutions, Bureau of Public Enterprises, Department of Personnel and Training and Indian Railways Dept. of Revenues etc. were carried out.

Two programmes for the CAG Audit Officers were conducted during the year.

Different regional councils and chapters also have organised programmes. Report of which has been published in the respective section of this report.

Professional Development

During the year under report Cost Audit has been ordered by the Company Law Board in respect of 15 Companies only and thus covered a total number of 1573 (Details shown in Annexure VII) Companies under Cost Audit for every alternate financial year. The figure is much below expectation. With inclusion of Mini Steel Plant Industry under Sec. 209 (i) (d) of the Companies Act the total no. of Industries under Compulsory Maintenance of Cost Accounting Records Rules

comes to 37. A sizeable number of units coming under the purview of Cost Audit has been left out from issue of orders. Details of several hundred units for which no Cost Audit has been ordered have been submitted to the Department of Company Affairs and they are in the process of issuing orders for those Companies. The Institute is further trying to locate more units for which Cost Audit orders have been left out.

The Institute had several discussions with the various officers of the Dept. of Company Affairs for coverage of more no. of industries under the ambit of Cost Accounting Records Rules. The same is now under active consideration. A good no. of Cost Audit orders are expected in the coming years.

Various public, private and govt. organisations were impressed upon to treat the Cost Accountants at par with Accountants specialised in other fields the results thereof have been encouraging. An active effort has been initiated to amend the Income Tax Act so that Cost Accountant is included within the definition of Accountant.

The year 1990-91 was declared as the Year of Cost Consciousness by the President. A number of Programmes, Seminars and Conferences were held by the Regional Councils, Chapters in different parts of the country to spread the message. These Seminars and Conferences created good impact amongst the Members, industry and public sector organisations.

Special Studies

During the year, The Govt. of India, Army Headquarters had commissioned a study by the Institute of the Feasibility of introducing costing systems for better budgeting and control in the logistic units of the Army. For this purpose, six areas were selected. The assignment was carried out by a team of professionals from Institute and outside the Institute and the final report presented to Army Headquarters. The services rendered by our members Wg. Cdr. V. B. Agarwal (Retd.) and Mr. Raman Seshadri deserve special mention.

Several studies are in the course of completion. The major studies undertaken during the year are (a) Control on Repairs and Maintenance over the major workshop of the Indian Railways and (b) Updating and reviewing the manual for costing studies in the National Dairy Development Board.

Journal

The Institute's Journal, The Management Accountant kept its mast ahead through challenging periods and proved its mettle with the opening of new frontiers in respect of management, stock exchange and share markets, insurance, business and the corporate sector. It regularly publishes writings of a high professional order on such basic subjects as accounting and finance highlighting several control areas where these are needed most and also focussing spotlight on several other areas which need major attention.

The journal particularly caters to the needs of the students through the separate students section with emphasis on the right approach for the students preparing for their examinations and this has proved to be immensely popular, both at home and abroad.

Research

The year under review saw a good starting period for the development programmes of the Research Directorate on a continuing basis. The publication of the booklet on Cost Audit in Formulation Industry was received with due appreciation. The Research Bulletin is being brought out as part of the continuous publication programme.

Several Monographs on matters of professional relevance are under finalisation in addition several research projects have been identified.

Various Universities including Deemed Universities in the country had been approached to recognise our qualification and to facilitate research work for our members on various emerging issues pertaining to Cost and Management Accountancy. Universities like Kashmir University, Benaras Hindu University, Bombay University, Madras University and Patna University etc. have already approved our proposal and approval from others is expected.

Public Relations Committee

Public Relations Committee of the Institute has been functioning satisfactorily towards fulfilment of the objectives set out for the Committee. Suggestions in various directions are being received from the members, each of which is being considered with due care.

The Project of producing an audio-visual film to focus the affairs of the Institute and utility of Cost Accountants in industries is about to be completed. Interviews of the leaders of the Industrial Houses, top executives of the Public Sector organisations, Banks and Government Departments are being taken on their experiences and opinion about the role of Cost Accountant in various sectors to be featured in the film. Target audience for the film are the business houses including the Chambers of Commerce, Govt. Bodies, Financial Institutions etc. with a view to creating better image for the profession and greater opportunities for employment of its members.

The Chairman of the Committee recently had effective discussion with the Chairman and Director-Finance, Coal India Ltd. for creating more job opportunities for the Cost Accountants in this organisation.

National Convention

The 33rd National Convention of Cost and Management Accountants was held in the garden city of Bangalore in February 1991. Large number of delegates from various parts of the country representing various Industries, Trade & Commerce, Ministries & Govt. Undertakings etc. attended the Convention. Shri K. H. Patil, Minister for Co-operation inaugurated the Convention. The theme of the Convention was "Changing Global Perspectives—Impact on Indian Economy."

The speakers at the Plenary Session were Shri M. Y. Ghorpade, former Karnataka Minister, Shri N. Vaghul, Chairman & Managing Director of ICICI and Shri P. K. Brahmananda, an eminent economist.

In the Technical Sessions of the Convention, leading professionals presented papers on various topics relating to the Convention theme.

As in every year the Prize Distribution Ceremony formed a part of the Convention which was attended by a large number of students from different parts of the Country. Prizes and Merit Certificates of December '89 and June '90 Examinations were given away in the Ceremony.

A Students' Convention and a Practitioners' Convention were also held in the context of this National Convention.

International Activities

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC)

The Institute has been continuing to represent India in the Financial and Management Accounting Committee of International Federation of Accountants. During the year two meetings of the Committee were held—first one at Vancouver, Canada and the second one at Baborone, Botswana. Both the meetings were attended by a Member accompanied by a Technical Adviser.

The visit of the Indian representatives to Botswana was utilised to form the ICWAI Overseas Centre of Botswana in a meeting of the local members of the Institute held there.

CONFEDERATION OF ASIAN AND PACIFIC ACCOUNTANTS (CAPA)

India, being a member of the Executive Committee of the Confederation of Asian and Pacific Accountants, was represented by the President and Vice-President as the Member and Technical Adviser respectively in keeping with the decision taken by the Council.

Both the meetings—one held at Hongkong and the other held at Manila, Philippines—were attended by the Indian representatives.

SOUTH ASIAN FEDERATION OF ACCOUNTANTS (SAFA)

12th SAFA assembly was held at Kathmandu along with a seminar on 'Corporate Law and Economic Development in SAARC Countries'. The Seminar was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of Nepal.

Due to some unavoidable circumstances the 13th SAFA Assembly held at Lahore could not be attended by the Indian representatives. The 14th SAFA Assembly was held at Dhaka, Bangladesh along with a Seminar on the theme "Accountants in 1990s."

The SAFA Assembly along with the seminar held at Kathmandu and Dhaka was attended by the Indian delegation which was led by the Vice-President pursuant to the decision taken by the Council in this regard.

The Institute has prepared and published three SAFA publications (i) Comparative Study of Professional Ethics in SAFA Countries; (ii) Performance of Public Sector; and (iii) Comparative Study of Syllabus of the Cost and Management Accounting Institutes in SAFA Countries during the year. The publications were well accepted by the Member Bodies of SAFA.

INTERNATIONAL CONFERENCE

Shri Sankar Dutta, President of the Institute participated in the 9th International Conference of the International Consortium of Governmental Financial Management held at London on October 10—13, 1990.

Overseas Centres

All the five Overseas Centres of the ICWAI at Tanzania, Zambia, United Arab Emirates (U.A.E.) Nepal and Sultanate of Oman have been functioning effectively. Another Overseas Centre at Botswana was formed in the month of March, 1991.

Regional Councils

Four Regional Councils continued to offer oral coaching to the students and also to provide the services to the postal coaching students. In addition to these normal activities, many training programmes and seminars on various topics were also organised by the Regional Councils. During the year all Regional Councils had imparted training to the members and students through the installation provided with 3 P.C. and P.C.X.T. with printer as usual.

Regional Councils' Reports are given in the Appendix.

Chapters

During the year two new chapters—Patiala and Palakkad were inaugurated. Council has taken an ambitious programme to provide computer facilities to various chapters by stages.

General

1. New Secretary :

   Shri S. R. Acharyya took over as Secretary of the Institute with effect from 9th August 1990.

2. Staff Relations :

   The relation with the officers and staff has been very cordial. Negotiations regarding four yearly agreement with the ICWAI Employees' Association and ICWAI Officers' Association effective from 1st April 1991 is in progress.

3. Buildings :

   Steps had been taken to complete the balance work of buildings at New Delhi. Funds were released for construction of office buildings for our Chapters at Baroda, Cochin, Howrah and Lucknow during the year.

4. Benevolent Fund :

   During the year 149 members became Life Members of the Benevolent Fund. The Council would like all the members of the Institute to be Life Members of the Benevolent Fund.

Accounts

Audited Accounts of the Institute for the year 1990-91 are annexed to the report.

Appreciation & Thanks

The Council appreciates the co-operation extended by the officers and staff, as well as members at large, in furthering the cause of the Institute. The Council would also like to put on record its thanks to the various Secretaries and Officers of Government Departments, specially, the Ministry of Industry, Department of Company Affairs and the Ministry of Finance, for the help and guidance given to the Council during the year under report. The Council hopes that similar help will continue to be given in future also which will take the profession to further heights.

By order of the Council

SANKAR DUTTA
President

Calcutta
Dated 20th July, 1991.

S. R. ACHARYYA
Secretary

AUDITOR'S REPORT

ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 1991

I have audited the attached Balance Sheet of the Institute of Cost And Works Accountants of India as at 31st March 1991 and the annexed Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purpose of my audit.

The Balance Sheet and the Income Expenditure Account dealt with by the Report are in agreement with the books of Accounts.

In my opinion, the accounts read together with notes forming part of Accounts are maintained in conformity with the requirements of the Cost and Works Accountants Act and Regulation 1959 and to the best of my information and according to the explanations given to me, the statements of accounts give a true and fair view :—

(i) in the case of the Balance Sheet of the State of affairs as on 31st March 1991 and

(ii) in the case of the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

AMALENDU CHATTERJEE
F.C.A.

Dated 20th June 1991.

10, Old Post Office Street,
Calcutta.

Chartered Accountant
Auditor

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 1991

INSTITUTE FUNDS:	Note No.	This Year 1990-91 Rs.	Last Year 1989-90 Rs.
General Fund	(1)	3,32,23,552	2,47,34,891
Gratuity Fund	(2)	28,41,493	24,75,736
Employees' Benevolent Fund	(3)	89,940	71,513
		3,61,54,985	2,72,82,140

REPRESENTED BY:

		Note Rs.	This Year 1990-91 Rs.	Last Year 1989-90 Rs.
Fixed Assets	(4)		1,40,28,653	1,27,39,315
Investments	(5)		1,12,17,027	55,34,304
Current Assets	(6)	Rs. 69,13,912		
Less: Current Liabilities	(7)	Rs. 26,68,723	42,45,189	33,28,741
Loans and Advances	(8)		66,70,116	56,79,780
			3,61,54,985	2,72,82,140

Signed in terms of my report of even date.
AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
Chartered Accountant
Auditor.
Calcutta
Dated 20th June 1991

By order of the Council
SANKAR DUTTA
President
S.R. ACHARYYA
Secretary

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
for the Year ended 31st March 1991

PARTICULARS	Note No.	This Year 1990-91 Rs.	Last Year 1989-90 Rs.
INCOME			
By Annual Subscriptions etc.	(9)	40,86,517	35,65,307
,, Examination Fees etc.	(10)	1,17,24,076	1,02,81,003
,, Tuition Fees etc.	(11)	1,47,22,106	1,16,66,376
,, Interest etc.		8,74,381	1,40,604
,, Journal Fees (including Advertisement)		1,66,609	1,58,093
,, Professional Development Programme		5,06,649	6,88,555
,, Publications		27,01,934	18,99,572
,, Army Project		1,50,000	—
		3,49,32,272	2,84,00,170
EXPENDITURE			
To Establishment	(12)	1,10,19,437	86,48,103
,, Office Expenses	(13)	47,09,392	33,96,670
,, Advertisement		1,43,254	1,58,004
,, Statutory Audit Fee		15,000	12,000
,, Internal Audit Fee		65,000	25,000
,, Travelling & Conveyance		4,57,398	3,62,148
,, Contribution to Employees' Recreation Club		5,000	5,000
,, Examination Charges	(15)	45,26,898	37,15,048
,, Tutors' Remuneration		6,10,099	4,56,940
,, Study Materials Consumed		16,43,444	12,13,292
,, Publication Stock consumed		10,48,325	8,90,617
,, Council & Committee Meeting Expenses	(16)	14,30,615	9,60,182
,, Journal Expenses		24,95,617	19,86,415
,, Contribution to Regional Councils (Revenue Grant)		7,56,200	7,48,200
,, Chapters' Grant		1,21,000	60,000
,, Membership Subscription to Foreign Bodies		1,05,458	90,301
,, Conference and Meetings International		3,37,538	3,19,849
,, Professional Development Programmes		4,33,775	5,13,528
,, Army Project		1,21,160	—
,, Depreciation		6,06,007	4,48,771
,, Shifting Grants to Regional Councils—S.I.R.C.		—	1,25,000
,, Provision for Delegation fee for International Conference (14th World Congress) to be held in 1992-93.		40,000	40,000
		3,06,90,617	2,41,75,068
,, Surplus for the year		42,41,655	42,25,102
		3,49,32,272	2,84,00,170

Signed in terms of my report of even date.
AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
Chartered Accountant
Auditor.
Calcutta
Dated 20th June 1991

By order of the Council
SANKAR DUTTA
President
S.R. ACHARYYA
Secretary

NOTES TO ACCOUNTS

Note No. 1

GENERAL FUND

as at 31st March 1991

	Rs.	This Year 1990-91 Rs.	Last Year 1989-90 Rs.
Balance as per last Account	2,47,34,890		1,75,14,790
Less; Refund during the year	—		92,079
		2,47,34,890	1,74,22,711
Add; Prior Period Adjustments:			14,66,157
(i) Refund of Income Tax for the prior period	21,78,049		
(ii) Differential value on exchange of Office Equipments.	10,944		
(iii) Incorporation of value of land of Cochin Chapter.	2,10,000		
(iv) Excess over cost on sale of land of Coimbatore Chapter.	1,79,823		
(v) SAFA Seminar Account-written back	14,052		
(vi) Sundry Creditors-Programme-written back	6,600		
(vii) Others	6,562	26,06,030	
		2,73,40,920	1,88,88,868
Less: Prior Period Adjustments:			
(i) Stock of CAPA Books written off as per decision of Executive Committee meeting held on 23-8-90	46,700		—
(ii) Conversion of Building Loan paid to Trivandrum Chapter as per decision of Executive Committee Meeting held on 1-7-90	70,000		—
(iii) Arrear Salary to Employees	1,72,774		—
(iv) Sundry Debtors for Journal Advertisement written off as per decision of Executive Committee meeting held on 18-5-91	5,464		—
(v) Value of Old Equipments written off	—		40,192
(vi) Others	40,022	3,34,960	7,831
		2,70,05,960	1,88,40,845
Add: Entrance Fee (Members)	2,84,210		2,19,515
Entrance Fee (Students)	17,46,648		15,18,644
Library Donation	16,050	20,46,908	13,800
		2,90,52,868	2,05,92,804
Less: Capital Grants to Regional Councils:			
For Library Books	Rs. 58,971		
,, Furniture	Rs. 12,000	70,971	83,015
		2,89,81,897	2,05,09,789
Add; Surplus for the year		42,41,655	42,25,102
		3,32,23,552	2,47,34,891

Note No. 2

EMPLOYEES GRATUITY FUND

as at 31st March 1991

Balance as per last account	24,75,736	21,92,614
Add: Contribution for the year	3,00,000	2,65,181
Add: Interest earned on Investment of funds for the year	2,34,511	2,10,953
	30,10,247	26,68,748
Less: Gratuity paid during the year	1,68,754	1,93,012
	28,41,493	24,75,736

Note No. 3

EMPLOYEES, BENEVOLENT FUND

as at 31st March 1991

Balance as per last account	71,513	54,290
Add: Contribution for the year	13,032	13,176
Add: Interest earned on Investment of Funds for the year	7,523	6,080
	92,068	73,546
Less: Paid to employees during the year	2,128	2,033
	89,940	71,513

Note no. 4
FIXED ASSETS
As on 31st March, 1991

Description of Assets	At Cost as on 1-4-1990	Addition/ Transfer during the year	Deduction during the year	Gross Block as on 31-3-1991	DEPRECIATION				Net Book value as on 31-3-1991	Net Book value As on 31-3-1990
					Upto 31-3-1990	During the year	Deduction during the year	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
LAND AND BUILDINGS :										
Headquarters	9,87,986	—	—	9,87,986	4,04,117	11,097	—	4,15,214	5,72,772	5,83,869
Regional Councils & Chapters . . .	1,14,43,378	2,25,000	1,80,177	1,14,88,201	13,44,249	2,03,048	—	15,47,297	99,40,904	1,00,99,129
FURNITURE & FITTINGS :										
Headquarters	11,25,865	1,67,922	—	12,93,787	7,54,708	53,908	—	8,08,616	4,85,171	3,71,157
LIBRARY BOOKS :										
Headquarters	4,75,350	72,139	—	5,47,489	2,57,038	29,045	—	2,86,083	2,61,406	2,18,312
OFFICE EQUIPMENTS :										
Headquarters	5,46,601	14,47,927	—	19,94,528	1,56,160	1,86,836	—	3,12,996	16,81,532	4,20,441
GENERATOR :										
Headquarters	1,18,011	1,62,534	—	2,80,545	72,291	20,825	—	93,116	1,87,429	45,720
MOTOR CAR :										
Headquarters	75,004	—	—	75,004	63,207	2,359	—	65,566	9,438	11,797
COMPUTER :										
Headquarters	13,18,519	—	—	13,18,519	3,29,629	98,889	—	4,28,518	8,90,001	9,88,890
	1,60,90,714	20,75,522	1,80,177	1,79,86,059	33,51,399	6,06,007	—	39,57,406	1,40,28,653	1,27,39,315

Note No. 5

INVESTMENTS
as at 31st March 1991

	This Year	Last Year
	1990-91 Rs.	1989—90 Rs.
(A) Employees' Gratuity Fund :		
In Fixed Deposits with Banks	24,75,511	22,36,511
(B) Employees Benevolent Fund :		
In Fixed Deposits with Banks	84,840	47,117
(C) General Fund :		
(i) In Fixed Deposits with Banks	86,50,176	32,50,176
(ii) 5 Shares of Rs. 100/- each in Jai Brindaban Premises Trust Fund Bombay	500	500
	1,12,11,027	55,34,304

Note No. 6 :

CURRENT ASSETS
as at 31st March 1991

Publication Stock (at cost)	9,35,092		8,93,602
Paper Stock (at cost)	14,21,034		7,40,000
Study Material Stock (at cost)	11,60,668	35,16,794	10,18,149
Accrued Interest on Investments (Misc. Fund)	1,84,956		36,981
Accrued Interest on Investments (Employees' Gratuity Fund)	47,965		61,279
Accrued Interest on Investments (Employees, Benevolent Fund)	6,849		13,237
		2,39,770	
Outstanding Interest on Building Loan to Chapters		92,000	76,630
Sundry Debtors		8,90,884	9,63,188
Outstandng Membership Fee		—	25,473
Cash and Bank Balances :			
In hand	145,141		14,329
At Banks	19,10,803		12,47,477
At Post Office	1,18,520	21,74,464	1,18,520
		69,13,912	52,08,865

Note No. 7

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS
as at 31st March 1991

A. Current Liabilities :			
Library Deposit		3,27,285	3,05,475
Subscription and Fees received in advance from members		25,214	26,639
Non-specific Deposit (Refundable)		5,30,793	5,21,555
Sundry Creditors :			
Headquarters	11,23,386		2,52,940
Regional Councils	1,55,890	12,79,276	84,388
E.I.R.C Rs. 34,932			
W.I.R.C. Rs. 38,034			
N.I.R.C. Rs. 67,702			
S.I.R.C. Rs. 15,222			
Caution Money Deposits from Oral Coaching Institutions (Refundable)		68,000	66,000
Employees' Public Provident Fund		1,312	1,312
Outstanding Interest on Caution Money from Oral Coaching Institutions		15,534	9,924
Interest on Prize Funds (Net)		8,959	5,689
Journal Advertisement Received in advance		16,575	8,775
Establishment Suspense		—	32,900
Outstanding Membership Fees due to foreign bodies		85,000	81,591
Examination Fees received in advance		48,690	50,000
Atkinson Prize Fund		1,650	1,650
SAFA Seminar (Net)		—	17,652
Annual Subscription received from Students (refundable)		9,673	5,189
J. N. Bose Prize Fund		—	6,000
W.D. Puri Memorial Prize Fund		12,000	—
Army Project (Net)		—	12,928
Professional Development		18,762	1,517
Programmes-pending adjustment :			
Cr. 39,000			
Dr. 20,238			

	This Year 1990-91	Last Year 1989-90
B. Provisions :		
Provisions for Delegation fee for 12th CAPA Conference at Seol	—	8,000
14th World Congress of Accountants to be held in 1992-93	1,20,000	80,000
Provision for Silver Jubilee Capital Grant to Chapter (Kanpur)	1,00,000	3,00,000
	26,68,723	18,80,124

Note No. 8

LOANS AND ADVANCES

as at 31st March 1991

Deposits :			
Telex		29,353	29,353
Electric		11,500	11,500
Telephones		70,226	40,226
Others		39,200	6,700
			87,779
Advances to Regional Councils & Chapters for Building under construction :			
N.I.R.C.	27,82,000		27,82,000
Jaipur Chapter	1,50,000		1,50,000
Kalyan-Ambernath Chapter	1,00,000		1,00,000
Udaipur Chapter	1,00,000		1,00,000
Lucknow Chapter	2,00,000		1,00,000
Visakhapatnam Chapter	1,00,000		1,00,000
Baroda Chapter	1,00,000		—
Howrah Chapter	2,00,000		—
Coimbatore Chapter	3,60,000		—
Cochin Chapter	2,00,000	42,92,000	—
			33,32,000
Advances :			
Festival Advance to Employees	1,38,755		1,32,919
Building Advance to Employees	7,39,803		8,42,725
Vehicle Advance to Employees	1,39,050		1,62,160
Others including Rs. 7000/- to Council member	37,100	10,54,708	82,124
			12,19,928
Building Loan to Chapters :			
Tiruchirapally Chapter	—		90,000
Lucknow Chapter	79,172		50,000
Trivandrum Chapter	75,000		1,50,000
Jaipur Chapter	1,50,000		1,50,000
Ahmedabad Chapter	50,000		50,000
Udaipur Chapter	50,000		50,000
Kalyan-Ambernath Chapter	31,172		40,000
Baroda Chapter	50,000		—
Howrah Chapter	1,00,000		—
Cochin Chapter	1,00,000		
		6,85,284	
			5,80,000
Computer Loan to Chapter :			
Hyderabad Chapter	—		49,282
Bangalore Chapter	49,308	49,308	49,308
			98,590
Prepaid Expenses :			
Postage—Franking	1,25,008		39,125
Insurance	13,529	1,38,537	22,358
			61,483
Silver Jubilee Capital Grants to Chapters pending capitalisation in terms of decision of the Executive Committee in its meeting held on 12-5-90 (Hyderabad, Bangalore, Kanpur).		3,00,000	3,00,000
		66,70,116	56,79,780

Note No. 9 INCOME	This Year 1990-91 Rs.	Last year 1989-90 Rs.
Annual Subscription and other fees :		
By Member's Annual Subscription	11,17,625	10,00,642
" Student's Annual Subscription	26,19,972	22,77,966
" Member's Restoration Fees	600	350
" Members' Certificate of Practice Fees	1,11,685	1,05,380
" Grad. C.W.A. Fees	2,25,030	1,66,190
" De Novo Form Fees	11,505	14,729
" Members' Complaint Fees	100	50
	40,86,517	35,65,307

Note No. 10 INCOME EXAMINATION AND OTHER FEES		
By Examination Fees	1,04,16,826	91,48,680
" Verification of Answer Papers Fees	63,517	62,917
" Sale of Preliminary Examination Forms	4,27,030	3,17,846
" Sale of Inter/Final Examination Forms	7,00,919	7,12,024
" Sundry Income	1,15,784	40,196
	1,17,24,076	1,02,81,663

Note No. 11 INCOME TUITION AND OTHER FEES		
By Tuition Fees	1,21,58,758	94,54,274
" Recognition Fees	1,200	2,400
" Recurring Annual Fees	34,000	31,500
" Service Fees	16,03,415	11,56,639
" Sale of Study Notes	6,31,110	6,78,404
" Sale of Coaching Revalidation Forms	11,090	11,724
" Revalidation of Coaching Completion Certificate Fees	2,82,533	3,31,435
	1,47,22,106	1,16,66,376

Note No. 12 EXPENDITURE ESTABLISHMENT		
To Salaries and Allowances	78,64,954	73,82,748
" Employer's Contribution to Employees' Provident Fund	22,68,837	5,23,336
" Employer's Contribution to Employees' Public Provident Fund	—	292
" Employer's Contribution to Employees' Gratuity Fund	3,00,000	2,65,181
" Employer's Contribution to Employees' Benevolent Fund	8,688	8,784
" Medical Benefit to Employees	2,05,816	2,31,577
" Leave Travel Allowance	36,431	24,766
" Leave Encashment	3,34,711	2,11,419
	1,10,19,437	86,48,103

Note No. 13 EXPENDITURE OFFICE EXPENSES		
To Stationery and Printing	8,55,728	7,52,770
" Postage, Telegram, Telephones and Telex Charges	17,73,038	12,77,779
" Electricity	1,83,415	1,72,431
" Rates & Taxes	1,96,900	27,125
" Insurance	41,734	39,107
" Repair & Maintenance	4,31,799	1,63,716
" Car Upkeep	85,657	11,760
" Sundry Expenses	4,12,852	2,89,200
" Interest on Caution Money from Oral Coaching Centres	5,610	5,525
" Study Materials Distribution Expenses	3,72,139	2,64,291
" Watch & Ward Expenses	6,297	7,741
" Generator Expenses	10,167	2,757

	This Year 1990-91	Last Year 1990-91
To Legal Charges	75,742	1,00,502
" Bank Charges	23,454	33,285
" Election Expenses	—	75,522
" Professional Development Expenses	1,24,243	57,246
" Computer Expenses	1,10,617	1,15,313
	47,09,392	33,96,070

NOTE NO. 14
RE-IMBURESEMENT OF EXPENSES TO REGIONAL COUNCILS

The amount paid/re- imbursed to the Regional Councils on different accounts during the year have been included in the respective heads of expenditure in the Income & Expenditure Account. However, the expenditure for the year 1990-91 aregiven hereunder for information :

	E.I.R.C.	S.I.R.C.	W.I.R.C.	N.I.R.C.		
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Printing & Stationery	10,530	427	—	3,630	14,587	16,990
2. Postage & Telegram for Decent Scheme	90,366	1,95,949	78,104	1,10,321	4,74,740	4,16,916
3. Postal Tuition Remuneration (DECENT)	2,14,471	1,29,533	1,20,682	1,20,914	5,94,600	4,40,870
4. Repair & Maintenance	2,103	7,250	5,185	14,036	28,574	40,945
	3,17,470	3,33,159	2,03,971	2,57,901	11,12,501	9,15,73

NOTE NO. 15
EXAMINATION AND OTHER CHARGES

To Examination Charges	44,85,119	37,06,290
To Prize & Prize Distribution Expenses	41,779	8,758
	45,26,898	37,15,048

NOTE NO. 16
COUNCIL AND COMMITTEE MEETINGS CHARGES

To Council & Committee Meeting Charges	12,81,939	8,34,420
To Travelling Allowances to Council Members	1,48,676	1,25,762
	14,30,615	9,60,182

Sign. In terms of my report of even date.
AM. LFNDU CHATTEREE, F.C.A.
Chartered Accountant
Auditor
Calcutta,
Dated the 20th June, 1991.

By order of the Council
SANKAR DUTTA
President

S. R. ACHARYYA
Secretary

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

PRIZE FUND

V. SRINIVASAN MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank	12,000.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		12,000.00
To Accrued Interest due from Bank	851.00	By Interest received during the year	978.35	
		Less : Advance from Institute As per last accounts	548.08	
			430.27	
		Add : Interest accrued up to 31-3-91	851.00	
			1,281.27	

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
		Less : Cost of Prizes . .	1,200.00	
			81.27	
		Add: Advance by the Institute for the year . . .	769.73	
				851.00
	12,851.00			12,851.00

J.N. BOSE MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	11,200.00	By Balance in Fixed Deposit With Bank	5,200.00	
		Addition During the year . .	6,000.00	
				11,200.00
To Accrued Interest from Bank . .	348.00	By Interest received during the year	1,013.50	
		Add : Interest accrued up to 31-3-91 . . .	348.00	
			1,361.50	
		Less : Advance from the Institute as per account . .	1,336.08	
			25.42	
		Add :Advance by the Institute for the year . . .	1,442.58	
			1,468.00	
		Less : Cost of Prizes . .	1,120.00	
				348.00
	11,548.00			11,548.00

B.C. CHAKRABORTY PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	6,000.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		6,000.00
To Accured interest due from Bank . .	299.00	By Interest received during the year	533.20	
To Amount due from Institute . . .	287.90	Add : Due from Institute as per last account. . . .	354.70	
			887.90	
		Add : Interest accured up to 31-3-91 . . .	299.00	
			1,186.90	
		Less : Cost of Prizes	600.00	
				586.90
	6,586.90			6,586.90

SMT. RAJAMMA AND M.R.S. IYENGER MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	5,000.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		5,000.00
To Accured interest due from Bank . .	90.00	By Interest received during the year	732.70	
To Amount due from Institute . . .	499.70	Add : Due from Institute as per last accounts . . .	17.00	
			749.70	
		Add : Interest accrued last upto 31-3-1991 . .	90.00	
			839.70	
		Less Cost of Prizes . . .	500.00	
			339.70	

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
		Add Amount written back to non-encashment of cheque issued in previous year	250.00	589.70
	5,589.70			5,589.70

K. RAMACHANDRAN MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	6,550.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		6,550.00
To Accrued Interest due from Bank . .	118.00	By Interest received during the year	959.83	
To Amount due from Institute . . .	27.70	Add : Interest accrued up to 31-3-91	118.00	
			1,077.83	
		Add : Amount written back due to non-encashment of cheque issued in previous year .	1,000.00	
			2,077.83	
		Less : Advance from Institute as per last accounts . .	1,282.13	
			795.70	
		Less : Cost of Prizes . .	650.00	
				145.70
	6,695.70			6,695.70

BIKRAMJIT MAJUMDAR MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	5,000.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		5,000.00
To Accrued interest due from Bank . .	249.00	By Interest received during the year	485.70	
To Amount due from Institute . . .	1,771.50	Add : Due from Institute as per last account . . .	1,285.80	
			1,771.50	
		Add : Interest accrued up to 31-3-91 . . .	249.00	2,020.50
	7,020.50			7,020.50

SUBHAS ADDY MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	5,000.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		5,000.00
To Accrued Interest due from Bank . .	119.00	By Interest received during the year	750.00	
To Amount due from Institute . . .	1,249.50	Add : Due from Institute as per last account . .	999.50	
			1,749.50	
		Add : Interest accrued up to 31-3-91	119.00	
			1,868.50	
		Less : Cost of Prizes . .	500.00	1,368.50
	6,368.50			6,368.50

MAUJI RAM JAIN MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank	10,000.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		10,00.00

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Accured interest due from Bank . .	229.00	By Interest received during the year	1,288.90	
		Less : Advance from Institute as per last accounts .	288.90	
			1,000.00	
		Add ; Interest accured up to 31-3-91 . . .	229.00	
			1,229.00	
		Less : Cost of Prizes . .	1,000.00	229.00
	10,229.00			10,229.00

D.D. KALRA MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	6,500.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		6,500.00
To Accured Interest due from Bank . .	324.00	By Interest received during the year	763.70	
To Amount due from Institute . . .	1,11.25	Add : Due from Institute as per last accounts . .	427.55	
			1,191.25	
		Add : Interest accrued up to 31-3-91 . . .	324.00	1,515.25
	8,015.25			8,015.25

N. SARKAR MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	10,000.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		10,000.00
To Accrued Interest due from Bank . .	156.00	By Interest received during the year	1,100.00	
To Amount due from Institute . . .	3,200.00	Add : Due from Institute as per last accounts . .	2,600.00	
			3,700.00	
		Add: Interest accured up to 31-3-91	156.00	
			3,856.70	
		Less : Cost of Prizes . .	1,000.00	
			2,856.00	
		Add : Amount written bank due to non-encashment of cheque issued in previous year	500.00	3,356.00
	13,356.00			13,356.00

B.N GANGULY MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991.

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Depsit with Bank .	3,000.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		3,000.00
Bo Accrued Interest due from Bank . .	276.00	By Interest received during the year	189.10	
To Amount due from Institute . . .	1,602.67	Add : Due from Institute as per last accounts . .	1,413.50	
			1,602.60	
		Add: Interest accured up to 31-3-91 . . .	276.00	1,878.60
	4,878.60			4,878.60

G.D. MUNDHRA MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-91

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	12,000.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		12,000.00
To Accrued Interest due from Bank . .	749.00	By Interest received during the year	1,050.00	
		Add : Interest accrued up to 31-3-91 . . .	749.00	
			1,799.00	
		Less : Advance form Institute as per last account . .	459.23	
			1,339.77	
		Less : Cost of Prizes . .	1,200.00	
			139.77	
		Add : Advance by the Institute for the year . .	609.23	749.00
	12,749.00			12749.00

CH. BISHAN DASS PURI MEMORIAL PRIZE FUND : As at 31-3-1991.

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	12,000.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		12,000.00
To Accured Interest due from Bank . .	1,200.00	By Interest accured during the year	1,200.00	
		Less : Cost of Prize . .	1,200.00	
		Add : Advance by the Institute for the year . .	1,270.00	1,200.00
	13200.00			13,200.00

A.K. BISWAS FOUNDATION PRIZE FUND : As at 31-3-1991

	Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.
To Balance in Fixed Deposit with Bank .	22,017.00	By Balance in Fixed Deposit with Bank		22,017.00
To Accrued Interest due from Bank . .	1,098.07	By Interest received during the year	1,924.25	
To Amount due from Institute . . .	424.25	Add: Interest accrued up to 31-3-91	1,098.70	
			3,022.25	
		Less : Cost of Prizes . .	1,500.00	1,522.25
	23,539.25			23,539.25

Signed in terms of my report of even date.
AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
Chartered Accountant
Auditor
Calcutta
Dated 20th June, 1991

By order of the Council
SANKAR DUTTA
President
S.R. ACHARAYYA
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi the 10th September 1991

No. N-15/13/2/1/86-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-8-91 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Assam Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 19 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the Sate of Assam namely :—

Name of Revenue Village	Mauza & Taluk	District
Amingaon including the Revenue Villages:	Sila Senduri Gopa	Kamrup
Silamahakhait	Sila Senduri Gopa	Kamrup
Namulijalah	Sila Senduri Gopa	Kamrup
Gawripur	Sila Senduri Gopa	Kamrup
Jaiguru	Sila Senduri Gopa	Kamrup
Chowkigate	Sila Senduari Gopa	Kamrup

The 13th September 1991

CORRIGENDUM

In the Notification No. N-15/13/11/4/88-P&D dated 21-11-90 of Employees' State Insurance Corporation, New Delhi published in the Gazette of India (No. 49) Part-III Section 4 dated 8-12-90.

1. For "Nan"
   Read "Natt"

2. For "Dhandari Kalan"
   Read "Dhandari Khurd"

S. GHOSH
Jt. Insurance Commissioner

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 13th September 1991

No. FP-1(147)/91/1611.—Whereas M/s. BHEL, Madras Code No. TN/7835 has forwarded 91 applications in respect of its employees whose name is are, reflected in Schedule-I annexed for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under section 17(1-C) of Employees Provident Funds & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (C.C.S. Pension Rules) applicable to these individual employees of the said establishment are more favourable than the benefits provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1-C) of section 17 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt, the individual employees of the said establishment as given in the Schedule-I to this notification who were under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and where governed by the C.C.S. Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of those who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-7-90 in terms of Govt. orders dated 22-1-90 on the following terms and conditions :—

1. these employees will not be entitled to or claim any benefit(s) under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 from the date of exemption.

2. Option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme 1971 will be irrevocable.

3. The employer in relation to each of the said employees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

Sr. No.	Name/Designation	Code No.
1	2	3
1.	A.K. Natarajan Dy. Manager (FIN)	TN/7835
2.	Gurmel Singh Dy. Manager (FIN)	"
3.	R.J. Bhatt Accounts Officer	"
4.	L.K. Awathi Accounts Officer	"
5.	S.P. Sharma Accounts Officer	"
6.	Vashishtha Dube Accounts Officer	"
7.	R.R. Singh Sr. Accountant-I	"
8.	P.R. Pandey Chief Supervisor (F)	"
9.	R.P. Singh Accounts Officer	"
10.	K.K. Goel Sr. Accounts Officer	"
11.	S.N. Sharma Sr. Accountant	"
12.	S.K. Singhal Manager (FIN)	"
13	V.S. Lal Sr. Accounts Officer	"
14.	G.T. Singh Sr. Accountant	"
15.	A.N. Tripathi Accounts Officer	"
16.	S.L. Gupta Accounts Officer	"
17.	M. Kameshwara Rao Chief Supervisor (F)	"
18	P.S. Vedachalam Dy. Manager	"
19.	K.C. Pillai Manager	"
20.	K. Srinivasa Rao Sr. Accountant-I	"
21.	T. Anjaneyulu Accounts Officer	"
22.	Shaikh Habiburrehman Accounts Officer	"
23.	Naseem Akhtar Accounts Officer	"
24.	A. Segar Sr. Accountant-I	"
25.	K. Jagannadham Accounts Officer	"
26.	E.D. John Cherian Accounts Officer	"
27.	M.H.R. Baig Accounts Officer	"
28.	A.S. Kannan Manager	"

1	2	3
29.	B.H. Vijayakumar Chief Supervisor	TN/7835
30.	R.V. Ramani Sr. Accounts Officer	"
31.	Rajeshwari Shankaran P.R. Accountant	"
32.	R. Sampath Kumar Accounts Officer	"
33.	S. Kannan Sr. Accounts Officer	"
34.	K. Nagarajan Sr. Accounts Officer	"
35.	T.K. Raghavendra Rao Sr. Accountant-I	"
36.	M. Nagasundram Sr. Accountant-I	"
37.	M.K. Raghavan Accounts Officer	"
38.	M. Radhakrishnan Dy. Manager	"
39.	G. Swaminathan Ex. Sr. Acctts. Officer	"
40.	A.K. Chanda Sr. Accounts Officer	"
41.	P.K. Dass Dy. Manager (PA)	"
42.	G.L. Arora Sr. Accounts Officer	"
43.	C.S. Trivedi Accounts Officer	"
44.	P.S. Gangopadhyah Sr. Accountant-II	"
45.	M.L. Bhattacharya Sr. Accounts Officer	"
46.	N.P. Saha	"
47.	S. Sen Accounts Officer	"
48.	R. Singh Sr. Accountant-I	"
49.	P.N. Singh Accounts Officer	"
50.	K. Mandal Chief Supervisor	"
51.	P.R. Tiwari Sr. Accountant	"
52.	C.P. Balagopalan Sr. Accounts Officer	"
53.	S.K. Mudi Accountant	"
54.	Sukumar Ghosh Dy. Manager	"
55.	Ashim Kumar Sen Sr. Accounts Officer	"
56.	R.N. Sengupta Sr. Accountant	"
57.	J.M. Hazra Accounts Officer	"
58.	D.P.R. Vittal Sr. Accountant-II	"
59.	P. Paul Sr. Accountant-II	"
60.	Markandey Singh Chief Supervisor (F)	"
61.	N.S. Rao Manager	"
62.	S. Ramaswamy Dy. Manager	"
63.	SK. Chopra Dy. Manager	"
64.	P. Rama Rao Dy. Manager (FIN)	"
65.	V. Periasamy Sr. Accounts Officer	"
66.	N.L. Dhumal Sr. Accounts Officer	TN/7835
67.	V.G. Ramamoorthy Accounts Officer	"
68.	M.K. Viswanath Accounts Officer	"
69.	P.S. Singh Sr. Accountant	"
70.	P.V.S. Seetarama Rao Sr. Accountant	"
71.	S. Vijaya Bharat Sr. Accountant	"
72.	K.S. Vyasa Rao Sr. Accountant	"
73.	M. Ramakotaiah Sr. Accountant	"
74.	R.P. Menon Sr. Accountant	"
75.	G.K. Manjunath Chief Supervisor	"
76.	K. Jayaraman Accounts Officer	"
77.	K.S.R. Murthy Accounts Officer	"
78.	T. Viswanatha Sr. Accounts Officer	"
79.	A.N. Kanji	"
80.	B.S. Ghosh Accounts Officer	"
81.	R.K. Mukhopadhyay	"
82.	S.K Srimany Sr. Accounts Officer	"
83.	K.L.N. Rao Accounts Officer	"
84.	R. Vasudevan Manager (Finance)	"
85.	P.S. Gangopadhyay Sr. Accountant Gr. I	"
86.	Sambhu Sen	"
87.	R. Singh Sr. Accountant	"
88.	S.K. Mudi Accountant	"
89.	R.N. Rai	"
90.	P.N. Singh	"
91.	S.P. Singh	"

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1615.—WHEREAS M/s. Shanti Marketing & Services Private Ltd. 7-1-25/5 & 6, Green Lands, Ameerpt. Hyderabad-16 (Code No. AP/16950) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 year from 1-2-89 to 31-1-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1621.—WHEREAS M/s. Vamsadhara Paper Mills Ltd., Plant & Regd. Office, Madapam, Srikakulam-532422 (AP/14358) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Indian in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/280 dated 16-2-91 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 1-9-90 to 31-8-93 upto and inclusive of the 31-8-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the said Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsiblity for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1627.—WHEREAS M/s. Gulf Olifins (P) Ltd., New Harbour Road, Thermal Nagar, Tuticorin-628 006 (code No. TN/11418) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-I annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the siad Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Madurai from the operation of the said Scheme for and upto a period of one year from 1-1-90 to 31-12-90.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to all employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsiblity for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

The 16th September 1991

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1633.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I. B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE I

Sr. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Oblum Electricals Industries (P) Ltd., A/16-17, Assisted Pvt. Industrial Estate, Balanagar, HYDERABAD-500037 (A.P.)	AP/3072	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt. I/ 250 dated 14-2-91.	30-11-90	1-12-90 to 30-11-93	2/3373/91-DLI
2.	M/s. Gateway Hotel Banjara Hills, Road No. I, Banjara Hills, HYDERABAD-500034.	AP/11545	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt. I/ 1044 dated 10-7-91.	31-8-90	1-9-90 to 31-8-93	2/2132/89-DLI
3.	M/s. P. E. S. Engineers (P) Ltd., Ist Floor, Panchem Chambers, 6-3-1090/1/A, Raj Bhawan Road, Somajiguda, HYDERABAD-500482.	AP/14007	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt. I/ 1044 dated 10-7-91	30-11-90	1-12-90 to 30-11-93	2/3642/91-DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Schem, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1639.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDLLE I

Sr. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C. P. F. C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Maharashtra Agro-Industries Development Corporation Ltd., Rajan House, 3rd Floor, Prabhadevi, BOMBAY-25. (From 1-8-1991 comply under the statutory scheme).	MH/11072	S-35014/(9)/87-SS. II, dated 21-1-87.	20-1-90	21-1-90 to 31-7-91	2/1549/86-DLI
2.	M/s. Hindustan Dorr-Oliver Ltd., Dorr-Oliver House, Chakala, Andheri (East), BOMBAY-400093.	MH/4342	S-35014/3/88-SS. II, dated 22-2-1988.	21-2-91	22-2-91 to 21-2-1994	2/1708/87/DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi-110002, the 19th September 1991

No. F.1-11/87(CPP).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of Section 26 read with Section 14 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the Regulation issued under University Grants Commission letter No. F.1-93/74 (CP) Part (V) dated 13th June, 1983 and Notifications No. 1-93/74 (CP) dated 19th February, 1985 and 26th November, 1985, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely :—

1. *Short title, application and Commencement*

(i) These regulations may be called the University Grants Commission (Qualifications required of a person to be appointed to the teaching staff of a university and institutions affiliated to it) Regulations, 1991.

(ii) They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated college recognised by the Commission, in consultation with the University concerned under cluase (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and every institution deemed to be a University under Section 3 of the said Act.

(iii) They shall come into force with immediate effect.

2. *Qualifications*

No person shall be appointed to teaching post in University or in any of institutions including constituent or affiliated colleges recognised under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 or in an institution deemed to be University under Section 3 of the said Act in a subject if he does not fulfil the requirements as to the qualifications for the appropriate subject as provided in the Schedule I.

Provided that any relaxation in the prescribed qualifications can only be made by a University in regard to the posts under it or any of the institutions including constituent or affiliated colleges recognised under clause (f) of Section

2 of the aforesaid Act or by an institution deemed to be a university under Section 3 of the said Act with the prior approval of the University Grants Commission.

Provided further that these regulations shall not be applicable to such cases where selections through duly constituted selection committees for making appointments to the teaching posts have been made prior to the enforcement of these regulations.

3. *Consequences of failure of Universities to comply with recommendations of the Commission; as per provisions of Section 14 of the University Grants Commission Act, 1956*

If any University grants affiliation in respect of any course of study to any college referred to in sub-section (5) of Section 12-A in contravention of the provisions of that sub-section or fails within a reasonable time to comply with any recommendation made by the Commission under Section 12 or Section 13, or contravenes the provisions of any rule made under clause (f) or clause (g) of sub-section (2) of Section 25 of any regulation made under clause (c) or cluase (f) or clause (g) of Section 26, the Commission, after taking into consideration the cause, if any, shown by the University for such failure or contravention, may withhold from the University the grants proposed to be made out of the Fund of the Commision.

Y. N. CHATURVEDI
Secretary

SCHEDULE-I

Minimum qualifications for the posts of Professors, Readers and Lecturers in Subjects other than Fine Arts, Management, Engineering and Technology in Universities & Colleges for appointment of persons through open advertisement and for promotion of persons as Reader and placement in Selection Grade Lecturer and Senior Scale Lecturer.

(1) *Professor*

An eminent scholar with published work of high quality actively engaged in research with 10 years of experience in postgraduate teaching and/or research at the University/National level Institutions, including experience or guiding research at doctoral level.

OR

An outstanding scholar with established reputation who has made significant contribution to knowledge.

(2)-A *Reader (Open Selection)*

Good academic record with a doctoral degree or equivalent published work. Candidates from outside the university system in addition shall also possess at least 55% marks or an equivalent grade at the Master's degree level.

Eight years experience of teaching and/or research including upto 3 years for research degrees and has made some mark in the areas of scholarship as evidenced by quality of publications contribution to educational renovation, design of new courses and curricula.

(2)-B *Reader (Promotion)*

(a) As regards the promotion to the post of Reader in accordance with the scheme of revision of pay scales of teachers in universities and colleges notified by the Government of India vide Notification No. F. 1-21/87-U.I. dated the 22nd July, 1988, the guidelines are circulated by the University Grants Commission vide its letter No. F. 1-6/90 (PS Cell) dated the 29th January, 1990.

(b) Every Lecturer in the Senior Scale will be for promotion to the post of Reader if he/she has :

(i) Completed 8 years of service in the Senior Scale, provided that the requirement of 8 years will be relaxed if the total service of the lecturer is not less then 16 years;

(ii) Obtained a Ph. D. degree or an equivalent published work;

(iii) made some mark in the areas of scholarship and research as evidenced by self-assessment reports of referees, quality of publications, contribution to educational renovation, design of new courses and curricula.

(iv) participated in two refresher course/summer institute of approver duration, or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified by the UGC after placement in the Senior Scale; and

(v) consistently good performance appraisal reports.

(c) Promtion to the Post of Reader will be through a process of selection by a Selection Committee to be set up under the statutes/Ordinances of the University concerned or other similar Committees set up by the appointting authorities.

(2)-C *Lecturer (Selection Grade)*

Lecturers in the Senior Scale who do not have Ph. D. degree or equivalent published work and who do not meet the scholarship and research standards, but fulfil the other criteria prescribed in (2) B (b) above to the post of Reader and have a good record in teaching and/or participation in extension activities, will be placed in the Selection Grade subject to the recommendations of the Selection Committee for promotion to the post of Reader. They will be designated as Lecturers in the Selection Grade. They could offer themselves for fresh assessment after obtaining Ph. D. and/or fulfilling other requirements for promotion as Readers, and if found suitable, could be given the designation of Reader.

(3)-A *Lecturer*

(a) ARTS, SCIENCES, SOCIAL SCIENCES, COMMERCE, EDUCATION, PHYSICAL EDUCATION, FOREIGN LANGUAGES AND LAW

Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at Master's degree level in the relevant subject from an Indian University or an equivalent degree from a foreign University.

Candidates besides fulfilling the above qualifications should have cleared the eligibility test for Lecturers conducted by UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC.

(b) *Journalism and Mass Communication*

Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at Master's degree level in communication/mass communication, journalism from an Indian University or an equivalent degree from a foreign University.

Candidates besides fulfilling the above qualifications should have cleared the eligibility test for Lecturers conducted by UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC.

OR

At least 55% mark or an equivalent grade at Master's degree level in social Sciences/Sciences/Humanities with at least second class bachelor's degree or Post-graduate diploma in communication/mass communication or journalism from a recognised Indian University/National Institute.

Candidates besides fulfilling the above qualifications should have cleared the eligibility test for Lecturers conducted by UGC, CSIR or similar tests accredited by the UGC.

(c) *Music*

Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at Master's degree level in relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University.

Candidates besides fulfilling the above qualifications should have cleared the eligibility test for Lecturers conducted by UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC.

OR

A traditional or a professional artist with a highly commendable professional achievement in the subject concerned.

(3)B

Lecturer (Senior Scale)

Every Lecturer will be eligible for placement in a senior scale of Rs. 3000—5000 through a procedure of screening/selection laid down by the University in accordance with guidelines of UGC referred in Para 2 B(a) above, if he has :

(i) Completed 8 years of service after regular appointment with relaxation as provided in Notes (2) & (3) below.

(ii) Participated in two refresher courses/summer institutes, of approved duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified by the UGC;

(iii) consistently satisfactory performance appraisal reports.

Notes :

(1) For placement of Lectures in Selection Grade as well as for promotion to the post of Reader, the required number of positions would be created by upgrading the posts held by the incumbents concerned.

(2) In order to encourage research, in continuation of Post-graduate studies, candidates who, at the time of recruitment as Lecturers, possess. Ph.D. or M. Phil. degree (called jointly as the 'research degrees'), will be sanctioned three and one advance increments respectively in the scale of Rs. 2200—4000/- alongwith the benefit of the corresponding years of service for the purpose of promotion. The existing Lecturers without research degrees, and those similarly situate recruited in future will be eligible for a similar benefit in service for the purpose of promotion as and when they acquire research degrees, but will not be eligible for advance increments. Existing Lecturers with research degrees will also be eligible for similar benefit.

(3) Counting of previous service for the purpose of placement in Senior Scale/Selection Grade will be in accordance with UGC Guidelines issued vide circular No, F.1-6/90(PS Cell) dated November 27, 1990.

GURCHARAN SINGH
Under Secy., UGC

THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

New Delhi, the 7th July 1989

THE EXECUTIVE COMMITTEE
BAR COUNCIL OF INDIA

Re : Audit of the Accounts of the Bar Council of India for the year ended 31st March, '89.

We have completed the Audit of the Accounts of the Bar Council of India for the year ended 31st March. 1989 and are sending herewith four copies of the Balance Sheet as on 31st March, 1989 together with the Income & Expenditure Account for the year ended 31st March, 1989.

Our observations are as follows :—

1.00 *Working Results*

1.01 The year has ended with a deficit of Rs. 6,63,926.26 as against Rs. 4.54,574.00 during the previous year ended 31st March, 1988.

1.02 The increase in deficit is mainly due to the reduction in interest income from Rs. 2,73,510.08 in the previous year to Rs. 98,030.58 in the current year. This is due to the fact that the Council had encashed Fixed Deposits amounting to Rs. 11.00,000/- for meeting its expenses.

1.03 The substantial increase in travelling expenses of the Disciplinary Committee members from Rs. 3,72,328.90 in the previous year to Rs. 5.95,570.00 in the current year has also contributed to the increase in deficit.

2.00 *Enrolement Fees (Rs.* 10,54,711.00)

2.01 A sum of Rs. 2,77,075.00 was received during the year from different State Bar Councils as enrolment fees for the current year. A provision of Rs. 6,69,830.00 has been made for outstanding enrolment fees, details of which are as under :—

Name of State Bar Council	Provision Made
1· Maharashtra	85,000.00
2· Punjab & Haryana	41,200.00
3· Himachal Pradesh	6,000.00
4· Delhi	35,630.00
5· Kerala	20,000.00
6· Orissa	39,000.00
7· Karnataka	43,275.00
8· Uttar Pradesh	3,00,000,.00
9· Tamil Nadu	39,725.00
10· Madhya Pradesh	60,000.00
	6,69,830.00

2.02 The following enrolment fees was due for the year 1986-87 :—

State Bar Council	Amount (Rs·)
1· Himachal Pradesh	5,875.00
2· Karnataka	48,000.00
3· Uttar Pradesh	3,00,000.00
4· Punjab & Haryana	30,000.00
	3,83,875.00

2.03 On the basis of the Audit reports sent by the Bar Council of Punjab and Haryana for the years 1972-73 to 1986-87, the Council made a further provision for outstanding enrolment fees, of Rs. 1,01,275.00, being the difference between the enrolment fees actually due as per the audit report and the provision made by the Council during the aforementioned years.

2.04 As on 31st March, 1989, Rs. 11,54.980.00 was due as enrolment fees from different State Bar Councils.

2.05 As per Section 12(3) of the Advocates Act, 1961 the State Bar Councils are required to send a copy of their accounts together with a copy of the report of the auditors thereon to the Bar Council of India by the 31st December of the year next following.

2.06 It was observed that the following State Bar Councils had not sent the copies of their audited accounts for the years mentioned below, till the date of the audit :—

Name of the State Bar Council	Years
1· Karnataka	1985-86, 1986-87, 1987-88
2· Uttar Pradesh	1985-86, 1986-87, 1987-88
3· Assam	1986-87, 1987-88
4· Gujarat	1986-87, 1987-88
5· Himachal Pradesh	1986-87, 1987-88
6· Madhya Pradesh	1986-87, 1987-88
7· Orissa	1986-87, 1987-88
8· Bihar	1987-88
9· Kerala	1987-88
10· Maharashtra	1987-88
11· West Bengal	1987-88

2.07 The Bar Council of India should take necessary steps to get the same from the State Bar Councils.

3.00 *Advances* (*Rs.* 22,927.00)

3.01 We observed that advances given during 1986-87 and 1987-88 have not been recovered till date.

4.00 *Sundry Debtors* (*Rs.* 12,61,020.15)

4.01 A sum of Rs. 150.00 was outstanding since 1985-86; Rs. 615.00 since 1986-87 and Rs. 409.00 since 1987-88. Necessary action should be taken to realise these amounts at the earliest.

4.02 Sundry debtors also include Rs. 11,54,980.00 recoverable from the State Bar Council u/s 46 on account of the enrolment fees. This amount includes Rs. 3,83,875.00 which was outstanding as on 31st March, 1988 and is yet to be recovered. Besides, it includes Rs. 1,01,275.00 which has fallen due from the Bar Council of Punjab & Haryana as mentioned in point 2.03.

5.00 *Accrued Interest*

5.01 Accrued interest provided for includes a sum of Rs. 1281/- on Provident Fund A/c which was in respect of the accrued interest of 1987-88 not received during 1988-89.

6.00 *Tax Deduction at Source* (2268/-)

6.01 As reported earlier, this amount is very old and is recoverable from the Income Tax Department. Efforts should be made for getting refund of the same at the earliest

7.00 *Grant in Aid (For Law and Poverty Book)* (*Rs.* 4666.65)

7.01 There was a balance of Rs. 3666.65 in this account as on 31-3-88. A cheque of Rs. 1000/- given to one of the contributors to the book, which was not claimed and had been credited to suspense account, was transferred to this account during the current year. Thus, the balance in the account as on 31st March, 1989 was Rs. 4666.65.

Since this amount has not been utilised for the last 6 years, it should be refunded to the Ministry of Law.

8.00 *Travelling and Conveyance—Disciplinary Committee Members* (*Rs.* 5,95,570/-)

8.01 During the year there was a substantial increase in the travelling expenses of the members of Disciplinary Committees. The expenses during the current year were Rs. 5,95,570.00 as against Rs. 3,72,328.90 incurred during the previous year ended 31st March, 1988. It was explained to us that the increase in travelling expenses was due to the larger number of disciplinary committee meetings held during the year as compared to the last year.

9.00 *Interest from Investment* (*Rs.* 98,030,58)

9.01 During the year the Council has encashed Fixed Deposit Receipts worth Rs. 11,00,000.00 to meet its expenses.

9.02 This has resulted in reduction of interest income from Rs. 2,73,510.08 in 1987-88 to Rs. 98,030.58 during 1988-89.

10.00 *House Building Advance*

10.01 According to Regulation of Part-V of the Service Rule relating to loans and Advances, no loan or advance shall be given to any employee, unless the loan or advance given to him earlier has been fully paid up to the satisfaction of the Committee.

10.02 We have observed that a loan of Rs. 70,000/- has been sanctioned and first instalment of Rs. 25000/- paid during the year to an employee without recovering the balance of outstanding loan in his account.

11.00 *Fixed Assets*

11.01 The Council has purchased the following assets during the year 1988-89 :

(1) Office equipments	Rs. 11,334/-
(2) Books and Publications	Rs. 204/-

These may be approved.

11.02 For the year 1988-89, depreciation has been provided at the revised rates.

12.00 *Suspense Account* (*Rs.* 1359.83)

12.01 Suspense account includes Rs. 1000/- received from M/s. Nice Ads. We suggest that it may be transferred to miscellaneous income Account. Besides, an amount of Rs. 474.90 is lying in the credit of different persons since 1986-87. Necessary entry should be passed for it. The suspense Account has also been credited with Rs. 694.00 in 1988-89 which is the excess credit given by the UCO Bank. This may be looked into.

The balance of Rs. 1359.83 as on 31-3-89 in this account is recoverable since 1985-86. This may be looked into.

13.00 *Sundry Creditors*

13.01 Sundry creditors include very old balances of the period prior to 1982-83 and 1982-83 onwards. If no claim has been made over these amounts the same should be written back after obtaining the approval of the Executive Committee.

14.00 *Building Fund and Building Fund Investments*

14.01 Building Fund investment is Rs. 41,10,855.26 as against the Building Fund balance of Rs. 23,82,137.23. The difference has arisen due to the investment of funds made available out of the loan received from the Bar Council of India Trust amounting to Rs. 7,50,000/- during the year 1988-89 and Rs. 12,50,000 during the year 1987-88. The excess of Rs. 2,71,281.97 in Building Fund A/c is the amount of loan taken by the Council out of the funds of the Building and is not being shown separately.

14.02 During the year the Council encashed Fixed Deposits amounting to Rs. 10,75,000/- for meeting the expenses of building construction. The balance of Fixed deposit as on 31st March, 1989 was Rs. 6,50,000/-.

14.03 Work in progress includes the cost of boundary wall amounting to Rs. 2,48,585.00 which was built last year.

14.04 As per the terms of the offer made by the National Building Construction Corporation (NBCC) (vide letter No. 88/D/87/488 dt. 4-11-87) and agreed upon by the Council, the NBCC would give credit in its bills for the quantity of cement and steel used in the construction at the following rates :—

(i) Cement	Rs. 1400/- per MT (i.e. Rs. 70 per bag)
(ii) Steel (HYSD Bars)	Rs. 6,600/- per ton.

14.05 The Council has valued the closing stock of steel and cement on the basis of the above-mentioned rates offered by the NBCC.

The closing balance of steel as on 31st March, 1989 was 2.200 MT. Its cost was Rs. 37,158, but on the basis of the rates offered by NBCC it was valued at Rs. 14,520 (i.e. 2.200×Rs. 6600); the difference of Rs. 22,638/- being debited to work in Progress Account.

Similarly, the cost of 1089 bags of cement in stock as on 31st March was Rs. 53,277.80. But as per NBCC rates it was valued at Rs 76230/- (i.e. Rs. 70×1089); the profit being credited to Work-in-Progress Account.

This basis of valuation may be approved by the Executive Committee.

14.06 The closing stock of 1089 bags of cement includes 127 bags of cement which is yet to be received from M/s. Birla Jute and Cement Industries. The price for the same has already been paid.

14.07 S.B. A/c with UCO Bank—(Building Fund A/c).

The balance as per Cash Book was Rs 7,05,372.21, whereas the balance as per the Pass Book was Rs. 7,06,122.21. The difference was on account of a cheque of Rs. 750/- (ch. No 600317) issued on 10-3-87 which has not been presented till date.

Necessary entry should be passed for the same during the year 1989-90

15.00 *Income Tax Assessments*

15.01 The position of Income Tax Assessments of interest income of the Council is as under :

As mentioned in our last audit report the Income Tax Department had filed an appeal before the Tribunal against the order of CIT (Appeals) for Assessment year 1964-65 to 1974-75 and 1980-81, 1982-83 and 1983-84 for which the date was fixed for 9-6-88.

The Tribunal set aside the orders passed in favour of the Council by CIT (Appeals) and directed him to re-decide the matters after giving reasonable opportunity to the Assessing Officer and after bring on record appropriate reasoning in support of the decision taken.

Assessment has been completed by the Assistant CIT for the Assessment years 1986-87, 1987-88 and 1988-89 and demand of Rs. 10,71,453.00, Rs. 2,28,543/- and Rs. 1,77,246/- has been made by the Income Tax Department against which the Council has filed Appeals before CIT (Appeals) on 9-3-89, and the matter in still pending. Besides for the Assessment year 1985-86 for which assessment had been completed and a demand of Rs. 2,17,827/- had been made, the Council had filed an appeal with CIT (Appeals) on 6-4-1988. The matter is still pending.

Finally we would like to place on record our appreciation for the cooperation extended to us during the course of our audit.

Yours faithfully,
Sd/-
Chartered Accountants

Sd/-
R. N. TANDON
Accounts Officer,
Bar Council of India.

Sd/-
S. M. SRIVASTAVA,
Secretary
Bar Council of India.

THE BAR COUNCIL OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1989

As at 31-3-88(Rs.)	Liabilities		Amoun((Rs.)	As at 31-3-88(Rs.)	Assets		Amount(Rs.)
23,89,472.93	**Reserve Fund**			1,65,231.00	**Fixed Assets**		
	As per last Balance Sheet	23,89,472.93			At cost less Depreciation As per Schedule 'A'		1,47,236.00
	Less : Deficit for the Year Transferred from Income & Expenditure Account.	6,65,426.26	17,24,046.67	15,50,000.00	**Investment Account** (Reserve Fund)		
10,74,125.09	**Provident Fund Account**				Fixed Deposit with Nationalised Banks/Public Sector	3,00,000.00	
	As per last Balance Sheet	10,74,125.09			Undertakings.	1,50,000.00	4,50,000.00
	Add: Subscription	49,412.00					
	Add: Contribution	49,412.00		10,74,125.09	**Provident Fund Investments A/c**		
	Add: Vol. Subscription	8,400.00			In Post Office S.B. Account	2,55,668.97	
	Add: Interest Credited	47,356.67			In Post Office F.D.S. Account	2,50,000.00	
	Add: Interest accrued provided.	46,706.26	12,75,412.02		In Spl. Deposit Account	5,00,000.00	
					Accrued Interest	47,987.26	
4,48,985.44	**Gratuity Fund Account**				P.F. Loan Account	17,905.79	
	As per last Balance Sheet	4,48,985.44			Permanent Withdrawals	2,03,850.00	12,75,412.02
	Add: Interest credited	13,862.45					
	Add: Interest accrued.	15,964.09		4,48,985.44	**Gratuity Fund Investment A/c**		
	Add: Contribution during the year	98,676.00	5,77,487.98		In Savings A/c. UCO Bank	1,63,889.89	
					In FD A/c with UCO Bank	50,000.00	
81,888.57	**Creditors**		85,844.59		In Spl. Deposit	2,50,000.00	
					In FD A/c. with P.O.	95,000.00	
24,601.00	**D.C. Cost (Suspense) Fee A/c**				Accrued Interest	18,598.09	5,77,487.98
	As per last Balance Sheet	24,601.00					
	Add: Additions during the year	7,755.00		95,390.18	**Current Assets**		
		32,356.00			Interest accrued on Investment	2,499.60	
	Less: Payments during the year	4,625.00	27,731.00		Cash in Hand	1,294.91	
					In S.B. A/c. (148) with UCO. Bank	752.47	
3,666.65	*Grant-in-Aid* (Law & Poverty Book)				In S.B. Spl. A/c. (1951) with UCO	934.58	
	As per last Balance Sheet	3,666.65			In Current A/c. with UCO Bank	—	
	Add: Amount of cheque not claimed	1,000.00	4,666.65		In current A/c. with S.B.I.	26,862.13	32,343.69
2,15,748.20	**Welfare Fund Account**			9,42,037.09	**Loans Advances and Sundry Debtors**		
	As per last Balance Sheet	2,15,748.20			Outstanding interest on Loan to Staff	63,763.85	
	Add: During the year	1,62,819.20			Loans to Staff	1,65,552.30	
	Add: Interest during the year	14,723.10			Advances, Postage, Imprest.	26,601.00	
		3,93,290.50			Telephone & other Deposits	20,867.00	
	Less: Expenses during the year	20,521.90	3,72,768.60		Sundry Debtors—STBC's	11,53,011.00	
					Sundry Debtors(Trust)	1,04,301.69	
					Sundry Debtors others.	4,897.50	
					Prepaid Expenses	612.00	15,39,606.34

22,00,165.43	**Building Fund Account**			8,270.00	**Reprint Stock "Act"**		
	As per last Balance Sheet	22,00,165.43			As per last Balance sheet	8,270.00	
	Add: Interest on Investment	1,75,206.95			Add: Additions during the year		
	Add: O/S.	35,125.55			Less: Sold during the year	525.00	7,745.00
		24,10,497.93					
	Less: Expenses	28,360.70	23,82,137.23	8,173.70	**Suspense Account**		1,359.83
	Loan from Bar Council of India Trust			7,304.15	**Re-print Stock "Rules" Account**		
12,50,000.00	As per last Balance Sheet	12,50,000.00			As per last Balance Sheet	7,304.15	
	Add: During the year	7,50,000.00	20,00,000.00		Add: During the year	4,294.00	
						11,598.65	
	Overdraft with UCO. Bank		76,321 63		Less: Sold during the year	2,205.00	9,393.65
				2,268.00	**Tax Deducted at Source A/c.** As per last Balance Sheet		2,268.00
				2,12,610.20	**Welfare Fund Investment A/c.** In S.B. A/c. with UCO. Bank	3,68,708.00	
					Accrued interest	4,000.00	3,72,708.60
				31,74,258.46	**Building Fund Investment Account**		
					(a) Cash in hand	295.85	
					(b) FD in Indian Bank	6,50,000.00	
					SB A/c with UCO Bank	7,05,372.21	
					(b) Accrued Interest	2,22,025.00	
					(c) Mobilization-Advance—N.B.C.C.	6,50,221.00	
					(d) Work in Progress	17,92,191.20	
					(e) Cost of Materials in hand	90,750.00	41,10,855.26
76,88,653.31			85,26,416.37	76,88,653 31			85,26,416.37

Seal

As per our report of even date
Examined and found correct.
Sd/-
(THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO.)
Chartered Accountants.

Sd/- R.N. TANDON
Account Officer
Bar Council of India

Sd/- S. M. SRIVASTAVA
Secretary
Bar Council of India

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1989.

Previous Year(Rs.)	Expenditure	This Year(Rs.)	Previous Year(Rs.)	Income	This Year(Rs.)
4,87,084.48	Establishment (Salaries)	5,78,768.45	9,13,270.00	Enrolment Fees from State Bar Councils.	10,54,711.00
25,635.05	Over-time	—	2,73,510.08	Interest on Investments(including	
39.058.75	Medical Reimbursement to Staff	41,919.00		interest on saving bank a/cs.)	98,030.58
6,612.00	Leave Travel concession	4,459.00	5,041.68	Interest on loans and advances (Staff account)	19,370.44
42,575.00	Council's contribution to P.F.A/c.	48,847.00	5,427.50	Disciplinary proceedings and other fees.	5,408.00
38,170.00	Council's contribution to GF. A/c.	50,430.00	—	Miscellaneous Income	959.45
				Excess of Expenditure over income	
	Travelling & Conveyance		4,54,574.00	Transferred to Balance Sheet	6,65,426.26
19,911.40	Staff Conveyance	30,311.35			
2,38,746.00	Council	1,62,434.55			
12,273.00	Other Committee	—			
34,401.00	Legal Education Committee	50,532.25			
3,72,328.90	Disciplinary Committee	5,95,570.00			
116.00	Copying Charges	—			
62,728.83	Printing & Stationery	52,096.38			
1,05,950.48	Postage, Telegrams & Telephones	51,101.75			
21,000.00	Rent	21,000.00			
11,122.31	Water & Electricity	14,806.12			
8,812.00	Advertisements/Gazette Notification	6,727.00			
7,662.38	General Repairs	9,603.50			
32,298.00	Court Proceedings/Income Tax Proceedings	26,568.00			
15,562.72	Meeting Expenses	25,414.50			
2,467.40	Bar Association (International) Subscriptions	1,128.00			
—	Periodicals & Journals	574.90			
1,750.00	Honorarium to Auditors	3,000.00			
12,733.75	Depreciation	29,533.00			
—	Foundation Stone Laying ceremony Expenses.	1,605.47			
6,379.00	Dinner Expenses	—			
7,248.66	Delegate Fees account	—			
7,000.00	Fabrication Expenses	2,500.00			
972.50	Silver Jubilee Function Expenses	—			
42.00	Fire Insurance	42.00			
345.00	Convention A/c.	4,036.00			
30,836.35	Miscellaneous Expenses A/c.	30,897.51			
16,51,822.96	Total.	18,43,905.73	16,51,822.96	Total:	18,43,905.73

As per our report of even date
Examined and found correct.

Sd/-
(THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO.)
CHARTERED ACCOUNTANTS.

Place: New Delhi.

Sd/- R.N. TANDON
Accounts Officer
Bar Council of India

Sd/- S.M. SRIVASTAVA
Secretary
Bar Council of India

THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.

Chartered Accountants

New Delhi, Calcutta, Bombay, Madras, Patna and Chandigarh

New Delhi-2, the 27th August 1991

The Executive Committee,
Bar Council of India

Re : *Audit of the Accounts of the Bar Council of India for the year ended March, 31, 1990.*

We have completed the Audit of the Accounts of the Bar Council of India for the year ended 31st March, 1990 and are sending herewith four copies of the Balance Sheet as at March 31, 1990 together with the Income & Expenditure Accounts for the year ended 31st March, 1990.

Our observations are as follows :

1.0 *Working Results*

1.1 The year has ended with a deficit of 748432.76 as against Rs. 6,65,426.26 during the previous year ended March 31, 1989.

1.2 The increases in deficit is mainly due to the reduction in interest income from Rs. 98,030.58 in the previous year to Rs. 3,232.71 in the current year. This is due to the fact that the Council has encashed fixed deposits amounting to Rs. 4,50,000/- for meeting its expenses.

2.0 *Enrolment Fees*

2.1 A sum of Rs. 3,93,750.00 was received during the year from different state Bar Councils as enrolment fees for the current year. A provision of Rs. 5,32,935.00 has been made for outstanding enrolment fees, details of which are as under :—

Name of State Bar Council	Provision Made
1. Maharashtra	90, 00.00
2. Punjab & Haryana	40,000 00
3. Himachal Pradesh	5,500.00
4. Delhi	41,385.00
5. Kerala	28,000.00
6. Orissa	36,000.00
7. Karnataka	48,750.00
8. Uttar Pradesh	2,00,000.00
9. Madhya Pradesh	43,300.00
	5,32,935.00

2.2 The following enrolment fees is overdue :

State Bar Council	Amount (Rs.)
1. Himachal Pradesh	11,875.00
2. Karnataka	48,000.00
3. Uttar Pradesh	2,00,000.00
4. Punjab & Harayana	1,72,475.00
5. Delhi	35,630.00
6. Orissa	39,000.00
	5,06,980.00

2.3 On the basis of the Audit Report sent by the Bar Council of Punjab & Haryana for the years 1972-73 to 1986-87, the Council made a further provision for outstanding enrolment fees, of Rs. 1,01,275.00 being the difference between the enrolment fees actually due as per audit report and the provision made by the Council during the aforementioned years.

2.4 As per section 12(3) of the Advocates Act, 1961, the State Bar Councils are required to send a copy of their accounts together with a copy of the report of the auditors thereto to the Bar Council of India by the 31st of December of the following year.

2.5 It was observed that the following State Bar Councils have not sent their audited accounts for the years mentioned below, till the date of the audit :

Name of the State Bar Councils	Years
1. Karnataka	1985-86, 1986-87, 1987-88 1988-89
2. Uttar Pradesh	1985-86, 1986-87, 1987-88 1988-89
3. Assam	1986-87, 1987-88, 1988-89
4. Madhya Pradesh	1986-87, 1987-88, 1988-89
5. Gujarat	1987-88, 1988-89
6. Himachal Pradesh	1987-88, 1988-89
7. Orissa	1987-88, 1988-89
8. Bihar	1987-88, 1988-89
9. Kerala	1987-88, 1988-89
10. Maharashtra	1987-88 1988-89
11. West Bengal	1987-88, 1988-89

2.6 Since the annual fee payable to the Bar Council of India is determined with reference to the State Bar Council's income, necessary steps should be taken to obtain the Audited Accounts.

3.0 *Advances*

3.1 We observe that certain advances given during 1986-87, 1987-88, 1988-89 have not been recovered till date. This need to be looked into.

4.0 *Sundry Debtors*

4.1 Sundry debtors include Rs. 10,39,915.00 recoverable from the State Bar Councils U/s 46 of the Advocates Act on account of the enrolment fees.

4.2 A sum of Rs. 615.00 is outstanding since 1986-87 and Rs. 109.00 1987-88. Necessary action should be taken to realise these amounts at the earliest, or requisite sanctions be obtained for write offs.

5.0 *Tax Deducted at Source*

5.1 As reported earlier, this amount is very old and is recoverable from the Income Tax Department. Efforts should be made for getting refund of the same at the earliest.

6.0 *Grant In Aid (For Law and Poverty Book)*

6.1 There is a balance of Rs. 4666.65 in this acconut as on 31-3-90. Since this amount has not been utilized for the last 6 years, it should be refunded to the Ministry of Law.

7.0 *Interest from Investments*

7.1 During the year, the Council has encashed Fixed Deposits Receipts worth Rs. 4,50,000.00 to meet its expenses. This has resulted in reduction of interest income from Rs. 98,030.58 in 1988-89 to Rs. 3232.71 during the current year.

8.0 *Fixed Assets*

8.1 The Council has purchased the following assets during the year.

1. Office equipments	Rs. 550
2. Books and Publications	Rs. 539

These may be approved.

Depreciation has been provided at the rates prescribed under the Income Tax Act, 1961.

9.0 *Suspense Account*

9.1 Suspense Accounts include Rs. 1000.00 received from M/s. Nice Ads in 1988-89, besides and amount of Rs. 474.90 is lying in the credit of different persons since 1986-87. Necessary entry should be passed for it. The suspense Account has also been credited with Rs. 694.00 in 1988-89, and Rs. 40.00 during 1989-90, which is the excess credits given by the UCO Bank. This may be looked into. Also few amounts of Rs. 20.00 was received from Mr. Bharat Bhushan and Rs. 30.00 from Mr. A. P. Mullah the nature of receipt should be escertained and transferred to proper head of A/c.

10.0 *Sundry Creditors*

10.1 Sundry creditors include certain very old balances, prior to 1982-83. If no claim has been made even these amounts the same should be written back after obtaining the approval of the Executive Committee.

11.0 *Building Fund and Building Fund Investments*

11.1 Building Fund investment is Rs. 53,53,407 as against building Fund balance of Rs. 25,41,112. The difference has been arisen due to the investment of funds made available out of the loan received from the Bar Council of India Trust amounting to Rs. 30,83,576.00. The excess of Rs. 2,71,281 in Building Fund Account is the amount of loan taken by the Council out of funds of the Building and is not being shown separately.

11.2 During the year the Council on cashed Fixed Deposits amounting to Rs. 6,50,000/- for meeting the expenses of building construction. The balance of Fixed Deposit as on March 31, 1990 was Rs. Nil.

11.3 Work in progress includes the cost of boundry wall amounting Rs. 2,48,585.

11.4 As per the terms of the offer made by the National Building Construction Corporation (NBCC) (Vide letter No. 88/D/87/488 dt. 4-11-87) and agreed upon by the Council, the NBCC would give credit in its bills for the quantity of Cement and Steel used in the construction at the following rates :

(i) Cement	Rs. 1400/- per MT (i.e. Rs. 70/- per bags)
(ii) Steel	Rs. 6,600.00 per ton.

11.5 The Council has valued the closing stock of steel and Cement on the basis of the above mentioned rates offered by the NBCC.

11.6 The closing balance of steel as on March 31, 1990 was 32.04 MT. Its cost Rs. 5,77,843 but on the basis of the rates offered by NBCC it was valued at 2,11,464/- (32.4 x Rs. 6,600) the difference of Rs. 366379 is debited to work in progress Account.

Similarly, the cost of 19 bags of cement in stock as on March 31, was Rs. 6383/-. But as per NBCC rates it was valued at Rs. 1330/-, (i.e. 19xRs. 70); the loss being Rs. 5053/- debited to work in progress account.

11.07 This basis of valuation may be approved by the Executive Committee.

12.0 *Income Tax Assessments*

12.1 The position of Income Tax Assessment of interest income of the Council is as under :

As mentioned in our last audit report, the Income Tax Department had filed an appeal before the Tribunal against the Order of CIT (Appeals) for Assessment year 1964-65 to 1974-75 and 1980-81, 1982-83 and 1983-84.

The Tribunal set aside the orders passed in favour of the Council by CIT (Appeals) and directed him to redecide the matters after giving reasonable opportunity to the Assessing Officer and after brining on record appropriate reasoning in support of the decision taken.

Assessment has been completed by the Assistant CIT for the Assessment years 1986-87, 1987-88 and demand of Rs. 10,71,453.00, Rs. 2,28,543.00 and Rs. 1,77,264/- has been made by the Income Tax Department against which the Council has filed appeals before CIT (Appeals) in 9-3-89 and the matter is still pending. Besides for the Assessment year 1985-86 for which assessment had been completed and demand of Rs. 2,17,827/- had been made, the Council had filed an appeal with CIT (Appeals) on 6-4-88. The matter is still pending. No provision has been made in the accounts against these demands. This may be approved.

13.0 Finally, we would like to place on record our appreciation for the cooperation extended to us during the course of our audit.

Yours faithfully,
Sd/-
(THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.)
Chartered Accountants

Sd/-
R. N. TONDON,
Accounts Officer,
Bar Council of India.

Sd/-
S. M. SRIVASTAVA,
Secretary
Bar Council of India.

THE BAR COUNCIL OF INDIA

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1990

As at 31-3-1989	Liabilities		As at 31-3-90 Amount Rs.	As at 31-3-1989	Assets		As at 31-3-90 Amount Rs.
	Reserve Fund				**Fixed Assets**		1,27,828.00
17,24,047	As per last Balance Sheet	17,24,046.67			At Cost less Depreciation		
	Less: Deficit for the year Transferred from Income and Expenditure Account	7,48,432.76	9,75,613.91	1,47,236	As per Schedule 'A'		
	Provident Fund Account			4,50,000	**Investment Account**		
12,75,412	As per last Balance Sheet	12,75,412.02			**Provident Fund Investments A/c.**		
	Add : Subscription	50,764.00		12,75,412	In Post Office, S. B. Account	2,19,497.58	
	Add : Contribution	50,764.00			In post Office FDS Account	2,00,000.00	
	Add : Vol. Subscription	2,400.00			In Spl. Deposit Account	7,50,000.00	
	Add : Interest Credited	63,993.85			Accrued Interest	43,721.50	
	Add : Interest Accrued Provided	43,721.50	14,87,055.37		P.F. Loan Account	52,136.29	
					Permanent Withdrawals.	2,21,700.00	14,87,055.37
	Gratuity Fund Account				**Gratuity Fund Investment A/c.**		
5,77,488	As per Last Balance Sheet	5,77,487.98		5,77,488	In Savings A/c UCO Bank	1,19,414.25	
	Add : Interest Credited	41,926.27			In FD A/c. with UCO Bank	—	
	Add : Interest Accrued	14,932.17			In Spl. Deposit	50,000.00	
	Add : Contribution during the year	—	6,34,346.42		In FD A/c. with P. O.	4,50,000.00	
					Accrued Interest	14,932.17	6,34,346.42
85,845	**Creditors**		4,94,483.57		**Current Assets**		
27,731	**D.C. Cost (Suspense) Fee A/c**			32,344	Interest accrued on Investment	—	
	As per Last Balance Sheet	27,731.00			Cash in Hand	865.37	
	Add: Additions during the year	35,984.05			In S.B.A./c. (148) with UCO Bank	2,944.48	
		63,715.05			In S.B. Spl. A/c (1951) with UCO	1,200.87	
	Less: Payments during the year	1,214.00	62,501.05		In Current A/c. with UCO Bank	2,64,091.93	
					In Current A/c. with S.B.I.	4,962.13	2,74,064.78
4,666	**Grant-in-Aid(Law & Poverty Book)**				**Loans Advances and Sundry Debtors**		
	As per Last Balance Sheet		4,666.65	15,39,606	Outstanding Interest on Loan to Staff	76,918.30	
	Welfare Fund Account				Loans to Staff	1,79,339.00	
3,72,769	As per Last Balance Sheet	3,72,768.60			Advances for Expenses	15,457.00	
	Add: Contribution during the year	2,22,215.80			Postage Imprest	1,000 00	
	Add: Interest during the year	28,292.90			Telephone & Other Deposits	20,367.00	
		6,23,277.30			Sundry Debtors	10,89,011.15	
	Less: Expenses during the year	390.00	6,22,887.30		Sundry Debtors(Trust)	2,141.44	
					Prepaid Expenses	609.00	13,84,842.89

as At 31-3-1989	Liabilities		As At 31-3-90 Amount Rs.	As At 31-3-1989	Assets		As At 31-3-90 Amount Rs.
	BUILDING FUND ACCOUNT				REPRINT STOCK 'ACT'		
23,47,01	As per Last Balance Sheet	23,47,011.68		7,745	As per Last Balance Sheet		7,745.00
	Add : Interest on Investment and Misc. Income	51,145.10		1,360	SUSPENSE ACCOUNT		1,269.83
		23,98,156.78			REPRINT STOCK 'RULES' ACCOUNT		
	Less : Expenses	57,880.35	23,40,276.43	9,394	As per Last Balance Sheet	9,393.65	
					Add : During the year	7,670.00	
	LOANS FROM BAR COUNCIL OF INDIA TRUST					17,063.65	
20,00,000	As per Last Balance Sheet	20,00,000.00			Less : Sold during the year	6,535.00	10,528.65
	Add : During the year	10,83,576.00	30,83,576.00				
					TAX DEDUCTED AT SOURCE A/C.		
35,126	Outstanding bills as per Last Balance Sheet	35,125.55		2,268.00	As per Last Balance Sheet		2,268.00
	Paid during the year	31,495.00			WELFARE FUND INVESTMENT A/C.		
		3,630.55		3,72,709	In S.B. A/c. with UCO Bank	1,10,387.30	
	Additions during the year	1,97,205.50	2,00,836.05		Loan to Building Fund	5,12,500.00	6,22,887.30
76,322	Overdraft with UCO Bank		—		BUILDING FUND INVESTMENT ACCOUNT		
				41,10,855	(a) Cash in hand	979.00	
					(b) C/A Union Bank	5,394.80	
					(c) S.B. A/c. with Union Bank	12,796.47	
					(d) SB A/c. with UCO Bank	3,90,615.14	
					(e) Accured interest	8,747.30	
					(f) Mobilization advance NBCC	4,05,567.09	
					(g) Work in progress	43,16,513.51	
					(h) Cost of material in hand	2,12,794.00	53,53,406.51
85,26,417	TOTAL Rs.		99,06,242.75	85,26,417			99,06,242.75

SEAL
T.V.S. & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

As per our report of even date
Examined and Found Correct.

Sd/-
(THAKUR, VAIDYANATH AIYER & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
R. M. Tandon
Accounts officer,
Bar Council of India

Sd/-
S.M. Srivastava
Secretary
Bar Council of India

Place : New Delhi
Dated : 27-8-1990.

INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1990

Previous Yr. Rs.	Expenditure	This year Rs.	Previous Year Rs.	Income	This Year Rs.
5,78,763	Establishment (Salaries)	6,47,576.02	10,54,711	Enrolment Fee from State Bar Councils	9,26,685.0
41,919	Medical Reimbursement to Staff	44,007.00	98,031	Interest on Investments (Including interest on Savings Bank A/c.)	3,715.71
4,459	Leave Travel Concession	4,241.00			
48,847	Council's Contribution to P.F.	50,764.00	19,370	Interest on loans and Advances (Staff Account)	15,022.22
50,430	Contribution to Gratuity Fund	55,649.18	5,408	Disciplinary Proceedings and other Fees	19,983.00
	Travelling		—	Copying Charges	2,097.50
5,95,570	Disciplinary Committee	5,34,229.00	—	Fee for Transfer	19,950.00
50,532	Legal Education Committee	31,812.00	—	Legal Education Inspection Fees	60, 00.00
1,62,435	Council Staff	1,90,377.25	959	Miscellaneous Income	1,210.40
30,311	Staff Conveyance	23,941.70	6,65,426	Excess of Expenditure over Income transferred to Balance Sheet	7,48,432.76
52,096	Printing & Stationery	37,218.50			
51,102	Postage, Telegrams & Telephones	54,042.00			
21,000	Rent	23,625.00			
14,806	Water & Electricity	8,545.15			
6,727	Advertisements/Gazettee Notification	593.00			
9,604	General Repairs	8,800.80			
26,568	Court Proceedings/Income Tax Proceedings	4,275.00			
25,414	Meeting Expenses	7,086.90			
1,128	Bar Association (International) Subscriptions	2,023.00			
575	Periodicals & Journals	589.40			
3,000	Honorarium to Auditors	3,000.00			
29,533	Depreciation	20,897.25			
1,605	Foundation Stone Laying Ceremony Expenses	—			
—	Dinner Expenses	15,338.95			
4,036	Convention A/c.	—			
33,440	Miscellaneous Expenses A/c.	28,464.49			
18,43,905	TOTAL Rs.	17,97,096.59	18,42,905	TOTAL Rs.	17,97,096.59

SEAL
T.V.A. & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

As per out report of even date
Examined and found Correct.

Sd/-
(THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.)
CHARTERED ACCOUNTANTS

Place : New Delhi
Dated : 27-8-1990

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS AT 31ST MARCH, 1990

S. No.	Particulars of Assets	%	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK	
			As at 1-4-89	Additions Sales etc.	As at 31-3-90	Up to 31-3-89	For 1989-90	Up to 31-3-90	As at 31-3-90	As a 31-3-89
1.	Land & Building .	—	66,829.00	—	66,829.00	—	—	—	66,829.00	66,829.00
2.	Furniture . .	10%	86,759.73	—	86,759.73	59,332.73	2,743.00	62,075.73	24,684.00	27,427.00
3.	Off. Equipment . .	33.33%	1,19,554.30	550.00	1,20,104.30	87,572.30	10,843.00	98,415.30	21,684.00	31,982.00
4.	Off. Cycles . .	33.33%	3,342.90	—	3,342.90	3,173.90	56.00	3,229.90	113.00	169.00
5.	Air-Cond. & Col. .	33.33%	23,913.85	—	23,913.85	20,892.85	1,007.00	21,899.85	2,014.00	3,021.00
6.	Refregerator . .	33.33%	3,210.80	—	3,210.80	3,050.80	53.00	3,103.80	107.00	160.00
7.	Books & Publi. .	33.33%	45,529.47	939.25	46.468.72	27,881.47	6,195.25	34,076.72	12,392.00	17,648.00
	Total Rs. . .		3,49,140.05	1489.25	3,50,629.30	2,01,904.05	20,897.25	222,801.30	127,828.00	1,47,236.00

SEAL
T.V.A. & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS,
NEW DELHI.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

43RD ANNUAL REPORT 1990-91

Report of the Board of Directors

Under Section 35 of the

Industrial Finance Corporation Act, 1948

OPERATIONAL ENVIRONMENT AND OUTLOOK

1.01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in presenting the 43rd Annual Report on the operations of IFCI together with audited Statements of Accounts for the financial year ended the 31st March, 1991.

10.2 As a backdrop to the operations, performance and working results of IFCI in 1990-91, it may be useful to take a synoptic view of the operating economic and industrial environment, that prevailed during the year under report, and the outlook for the current year.

Indian Economy—1990-91

1.03. The Indian ecoonmy in 1990-91 presented a somewhat mixed picture. Despite the overall ecoonmic activity remaining uneven, according to a quick estimate, the anticipated growth in Gross National Product (GNP) is expected to be above 4.5% in 1990-91, almost close to the level achieved last year. In any case, the estimated growth rate compares favourably with the growth rates of 3.9% and 3.8% achieved in the years 1986-97 and 1987-88 respectively.

Table 1: Selected Indicators of Indian Economy

Basic Economic Indicators	Units	1990-91 (April-March) (Anticipated)	1989-90 (April-March) (Provisiond)	Percentage variationnal 1990-91 Over 1989-90
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—Population	Million	843.9	826.5	2.1
—Gross National Product (GNP) (A1980-81 prices)	Rs. crores	2,03,385	1,94,625	4.5
—GNP Per capita (At 1980-81 Prices)	Rs.	2,410	2,354	2.3
—Agricultural Production Index	1979-82=100	145.3	142.1	2.3
—Foodgrains production	Mill. Tonnes	177·2	170.6	3.8
—Fertiliser Production (NPK in terms of nutrients)	Mill. Tonnes	9.0	8.5	5.8
—Power Generation	Bill. Kwh.	264.1	245.1	7.8
—Coal Production	Mill. Tonnes	211.6	200.8	5·4
—Oil Production (Crude)	Mill. Tonnes	33.1	34.1	(—)3.0
—Cement Production	Mill· Tonnes	48.7	45.8	6.3
—Finished Steel Production	Mill. Tonnes	13.5	13.1	3.0
—Revenue Earning Goods Traffic on Railways	Mill. Tonnes	319.0	310.0	2.9
Cargo handled at Major Ports	Mill. Tonnes	153.7	147.1	4.5
—Industrial Production (General Index)	1980-81=100	212.2	196.4	8.0
—Exports	Rs. crores	32,527	27,681	17.5
—Imports	Rs. crores	42,171	35,412	21.9
—Trade Balance	Rs. crores	(—)10,644	(—)7,731	37.7
—Foreign Exchange Reserves (Excluding gold and SDRs)	Rs. crores	4,388	5,787	(—)24.2
—Money supply (M^3)	Rs. crores	2,63,954	2,29,654	14.9
—Bank Credit	Rs. crores	1,16,184	1,01,453	14.5
—Aggregate Deposits of Commercial Banks	Rs. crores	1,91,189	1,66,959	14.5
—Wholesale Price Index (Average)	1981-82=100	182.1	165.2	10.2
—Consumer Price Index for Industrial Workers (Average)	1982=100	192.8	173.4	11.2
—Rate of inflation (based on WPI) (On point to point basis)—As at the end of March	%tage terms	12.2	8.6	—

ECONOMIC SCENARIO

1.04 Table-1 presents some selected indicators of the Indian economy on estimated basis or 1990-91, alongwith corresponding provisional indicators for the previous year, and the percentage change in 1990-91 over 1989-90.

1.05 In evaluatng the economic performnce of the country during 1990-91, it would be worthwhile to keep the following aspects in view :

(i) Though, the Central Budget propsals for 1990-91 endeavoured to reduce the revenue budget deficit to Rs. 7,206 crores, but, despite the three rounds of additional tax impositions introduced between October-December, 1990, and 10% cut in the expenditure announced twice during the year, the budget deficit was estimated in the Interim Budget proposals of Rs. 10,772 crores, i.e., 49% higher than the original estimate to a considerable extent, this was due to wider impact of Gulf crisis, including cost of repatriation of Indian migrants.

(ii) The third oil shock following the Gulf crisis beginning the 2nd August, 1990, which culminated in a fulfledged 43 days Gulf war, gave a blow to the country's already precarious foreign exchange balance. Not only, its oil and pretroleum products import bill shot up by 66% there was substantial loss of remittances from Iraq and Kuwait, and dcline in India's exports to West Asian countries.

(iii) The exports, in rupee terms, which had been going up at an accelerated pace since 1986-87, recording 36% growth in 1989-90, had a substantial declaration, the growth being below 18%. Government undoubtedly took a number of corrective steps from time to time to boost exports, including the announcement on the 19th March, 1991,, of an increase in the duty drawback rates for exports on more than 100 items, covering engineering, chemicals, electronics, textiles and handicrafts, but their full impact could not be felt insofar as the overall export performance, during the year, was concerned.

(iv) Political changes at the Centre leading to the postponement of the announcement of Governmental of Policies in certain vital sectors of the economy, as also disturbed conditions in certain States, contributed, to some extent, a degree of nucertainty in the economic and business environment.

1.06 All the same, the economy was able to demonstrate, in sufficient measuring, during 1990-91, its resilence by withstanding the adverse impact of the Gulf crisis and distressing balance of paments situation. With a favourable monsoon in 1990-91 resulting in adequate and well distributed rains over space and time, the country had a record foodgrains harvest. According to an estimate, the production of foodgrains is likely to be 177.2 million tonnes—higher than the target figure of 176.5 million tonnes,— as against 170.6 million tonnes achieved in 1989-90. The prospects have also been reported bright for most of the non-foodgrains, with the exception of groundnuts, cotton and cotton seed, etc. The overall index of Agricultural Production (1979-82=100) at an estimated 145.3 is likely to show an increase of 2,3% during 1990-91, almost the same, as in the previous year. With the increase allowed by the Government, in the procurement/support prices of major agricultural commodities during the year, there was substantial rise in the public procurement of foodgrains. The procurement of wheat went up from 9 million tonnes in 1989-90 to 11.07 million tonnes in 1990-91 and that of rice from 9.38 million tonnes in 1989-90 to 10.40 million tonnes in 1990-91. The stocks of foodgrains were at a comfortable level of 18.79 million tonnes as at the end of February, 1991, compared with 12.18 million tonnes as at the end of the same month in 1990.

1.07 During the first half of 1990-91, the industrial production showed an increase of 11.6% over the corresponding period of the previous year. However, the progress could not be sustained in the remaining half of 1990-91 due to (i) the Gulf crisis, and (ii) the restricative import masures adopted by the Government as a corrective step to improve the balance of payments situation. Eeven with industrial growth in the second half of 1990-91 slipping to about 5%, the overall increase in the average index of industrial production in 1990-91 is expected to be around 8% as aginst 8.6%, in 1989-90.

Capital Market

1.08 Though the secondary capital market witnessed some buoyancy upto the middle of October, 1990, the activity in the primary market remained largely subdued, particularly from October, 1990 onwards. Apart from uncertainties, which started exerting thir influence on the market sentiment, the other factors which affected the market during the remaining halt of 1990-91, were the oil crisis the balance of payments situation, the resultant squeeze on the import of various industrial inputs, the interim fiscal measures, etc. The end result of all this was that the Economic Times Ordinary Share Price Index (1984-85=100) at 605.3 as on 27th March, 1991 was 17.5% lower as compared to the all-time high level of 733.4 reached on the 9th October, 1990.

1.09 According to the available data, approvals to private and public sector companies by the Controller of Capital Issues for raising capital (including premium but excluding bonus shares) in 1990-91 amounted to Rs. 12,341.9 crores compared with such consents for Rs. 11,843.1 crores given in the fiscal year 1989-90, rcording a very modest increase of 4.2%. But the consents or the issue of bonus shares in 1990-91 at Rs. 441.1 crores were higher by 17.9%, when compared with the consents for bonus shares at Rs. 374 crores given in 1989-90.

1.10 The total capital issues in the form of shares, debentures and bonds which had crossed the landmark of Rs. 11,850 crores in the calendar year 1989, decline rather sharply by 35% to Rs. 7,703 crores during 1990. These were around 7% of the total gross domestic savings.

1.11 The capital issues in the form of equity and preference shares increased from Rs. 1,359 crores in 1989 to Rs. 1,647 crores in 1990. This increase was largely due to the floatation of mutual funds and the rights share issues offered by certain companies. The non-convertible debenture/bond issues at Rs. 4,439 crores during 1990 also showed on increase for the third year in succession. However, the convertible debenture issues declined sharply from Rs. 5,439 crores in 1989 to Rs. 1,617 crores in 1990.

1.12 The total close ended capital issue floatations by mutual funds and bonds issues by certain institutions reached an all times high at Rs. 1,371 crores during 1990, against Rs. 540 crores during 1989. Incidentally, these mutual funds/venture capital funds started institutionalising trading in secondary scrips market also, apart from absorbing a part of scrips floated in the primary market.

1.13 Government issued several guidelines during the year to streamline the functioning of the capital market, affecting such aspects as transparency of transactions of the institutions relating to securities, minimum subscription in Public/Rights Issue, new norms for take-over a companies, guidelines for regulation of merchant banking business and mutual funds, timely listing of securities, monitoring utilisation of funds raised by large issues of Rs. 50 crores and above, as also, guidelines for issue of capital by non-banking, finance and leasing companies. For the first time, Government released to the public, the norms and parameters for the valuation of shares and fixation of premia thereon.

1.14 The Securities and Exchange Board of India (SEBI) issued guidelines for graphting exemption to sick or loss making companies not coming under the purview of BIFR from the provisions of Clause 40B of the standard listing agreement. It also revised its guidelines relating to the appointment of lead managers and prescribed new disclosure and reporting norms for all mutual funds. SEBI also commenced rating of public issue prospectuses, according to the standards of information contained and the disclosures made therein as also regulating more vigorously the activities of the merchant bankers and mutual funds.

1.15 The year witnessed a rise in the turnover on the Stock Exchanges including the comparatively new Exchanges set up in the country However, it appeared that the infrastructure available with the Stock Exchanges and brokers was not enough to handle the rising volume of turnover. Several times, the Stock Exchanges had to suspend trading to facilitate the settlement work. The need for setting up the Investors Protection Funds was also felt almost on all Stock Exchanges. The Government of India, during the year, constituted an Expert Group under the Chairmanship of Dr. S. A. Dave, Chairman, UTI, to improve the existing systems in Stock Exshanges with a view to overcoming the payment problems and removing the difficulties in settlement of transactions. A Study Group was also announced for extraining the problems relating to unregulated share trading at various levels including Kerb deals and those by other dealers and sub-brokers As at the close of the year, Government of India, in the Ministry of Finance, constituted another study group under the Chairmanship of Shri M J. Pherwani to study and recommend suitable revisions in the guidelines issued by the Controller of Capital Issue concerning new issues of shares and debentures, valuation of equity shares, listing or securities on stock exchanges, cost of public issues, allotments and refunds of excess application monies and related matters. This Study Group is also expected to make suggestions for introduction of new financial instruments, such as, non-voting shares, zero coupon bonds and warrants and to frame guidelines for the same.

Investment Climate

1.16 Despite uncertainties on the political and economic fronts, the Gulf crisis dampening the market sentiment, and approvals granted by the capital Goods (Main) Committee showing a decline of 47.9% compared with the value of approvals granted last year, the investment climate remained relatively stable Registration in respect of delicensed industries increased by 10.4%, exempted industries registration moved up by 20%, the number of Letters of Intent issued went up by 76.1% and the Carry-on-Business (COB) Licences issued registered on increase of 57.1%. Though the number and amount of new public issues at 152 for Rs. 1,099 crores turned out to be marginally less in 1990-91, the sanctions and disbursements of all financial Institutions recorded increase of 28.2% and 21.8% from Rs. 16,005.3 crores and Rs. 10,240.2 crores in 1989-90 to Rs. 20,531.5 crores and Rs. 12,480.3 crores respectively in 1990-91. Emphasis, however and rightly so, continued to be on balancing the plant and equipment and/or modernisation/diversification by the existing units with the objective of sustaining the operations on a viable basis.

Fiscal and Monetary Developments

1.17 A disquieting development which adversely affected the domestic fiscal scenario, was the impact of the Gulf crisis. To combat that, Government adopted a combination of measures, such as, increase in petroleum prices, enhanced taxes and levies, a restrictive trade policy envisaging removal of a number of items pertaining to raw materials and components from the OGL list, etc. Even then, the deficit of the Central Government for the year 1990-91, based on the data furnished in the Interim Budget proposals for 1991-92, was assessed to be 49% higher than the original estimates. The total tax revenue collection also fell short of the targets set for the year. The gross fiscal deficit for 1990-91 worked out to Rs. 43.33 crores as against the original estimates of Rs. 36,795 crores, which formed, roughly 8.6% of the GDP estimated to be Rs. 5,04,500 crores, (at current prices).

1.18 Monetary developments, however, showed an effective moderation of monetary expansion. The pace of growth of both M^3 and M^1 was considerably lower than in the corresponding period of 1989-90. In fact, increase in M^3 in 1990-91 by Rs. 34,300 crores (14.9%) was lower compared to the rise of Rs. 37,569 crores (19.6%) in the previous year. The continuing inflationary trend was largely due to the growth in net bank credit to Government, which recorded a higher increase of Rs. 21,778 crores in absolute terms than that of Rs 19,631 crores in the previous year. Net RBI credit to Government recorded an increase of Rs. 13,594 crores as compared to Rs. 13,031 crores a year ago.

1.19 Scheduled commercial banks' operations, during 1990-91, were characterised by a deceleration in growth of aggregate deposits and bank credit. Accretion to aggregate deposits by Rs. 24,230 crores (14.5%) was lower than that of Rs. 20,809 crores (19.1%) in the previous year. Expansion of bank credit by Rs. 14,731 crores (14.5%) was also lower than that of Rs. 16,734 crores (19.8%) in the previous year. Food credit expansion by Rs. 2,500 crores (124.6%) was, however, much larger than that of Rs. 1,237 crores in the previous year, owing to high procurement, increase in procurement prices and lower off-take of foodgrains. Non-food credit expansion by Rs. 12,231 crores (12.3%) was substantially lower than that of Rs. 15,497 crores (18.5%) in the year 1989-90.

1.20 The Credit Policy for the first half of 1990-91 made a serious endeavour to control the growth of liquidity. As a part of that policy, the Statutory Liquidity Ratio (SLR) was enhanced on both domestic and non-resident deposits. In September, 1990, a major rationalisation of the lending rate structure of scheduled commercial banks was undertaken, and the concessionality in interest rates was linked to the size of the loans. The credit policy announced for the busy season on the 19th October, 1990, envisaged disciplinary measures for borrowers in the form of commitment charge on unutilised credit, and penal interest on excess book debt finance, broadening of the call money market and creation of a new category of bank deposits of three years and above. In December, 1990, the limits for Certificates of Deposits (CDs) were enhanced from 2% to 3% of aggregate deposits, the penalties for Cash Reserve Ratio (CRR) shortfalls were softened, and, the access to discretionary refinance was significantly widened. In the area of selective credit controls, minimum margins on advances against paddy/rice and foodgrains were lowered by 15 percentage points, across the board, effective from the 10th October, 1990. From the 1st January, 1991, with a view to promoting exports, the proportion of export refinance over the stipulattd base level of export credit was raised from 75% to 100%. With a view to curbing imports, the margin limits were stepped up, initially to 50% and thereafter to 133.33% for opening letters of credit for the import of raw materials under OGL, with effect from the 20th March, 1991 For imports against advance licences and advance intermediate licences for own consumption, the margin was raised from nil to 50%. The cash margin for imports under specific licences, which was 50% earlier, was raised to 110%. Imports of all capital goods were made eligible only under foreign currency lines of credit available with the Financial Institutions, exceptions, being in respect of imports of oil, lubricants, fertilisers, foodgrains, edible oil, newsprint and life-saving drugs. Certain procedural relaxations were, however, allowed for letters of credit for Rs. 25 lakhs and above, but upto Rs. 50 lakhs limit.

Foreign Trade and Balance of Payments

1.21 The price situation remained cause of concern. On a point-to-point basis, the Wholesale Price Index (WPI) (Base 1981-82=100) rose from 170 1 in March, 1990 to 190.9 as of March, 1991, leading to 12.2% inflation rate. The Consumer Price Index (CPI) (Base 1982=100) at 201 also rose, on point-to-point basis, by 13.5% compared with 177 as at the end of March 1990. The impact of inflationary pressures, however, was less prominent, because of strenuous efforts made by the Government to contain the same, to the extent possible, by monitoring the public distribution system, and, having periodic reviews of the economic situation.

Foreign Trade and Balance of Payments

1.22 With the import bill rising sharply and exports showing a decelerating trend, the trade deficit in 1990-91 turned out to be of the order of Rs. 10,644 crores from that of Rs. 7,731 crores in 1989-90, marking an increase of 37.7%. Following the Gulf crisis, the remittances of the Indians residing in Kuwait and other countries in the Middle East, also showed a considerable decline. Foreign investments in 1990-91 turned out to be considerably lower, firstly, due to delay in the announcement of a new foreign investment policy, and later, with the on-set of the Gulf war. As a result, the country's balance of payments position took a serious turn, in 1990-91, but for the revaluation of the gold holdings of RBI at international market prices, and the International Monetary Fund approving on the 18th January, 1991, a first

credit tranche stand-by arrangement for SDRs 555.925 million and a purchase under the Compensatory and Contingency Financing Facility for SDRs 716.9 million. However, the balance of payments position continued to remain a cause for concern.

INDUSTRIAL PERFORMANCE

Trends in Industrial Production

1.23 During the first half of the year 1990-91, the index of industrial production recorded an increase of 11.6% over the performance during the corresponding period of the previous year. The growth could be regarded particularly impressive as it followed immediately after a 12.4% increase during the second half of 1989-90. However, in third quarter of 1990-91, the industrial activity slowed down, the index showing an increase of only 4.2%. It, however started picking up in the last quarter of the year, but the growth remained subdued due to curbs on the imports of raw materials and capital goods, etc. According to a quick estimate, the average general index of industrial production (base 1980-81=100) which was 196.4 for 1989-90 is likely to go up to an estimated 212.2, recording a growth around 8%, as against 8.6% achieved last year.

1.24 The sectoral trends in the index of industrial production during 1989-90 (actual) and 1990-91 (estimated) are given in Table-2.

1.25 While the average index in relation to 'mining and quarrying' as also 'electricity generation' recorded a relatively subdued growth of 2.3% and 7.8% as against 6.3% and 10.9% in the previous year, the average production index in the manufacturing sector, despite several constraints, registered a growth of an estimated 8.9%.

Table 2; Sectoral Trends in Industrial Production

Base 1980-81=100

Weight	Sector	%age increase over the previous year	
		1990-91* (April-March)	1989-90 (April-March)
(1)	(2)	(3)	(4)
11.46	Minining & Quarrying	2.3	6.3
77.11	Manufacturing	8.9	8.6
11.43	Electricity	7.8	10.9
100.00	All Industries	8.0	8.6

*Estimated

1.26 In the power sector, while thermal and nuclear power generation registered growth of 5% only, as compared with 12.1% in the last year, the hydel generation showed a sizeable improvement of 15.2%, as against 7.3% last year.

1.27 During 1990-91, the energy requirement in the country was roughly of the order of 285.2 billion units against which the power availability could reach only 264.1 billion units. This resulted in a power shortage of around 8%. As a result, the power cuts enforced by various States continued to remain in force throughout the year. In Tamil Nadu, the power cut had to be increased to 30%, for high tension industries from the 18th March, 1991.

1.28 Coal production during the year at 211.6 million tonnes, could show an improvement of 5.4% over the 200.8 million tonnes of coal production in 1989-90. The production of saleable steel could go upto 9.3 million tonnes as against 9 million tonnes, in the preceding year, and, that of cement to 48.7 million tonnes from 45.8 million tonnes in 1989-90.

1.29 The production of crude oil, during the year 1990-91, at 33.1 million tonnes, was lower by 3% than in 1989-90, and, much below the original production target of 35 million tonnes for the year, Government initiated a number of drastic steps to contain consumption of petroleum products, particularly after August, 1990. Curbs were also imposed on the transport and infrastructural sectors due to shortage of petroleum products and a fall in domestic production of crude oil.

1.30 Overall, the performance of the infrastructure sector remained uneven during the year 1990-91. The composite index of six infrastructure industries (viz., electricity, petroleum crude, petroleum refinery products, saleable steel, coal and cement), together accounting for a weight of 28.78% in the general index, recorded deceleration in growth rate to 4.9% in 1990-91 from 6.2% in the preceding year. Though the production of electricity, coal, saleable steel and cement was higher by 7.8%, 5.4%, 3.1% and 6.3% respectively than in the previous year, it fell short of the targets set for them for the year 1990-91. At the same time there was a decline of 3% in the case of oil (crude) and 0.2% in the case of petroleum products.

1.31 Amongst the 17 major industrial groups at two-digit level of National Industrial Classification, a number of industry groups, viz., food products, beverages, cotton textiles and textile products (except mill cloth) jute and jute products, paper and paper products, leather and leather products, rubber and plastics, chemicals and chemical products, fertilisers, non-metallic mineral products, basic metals, metal products, machinery and machine tools, electrical machinery and appliances (including electronics), transport equipment (except wagons and coaches) and other manufacturing industries recorded a positive growth. Only industry groups relating to crude oil, petroleum products, saleable pig iron, wood and wood products, vanaspati, mill cloth, jeeps and mopeds showed a decline.

1.32 Insofar as capacity utilisation is concerned, the year showed a mixed trend. The existing well-to-do units were able to make a better utilisation of their installed capacities by arranging finance through a wide variety of financial services now available in the country. However, the new and marginal units were not able to utilise their capacities fully partly because of the restrictions on the import of raw materials and components and partly due to their own liquidity constraints. *Appendix*-I to this Report gives the installed capacity, production and capacity utilisation percentage of 60 selected industrial products for the year 1990-91, and in relation thereto, the corresponding data relating to 626, assisted concerns of IFCI, based on performance reports received from them.

Financial Performance of Industries

1.33 In the first half of the year 1990-91, the corporate sector showed, for the second year in succession, encouraging financial results. Generally, high growth rates in sales and gross profits were noticed in motor vehicles, cement, electrical machinery, cotton textiles and hotels during the first-half of 1990-91. But in the later half, the elements of uncertainty, the squeeze in various imported industrial inputs and high levies in the wake of oil crisis as also difficult balance of payments situation brought down the corporate working results to a considerable extent. Even then, as a whole, it is expected that leaving aside, the 'sick' or 'closed' ones, units in all industry groups (other than rubber and plastics, bicycles, wood and wood products), are likely to have, by and large, improved financial performance, vis-a-vis the levels achieved in the previous year.

OUTLOOK

Prospects (1991-92)

1.34 The economic scenario has undergone a radical change with the impact of oil crisis and the resultant Gulf war. It also faces an uncertain prospect in the short-run in view of the fears of recessionary trends looming large even in the developed countries. At the same time, there is no doubt, that insofar as India is concerned, the fundamentals of the economy and corporate performance have remained strong. In the Indian context, much, therefore, would depend upon the new policy directions, that are overdue in the crucial areas like agriculture, industry, foreign investment, trade, taxation, fiscal policy and finance. The Eighth Plan targets and

strategies also require to be given a final shape at the earliest, so as to build up proper perceptions, with regard to priorities, growth prospects and resources

1.35 The fiscal imbalances caused by increasing budgetary deficits and resultant measures adopted for curbing and controlling the same, need to be given further thrust so as to restore the fiscal strength of the economy. In that area, the intention of Government to target budget deficit at 6.5% of projected GDP for the fiscal year 1991-92 seems to be a confidence-inspiring step. Apart from cutting down non-developmental expenditure, there is a need to give a re-look to the system of subsidies, and plan their gradual reduction over a period of time.

1.36 The new credit policy for the current season announced by the Reserve Bank of India on the 12th April, 1991 rightly aims at control of inflation through moderation of demand and conservation of foreign exchange. The same is bound to have a salutary effect on the credit administration.

1.37 It, however, needs to be mentioned that with average domestic savings rate of about 20% during the Sixth Plan period, the domestic savings were able to contribute 93.5% of the investment. Only 6.5% was met from external capital. In the Seventh Plan period, with the average domestic savings rate working out to 20.4%, the domestic savings could finance only 89.5% of the gross capital formation, and the shortfall of 10.5% had to be met from external sources. The need for stepping up the generation of matching domestic savings for bridging the savings investment gap becomes more prominent in the coming years. In that context, with the changing scenario of financial markets, industry would also have to ensure a fairly high capital base, without, of course, tilting towards over-capitalisation, so that it is able to overcome not only the relative shortages of goods scrips in the capital market, but is also able to reduce its dependence for project finance on Financial Institutions.

1.38 Overall, so far as Indian scene is concerned, there is no doubt that there is a better awareness about the difficult economic situation. At the same time, there is an urge at all levels for bringing resurgence in the economy through its strong economic fundamentals, and, also with the judicious utilisation of the country's potential. With her vast, trained work force and developed business and financial sectors, India possesses all attractions to become a magnet for foreign investment, provided an appropriate 'policy-mix' is followed. The prospects for the current year, 1991-92, depend crucially on macro-economic management, for which, the finalisation of the Eighth Plan could go a long way in providing medium term perspective However, the efficacy of the same would be contingent on controlling fiscal deficits and growth of money supply, as also managing the foreign exchange reserves and the balance of payments deficit. Measures, which have been taken to bring about an immediate reduction in imports and curb inflationary pressures, may possibly affect the industrial sector in the short run, particularly the industries, which are heavily dependent on imported raw materials, or the new projects, which have a high content of the imported plant and equipment, but, in the medium and long run, much would depend upon the overall resources mobilised and export momentum achieved.

OPERATIONS RESOURCES AND WORKING RESULTS

(A) OPERATIONS

Overall Operations

2.01 Despite a somewhat sombre operational environmental during the year 1990-91, IFCI was able to maintain its growth in sanctions as well as disbursements. Overall sanctions of IFCI, under its various schemes of assistance, aggregated Rs. 2,965.06 crores in respect of 960 projects, recording a growth of 29.2% over the sanctions of the order of Rs. 2,294.90 crores for 928 projects in the year 1989-90.

2.02 Total disbursements, during the year 1990-91, aggregated Rs. 1,574.94 crores as against Rs. 1,121.84 crores in 1989-90, registering a growth of 40.4%

2.03 Both in the matter of sanctions and disbursements, IFCI was able to exceed its targets set for the year.

2.04 Cumulatively, the aggregate sanctions accorded by IFCI under its various schemes, upto the end of March, 1991, amounted to Rs. 11,422.96 crores to 3,958 projects. The overall disbursements upto the 31st March, 1991, were of the order of Rs. 7,045.60 crores, of which, cash disbursements, i.e., disbursements excluding guarantees, were of the order of Rs. 6,918.27 crores. The total assistance disbused formed about 61.7% of the total assistance sanctioned, which could be regarded almost nearer to the last year's percentage at 62.8. The total outstanding assistance portfolio as on the 31st March, 1991, net of repayment by the borrowers, was Rs. 5,921.45 crores

Table 3: Scheme-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores)

Scheme of Financing	1990—91 (April-March)			Cumulative upto the 31st March 1991		
	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disbursements (Rs.)	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disbursements (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I Project Finance						
Related to Projects only	729	2,223.86 (75%)	1,157.80 (73.5%)	3,453	9,584.06 (83.9%)	6,091.43 (86.5%)
Sub-total (i)	729	2,223.86 (75%)	1,157.80 (73·5%)	3,453 (83.9%)	9,584.06 (86·52)	6,091.43
II. Financial Services						
—Equipment Finance	94	204.65 (6.9%)	110.44 (7.0%)	327	513.27 (4.5%)	360.88 (5.1%)
—Equipment Leasing	31	102.59 (3.5%)	60.81 (3.9%)	95	314.67 (2.8%)	208.54 (3.0%)
—Equipment Procurement	3	5.94 (0.2%)	7.23 (0.5%)	27	39.43 (0.3%)	24.15 (0.3%)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
—Equipment Credit	80	171.15 (5.8%)	154.50 (9.8%)	130	318.53 (2.8%)	208.06 (3.0%)
—Suppliers' Credit	8	87.50 (2.9%)	5.18 (0.3%)	71	370.84 (3.3%)	13.91 (0.2%)
—Buyers' Credit	25	79.78 (2.7%)	16.78 (1.1%)	39	130.62 (1.1%)	35.98 (0.5%)
—Finance to Leasing and hire purchase concerns	34	89.59 (3.0%)	62.20 (3.9%)	63	151.54 (1.3%)	1.02.65 (1.4%)
—Sub total (ii)	275	731.20 (25%)	417.14 (26.5%)	752	1,838 90 (16.1%)	954.17 (13.5%)
Grand Total (I+II)	1,004*	2,965.06 (100%)	1,574 94 (100%)	4,205	11,422.96 (100%)	7,045.60 (100%)

Notes: (1) *Actual No. projects assisted during 1990-91 are 960 and as on the 31st March, 1991 are 3,958. Some of the projects have received assistance under more then one scheme.
(2) (Figures in brackets indicate percentage ito the total)

Scheme-wise Classification of Assistance

2.05 IFCI's assistance can be broadly classified into two categories —

—Project Finance; and

—Financial Services

While project finance has been the sheet-anchor of IFCI's business right from its inception, its entry into the area of financial services has been basically from the year 1986-87 onwards. Table-3 gives the broad scheme-wise classification of assistance sanctioned and disbursed in 1990-91, both under project finance and financial services, and, correspondingly, scheme-wise cumulative data as on the 31st March, 1991.

2.06 During the year, while sanctions and disbursements under Project Finance, recorded a growth of 40.7% and 40.5% respectively, in the area of Financial Services, it was the disbursements, which had a 40.2% growth Sanctions under Financial services, during the year, had a modest increase of 3.7% over the previous year's sanctions. The share of Financial Services in the total sanctions during the year worked out to 25%.

PROJECT FINANCE

Sanctions and Disbursements

2.07 The project finance sanctions for the year under report, amounted to Rs 2,223.86 crores (75% of the total assistance sanctioned) to 729 projects as against Rs. 1,580.35 crores for 692 projects last year. So also, the disbursements against project finance amounted to Rs. 1,157.80 crores (73.5% of the total assistance disbursed) as against disbursements of the order of Rs. 824.30 crores made last year.

Table 4: Facility-wise Classification of Project Finance

(Rs. Crores)

Facility	1990-91 (April-March)		Cumulative upto the 31st March, 1991	
	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs)
Project Finance				
—Rupees Loans	1,469.02 (66.1%)	858.65 74.2%)	6,780.57 (70.8%)	4,776.1 (78.4%)
—Foreign Currency Loans	552.19 (24.8%)	233.25 (20.1%)	1,968.58 (20.5%)	1,022.91 (16.8%)
—Underwriting & Direct Subscription	141.06 (6.3%)	15.87 (1.4%)	627.39 (6.5%)	165.09 (2.7%)
—Guarantees				
—For Deferred Payments	38.28 (1.8%)	32.16 (2.7%)	126.17 (1.3%)	77.16 (1.3%)
—For Foreign Loans	23.31 (1.0%)	17.87 (1.6%)	81.23 0.9%)	50.17 (0.8%)
Total	2,223.86 (100%)	1,157.80 (100%)	9,584.06 (100%)	6,091.43 (100%)

*Includes part of outstanding loan amount converted into equity shares where the conditions of right of conversion was stipulated at the time of sanction of loan assistance, convertible debentures converted into equity shares, and part of overdue interest etc. converted into shares/debentures

Note: Figures in brackets indicate percentage to the total.

Facility-wise Classification of Assistance

2.08 Facility-wise classification of project finance under four distinct heads, viz, rupee loans, foreign currency loans, underwriting & direct subscriptions and guarantees, showing sanctions and disbursements, during the year under report, and, cumulatively upto the 31st March, 1991 are given in Table-4.

Lendings

(A) RUPEE LOANS

2.09 Rupee loan sanctions (excluding Equipment Finance) at Rs. 1,469.02 crores, during the year, showed an increase of 28.9%, when compared with the rupee loan sanctions of the order of Rs. 1,139.54 crores in 1989-90. So also, rupee loan disbursements, (excluding Equipment Finance) during the year, at Rs. 858.65 crores were higher by 29.2%, when compared with the rupee loan disbursements of the order of Rs 664.66 crores in 1989-90.

(B) FOREIGN CURRENCY LOANS

2.10 There was a rise in the foreign currency loan sanctions as well as disbursements, during the year, *inter-alia*, due to Reserve Bank of India's directive requiring that the imports of capital goods be financed against the lines of credit available with the Financial Institutions. Foreign currency loan sanctions, (excluding Equipment Finance), during the year, amounted to Rs. 552.19 crores, which were higher by 76.7% compared with the foreign currency loan sanctions of the order of Rs. 312.53 crores in the preceding year. So also, foreign currency loan disbursements (excluding Equipment Finance) at Rs. 233.25 crores, during the year, were higher by 82.7% compared with the foreign currency loan disbursements of the order of Rs. 127.67 crores during 1989-90.

2.11 In the sanctions and disbursements under project finance, (excluding Equipment Finance) during the year, the rupee loans formed 66.1% and 74.2% of the total. The share of foreign currency loans both under sanctions and disbursements under project finance, during the year, worked out to 24.8% and 20.1% respectively.

Investments

2.12 The investment operations of IFCI basically are modest in size and catalytic in nature. Its equity participation is only in project finance cases to a marginal extent, and that too, as far as possible, in conjunction with other form of assistance, agreed to be granted by IFCI. During the year, sanctions of IFCI in terms of underwriting and direct subscriptions at Rs. 141.06 crores showed on increase of 39.8% over similar assistance of the order of Rs. 100.90 crores in 1989-90. In the total project finance sanctions, however, the share of underwriting and direct subscriptions, during the year, was just 6.3%.

2.13 IFCI sanctioned, during the period under report, the facility of underwriting of equity shares to 76 concerns for an aggregate amount of Rs. 73.32 crores and debentures of 10 concerns to the extent of Rs. 40.43 crores. The sanctions relating to direct subscriptions of the order of Rs. 27.31 crores comprised 60 cases of equity shares (Rs. 11.70 crores), 11 cases of preference shares (Rs 2.94 crores) and 12 cases of debentures (Rs 12.67 crores).

2.14 During the year, 45 issues of concerns, whose shares and debentures had been underwritten by IFCI for Rs. 61.06 crores in aggregate, were placed on the market. The shares and debentures, which devolved on IFCI pursuant to its underwriting obligations, amounted to Rs. 7.10 crores. In addition, IFCI subscribed to equity shares of the order of Rs. 11.68 crores, preference shares of Rs. 1.51 crores and debentures of Rs. 1.58 crores in resepct of 78 companies, against the sanctions relating to direct subscription.

Guarantees

2.15 Guarantees were agreed to be given, during the year, in four cases, of which two related to deferred payments to machinery suppliers for an amount aggregating Rs. 38.28 crores and two cases of foreign loans aggregating Rs. 23.31 crores. In the project finance sanctions, the overall share of the guarantees for both deferred payments and foreign loans, during the year, worked out to 2.8%. In two cases, guarantees were executed, during the year, one in respect of deferred payments to the suppliers of machinery for an amount of Rs. 32.16 crores in respect of a synthetic fibre unit in Uttar Pradesh and another for Rs. 17.87 crores in respect of a foreign currency loan arranged by a chargechrome project in Orissa.

Purpose-wise Classification of Assistance under Project Finance

(A) ASSISTANCE TO NEW PROJECTS

2.16 Out of the total project finance assistance sanctioned by IFCI in 1990-91, Rs. 1,136.42 crores was claimed by 223 new projects, which showed an increase of 33.1%. The share of assistance of new projects was 51.1% while the share of assistance of the existing units, *inter-alia*, for their schemes of expansion, diversification, modernisation, etc., worked out to 48.9%.

2.17 Of the 223 new projects assisted, during the year, 8 projects had a capital outlay upto Rs. 3 crores; 41 projects individually had a capital outlay between Rs. 3 crores and Rs. 5 crores; 48 projects were in the capital outlay range of Rs. 5 crores to Rs. 10 crores; 42 projects had a capital outlay between Rs. 10 crores and Rs. 20 crores; and 84 projects were those where capital outlay per project was above Rs. 20 crores.

(B) ASSISTANCE TO EXISTING PROJECTS

2.18 The existing projects numbering 506 claimed an assistance of Rs. 1,087.44 crores. Of these, 70 projects claimed assistance of the order of Rs. 202.40 crores for their expansion and diversification programmes. 177 projects had Rs. 350.03 crores sanctioned for their modernisation programmes, and 259 projects were those, which claimed assistance of the order of Rs. 535.01 crores for meeting the cost of either balancing equipment or project overrun, or other admissible purposes, etc.

2.19 IFCI's emphasis on providing financial assistance to existing units continued on those units which sought assistance for expansion in capacities, diversification in new lines of production, balancing the plant and equipment, either under Equipment Finance Scheme or under its general schemes, as also for modernisation of the existing units. The three modernisation funds, viz., Sugar Development Fund, Textile Modernisation Fund and Jute Modernisation Fund, remained in operation throughout the year to provide impetus to modernisation of existing sugar, textiles and jute units. The modernisation assistance of Rs. 350.03 crores sanctioned during the year, include Rs. 52.60 crores sanctioned to 70 textile units under the Textile Modernisation Fund Scheme, Rs. 11.35 crores to 4 jute units under Jute Modernisation Fund scheme and Rs. 286.08 crores for other modenisation schemes of 103 projects including the sugar units. The review of Textile Modernisation Fund Scheme and Jute Modernisation Fund Scheme continued to be made by the Financial Institutions and the Ministry of Textiles, Government of India, from time to time, while the Sugar Development Fund Scheme introduced by the Government of India, with IFCI as nodal agency, remained under review wih the Directorate of Sugar and Vanaspati, Ministry of Food and Civil Supplies, Government of India.

Special Features of IFCI's Assistance under Project Finance (1990-91)

2.20 Some of the specific characteristics/special features of IFCI's assistance under project finance in 1990-91 were as under :

— Out of 223 new projects assisted, 23 projects were those, which were promoted by first generation entrepreneurs. These claimed assistance of the order of Rs. 66.02 crores.

— Assistance of the order of Rs. 27 crores was provided to 15 hospital units under IFCI's Scheme of Assistance to Corporate Hospitals and Multi-disciplinary Health Centres.

— Assistance of the order of Rs. 54.55 crores was provided to 44 hotel and other tourism related projects.

— Export-oriented projects with export obligations totalled 57; the financial assistance being of the order of Rs. 266.11 crores.

— Eight projects promoted by non-resident Indians claimed assistance of the order of Rs. 46.75 crores.

— 106 projects sanctioned assistance during the year of the order of Rs. 919.95 crores were those which involved foreign collaboration and/or technology transfer from abroad.

— Eleven projects were such as envisaged manufacture of some of the products for the first time in the country, or introducing, for the first time, a better and the latest technology/technical process in the country. The assistance to such projects aggregated Rs. 69.26 crores.

Financial Services

Merchant Banking

2.21 IFCI entered the area of financial services by starting merchant banking and allied services from the year 1986-87. Though, a late entrant, within a span of four years, the Merchant Banking & Allied Services Department (MBASD) of IFCI has been able to establish itself well by diversifying its activities, both fund-based and nonfund based, apart from introducing a number of schemes under the financial services, like Equipment Leasing, Equipment Procurement, Equipment Credit, Suppliers' Credit, Buyers' Credit, Finance to Leasing and Hire Purchase Concerns, etc. During the year, the MBASD also intensified its activities in the area of project counselling, loan syndication, trusteeship assignments, amalgamations and mergers, etc.

2.22 The MBASD, alongwith its Bureau Office at Bombay, during the year, handled 82 merchant banking assignments, of which 31 related to issue management services, 16 to project counselling, 29 to project appraisal, 5 to debenture trusteeship and one assignment related to a scheme of amalgamation and merger. The issue management assignments helped, during the year, mobilisation of funds of the order of Rs. 520 crores. Cumulatively, IFCI's MBASD had handled, since inception in July, 1986 and upto the 31st March, 1991, as many as 248 assignments, which include 129 public issues, helping in the mobilisaion of the funds of the order of Rs. 1,391.93 crores.

Equipment Finance

2.23 Under Equipment Finance Scheme, loan assistance of the order of Rs. 204.65 crores, (inclusive of Foreign Currency Loans of the order of Rs. 77 crores) was sanctioned to 94 units, during the year. This was higher by 58.2% than the loan assistance of the order of Rs. 129.36 crores to 92 units sanctioned last year. Cumulatively, under the Equipment Finance Scheme, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 513.27 crores, (inclusive of Foreign Currency Loans of the order of Rs. 117.66 crores), to 327 units, against which a sum of Rs. 360.88 crores, including Rs. 41.34 crores in foreign currency, (70.3% of the sanctions), had been disbursed upto the 31st March, 1991.

Equipment Leasing

2.24 The equipment leasing facility being granted by IFCI under its financial services covers financial lease (including master lease), syndicated lease, sale and lease back arrangement. During the year, as many as 31 transactions for providing equipment on lease, costing Rs. 102.59 crores were finalised. Cumulatively, the overall sanctions under the Equipment Leasing upto the 31st March, 1991, amounted to Rs. 314.67 crores, against which disbursements made were of the order of Rs. 208.54 crores.

Equipment Procurement

2.25 Under the Equipment Procurement Scheme, the sanctions for the year 1990-91, amounted to Rs. 5.94 crores to 3 industrial units. Overall, upto the 31st March, 1991, IFCI's sanctions under the Equipment Procurement Scheme amounted to Rs. 39.43 crores, against which disbursements had been of the order of Rs. 24.15 crores.

Equipment Credit

2.26 The Equipment Credit Scheme, which was introduced by IFCI with effect from the 28th July, 1989, gained momentum during the year. Sanctions for the year 1990-91 under the Equipment Credit Scheme aggregated Rs. 171.15 crores to 80 existing industrial units as against the sanctions of Rs. 114.32 crores to 57 units in the preceding year. Cumulatively, the overall sanctions under the Equipment Credit Scheme upto the 31st March, 1991, amounted to Rs. 318.53 crores, against which disbursements had been made of the order of Rs. 208.06 crores.

Suppliers' Credit

2.27 Under the Suppliers' Credit Scheme, the credit sanctioned, during the year 1990-91, was of the order of Rs. 87.50 crores to 8 equipment manufacturing units. Cumulatively, upto the 31st March, 1991, assistance under the Suppliers' Credit Scheme had been sanctioned to the extent of Rs. 370.84 crores to 71 equipment manufacturing units against which, the utilisation was to the extent of Rs. 13.91 crores. The slow utilisation of credit facility under the Scheme was due to the fact, that most of the clients found it difficult for their user-purchasers to arrange bank guarantees/co-acceptance of the usance bills drawn by them. The overall sanctions under the Scheme and the Scheme itself, were, therefore, under review by IFCI as at the close of the year.

Buyers' Credit

2.28 The Buyers' Credit Scheme, which was introduced last year, picked up well during the year. The assistance sanctioned under the Scheme, during the year 1990-91, amounted to Rs. 79.78 crores to 25 industrial units. Cumulatively, upto the 31st March, 1991, credit sanctioned under the Scheme had been of the order of Rs. 130.62 crores, against which the disbursements made aggregated Rs. 35.98 crores. Difficulty was experienced by the clients in view of Reserve Bank's restrictions on the commercial banks extending acceptance to the usance bills, where the assistance had been sanctioned by the Institutions under the aforesaid Scheme. A review of the Scheme was, being done as at the end of the year.

Finance to Leasing and Hire Purchase Concerns

2.29 IFCI continued to assist leasing and hire purchase concerns on a selective basis only. Accordingly, assistance of the order of Rs. 89.59 crores was sanctioned to only 34 leasing concerns, during the year. This was, however, substantially higher than the assistance of Rs. 38 crores sanctioned to 31 leasing concerns in the previous year. Cumulatively, upto the 31st March, 1991, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 151.54 crores to 63 leasing concerns, against which disbursements made had totalled Rs. 102.65 crores.

OVERALL OPERATION

Flow of Applications

2.30 Under the project finance, IFCI handled during 1990-91, applicaions (inclusive of those under the Equipment Finance Scheme) from 751 eligible concerns for an aggregate assistance of Rs. 8,476.46 crores, either, on its own, or, on joint financing basis. Applications from 7 concerns for an aggregate assistance of Rs. 81.47 crores were either withdrawn by the applicants or treated as closed for want of progress or lack of viability of the proposed projects. As at the close of March, 1991, applications from 33 concerns (17 on joint financing basis) under IFCI's lead for an aggregate assistance of Rs. 493.40 crores were pending, being at different stages of processing. Other applications from 711 concerns were sanctioned assistance during the year ended the 31st March, 1991; the disposal in 97.5% cases, having been made in less than four months' time from the date of receipt of complete information and data.

2.31 In addition to the aforesaid, applications from 74 concerns for an aggregate assistance of Rs. 1,213.55 crores on joint financing basis were pending with IDBI and ICICI, with their lead responsibility, in which also, IFCI's involvement and participation was expected in the succeeding period.

2.32 In respect of its schemes under the financial services, IFCI handled applications for assistance (other than Equipment Finance Scheme) from 211 concerns for an aggregate assistance of Rs. 585 crores. Out of these, applications from 181 concerns were sanctioned assistance under variegated schemes encompassing financial services being provided by IFCI. Applications from 23 concerns were treated as withdrawn, because of lack of eligibility and/or other related factors, and, as at the end of March, 1991, applications from 7 concerns for aggregate assistance of Rs. 12.56 crores were pending with IFCI.

Overall Assistance—Industry-wise

2.33 Industry-wise coverage of overall assistance sanctioned by IFCI, during the year 1990-91 and cumulative upto the 31st March, 1991 is given in Table-5.

2.34 Industries which claimed a significant share in IFCI's assistance during 1990-91, were iron and steel (12.8%), chemicals and chemical products (10.6%), textiles (9.9%), synthetic resins and plastic materials (9.1%), synthetic fibres (7.5%), cement (5.9%), machinery and accessories (5.8%), sugar (4.4%), electronics (3.4%), electrical machinery and appliances (3.3%), leasing (3%), paper and paper products (3%), transport equipment (2.5%) and others (18.8%). A noteworthy feature of assistance, during the year, was that numberwise, textiles with 166 units was on the top, followed by units relating to chemicals and chemical products (114), iron and steel (69), machinery and accessories (52), sugar (52), hotels and tourism related projects (44), electronics (43), transport equipment (39), cement (38), synthetic resins and plastic materials (36), leasing and hire purchase concerns (34), paper and paper products (32), etc

Table 5: Industry-wise Coverage of Assistance

(Rs. Crores)

Industry	1990-91 (April-March)			Cumulative up to the 31st March, 1991		
	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	%of the total	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	%of the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar :						
—Co-operatives	29	69.96	2.3	230	384.38	3.3
—Others	23	62.35	2.1	102	214.74	1.9
Textiles	166	293.32	9.9	708	1,144.35	10.0
Jute	4	11.35	0.4	43	59.85	0.5
Chemicals :						
—Basic Chemicals	63	137.13	4.6	193	589.32	5.2
—Fertilisers & Pesticides	19	74.33	2.5	79	547.85	4.8
—Synthetic Fibres	21	222.06	7.5	74	831.52	7.3
—Synthetic Resins, Plastic Materials and Products	36	270.21	9.1	129	559.35	4.8
—Other Chemicals & Chemical Products	51	177.54	6.0	206	496.17	4.3
Cement & Cement Products	38	174.47	5.9	155	791.02	6.9
Paper & Paper Products	32	88.79	3.0	129	370.65	3.2
Rubber Products	12	40.62	1.4	53	200.25	1.8
Iron & Steel	69	379.76	12.8	259	1,058.82	9.3
Machinery & Accessories	52	172.54	5.8	247	686.35	6.0
Transport Equipment & Parts	39	73.44	2.5	162	480.94	4.3
Electronics	43	101.35	3.4	187	561.47	4.9
Electrical Machinery & Appliances	27	97.27	3.3	122	277.10	2.4
Metal Products	20	44.41	1.5	118	233.85	2.0
Non-ferrous Metals	8	28.56	1.0	47	130.38	1.1
Misc. Non-metallic Mineral Products	31	58.60	2.0	111	247.59	2.2
Gas & Electricity	4	9.50	0.3	28	205.22	2.7
Hotel & Tourism related activites	44	54.55	1.8	141	235.78	2.1
Medical & Health Services	15	27.00	0.9	30	68.06	0.6
Fishing	1	8.51	0.3	2	11.77	0.1
Mining	8	38.21	1.3	34	126.06	1.1
Misc. Other Industries	71	160.14	5.4	306	658.58	5.8
Leasing	34	89.59	3.0	63	151.54	1.3
Total :	960	2,965.06	100.0	3,958	11,422.96	100.00

2.35 In the cumulative picture, textiles, chemicals and chemical products, iron and steel, synthetic fibres, cement, machinery, sugar, electronics, synthetic resins and plastics, fertilisers, transport equipment and paper emerged as the largest beneficiaris of IFCI's assistance having claimed together 76.3% of assistance in IFCI's portfolio.

2.36 Industry-wise distribution of assistance sanctioned during 1990-91 as also cumulative assistance as on the 31st March, 1991, according to the use-based classification of products is given in Table-6.

Table 6: Industry-wise Distribution of Assistance According to Use-based Classification of Products

(Rs. Crores)

Industry	1990-91 (April-March)			Cumulative up to 31st March, 1991		
	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	%to the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	%to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basic Industries	209	841.46	28.4	795	3,548.67	31.1
(viz., basic metal industries,	(171)	(596.65)	(26.0)	(718)	(2,825.79)	(32.4)
basic industrial chemicals, fertilizers, cement, mining, power generation, etc.)						
Capital Goods Industries	161	444.60	15.0	718	2,005.86	17.6
(viz., machinery and accessories, electrical	(179)	(589.90)	(25.7)	(656)	(1,598.30)	(18.3)
machinery and appliances, transport equipment, etc.)						
Intermediate Goods Industries						
(viz., chemical products, metal products,	182	877.04	29.6	773	2,822.92	24.7
non-metallic mineral products jute, tyres and tubes, etc.)	(195)	(607.10)	(26.5)	(695)	(2,010.28)	(23.1)
Consumer goods industries	312	622.36	21.0	1,424	(2,549.48	22.3
(viz., sugar, other food products, cotton/woolen textiles, paper and other miscellaneous industries	(287)	(367.10)	(16.0)	(1,304)	(1,951.71)	(22.4)
Service industries	95	179.60	6.0	248	496.03	4.3
(viz, hotels, medical services, shipping etc.)	(96)	(134.15)	(5.8)	(191)	(326.90)	(3.8)
Total:	960	2965.06	100.0	3,958	11,422.96	100.0
	(928)	(2,294.90)	(100.0)	(3,564)	(8,712.98)	(100.0)

Note: Figures in brackets relate to the previous year 1989-90 and as on the 31st March, 1990.

2.37 Compared with the previous year, the basic industries, intermediate goods industries, consumer goods industries and service industries improved their respective positions in IFCI's assistance portfolio in 1990-91. However, in terms of increase in the assistance during the year over the previous year 1989-90, the consumer goods industries showed improvement by 69.5%, followed by intermediate goods industries (44.5%), basic industries (41.0%) and service industries (33.9%). There was, however, a decline in the capital goods industries by 24.6% during the year 1990-91. The increase in the number of assisted projects in percentage terms was highest during the year in basic industries (22.2%), followed by consumer goods industries (8.7%).

Overall Assistance—State-wise

2.38 The State-wise spread of IFCI's assistance in 1990-91 and cumulatively upto the 31st March, 1991 is set out in Table-7.

2.39 During the year, quantumwise, the States of Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh claimed first five positions in IFCI's sanctioned assistance portfolio, though, the project number-wise, the first five positions were taken in descending order by Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat.

2.40 Compared with the percentage share of assistance in the previous year, the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnatak, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh were able to improve their position in IFCI's Sanctioned assistance portfolio during 1990-91.

Table 7 : State/Territory-wise Spread of Assistance

(Rs. Crores)

State/Union Territory	1990-91 (April-March)			Cumulative upto the 31st March, 1991		
	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	%to the total	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	%to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	99	310.96	10.5	374	1,105.05	9.7
Arunachal Pradesh	—	—	—	1	0.16	—
Assam	8	13.05	0.4	41	101.83	0.9
Bihar	11	23.08	0.8	83	187.78	1.6
Goa	5	10.88	0.4	30	66.94	0.6
Gujarat	85	448.16	15.1	356	1,449.32	12.7
Haryana	46	86.24	2.9	178	375.39	3.3
Himachal Pradesh	20	59.18	2.0	53	161.12	1.4
Jammu & Kashmir	2	5.00	0.2	21	31.75	0.3
Karnataka	50	151.32	5.1	249	541.89	4.8
Kerala	13	8.20	0.3	96	154.27	1.4
Madhya Pradesh	55	224.80	7.6	177	617.63	5.4
Maharashtra	157	626.20	21.1	698	2,216.26	19.4
Manipur	—	—	—	1	2.45	—
Meghalaya	—	—	—	6	8.13	0.1
Nagaland	—	—	—	4	2.60	—
Orissa	14	52.09	1.7	77	336.43	3.0
Punjab	53	144.77	4.9	189	598.60	5.2
Rajasthan	57	155.90	5.2	165	597.91	5.2
Sikkim	—	—	—	3	2.90	—
Tamilnadu	114	192.32	6.5	390	794.61	7.0
Tripura	—	—	—	3	4.41	—
Uttar Pradesh	96	291.12	9.8	419	1,346.01	11.8
West Bengal	33	79.86	2.7	217	400.63	3.5
Andaman & Nicobar Islands	1	0.45	—	1	1.42	—
Chandigarh	2	7.62	0.3	6	15.34	0.1
Dadra & Nagar Haveli	4	14.47	0.5	12	25.32	0.2
Daman & Diu	2	1.96	0.1	6	7.76	0.1
Delhi	23	40.71	1.4	69	206.79	1.8
Pondicherry	10	16.72	0.5	33	62.76	0.5
Total	960	2,965.06	100.0	3,958	11,422.96	100.0

2.41 In the cumulative setting, the States of Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu continued to occupy the first five positions in IFCI's total cumulative sanctioned assistance portfolio as on the 31st March 1991. The next in order were Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Karnataka, West Bengal, Haryana and Orissa.

Overall Assistance—Sector-wise

2.42 In terms of its Charter, IFCI is eligible to finance industrial projects either in the co-operative or in the corporate sectors. Table 8 gives the sector-wise classification of projects and assistance sanctioned as well as disbursed, both during 1990-91 and cumulatively upto the 31st March, 1991.

Table 8: Sector-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores)

Sector	1990-91 (April-March)			Cumulative upto the 31st March, 1991		
	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disbursements (Rs.)	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disbursements (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Co-operative	40	108.59 (3.7%)	33.91 (2.2%)	351	645.47 (5.7%)	475.70 (6.8%)
Sub-total (1)	40	108.59 (3.7%)	33.91 (2.2%)	351	645.47 (5.7%)	475.70 (6.8%)
II. Corporate						
Private	810	2,481.27 (83.7%)	1,295.47 (82.2%)	2,979	8,564.26 (75.0%)	5,125.50 (72.7%)
Public	45	182.25 (6.1%)	78.57 (5.0%)	323	861.87 (7.5%)	601.24 (8.5%)
Joint	65	192.95 (6.5%)	166.99 (10.6%)	305	1,351.36 (11.8%)	843.16 (12.0%)
Sub-total (II)	920	2,856.47 (96.3%)	1,541.03 (97.8%)	3,607	10,777.49 (94.3%)	6,569.90 (93.2%)
Grand Total (I+II)	960	2,965.06 (100%)	1,574.94 (100%)	3,958	11,422.96 (100%)	7,045.60 (100%)

Note: Figures in brackets indicate percentage to the total.

Assistance to Co-operative Sector

2.43 During 1990-91, assistance to the extent of Rs. 108.59 crores was sanctioned to 40 projects in the co-operative sector, which was higher by 55.9% over the assistance of Rs. 69.67 crores sanctioned in the previous year. The number of industrial co-operatives assisted during the year was also higher than the previous year and include 29 sugar co-operatives, 4 textile co-operatives, and 7 other co-operatives pertaining to fertilisers, basic chemicals, synthetic fibres and plastic material industries.

2.44 Cumulatively upto the 31st March, 1991, IFCI had sanctioned assistance of Rs. 645.47 crores to 351 industrial co-operatives against which Rs. 475.70 crores had already been disbursed. While Maharashtra continued to remain a fore-runner, it is a matter of satisfaction for IFCI, that through its support and priority accorded to co-operative sector ventures, co-operative movement has gathered momentum in almost all the States. Presently, out of 351 co-operatives in IFCI's portfolio, while 130 co-operatives are in Maharashtra, 44 are in Uttar Pradesh, 30 in Karnataka, 25 in Gujarat, 24 in Tamil Nadu, 24 in Andhra Pradesh, 19 in Punjab, 12 in Orissa, 11 in Haryana, 6 in Bihar, 5 each in Assam, Kerala and Madhya Pradesh, 4 in Rajasthan, 3 in West Bengal, 2 in Pondicherry and one each in Goa as also Dadra and Nagar Haveli. Since almost all co-operatives are either agro-based or provide inputs to agriculture, IFCI has been able to develop, by providing impetus to the co-operative movement in the industry, a good nexus between agriculture and industry, besides including economic growth, in general, of rural areas.

2.45 Of the 351 industrial co-operatives, 230 are sugar co-operatives, 98 textile co-operatives and 23 other co-operatives. The sugar co-operatives have been instrumental in promoting a number of ancillary and associate industries, like distilleries for the manufacture of industrial alcohol, confectionary units, bagasse-based paper plants, production of mixed and granulated fertilisers, etc. In textiles, spinning co-operatives have afforded opportunities for the development of the handloom sector in the rural and semi-urban areas. The spread of the co-operative movement in many other industries like jute, fertilisers, synthetic fibres, vegetable oil, cocoa processing, paper, chemicals and chemical products, etc., over the years, is an eloquent testimony to the successes and strengths achieved by the medium and large-sized industrial co-operatives all over the country. In rehabilitating sick but potentially viable industrial units, the experiment of forming the workers' co-operatives, for restarting the closed units with institutional assistance, has also met with reasonably good success.

Assistance to Corporate Sector

2.46 In the coporate sector, the *private sector*, which has been the largest beneficiary of the financial assistance from IFCI, in view of the specific role assigned to it, claimed assistance of the order of Rs. 2,481.27 crores (83.7% of the total) for 810 projects, during the year. This was higher by 37.2% over the assistance of Rs. 1,808.93 crores sanctioned to 764 such private sector projects in 1989-90. Cumulatively, IFCI's sanctions to the private sector upto the 31st March, 1991 aggregated Rs. 8,564.26 crores (75% of the total) to as many as 2,979 projects, which is indicative of the positive role played by IFCI during the last 43 years of its existence for the growth and development of this sector.

2.47 The assistance to *public sector* projects not covered by the budgetary support of Government), during the year 1990-91, amounted to Rs. 182.25 crores and formed 6.1% of the total. Though, the assistance to public sector projects during the year was higher by 42.9% compared with the assistance of Rs. 127.58 crores sanctioned to public sector projects last year, the number of projects assisted

during the year, more or less, remained the same. Cumulatively, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 861.87 crores to 323 public sector projects (forming 7.5% of the total cumulative assistance sanctioned), against which the disbursements had been of the order of Rs. 601.24 crores.

2.48 With regard to the *joint sector projects*, there was considerable decline both in the quantum of assistance and projects sanctioned, during the year. Compared with the assistance of the order of Rs. 288.72 crores sanctioned to 86 joint sector projects in 1989-90, the sanctions, during the year 1990-91, were of the order of Rs. 192.95 crores to only 65 joint sector projects. Cumulatively, upto the 31st March, 1991, IFCI's sanctions aggregated Rs. 1,351.36 crores (11.8% of the total) to 305 joint sector projects, against which, the disbursements aggregated Rs. 843.16 crores.

2.49 The overall assistance to the corporate sector, comprising private, public and joint sector projects, during the year, aggregated Rs. 2,856.47 crores to 920 projects. Cumulatively, that assistance aggregated Rs. 10,777.49 crores (94.3% of the total) to 3,607 projects, against which, the disbursements effected were of the order of Rs. 6,569.90 crores.

2.50 In the corporate sector, in the overall assistance portfolio of IFCI, as on the 31st March, 1991, quantum-wise the State of Maharashtra occupied the first position with a tally of the order of Rs. 1,969.76 crores (18.3%). The next in order were Gujarat Rs. 1,335.53 crores (12.4%), Uttar Pradesh Rs. 1,254.77 crores (11.7%), Andhra Pradesh Rs. 1,080.71 crores (10.0%), Tamil Nadu Rs. 763.06 crores (7.1%), Madhya Pradesh Rs. 612.83 crores (5.7%), Rajasthan Rs. 593.19 crores (5.5%) and Punjab Rs. 566.25 crores (5.3%). Number-wise, the largest number of projects assisted in the corporate sector were from Maharashtra (568) followed by Uttar Pradesh (375), Tamil Nadu (366), Andhra Pradesh (350), Gujarat (331), Karnataka (219) and West Bengal (214).

Assistance to Backward Areas and No-Industry Districts

2.51 Pending review of the existing scheme of concessional finance for projects coming up in centrally notified backward district/areas, Financial Institutions, including IFCI, continued to follow the existing norms and parameters for projects coming up in centrally notified backward districts/areas with a view to helping a balanced regional industrial development in the country. Government guidelines also stated that the projects coming up in the identified Growth Centres would be eligible for concessional finance from the institutions on the same basis as 'B' category backward districts/areas, unless a particular Growth Centre already appeared in category 'A', viz., No-Industry/Special Region District.

2.52 During the year, IFCI's assistance to projects in centrally notified backward districts/areas amounted to Rs. 1,406.78 crores in respect of 457 projects. This was higher by 39% when compared with the assistance of Rs. 1,012.42 crores in respect of 420 projects in notified backward districts/areas approved in 1989-90. The overall assistance to projects in centrally notified backward districts/areas during 1990-91 constituted 47.4% of the total assistance sanctioned. Last year, that was 44.1% of the total assistance sanctioned.

2.53 As per the existing scheme of classification of backward districts/areas under category 'A', 'B' and 'C', 102 projects located in category 'A' (No-Industry/Special Region Districts) secured assistance of the order of Rs. 310.71 crores, 191 projects located in category 'B' districts/areas claimed assistance of the order of Rs. 594.52 crores, and, 164 projects in category 'C' districts/areas had assistance amounting to Rs. 501.55 crores. The percentage share of each category of notified backward districts, i.e., category 'A', 'B', and 'C', in the total assistance sanctioned to projects in centrally notified backward districts/areas worked out to 22.1%, 42.3% and 35.6% respectively.

2.54 Cumulatively, upto the 31st March, 1991, IFCI had sanctioned financial assistance aggregating Rs. 5,508.60 crores to 1,820 projects located in notified backward districts/areas, which constituted 48.2% of IFCI's overall net cumulative sanctions. The disbursements against these sanctions upto the 31st March, 1991, had been of the order of Rs. 3,493.25 crores.

Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects

2.55 A study of 293 new and expansion/diversification projects assisted by IFCI in 1990-91, indicates that IFCI's assistance, during the year, would be able to create substantial capacities in a wide variety of industries. The aforesaid projects assisted during the year are expected to create direct employment opportunities for 57,072 persons, apart from indirect employment and growth of other social infrastructure. The value of annual output from these projects is estimated to be in the range of Rs. 7,840.69 crores. The gross valued added is likely to be of the order of Rs. 3,231.60 crores, which accounts for the contribution of these projects to the Gross National Product (GNP) of the country. A detailed statement in this regard is annexed vide *Appendix-II*.

Funding Pattern of Industrial Concerns Assisted by IFCI (1990-91)

2.56 IFCI's operations in 1990-91, according to a study made of the funding pattern of 688 projects excluding the cases of (a) Overrun Finance, and (b) Financial Services (except Equipment Finance), reveals that IFCI's assistance would be able to catalyse an investment of Rs. 12,119.64 crores, as per details given in *Appendix III*.

Sanctions Accorded in the Public Interest

2.57 During the year under report, there was no case, where because of Director(s) of IFCI being interested, in terms of Section 26(2) of the IFC Act, 1948 (as amended from time to time), IFCI had to sanction any assistance in public interest in terms of Industrial Finance Corporation (Transaction of Business with Specified Industrial Concerns) Regulations, 1982.

(B) OPERATIONAL DEVELOPMENTS

Authorisation under IFC Act, 1948

2.58 During the year, the Central Government, in exercise of the powers conferred on it, by sub-clause (xvi) of clause (c) of Section 2 of the IFC Act, 1948, *vide* its Notification dated the 18th May, 1990, notified that the concerns engaged or proposing to engage in providing services by way of venture capital, risk capital, factoring and discounting, would be considered eligible industrial concerns for the purpose of financial assistance from IFCI. Since venture capital, risk capital, factoring and discounting are all innovations in the field of development banking, these are likely to broaden considerably the scope of operations of IFCI in the coming years.

Export Incentive Scheme

2.59 In view of the paramount necessity of boosting the export performance of the country, it was agreed by the Financial Institutions, during the year, to extend their Export Incentive Scheme for assisted industrial units for another year. It was also agreed that in the case of companies, which were under minimum export obligation, the requirement of export sales reaching or exceeding 25% of the value of their total sales would be reckoned over and above the minimum export obligation for the purpose of determination of incentives in the form of interest rebate equivalent to the 1/5th of the interest payments to the Institutions. Further, to be eligible for incentive under the Scheme, the units were expected to achieve at least 50% of their capacity utilisation. The export incentive in the form of rebate in interest to 100% export-oriented units during the construction period (not exceeding two years) was agreed to be made available to them only after their completing the projects and commencing the commercial production.

Eenergy Conservation Scheme

2.60 During the Seventh Plan period, it might be recalled that, with a view to encouraging energy conservation measures, the Financial Institutions had introduced two schemes, known as Energy Audit Subsidy (EAS) Scheme and Equipment Finance for Eenergy Conservation (EFEC) Scheme. During

the year, the operation of the aforesaid schemes was extended till the end of the Eighth Plan period, i.e., upto the 31st March, 1995. The amount of assistance available per company was also increased from Rs. 4 crores to Rs. 5 crores or 5% of the gross value of the fixed assets of the company (exclusive of revaluation), whichever be the lower. Further the rebate allowed under the Scheme was linked to a datum; a reduction in the interest rate of 2% per annum could be provided, if the savings brought in the specific energy consumption were more than 10%, and, 1% reduction in the interest rate was applicable, if the energy saving was between 5 to 10% of overall average specific energy consumption for the last three years, as certified by an approved energy audit agency. However, such rebate of interest was not to be made admissible to those concerns which were in default in meeting their obligations to the Financial Institutions.

Exchange Risk Administration Scheme

2.61 The Exchange Risk Administration Scheme (ERAS), which was introduced with a view to providing a measure of protection to the borrowers of foreign currency loans against foreign exchange risks and distributing the cost of such protection equitably amongst them, with effect from the 1st April, 1989, for a period of two years, was extended for a further period of three years ending the 31st March, 1994. During the year, taking into account the continued depreciation of the rupee against major foreign currencies and the increase in the borrowing costs, the composite cost band under the scheme was reviewed four times; and the applicable interest rate p.a., within the band was raised from 16% to 17% for the period from the 1st May, 1990 to the 31st July, 1990, 17.5% for the period from 1st August, 1990 to the 31st October, 1990, 18.5% for the period from the 1st November, 1990 to the 31st January, 1991 and 20% for the period from the 1st February, 1991 to the 31st March, 1991.

Consortium Arrangement for Appraising and Financing the Projects.

2.62 A major deviation from the existing arrangements, during the year under report, was to exclude the projects costing upto Rs. 20 crores from the purview of the formal consortium financing arrangements. In terms of the new arrangement, agreed to be introduced with effect from the 1st November, 1990, all projects costing upto Rs. 20 crores could be appraised and financed by any one institution, either on its own or in participation with other institutions, without a reference to any of the inter-institutional fora, i.e., either Senior Executives' Meeting, (SEM), or Inter-Institutional Meeting (IIM). Only the projects costing above Rs. 20 crores are now to be taken up for financing on consortium approach and joint financing basis under the Project Financing Participation Scheme. Even here, the reference is restricted once at the preliminary stage, and, later, for determining the sharing of assistance. As regards rehabilitation cases, it is agreed, that only those cases, which involve grant of additional assistance by other participating institutions of over Rs. One crore, or, those which involve change management, would be brought for consideration at a SEM only. The aforesaid arrangements provide considerable operational flexibility in appraising and financing of the projects, and every institution has freedom to either provide the entire assistance on its own to viable industrial projects or arrange for sharing with the other institution(s) outside the consortium fora. Thus, the formal nature of the existing consortium arrangement has been substituted, with an arrangement of discretionary nature; the discretion to be exercised by the institution to which the application for financial assistance has been made by a prospective borrower.

Change in the Lending Terms, etc.

(a) *Interest Rate Structure*

2.63 For the first time, after the 2nd March, 1981, IFCI's interest rate structure underwent a change with effect from the 1st August, 1990, both under the areas of Project Finance and Financial Services, so as to bring the same, albeit partly, in alignment with the increase in the borrowing cost, that had taken place during the last nine years. A two-tier interest rate structure was adopted, the first-tier interest rate made applicable for an initial period of two years or the construction period of the project, whichever be the shorter, and the second-tier interest rate (normally 1% higher than the first-tier interest rate) was made applicable to the assisted projects for the period immediately after a period of two years or the commencement of commercial production, as the case might be.

2.64 Further, all modernisation loans, whether under the Soft Loans Scheme, or the Textile Modernisation Fund or the Jute Modernisation Fund, (other than 'Special Loans'), were made subject to the aforesaid two-tier normal lending interest rate structure with effect from the 1st August, 1990.

2.65 Insofar as foreign currency loans were concerned, an option was given to the borrowers to either join the Exchange Risk Administration Scheme (ERAS), in which case the rate of interest, as determined on a quarterly basis, was to be made applicable. Where, however, the sub-borrowers had opted to bear the exchange risk, on their own, and had not opted for ERAS, the interest rate structure of foreign currency loans remained unchanged.

2.66 The interest/yield rates for various schemes related to the financial services of IFCI also underwent change, as a result of revision in the interest rate structure under the project finance.

(b) *Front-end Fee*

2.67 A significant development, during the year, was the introduction of a system of levying the Front-end Fee, with effect from the 1st August, 1990, to be collected from the borrower at the time of the execution of the relative agreement for the facilities sanctioned, in substitution of the earlier practice of levying commitment charge on the undrawn balances of loans (Rupee and Foreign Currency).

(c) *Convertibility Option*

2.68 With regard to the convertibility guidelines, there was no change in the existing norms. It was, however, agreed that wherever the institutions had waived their option to convert rupee loans into equity as consideration for a healthy company to take over a sick unit by way of merger, such loans, as were exempted from conversion option, were to be counted for the purpose of arriving at the threshold limit of Rs. 5 crores (to which convertibility clause was not applicable), while considering the grant of fresh assistance to the company after take-over.

2.69 In respect of sanctions accorded during the year under review, convertibility clause was stipulated as per extant guidelines in 148 cases. The convertibility right was exercised during the period under review in two cases only and waived in 9 cases. Cumulatively, since the introduction of convertibility guidelines, IFCI had stipulated the convertibility clause in 1,651 cases, exercised the convertibility option in 131 cases and waived the same, after taking into account the relevant factors, in 554 cases.

Project Evaluation Strategy

2.70 With a view to facilitating investment decisions, as many as 21 market evaluation studies of a few industries/products were made at the inter-institutional level. Mention in this regard may be made of supply-demand studies relating to industrial alcohol, vanaspati, duplex boards, titanium dioxide, sponge iron, ceramic tiles, styrene acrylonitrile, granite, plastic foam boards/profiles, black & white picture tubes, fluted tubes and wires, particle boards, fibre boards, multifilament polypropylene film, speciality polyester filament yarn, continuous casting refractories, spinning units, caprolactam, denim fabrics, caustic soda/chlorine, lead acid batteries etc. Some of the aforesaid studies were carried out by the Institutions with IFCI in the lead. Besides, some in-house studies on the status of various industries, like food processing, paper, sugar, spinning units, petro-chemicals, ball bearings, brake-linings, etc., were also carried out by IFCI during the year.

2.71 Studies apart, emphasis in the appraisal of the projects was also laid on the use of energy conservation measures (including the use of non-conventional sources of energy, wherever feasible), adequacy of arrangements for environmental protection, pollution control and safety of men, materials and equipment. Prospects of direct and indirect employment generation, ancillarisation, import-subsitution and/or export-orientation ancillarisation, import-substitution and/or export-orientation, etc., were also given due importance in the evluation of the projects for institutional finance.

Monitoring Strategy

2.72 In respect of projects, where the absorption of imported technology or phased manufacturing programme and/or payment of royalty to foreign collaborators was involved.

the endeavour of collecting information during the course of site visits with regard to extent of absorption of imported technology in operations, success achieved in the phased manufacturing programme and the position regarding out-flow of foreign exchange for payment of royalty vis-a-vis the projections made at the time of appraisal of such projects was started. So also, a detailed techno-economic re-appraisal was made obligatory immediately after the borrower concern went into commercial production, so as to make a realistic assessment of actual implementation cost of the project vis-a-vis its appraisal cost, re-assessment of its profitability and funds-flow, and refixation of repayment schedule(s), wherever called for, vis-a-vis the provisional schedule incorporated earlier in the Appraisal and other Legal documents.

2.73 The fora of the Regional Executives Meetings (REMs) and the institution of Nominee Directors were increasingly used for effectuating intensive monitoring of the affairs of the assisted concerns, depending upon the circumstances of each case.

Nominee Directors

2.74 Government and institutional guidelines with regard to the appointment of nominee directors continued to be observed by IFCI, in terms of which IFCI had appointed 384 nominee directors on the Boards of as many as 971 assisted concerns, of which 170 were officials and 214 non-officials. The Nominee Directors' Cell set up in IFCI continued to be headed by an Executive Director with other officers at the supporting level. Besides, three senior executives at Head Office, officer(s) from Regional/Branch/Other Offices of IFCI were designated as the members of the Nominee Directors' Cell for attending to the various tasks assigned to it.

Co-ordination with Banks and Financial Institutions

2.75 Co-ordination between Banks and Financial Institutions continued to remain active in terms of the forum of Standing Co-ordination Committee and the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time. The system of exchange of information about common clients of banks and Financial Institutions on reciprocal basis was deepened further, and the Banks were generally associated with all the joint meetings.

Interface with Government

2.76 IFCI continued to have interface as well as interaction with various Ministries and Departments of the Government of India. It was also represented on various Committees/Working Groups constituted by the Government of India, Reserve Bank of India or IDBI, from time to time. IFCI continued to act as the nodal agency for Sugar Development Fund and Jute Modernisation Fund and was involved with all matters relating to the modernisation and creation of fresh capacities in various segments of industry, particularly, in matters relating to sugar, textiles and jute.

(C) PORT FOLIO MANAGEMENT

Investment Portfolio

2.77 IFCI's investment portfolio consists of investments made in the assisted concerns arising from (a) acquisition of shares pursuant to underwriting obligations, (b) direct subscription to shares, wherever agreed upon, (c) exercise of convertibility option in respect of loans sanctioned as per extant convertibility guidelines, (d) bonus share issues, (e) subscription to rights shares, (f) conversion of convertible portion of debentures, and (g) conversion of overdue interest into shares debentures in the case of sick/potentially sick cases. IFCI, not being an Investment Institution, endeavours to liquify its investments, as far as possible, over a period of time. Sales are in small lots in the open market through empanelled stock/share brokers of recognised Stock Exchanges, wherever the companies are listed on the Stock Exchanges, and, where trading has been taking place normally. In other cases, the practice is to review the investment portfolio, from time to time, and take decisions to dispose of the shares, either in accordance with pre-determined arrangements, or, in accordance with the convenants of the agreement and/or settlement through negotiations keeping in view the spirit of the agreement, the ruling prices, if any, the valuation of shares and other relevant factors including operational and statutory guidelines.

2.78 During the year, IFCI acquired shares/debentures of the value of Rs. 15.87 crores and sold off its investments of the face value of Rs. 2.47 crores, making a profit on the sale of investments of the order of Rs. 10.57 crores. The revenue from equity shares by way of dividend during the year 1990-91, amounted to Rs. 5.76 crores and by way of capital gains Rs. 10.57 cores. The average return on equity shares (inclusive of capital gains) worked out, for the year at 12.8%. Component-wise, a major portion of IFCI's investments, as at the end of March, 1991, was 84.6% in equity shares (Rs. 130.55 crores), 3.7% in preference shares (Rs. 5.70 crores) and 11.7% in debentures (Rs. 17.99 crores).

Outstanding Loans Portfolio

2.79 The outstanding loan assistance portfolio of IFCI, as at the end of March, 1991, stood at Rs. 5,479.64 crores. This was in relation to 2,681 concerns.

2.80 Against the outstanding loan assistance as on the 31st March, 1991, the amount which fell due during the year after usual reschedulings, etc., was Rs. 390.71 crores. Against this, a sum of Rs. 348.84 crores was collected, giving a collection ratio of 89.3% for the principal amount for the year. The net amount of interest due during the year worked out to Rs. 492.20 crores, against which Rs. 455.19 crores (92.5%) was realised.

2.81 The total overdues (comprising principal Rs. 129.04 crores and interest Rs. 82.37 crores) aggregated Rs. 211.41 crores. These overdues formed about 3.9% of IFCI's total outstanding loans portfolio as on the 31st March 1991.

Rehabilitation Programmes

2.82 In respect of BIFR cases, i.e., those covered by the provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, (SICA) the efforts of IFCI towards rehabilitation of sick units were dovetailed with those of the BIFR. As on the 31st March, 1991, of the number of sick concerns (under IFCIs lead), in terms of the provisions of Section 15 of SICA, 88 concerns were registered with Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR). Against these, in respect of 87 cases, IFCI was expected to carry out viability studies/submit reports as Operating Agency. Up to the year, IFCI had 14 cases for submitted reports in respect of 73 cases, of which 21 were submitted during the year. As at the close of the year, IFCI had 14 cases for detailed investigation as Operating Agency. Of the 73 cases, where reports had been submitted by IFCI up to the 31st March, 1991, final decision had been taken by BIFR in 46 cases involving sanction of rehabilitation schemes in 37 cases and recommending winding up in 9 cases. In the remaining 27 cases, as on the 31st March 1991, the hearings by BIFR were at different stages, and were yet to be concluded. In all, during the year, 102 hearings were held by BIFR in respect of 63 IFCI lead cases.

2.83 These apart, IFCI was also involved in 3 non-lead cases as Operating Agency. Further, in four cases under IFCI's lead, viability studies/revival plans had been worked out by IFCI under the aegis of BIFR, but not as operating Agency. The expertise of IFCI was also made available to BIFR in scrutinising/reshaping the schemes for revival of certain non-assisted sick units as well.

2.84 In respect of non-BIFR cases, i.e., the case not covered by the provisions of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, formulation and designing of rehabilitation packages were done in the background of guidelines evolved by the Reserve Bank of India in close collaboration with the involved Financial Institutions and Banks. The guidelines issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) in respect of changeover of management/amalgamation of merger, etc., as a part of the rehabilitation package requiring the whole process to be fair and transparent were also received during the year. The endeavour according to the SEBI guidelines was on reviving the non-BIFR sick units through bail-out take-overs on a just and equitable basis. IFCI also continued to be closely involved with the rehabilitation efforts made by other Financial Institutions in respect of their lead cases.

2.85 The period under report also witnessed over a dozen of the assisted units, which were under the nursing programme of IFCI, moving towards turnaround/revival of

their health. In addition, about a dozen proposals of mergers/take-overs as a part of the rehabilitation programme were being monitored by IFCI. A like number also involved negotiated settlements with IFCI in the lead.

Excise Relief to Weak Industrial Units

2.86 A mention was made in the last year's Annual Report about the Government of India introducing a Scheme for Excise Relief to weak industrial units with effect from the 17th October, 1989. During the year, the Government allowed relaxations in respect of BIFR cases, in terms of which, the excise loan not exceeding 50% of the excise duty paid for five years (instead of three years in other cases) from the date of the approval of rehabilitation package, could be granted, subject to the total amount not exceeding 33% of the package (as against 25% of the cost of rehabilitation package in other cases), provided, (a) BIFR recommended the relief as a part of the rehabilitation package, (b) 1,000 or more employees were engaged by the concerned sick unit, and (c) substantial sacrifices on the part of the State Government and Financial Institutions were involved in the package so approved. The Central Government also agreed under the scheme to extend, in suitable cases, on merits of each case, a moratorium on recovery of arrears of excise dues upto a period of 10 years and/or waiver of interest on arrears of excise dues in deserving cases.

(D) RESOURCES AND FINANCIAL MANAGEMENT

Mobilisation of Rupee Resources

2.87 During the year ended the 31st March, 1991, the total rupee resources mobilisation by IFCI was Rs. 1,564.24 crores (excluding its opening rupee cash balance of Rs. 34.21 crores. The year 1990-91 remained, by and large, a difficult year from the view point of mobilisation of resources; the silver lining, in an otherwise sombre situation in the resource mobilisation, was the rupee funds assistance provided by sister institutions like IDBI, LIC, GIC, UTI as also the organisations like Army Group Insurance Fund, etc. The overall support lent by the Government of India and the Reserve Bank of India (RBI) was also helpful as well as encouraging.

2.88 Major highlights with regard to raising of rupee resources on the domestic front, during the year under report, were as under :

- Raising of additional share capital aggregating Rs. 35 crores (Rs. 12.50 crores raised on the 31st May, 1990 and Rs. 22.50 crores raised on the 26th March, 1991).
- Accretion to reserves of the order of Rs. 60.15 crores.
- Increased receipts on account of (a) repayment of loans by borrowers, and (b) sale/redemption of investments, aggregating Rs. 370.04 crores.
- Augmentation of rupee resources by three public issue of bonds (56th, 57th and 58th Series made on the 26th June, 1990, the 24th September, 1990 and the 26th December, 1990) in the aggregate sum of Rs. 400 crores
- Rupee borrowings aggregating Rs. 677.90 crores raised from (a) IDBI (Rs. 200 crores), Life Insurance Corporation of India (Rs. 200 crores), Unit Trust of India (Rs. 175 crores), General Insurance Corporation and its subsidiaries (Rs. 50 crores), Army Group Insurance Fund (Rs. 50 crores), Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (Rs. 1.90 crores) and Biotech Consortium Ltd. (Rs. one crore). The rate of interest on such borrowings ranged between 13% to 14.5%.
- Availing to the extent possible, the working funds limit from the Reserve Bank of India (RBI), the outstanding of which in the account, as on the 31st March, 1991, was Rs. 44 crores.
- Increased receipts of the order of Rs. 9.25 crores under Interest Differential Funds from the Government of India.

Utilisation of Rupee Resources

2.89 The utilisation of rupee resources was towards making cash disbursements of the order of Rs. 1,274.87 crores against the sanctioned assistance, repayment of loans to Indian Financial Institutions and other organisations—Rs. 139.40 crores, repayment of loans to the Central Government—Rs. 0.91 crore, payment of dividend—Rs. 17.73 crores, discharge of and provision for tax liability—Rs. 24.25 crores, and, other uses aggregating Rs. 83.67 crores. The rupee cash balance as at the close of the year was Rs. 57.62 crores.

Participation in the Call Money Market

2.90 A significant development of the year was that IFCI was permitted by the Reserve Bank of India to participate in the Call Money Market (overnight call money and short notice mony for period up to and including 14 days) only, as a lender with effect from the 20th October, 1990. The lending operations of IFCI were, however, required, to be restricted only to the placement of its short-term surplus funds, provided IFCI did not have any outstanding short-term borrowings from the Reserve Bank of India.

Foreign Currency Resources and Their Utilisation

2.91 During the year under report IFCI contracted a loan of US $ 100 million with a consortium of foreign banks with Sanwa Bank Ltd., Hong Kong, acting as agent and BT Asia Ltd. LTCB Aisa Ltd., Sanwal International Finance Ltd. acting as arrangers.

2.92 During the year IFCI also swapped US $ 40 million and US $ 151 million loan raised by the Housing Development Finance Corporation Ltd. (HDFC) and the Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd., (IL&FS) respectively with counterpart rupee funds. Both HDFC and IL&FS had raised the above Dollar funds from International Finance Corporation, Washington IFC(W).

2.93 Overall foreign currency resources of IFCI, as at the close of the year ended the 31st March, 1991, consisted of—

- Borrowings from Kreditanstaltfur-Wideraufbau (KFW) of Germany against 25 DM Lines of Credit aggregating DM 408 million;
- Cumulative borrowings in foreign currencies raised from the international capital market equivalent to US $ 808,610 million.
- Credit Line from Finnish Fund for Industrial Development Cooperation Ltd. Finland of the order of Fin Markas 30 million.
- Asian Development Bank (ADB) Line of Credit of US $ 150 million.

2.94 Against the above foreign currency resources, IFCI had committed up to the 31st March, 1991, sub-loans in foreign currencies equivalent to Rs. 2,086.24 crores. The actual disbursement of foreign currency sub-loans up to the 31st March, 1991 had been equivalent to Rs. 1,064.25 crores, of which, the disbursement during the year 1990-91 alone was of the order of Rs. 250.04 crores.

2.95 During the year, the actual ageregate borrowings in foreign currencies were equivalent to Rs. 380.04 crores and the repayment of foreign currency borrowings was equivalent to Rs. 199.05 crores. The net outstanding borrowings in foreign currencies as on the 31st March, 1991 were of the order of Rs. 1,720.46 crores, as against Rs. 1,539.47 crores (on revalued basis at the rate prevailing on the 3st March, 1991) as on the 31st March, 1990.

Sources and Uses of Funds (Cumulative)

2.96 The aggregate resources of IFCI, since inception and up to the 31st March, 1991, amounting to Rs. 8,897.85 crores consisted of its share capital, Rs. 135 crores, internal generations Rs. 2,298.52 crores, external commercial borrowings, Rs. 1,546.32 crores, foreign credits, Rs. 299.20 crores, borrowings from Government and other institutions, Rs. 1,323.82 crores and market borrowings Rs. 3,294.99 crores. These had been utilised for rupee disbursements of the order of Rs. 5,688.93 crores, foreign currency disbursements of Rs. 1,064.25 crores, investments of Rs. 165.09 crores, redemption of bonds Rs. 395.44 crores, repayments to the Government and Indian Financial Institutions/ Organisations,

Rs. 345.04 crores, foreign credit repayments, Rs. 438.21 crores provision for payment of dividend, Rs. 72.48 crores, tax, Rs. 192.05 crores, other uses, Rs. 469.99 crores and closing cash balance Rs. 66.37 crores.

Contribution to National Exchequer

2.97 In terms of Section 40 of IFC Act, 1948, IFCI is liable to pay income tax (and super tax, if any) on its income, profits and gains like any other company in the private corporate sector. Even the Income Tax Act, 1961, does not make any distinction between IFCI and any other company for the purpose of computing taxable income, except that the deductions are permissible under the Income Tax Act, 1961 out of the total income in respect of—

- Special Reserve credit in terms of Section 36(1) (viii) to the extent of 40% of the total income before making any deductions, so long as the amount so carried to such Reserve does not exceed twice the amount of the paid-up share capital (excluding the amount capitalised from reserves); and
- Inter-corporate dividends to the extent of only 60% of the income by way of dividends from other domestic companies in terms of Section 80M of the Act.

2.98 During 43 years of its existence, IFCI has paid to the national exchequer, by way of tax, a sum of Rs. 192.05 crores which works out close to one-and-half times of its paid-up share capital of Rs. 135 crores.

(E) ACCOUNTS AND AUDIT

Statements of Accounts

2.99 IFCI's Statements of Accounts comprising of the Balance Sheet as at the 31st March, 1991 and the Profit & Loss Account for the year ended the 31st March, 1991, giving alongside the figures for the previous year are given in the end. The salient features of the working results and financial position of IFCI are, however, discussed below.

Working Results

2.100 The working result of IFCI for the year ended the 31st March, 1991 show a pre-tax profit of Rs. 102.33 crores as against Rs. 90.14 crores for the year ended the 31st March, 1990, portraying an increase of 13.5%. The net profit for the year, after providing Rs. 24.25 crores for taxation, works out to Rs. 78.08 crores as against last year's net profit of Rs. 67.44 crores showing an increase of 15.8%.

Appropriations

2.101 The appropriations out of the net profit made by the Board of Directors of IFCI are given in Table-9.

2.102 During the year ended the 31st March, 1991, IFCI has been able to transfer to its reserves a sum of Rs. 60.15 crores, towards its General Reserve Fund, Benevolent Reserve Fund and Special Reserve Fund. This is 9.8% higher than the amount transferred to reserves last year.

Table 9 : Appropriations of Net Profit

(Rs. Cror

		This year (1990-91)	Previous year (1989-90)
1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Net profit . . .		78.08	67.44
Appropriations			
Transferred to—			
(a) General Reserve Fund	17.91		22.30
(b) Benevolent Reserve Fund . . .	1.50		2.50
(c) Special Reserve [under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961] . . .	40.74	60.15	30.00
Allocation to the Staff Welfare Fund		0.20	0.50
Payment of Dividend . .		17.73 (16%)	12.14 (14%)
Total . . .		78.08	67.44

Dividend

2.103 In view of the satisfactory working results, the Board of Directors of IFCI have approved the payment of dividend on shares at 16% for the year 1990-91 as against 14% declared last year.

Trends in the Working Results

2.104 An overall assessment of the trends in the working results of IFCI can be had from the data for five years summarised in Table-10.

Table 10: Working Results of IFCI for Five Years

(Rs. Crores)

Particulars	Year ended the 30th June		Year ended the 31st March		
	1987	1988	1989-90*	1990	1991
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest on lending	225.48	285.30	277.70	462.95	591.48
Less: Cost of Borrowing	160.78	212.10	213.62	257.95	475.47
Net Interest Revenue	64.70	73.20	64.15	105.00	116.01
Other Income	8.00	9.36	11.26	12.93	22.44
Net Income	72.70	82.56	75.41	117.93	138.45
Expenditure:					
—Personnel Expenses	6.55	6.12	5.02	8.5	12.41
—Loss on Investments	0.18	0.02	0.31	0.18	0.18
—Directors and Committee Members' Fees & Expenses	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04
—Other Expenses & Grants	3.14	4.51	3.70	10.23	9.48
—Depreciation	1.18	3.00	5.61	8.80	14.01
Pre-tax Profit	61.62	68.88	60.55	90.14	102.33
Taxation	18.14	16.22	10.02	22.70	24·25
Net Profit	43.48	52.66	50.53	67.44	78.08
(Dividend (Rate)	11.0%	12.0%	13.0%	14.0%	16.0%

(*) 1989 figures are for nine months only (July-March)

2.105 It would be observed from the above that in comparison with the previous year—

— Interest income from lending operations increased 27.8%.

— Increase under the head cost of borrowings was 32.8%.

— Increase in the net income,pre-tax profit and net profit was 17.4%, 13.5% and 15.8% respectively.

— Increase in Other Income was of the order of 73.5%.

— Cost of borrowings which formed 77.3% of the interest income on lendings in 1989-90 was 80.4% in 1990-91.

— Pre-tax profit as percentage to net income was 739% in 1990-91 as against 76.4% last year.

— Net profit as percentage of total income was 12.7% in 1990-91 as against 14.1% last year.

— Net profit as percentage of net income was 56.4% in 1990-91 as against 57.2% last year.

— Personnel expenses in relation to total assets worked out to 0.19% during 1990-91 as against 0.17% last year.

Financial Position

2.106 The financial position as evidenced by the Balance sheet of IFCI for the five years, inclusive of the position of assets and liabilities as at the 31st March, 1991 is indicated in Table 11.

Table 11: Position of Assets and Liabilities of IFCI for Five Years

(Rs. Crores)

Particulars	As at the end of 30th June		As at the end of 31st March		
	1987	1988	1989	1990	1991
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assets					
Cash & Bank Balances	137.00	193.38	140.93	46.80	66.37
Investments					
In Assisted Concerns	72·83	96·53	111·75	141·99	159·23
In other Institutions	2.81	6.50	20.10	27.00	31.91
Loans to Assistant Concerns	2,117.10	2,733.21	3,372.53	4,179.04	5362.21
Fixed & Other Assets	132.73	221.45	309.61	510.84	777.77
Customers' Liabilities for Acceptance	21.93	22.92	32.51	39.84	93.56
	2,484.40	3,273.99	3,987.43	4,945.51	6,491.05
LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S FUNDS					
Share Capital	57.50	70.00	82.50	100.00	135.00
Reserve & Reserve fund	182.17	225.62	270.94	327.42	389.45
Borrowings					
Bonds	1,729.40	2,083.80	2,314.70	2,851.39	3,105.23
From Govt. & IDBI	79.30	70.73	67.85	60.09	270.04
From LIC, GIC & its subsidiaries	—	—	—	100.00	350.00
In Foreign Currencies	285.78	611.15	988.00	1,005.95	1,497.27
Other Current Liabilities & Provisions	120.29	179.87	216.88	439.11	619.63
Earmarked funds	8.03	9.90	13.45	21.71	30.87
Liability for Acceptance	21.93	22.92	32.51	39.84	93.56
	2,484.40	3,273.99	3,987.43	4,945.51	6,491.05
Debt: Equity	8.7:1	9.3:1	9.5:1	9.4:1	9.9:1
Net Worth: Net Profit	5.5:1	5.6:1	7.0:1	6.3:1	6.7:1

(*) 1989 Figures relate to nine months only (July-March)

2.107 Some of the financial highlights based on the Balance Sheet for the year 1990-91 of IFCI can be stated in brief as under :

* Increase in the investment portfolio of IFCI, during the year was 12.1%.

* Increase in the loans portfolio (outstandings) of IFCI during the year, was 28.3%.

* Increase in the fixed and other assets was of the order of 52.2%.

* The Reserves and the Reserve Fund Worked out to 2.8 times of the paid-up share capital.

* Increase in the net worth represented by share capital, reserves and reserve fund of IFCI, during the year, was 22.7%.

* Increase in the total borrowings, during the year, was 30%.

* The debt-equity ratio of IFCI, as to the end of March, 1991 was 9.9:1.

* The net-worth of IFCI at the end of March, 1991, was 6.7 times of its net profit for the year.

* The ratio of total net assets to net worth as at the end of March, 1991 was 12.1:1.

Accounting Policies

2.108 The significant accounting policies followed by IFCI and the notes forming part of accounts are given in Schedule 17 annexed to and forming part of the Balance Sheet as of the 31st March, 1991. It may be added that the accounting policies followed by IFCI so far have all along been consistent.

Audit

2.109 Apart from the statutory audit of the accounts of IFCI by two sets of auditors, IFCI is having its own elaborate system of internal controls as well as internal audit. There is a system of performance budgetting also in vogue in relation to various field offices (ie., Regional and Branch Offices) and key functional Departments in the corporate office of IFCI, in terms of which, the performance of each and every office and the concerned Division/Department is assessed and evaluated in terms of the tasks budgetted and completed. There is also a regular system of reporting by the Regional, Branch and Other Offices on matters relating to business development, sanctions, disbursements, collections, defaults, inter-Branch and inter-Head Office accounting entries and other administrative, personnel, training and estate matters.

Internal Audit

2.110 The Internal Audit & Inspections Department, having reporting responsibility through the Executive Director to the Chairman, ensures complete and correct accounting of the revenues of IFCI, optimum utilisation of the resources, and giving the management a feedback about the effectiveness of the systems and procedures. During the year, the Internal Audit & Inspections Department, in addition to conducting 100% verification of the earnings from loans and advances, including financial services, also covered operational areas like disbursements, recoveries, post-disbursement follow-up, insurance and legal documentation, etc. The focus in internal audit of the systems and procedures was on improving the productivity and efficiency of the organisation. The compliance with the audit observations and corrective steps initiated on the basis of the audit findings continued to be closely watched by the Internal Audit & Inspections Department throughout the year.

Satutory Audit

2.111 The statutory auditors for the year 1990-91 were M/s. Lodha & Co., Chartered Accountants, 14, Government Palace East, Calcutta and M/s. Sumer Bansal & Co., Chartered Accountants, 36, Netaji Subhash Marg, Delhi. M/s. Lodha & Co., Chartered Accountants, were elected as auditors under Section 34 of the IFC Act, 1948 by the shareholders of IFCI (other than IDBI) at the Annual General Meeting of the shareholders of IFCI held on the 29th June, 1990. M/s. Sumer Bansal & Co., Chartered Accountants, were appointed as the auditors of IFCI by the IDBI in terms of Section 34(1) of the IFC Act, 1948.

Audit Report

2.112 The Audit Report oiatheOhztaF spveoenfresd9 ET terms of Section 34(3) of the IFC Act, 1948 for the year ended the 31st March, 1991 is given before the Statement of Accounts for the year in this Report.

Tax Audit

2.113 In addition, for the purpose of tax audit, M/s. Awatar & Co., Chartered Accountants, E-89, Anand Niketan, New Delhi, were the Tax Auditors of IFCI in terms of Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 for the year 1990-91.

Promotion Services—A Review

3.01 The promotional services rendered by IFCI are basically in the nature of supportive measures, and, cover support to Village & Small Industries (VSI) sector through specially designed Promotional Schemes, provision of consultancy services, entrepreneurship development, management development, risk capital and technology finance, tourism and tourism related activities, science parks, research and development and related research-oriented activities. During the year, not only a thrust was given on the flow of supportive assistance for various existing promotional services, but new dimensions were also added by providing support as well as participation in the establishment of (a) Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN), (b) Biotech Consortium India Ltd., (BCIL), (c) Investment Information and Credit Rating Agency of India Ltd., (IICRA) and (d) OTC Exchange of India Ltd., (OTCEI).

3.02 During the year 1990-91 the total amount utilised by IFCI for the various promotional services was Rs. 721.09 Credit Rating Agency of India Ltd., (IICRA) and (d) OTC utilised Rs. 4,621.37 lakhs for its various promotional services Tables 12 and 13 give the break-up of the utilisation and the funding thereof.

Table 12. Amount Utilised by IFCI on Promotional Services

(Rs. lakhs)

Nature of Services supported by IFCI	1990-91 (April-March) Amount Rs.		Cumulative upto 31st March, 1991) Amount Rs.	
(1)		(2)		(3)
(i) Promotional Schemes				
—Subsidy	75.14		429.76	455.82
—Loan assistance	—		23.50	
—EDP Schemes	1.65	76.79	2·56	9.63
(ii) Industrial Potential Surveys		—		9.63
(iii) Support for Technical Consultancy Services				
—Technical Consultancy Organisations	1.26		77.99	
—Directory of Industrial Consultants	—	1.26	0.43	78.42
(iv) Support for Entrepreneurship Development				
—Sharing of EDP costs	21.90		89.35	
—Resources support to EDII	—		93.00	
—Resources support to IEDs	—	21.90	20.25	202.60

1			2		3
(v)	Support for Management Development activities of MDI		74.76		1,114.78
(vi)	Support for Risk Capital Assistance through RCTC		160.00		1,963.23
(vii)	Supports for Securities and Exchange Board of India		—		250.00
(vii)	Suppot for O.T.C. Exchange of India Ltd		40.00		40.00
(ix)	Support for Rastriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN)		205.00		205.00
(x)	Support for Bio-Tech Consortium India Ltd.		100.00		100.00
(xi)	Support to Science and Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs)		15.87		34.28
(xii)	Promotion of Research, etc.				
	—IFCI Chairs	5.21		37.46	
	—Special Research Studies	—		10.63	
	—Support to Indian Economic Journal	—		0.15	
	—IFCI Research Fellowship	—	5.21	0.20	48.44
(xiii)	Support for International Conferences and Seminars				
	—International Exposition on Rural Development (IERD)	—		1.00	
	—Research & Information Systems for Non-aligned & other Developing Countries	—		11.00	
	—World Economic Congress	—		4.00	
	—Indian Econometric Society	—		0.50	
	—World Assembly of Small and Medium Enterprises	—		1.00	
	—Indian Economic Associaton	0.20		0.20	
	—Indian Council for Research on International Economic Relations(ICRIER)	5.00	5.20	5.00	22.70
(xiv)	Support to special organisation				
	—New Hope Rural Leprosy Trust, Muniguda, Orissa for Deep Well Project	—		0 21	
	—Centre for Multi-Disciplinary Development Research (CMDR) Dharwar	—		14.00	
	—The Policy Group (A non-profit Research organisation) at New Delhi	2.50		5.50	
	—Support to National Institute of Public Finance and Policy	—		0 50	
	—Professional Assistance for Development Action	10 00		10.00	
	—Indian Assistance of Physical Medicine and Rehabilitation	0.10		0 10	
	—Institute for Studies in Industrial Development	2.50	15 10	2.50	32.81
(xv)	Orientation Programmes and Assistance to State level Institution,		—		4.30
(xvi)	Others (Utilised for direct financing of projects)		—		59.36
	Total		721.09		4,621.37

Table 13 : Sources of Funds of IFCI,s Promotional Services

(Rs. lakhs)

Fund	1990-91 (April-March) Amount	Cumulatively upto 31st March, 1991 Amount
Benevolent Reserve Fund (Created out of profits of IFCI under Section 32B of IFC Act, 1948)	49.47	1,110.39
Interest Differential Funds [Representing monies received from the Government of India out of interest paid by IFCI on KFW loans in terms of agreements amongst IFCI, Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Government of India and Government of Federal Republic of Germany]	671.62	3,510,98
Total	721.09	4,621.37

Promotional Schemes

3.03 IFCI has been operating, on its own, 14 Promotional Schemes, eight of which are consultancy subsidy schemes, four interest subsidy schemes and two entrepreneurship development schemes in specified areas. All the aforesaid schemes gained momentum during the year, the increase in the amount of supportive assistance under these schemes being as much as 57% over the previous year's utilisation.

The overall subsidy disbursements made by IFCI under these Promotional Schemes during the year 1990-91 and cumulatively upto the end of March, 1991, are given in Table-14.

Table 14 : Subsidy Disbursed by IFCI under its various Promotional Schemes

(Rs. lakhs)

Names of the Promotional Schemes	1990-91 (April-March) Amount Rs.	Cumulatively upto 31st March, 1991 Amount Rs.
—Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in the Rural, Cottage, Tiny and Small Scale Sectors for Meeting Cost of Feasibility Studies etc.	41.85	281.53
—Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries Relating to Animal Husbandary, Dairy Farming, Poultry Farming & Fishing etc.	10.74	16.81
Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries Based on or Related to Agriculture, Horticulture, Sericulture and Pisciculture etc.	10.86	16.43
Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries	1.55	18.65
—Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for Meeting Cost of Market Research/Surveys	1.88	16.19
—Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the Village and Small Industries Sector	—	0.35
—Scheme of Subsidy for Providing Marketing Assistance to Small Scale Units.	0·41	1·50
—Scheme of Subsidy for revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sectors	0.21	13.80
—Scheme of subsidy for implementing the Modernisation Programme of Tiny, Small Scale and Ancillary Units	—	4.75
—Scheme of Subsidy for Consultancy on Use of Non-conventional Sources of Energy and Energy Conservation Measures	—	0.92
—Scheme of Interest Subsidy for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons	1.18	2.20
—Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs	6.46	11.19
—Scheme of Interest Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology	—	45.35
—Scheme of Interest Subsidy for Encouraging Quality Control Measures in Small Scale Sector	—	0.09
—Scheme of Assistance for Development of Technology through in-House R&D Efforts	—	23.50
—Scheme for Encouraging Entrepreneurship Development in Tourism Related Activities	1.26	1.40
—Scheme for Encouraging Self-Employment amongst Persons Rendered jobless due to Retrenchment or Rationalisation in a Sick Industrial Unit in the Organised Sector Undergoing a Process of Rehabilitation/Revival	0.39	1.16
Total:	76.79	455.82

3.04 Having regard to the fact, that the Village and Small Industries (VSI) have a special role in the Indian economy and form an integral part of the national strategy for employment-oriented industrial development, the Promotional Schemes of IFCI, over the years have been able to fulfil the identified gaps in the existing support services for this crucial sector.

Support for Consultancy Services

(A) *Technical Consultancy Organisations (TCOs)*

3.05 The Technical Consultancy Organisations (TCOs) set up by the all-India Financial Institutions, State-level Institutions and banks, continued to provide a wide variety of services, e.g., preparation of project feasibility studies, project reports, market surveys, industrial potential surveys, post-operation consultancy services, identification and training of entrepreneurs from different target groups etc. The 18 TCOs (including the one set up by the Government of Karnataka) covering the entire country with the network of their consultancy services, and focussing 75% or more of their business only on rural development, tiny and small scale (including ancillary) industrial sectors, executed 4,412 assignments of variegated nature during the year. Cumulatively, these TCOs had executed 39,387 assignments upto the end of March, 1991, as per details given in Table-15.

Table 15 : Summary of Operations of all Technical Consultancy Organisations (TCOs)

Nature of assignments	No. of assignments completed	
	1990-91 (April-March)	Since inception of each TCO and up to the 31st March, 1991
(1)	(2)	(3)
I. Pre-investment Consultancy Assignments		
—Feasibility, Pre-Feasibility Studies/Project Reports, etc.	2,672	19,417
—Industrial Potential/Area Development Surveys	106	616
—Market Surveys	53	801
—Project Profiles	797	10,277
—Preliminary Fact Finding Studies	3	132
—Appraisal	41	1,106
—Others	277	2,666
Sub-total (I)	3,949	35,015
II. **Post-Investment Consultancy Assignments**		
—Diagnostic Studies	109	1,158
—Rehabilitation of Sick Units	28	559
—Others	119	1,257
Sub-Total (II)	256	2,974
III. Turnkey Assignments/Functional Industrial Complexes, etc.	12	81
IV. Entrepreneurship Development Programmes	195	1,317
Grand Total (I+II+III+IV)	4,412	39,387

3.06 IFCI's participation in the share capital of all TCOs (except the one set up by the Government of Karnataka) upto the 31st March, 91 was of the order of Rs. 61.42 lakhs. However, its lead responsibility related to TCOs in Himachal Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab (also covering Chandigarh) and Haryana (also covering Delhi).

3.07 The Himachal Consultancy Organisation Ltd., (HIMCON), during the year, executed 360 assignments, which included *inter alia* 2 post-investment studies, and 50 project profiles based on local resources, prepared at the instance of Directorate of Industries, Government of Himachal Pradesh. HIMCON also carried out cost-benefit-studies of Mandi, Nagrota, Bagwan, Baddi, Barotiwala and Parwanoo areas. A detailed techno-economic feasibility study for setting up a 5-star category hotel by converting 'Peter Hoff Building' previously known as Governor's residence, was also carried out by HIMCON. It also sucessfully completed a training programme at Solan and Kangra Districts allotted to it by the Department of Science and Technology, Government of India, under the MECSAT scheme.

3.08 The Rajasthan Consultancy Organisation Ltd. (RAJCON), executed 332 assignments covering *inter-alia* 318 techno-economic feasibility reports, and 6 diagnostic studies, and monitored the operations of one textile unit located at Madanganj—Kishangarh in Rajasthan on behalf of IFCI. Further, under the MEGSAT programme of the Department of Science and Technology, Government of India, RAJCON concluded 4 special training programmes during the year. Three skill and technology upgradation programmes sponsored by the Industrial Development Bank of India (IDBI) were also conducted by RAJCON for oil expeller units at Alwar, forging units at Nagaur and for stone-cutting and polishing units at Hindaun.

3.09 The Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd., (MPCON), apart from executing 577 pre-investment consultancy assignments and 11 post-investment studies, carried out an industrial potential survey of alloy casting industry in Madhya Pradesh, cost-analysis-study of the performance of milk unions of Indore, Ujjain, Raipur, Jabalpur, Gwallor, and Bhopal assigned by Bhopal Dugdh Mahasangh, and an evaluation study assigned by the Department of Rural Development, Government of Madhya Pradesh, in respect of Integrated Rural Development Programme (IRDP) in the Districts of Balaghat, Seoni, Damoh and Raisen. MPCON also carried out a survey about the availability of rice bran in the State of Madhya Pradesh, with particular reference to six districts, viz., Raipur, Bilaspur, Balaghat, Durg, Rajnandgaon and Raigarh at the instance of the Madhya Pradesh Audyogic Vikas Nigam Ltd. Further, MPCON brought out a publication in Hindi titled "Udyamvir" containing success stories of 10 women and 28 male entrepreneurs in the State of Madhya Pradesh.

3.10 The North India Technical Consultancy Organisation Ltd., (NITCON), conducted, in addition to 306 pre-investment and 62 post-investment studies, six energy conservation studies leading to total energy saving potential ranging from 15 to 20 per cent. It also specialised itself in carrying out energy audits of a number of medium and large scale industrial units in the State. A survey was also carried out for determining the availability of rice bran in the State of Punjab. NITCON also successfully conducted training programmes for the functionaries of the District Industries Centres, sponsored by the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, Ministry of Industry, Government of India.

3.11 The Haryana-Delhi Industrial Consultants Ltd., (HARDICON), in addition to executing 193 pre-investment consultancy assignments and 18 post-investment studies, was retained by the Government of Haryana for identification of sites for the development of Growth Centres in Haryana. Further, HARDICON completed the evaluation of the Entrepreneurship Development Programmes conducted by the Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), market surveys for shoddy yarn, stone crushing units, roller flour mills, solvent extraction plants and cold storages on behalf of the Haryana Financial Corporation.

3.12 IFCI's emphasis during the year continued to be on improving the quality aspects of the Technical Consultancy Organisations (TCOs) under its lead, encouraging them for computerising their operations, and, building up a nexus between training and placement in the Entrepreneurship Development Programmes conducted by them. The financial performance of all the five TCOs under IFCI's lead continued to be satisfactory during the year.

3.13 In order to evaluate the performance of all the TCOs sponsored by the Financial Institutions, so as to develop them into vibrant and effective consultancy organisations, it has been agreed amongst the all-India Financial Institutions to constitute a Working Group consisting of institutional representatives, selected Chairmen/Managing Directors of TCOs and outside experts, so as to review their working, and suggest the ways and means in which their performance as also the structure could be significantly improved.

(B) Directory of Industrial Consultants

3.14 In the Directory of Industrial Consultants being maintained by IDBI on behalf of the all-India Financial Institutions, the names of 52 new consultants were added during the year. With that, the total number of consultants empanelled in the Directory stood at 1,400 as on the 31st March, 1991. The Directory of Industrial Consultants, continued to serve as a valuable guide about the technical industrial and management consultancy services available in the country.

Support for Enterpreneurship Development

3.15 In keeping with its role, IFCI continued to support the entrepreneurship development movement throughout the country by (a) providing funds support for entrepreneurship development programmes, (EDPs), and (b) assisting in the strengthening of institutional infrastructure in the field, both at the apex and at the State level. Upto the end of March, 1991, IFCI, on its own, as also alongwith IDBI and ICICI had provided/agreed to provide fund support to 1,725 entrepreneurship development programmes benefitting 49,670 potential entrepreneurs. The fund support by IFCI towards sharing of the cost of entrepreneurship development programmes upto the 31st March, 1991 aggregated Rs. 89.35 lakhs, of which a sum of Rs. 21.90 lakhs, related to the year under report, viz., 1990-91.

3.16 In the field of institutional infrastructure for enterpreneurship development, the country now has, at the apex level, the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), and the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), and at the State level, the Institutes/Centres for Entrepreneurship Development (IEDs/CEDs) in the States of Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Orissa and Madhya Pradesh. A new Training-cum-Development-Centres have also been made operational by IDBI in the States of Goa, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.

3.17 At the apex level, Enterpreneurship Development Institute of India (EDII), sponsored by IDBI, IFCI, ICICI, and SBI, completed 8 years of its successful operations on the 31st March, 1991. During the 8 years period, EDII conducted 11 Demonstration EDPs, 10 Science and Technology EDPs, 2 special EDPs and 13 general EDPs. EDII had carried out 10 Trainers' Training Programmes, alongwith a number of Refresher Courses and special programmes for accredited trainers in the country. Significant workshops/seminars carried out by Entrepreneurship Development Institute of India during the year 1990-91 included Annual Conference of Indian Society of Entrepreneur Trainers, Workshop on Introducing Entrepreneurship Education in Management Institutions, Workshop on Growth Process in Entrepreneurial Activity, UGC Workshop on Small Business Centres in Indian Universities, a Seminar for Principals of Polytechnics and Engineering Colleges in Assam, 10 Preformance Improvement Programmes and as many as a dozen international assignments in various parts of the country. Entrepreneurship Development Institute of India also prepared during the year 1990-91 a Manual on Project Preparation for the benefit of entrepreneurs as also trainers and produced three audiovisual films on (a) Problem Solving (b) Cash crisis and (c) Delegation. Entrepreneurship Development Institute of India's on-going research projects included EDP evaluation studies as also studies on process of opportunity research.

3.18 The State-level Institutes/Centres for Entrepreneurship Development continued to carry out EDPs at the grass root level, and provide the human resources support to various State and District level organisations engaged in the entrepreneurship development work. Almost all Institutes/Centres for Entrepreneurship Development functioning at

the State-level have been able, in a short span, to activate the entrepreneurship development activity to a considerable extent. They have also been made the 'nodal agencies' in the concerned States in all matters relating to entrepreneurship development. IFCI's endeavour through its nominees on the Covering Boards of these Institutes/Centres has been to give a purposeful direction and thrust, besides deliberating on their organisational problems. The services of EDII are also being availed of to review the performance of the State-level Institutes/Centres and to make them viable and vibrant entities in their respective States.

Support for Management Development

3.19 IFCI's support to the cause of management development continued primarily through the *Management Development Institute (MDI)*—sponsored by it in 1973, with the objective of developing and upgrading the managerial abilities and talents of the practising managers in industry and banking. During the year under report, MDI conducted 63 Management Development Programmes, involving 21 Executive Education Programmes, 26 In-Company Programmes, one sponsored programme and 17 Development Banking-oriented programmes in various disciplines, benefitting 1,197 participants. These included a Workshop on Export Procedures and Documentation conducted by MDI under the auspices of the International Trade Centre, involving participants from Government and private sector from many countries like, Bangladesh, China, Malaysia, Myanmar (formerly Burma), Nepal, Sri Lanka, Vietnam, New Guinea, Philippines, Western Samoa, etc. Cumulatively, upto the 31st March, 1991, MDI had conducted 1,081 Management Development Programmes benefitting 24,969 participants, of whom 542 were from other developing countries.

3.20 The prestigeous 15-month National Management Programme (NMP) launched by MDI in 1988, continued to occupy an important place in the activities of MDI. The programme is being conducted in co-operation with the four Indian Institutes of Management and XLRI Jamshedpur. The basic objective of NMP, which has the continued support of the Department of Personnel, Government of India, is to improve the capabilities of the officers, so as to enable them to act as the agents of change, and, create a nucleus of like-minded managers in the country, in terms of attitudes, approach and commitment to the developmental process. During the year, MDI successfully completed the second National Management Programme, and, started the third National Management Programme.

3.21 In the area of research, MDI completed Phase-I Research Project entitled APPLE Research Project. A study on joint sector projects covering the role of State Industrial Development Corporations (SIDCs) and State Industrial Investment Corporations (SIICs) was also completed. Towards the close of the year, MDI was involved in the studies of (a) Human Resources Development Systems, (b) Management Education, (c) Styles of Indian Management, (d) Stress, Strains and Social Support to Career Couples, and, (e) Fixed Assets Revaluation Practices and Financial Aspects. The consultancy assignments undertaken by MDI in the area of management consultancy development and organisational structure for semi-conductor units continued to progress well during the course of the year.

3.22 IFCI's financial support to MDI, during the year 1990-91, was of the order of Rs. 74.76 lakhs exclusive of yearly contribution of Rs. 5 lakhs from IFCI's general funds. Cumulatively, upto the 31st March, 1991, IFCI had provided financial support to MDI, out of Benevolent Reserve Fund (BRF) and Interest Differential Funds (IDFs) to the extent of Rs. 1,114.78 lakhs and out of its general funds Rs. 90 lakhs.

Support for Rural Development and Related Activities

3.23 In the past, IFCI had been supporting the cause of rural development, but on a sporadic basis, through its contributions to various rural developmental activities. However, in the realm of institutional finance mainly to voluntary agencies and non-Government organisations, the first positive, and, rather an innovative steps, that was taken by IFCI, during the year under report, was the formation of a *Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN)* with a contribution of Rs. 2 crores towards its corpus and Rs. 5 lakhs for the preliminary and incorporation expenses. Voluntary agencies in India, so far, have received support either from international agencies or from local charitable trusts. Occasionally, some of the well-established voluntary agencies have been able to secure some grants from the Financial Institutions and other organisations in the past, but there was no agency to cater to their financial needs on a longterm basis in proper perspective. Rashtriya Gramin Vikas Nidhi, set up by IFCI, is an instiutional innovation in support of voluntary action. Rashtriya Gramin Vikas Nidhi, a national level organisation, registered as a Society on the 24th April, 1990 under the Societies Registration Act, 1860 at Guwahati, seeks to establish, promote, support and develop voluntary organisations engaged in socio-economic upliftment of rural and urban poor. The main functions of Rashtriya Gramin Vikas Nidhi are to provide financial, technical and managerial support to voluntary agencies for eligible activities, to support people's action for self-reliance, specially by physically, economically and socially handicapped groups and to identify support as well as promote voluntary agencies and non-Governmental organisations engaged in the social and economic upliftment of the poor.

3.24 Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN) is being managed by a Governing Board consisting of eminent personalities dedicated to social work under the Chairmanship of Shri S. M. Palia, ex-Executive Director of IDBI. RGVN's action plan is initially confined to the North-Eastern Region and Sikkim. During the very year first year of its operations, Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN) sanctioned recoverable and non-recoverable grants of the order of Rs. 44.44 lakhs to as many as 25 voluntary agencies operating in the North-Eastern Region, against which the disbursements of the order of Rs. 12 lakhs had been made upto the 31st March. 1991. Appreciating the role of RGVN, IDBI, during the course of the year, also made a grant of Rs. 4 crores to RGVN to augment its activities. It is expected that in the years ahead, RGVN would assume the role of a national institution/agency providing financial, managerial and technical assistance to a number of voluntary agencies engaged in the rural development and social upliftment work all over the country.

Support to Risk Capital, Venture Capital and Technology Finance

(a) *Risk Capital & Technology Finance Corporation Limited*

3.25 Support to risk capital and technology finance continued to be extended by IFCI through the Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd., (RCTC)—a successor to the erstwhile Risk Capital Foundation (RSF)—sponsored by IFCI in 1976.

3.26 In the area of Risk capital. RCTC sanctioned during 1990-91, assistance of the order of Rs. 319 lakhs to 37 first generation entrepreneurs of 27 medium-sized projects. Most of these projects were based either on new technology or new products or new usages. Cumulatively, since the inception of Rick Capital Foundation in 1976 and up to the 31 March 1991: RCTC had sanctioned assistance of the order of Rs. 2,821.73 lakhs to 360 first generation entrepreneurs for their 219 medium and large-sized industrial projects. The disbursements against these sanctions had been of the order of Rs. 2,439.73 lakhs. of which the disbursements for the year 1990-91 were of the order of Rs. 264.50 lakhs.

3.27 Under its Technology Finance and Development Scheme, RCTC sanctioned, during the year, total assistance comprising loans and venture capital of the order of Rs. 935.25 lakhs to 14 high risk technology-oriented projects. Cumulatively upto the 31st March. 1991. RCTC had sanctioned assistance of the order of Rs. 1.535.10 lakhs to 25 technology-oriented projects under its Technology Development Scheme. The disbursements against these sanctions had been of the order of Rs. 535.65 lakhs, of which the disbursements in the year 1990-91 alone amounted to Rs. 464.05 lakhs, protraying a significant step-up in the level of disbursements during the year.

3.28 A mention was made in the last year's Report about the proposal for setting up a Venture Capital Fund to be managed by RCTC. During the year, the modalities of the

proposed Venture Capital Fund of Rs. 30 crores were finalised. The principal objective of the proposed Venture Capital Fund, which is to be managed by RCTC and is to be floated as a scheme of the Unit Trust of India, (UTI) is to provide venture capital for potentially highly profitable ventures, involving innovative products/technology/services, aimed at futuristic or new markets. Investments are to be made from out of the Fund in those ventures which have a perceived potential for contributing above-average value addition to the economy. The proposals to be considered under the scheme are to include technological innovations leading to quality upgradation, reduced energy consumption, cost reduction, increased competitiveness, enhanced exports of existing products/processes and adaptations/modifications of imported technology/processes/products to suit Indian conditions and/or from indigenous sources. The contributions to the Fund have been agreed, in principle, to be made by UTI and IFCI. The Venture Capital Fund is likely to become operational by July, 1991.

3.29 So far, the entire fund support to RCTC has been provided by IFCI. Upto the 31st March, 1991, IFCI had disbursed a sum of Rs. 1,963.23 lakhs to RCTC from out of its Benevolent Reserve Fund and Interest Differential Funds, besides providing interest-bearing loans. IFCI had also subscribed to RCTC's share capital to the extent of Rs. 500 lakhs from its general funds.

(b) INDUS-VENTURE MANAGEMENT CO. LTD.

3.30 During the year, IFCI also agreed to participate in the share capital of Indus Venture Capital Fund being floated by Indus Veture Management Company Ltd., (IVMC) to the extent of Rs. 100 lakhs. Indus Venture Management Company Ltd., is a shell company promoted by Shri T. Thomas, ex-Chairman of Hindustan Lever Ltd., (1973 to 1980) and Mafatlals. The other participants, which have agreed to participate in the Venture Capital Fund, are IDBI, UTI, ICICI, LIC, GIC, Industrial Investment Trust, IFC Washington, Asian Development Bank, Deutsche Bank, Bank of Tokyo, FMO Holland, and, Aga Khan Fund. The objectives of the proposed Indus Venture Capital Fund are to support entrepreneurs in small/medium-sized new ventures in India with equity capital as well as management assistance through active participation and provide commercially attractive returns, particularly in the form of long-term capital gains.

Support for Tourism, Tourism related Activities, Facilities and Services

3.31 Support for tourism finance by IFCI continued to be through (a) IFCI's direct involvement in tourism related projects, and (b) providing support to the *Tourism Finance Corporation of India Ltd., (TFCI)*, which had been sponsored by IFCI, alongwith other all-India Financial Institutions and certain Banks in 1989.

3.32 Tourism Finance Corporation of India Ltd., (TFCI) in the second year of its operations, sanctioned financial assistance of the order of Rs. 84.98 crores to 55 projects comprising, apart from hotel and restaurant projects, those related to amusement parks, car rental agencies, ferries for inland water transport, safari parks, ropeways, cultural centres, tourist emporia, etc. TFCI's disbursements for the year under report, amounted to Rs. 39.22 crores, which showed an increase of 207.4% over the previous year's disbursements.

3.33 A special feature of TFCI's operations worth mentioning was that out of 94 projects assisted by it upto the 31st March, 1991, 37 projects were those, which were set up by new entrepreneurs entering the field of tourism for the first time. The total investment likely to be catalysed for projects assisted by TFCI upto the 31st March, 1991 was expected to be of the order of Rs. 531.43 crores, contributing to employment generation directly for 11,433 persons.

Support for Agencies concerned with the Development of Capital Market

(a) Investment Information and Credit Rating Agency

3.34 With the substantial liberalisation of the Indian money market and the corporate sector increasingly tapping the capital market for raising resources, instead of resorting to the traditional avenues, the need was felt for another professional agency of an inter-national standard, for objectively assessing the credit rating of the debt obligations of the Industrial concerns and of the borrowers/capital raisers, as a whole. During the year under report, IFCI was permitted by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, to establish another Investment Information and Credit Rating Agency, the first in the field being the Credit Rating information Services of India Ltd., (CRISIL). Accordingly, a company known as the *Investment Information and Credit Rating Agency of India Ltd., (IICRA)* was incorporated on the 16th January, 1991, as a public limited company with an authorised share capital of Rs. 10 crores. IICRA is to have an initial paid-up share capital of Rs. 3.50 crores, which is to be subscribed by IFCI, UTI, LIC, GIC, HDFC, ILFS, SBI and 17 other banks, including a few foreign banks. IICRA has received the Certificate of Commencement of Business on the 15th March, 1991 and is likely to become fully operational with effect from the July, 1991.

(b) OTC Exchange of India

3.35 A significant achievement during the year was the incorporation of the first OTC Exchange of India Ltd., (OTCEI) as a company under Section 25 of the Companies Act, 1956 on the 25th September, 1990. OTCEI which has been promoted by UTI and ICICI in association with other institutions, mutual funds and banks, is aimed at creating on Over-The-Counter Market in India so as to help small and medium-sized companies to raise capital from the market and add liquidity to their instruments. OTCEI has the approval of the Government of India for acting as a recognised Stock Exchange for a period of 15 years. OTCEI would be promoting, assisting, regulating and controlling, in the public interest, dealings in securities of any nature issued by limited companies in India, other than those traded on the recognised Stock Exchanges. It is also expected to create, maintain and manage a fund for the protection of investors in securities traded therein. The intitial paid-up capital of OTCEI is Rs. 5 crores, which has been contributed by UTI, ICICI, IDBI, SBI Capital Markets, IFCI, LIC, GIC, and Canbank. As at the end of March, 1991, OTCEI was in the process of finalisation of its Bye-laws and Regulations as also the modalities for its operations.

Support to Housing Development and Finance

3.36 A mention was made in the last year's report about IFCI's participation in the LIC Housing Finance Ltd., sponsored by the Life Insurance Corporation of India (LIC) and GIC Grah Vitta Ltd., established by the General Insurance Corporation of India (GIC). During the year IFCI agreed, in principle, to contribute to the initial capital of the Housing Finance Subsidiary Company proposed to be formed by the Andhra Bank, to the extent of 5% of the proposed paid up capital of Rs. 10 crores of the company. The proposed Housing Finance Subsidiary of Andhra Bank would be catering mainly to the housing credit needs of Andhra Pradesh, and, also of the neighbouring States of Orissa and Madhya Pradesh.

Support for the Development of Bio-technoloy

3.37 Bio-technology is a frontier area of scientific research and application, which has gained considerable importance specially in matters of (i) health care and animal husbandry, viz., vaccines, enzymes and immuno-diagnostics, and (ii) in agricultural/rural applications, viz., tissue culture, bio-pesticides, bio-fertilisers, etc. Recognising the need for promoting facilities for development of products, processes and services usable by society in the field of biotechnology, the Financial Institutions with the approval of the Government of India, promoted a company called Biotech Consortium (India) Ltd. (BIOTECH), which was incorporated on the 14th September, 1990, with its Headquarters at New Delhi. The objectives of the new company, which would be functioning as a Venture Capital Company, are to develop one-to-one tie-ups with the industries, enterpreneurs and R&D institutions alongwith Financial Institutions in the field of biotechnology, to enable leasing and running of national facilities for product and process development, and, to

produce prefeasibility reports and project reports in respect of viable projects based on bio-technology, as also to impart necessary training for the purpose. The present share capital of the company at Rs. 5 crores has been subscribed by IDBI, IFCI, ICICI, UTI and RCTC, in which IFCI's subscription has been of the order of Rs. One crore.

Support for Science & Technoloy Entrepreneur Parks

3.38 A mention was made in the last year's Annual Report about IFCI's participation on the funding of seven Science and Technology Entrepreneur Parks (STEPs), one each at Ranchi (Bihar), Bombay (Maharashtra), Tiruchirapally (Tamil Nadu), Kanpur (U.P.), Mysore (Karnataka), Ludhiana (Punjab) and Bhopal (M.P.). During the year, IFCI agreed to provide funds support to the extent of Rs. 25 lakhs to the Indian Institute of Technology, Kharagpur—Science and Technology Entrepreneur Park [IIT (K)-STEP]. The IIT (K)-STEP would act as a catalyst to help science and technology entrepreneurs in setting up their own industrial ventures and bringing industry and IIT together for fruitful interaction. It would also provide basic infrastructural facilities for drawing innovative ideas with new and proven technology on pilot plants/bench scale. With the active involvement of IIT, it is expected that IIT (K)-STEP would be able to create a pool of sophisticated machine tools, analytical and test equipment, computers and semi-industrial processors and other facilities for the use of the nearby industrial units and sponsored entrepreneurs. The thrust areas of IIT(K3-STEP are to be electronics, computer science, chemical engineering and post-harvest technology.

3.39 While the projects of assisted STEPs, except the Birla Institute of Technology-STEP (BIT-STEP), Ranchi (Bihar), were under various stages of implementation during the year, all the STEPs kept themselves actively involved with the research work as well as entrepreneurship development amongst science and technology personnel. The fund support provided by IFCI to the STEPs by way of grants upto the 31st March, 1991, was of the order of Rs. 34.28 lakhs, of which, Rs. 15.87 lakhs was released in the year 1990-91.

Support for Research and Research-oriented Activities

(a) *IFCI Chairs*

3.40 For promoting research in the field of industrial management, financial management, industrial finance, regional economics and development banking, IFCI has created six Chairs—one each at the Indian Institute of Management, Ahmedabad and the Universities of Delhi, Bombay, Calcutta, Guwahati and Madras.

3.41 During the year, IFCI Public Lecture on the subject of "Financial Resources and Economic Development in the State Sector: A Study in Assam" was delivered by Prof. P. C. Goswami at Guwahati University of the 18th December, 1990. While the Chairs at the Universities of Calcutta and Delhi as also at the Indian Institute of Management, Ahemedabad continued to remain vacant throughout the year, research work in various areas of development and regional economics continued to be carried on under the ouspices of IFCI Chairs at the Universities of Bombay, Madras and Guwahati.

3.42 IFCI's support to the Chairs has been in the form of endowment grants to Chairs at Ahmedabad and Delhi and in the form of annual grants to the Chairs at Bombay, Calcutta, Madras and Guwahati. During the year, the amount of grant disbursed by IFCI was Rs. 5.21 lakhs. The total fund support in the form of endowment and grants to the Chairs upto the end of March, 1991 had aggregated Rs. 37.46 lakhs.

(b) *IFCI Research Fellowships*

3.43 During the year, IFCI revamped its Scheme of Research Fellowship by delinking the same from IFCI Chairs. Under the new scheme, four Fellowships are to be awarded to eligible candidates registered with any recognised University/Institute in India for research in areas related to development banking, entrepreneurship development, management of enterprises, management of labour, management of tourism and tourism related activities, management of financial services, investment analysis, portfolio management, assets and liabilities management, etc., leading to a Doctoral degree. The tenure of these Fellowships is three years and envisages payment of Rs. 2,400/- per month to research fellows for three yeears or less if the research assignment is completed earlier, plus a continency grant of Rs. 5,000/-. The revised scheme is likely to become operational with the new academic session starting from July, 1991.

(c) *Support to other Research Organisations*

3.44 Assistance was also provided, during the year, to the Indian Economic Association, the Policy Group, the Institute for Studies in Industrial Development, the Indian Council for Research on International Economic Relations, and the Professional Assistance for Development Action (PRADAN), to enable these organisations to further their research-oriented activities. The assistance to these institutions, during the year, aggregated Rs. 20.20 lakhs. The Policy Group, during the year, brought out, in two volume sets, a comprehensive Data Base of the Indian Economy as a first step towards constructing a macro-econometric model of the Indian Economy.

Impact

3.45 The impact of IFCI's promotional services has been significant, particularly, in relation to the village and small industries sector, self-employment measures and development of entrepreneurship. The support of institutions like IFCI to entrepreneurship development programmes has broken the myth, that entrepreneurs are born and not made. Today, hundreds of capable young persons are being converted from the position of 'job-seekers' to 'job-givers' through the programmes on entrepreneurship and enterprise building. Professionalisation of management in industry is gradually taking roots. Entrepreneurial base is getting broadened. Improvements in technological base have started taking place. Culture for consultancy has percolated to the tiniest industrial unit level. Modernisation and technological upgradation of existing industrial units have started picking up. Development banking, as of now, is no longer confined to term-lending activities. Venture capital, technology finance, tourism finance, housing finance, finance to voluntary agencies, science parks, etc., are showing potential and promise. All these and several other qualitative achievements in the industrial arena, reflect, to a considerable extent, the impact of catalytic operations and promotional services being rendered by the Development Finance Institutions in the country, of whom IFCI is one, and one of the earliest.

Board of Directors

4.01 During the year, twelve meetings of the Board of Directors were held—eleven at New Delhi and one at Hyderabad.

4.02 A few changes also occurred, during the year, in the composition of elected and nominated directors on the Board of IFCI. At the 42nd Annual General Meeting held on the 29th June, 1990, Shri M. N. Goiporia, Chairman, State Bank of India, and Shri Rashid Jilani, Chairman & Managing Director, Punjab National Bank were elected as Directors of IFCI to represent shareholders falling under the category of scheduled banks in place of Shri V. Atal and Shri J. S. Varshneya respectively. Shri B. D. Shah and Shri S. S. Kadam were also re-elected as Directors of IFCI to represent shareholders falling under the categories of (a) insurance companies, investment trusts and other like financial institutions, and (b) co-operative banks. Later, at a Special General Meeting convened on the 4th January, 1991, Shri K. P. Narasimhan, Managing Director, Life Insurance Corporation of India was also elected as a Director of IFCI representing insurance companies, investment trusts and other like financial institutions for the unexpired portion of the term (i.e., upto the 29th September, 1991) of his predecessor, viz., Shri M. G. Diwan, who had resigned from the Board of Directors of IFCI, consequent upon his elevation as the Chairman of the Life Insurance Corporation of India.

4.03 In the nominated directors' category, the Central Government nominated, with effect from the 17th July, 1990, Dr. P. J. Nayak, Joint Secretary in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, as a Director on the Board of Directors of IFCI, *vice* Shri M. C. Satyawadi.

4.04 The Board of Directors of IFCI place on record their deep appreciation for the very useful and valuable services rendered as Directors by Shri V. Atal, Shri J. S. Varshneya,Shri M. G. Diwan and Shri M. C. Satyawadi, during the period of their association with IFCI.

4.05 The Board also recorded, during the year, an obituary note on the demise on the 4th October, 1990, of Dr. B. K. Madan, who was a Director of IFCI during December, 1959 to June, 1964, and was also the first Chairman of two IFCI-sponsored organisations, viz., Management Development Institute and the Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd.

4.06 IFCI family also mourned the sad demise on the 10th December, 1990 of Shri N D. Nangia, who was the Chairman of IFCI during March, 1967 to May, 1970.

Ad-hoc Group of Advisers

4.07 Four meetings of Ad-hoc Group of Advisers were held, during the year, for obtaining expert advise on proposals relating to hospitals, electronics and food processing industries.

Inter-Institutional and State-level Co-ordination

4.08 Inter-Institutional co-ordination among the national level Financial Institutions continued to be maintained through the fora of Inter-Institutional Meetings (IIMs), Senior Executives' Meetings (SEMs), Senior Legal Executives' Meetings, (SLEMs) and Regional Executives' Meetings (REMs). During the year ended the 31st March, 1991, 11 IIMs, 24 SEMs, 6 SLEMs and 21 REMs were held. In addition, two meetings of the Senior Executives were held with the objective of achieving inter-institutional co-ordination in the sphere of promotional activities

4.09 At the State-level, IFCI continued to maintain co-ordination by way of participation of the Heads of its Regional/Branch/Other Offices in various meetings of the State-level Committees and other State-level fora. Two meeting of State Advisory Committees of IFCI were held during the year—one each in Andhra Pradesh and Haryana.

Interaction with External Agencies

4.10 IFCI continued to have close interaction with a number of Development Finance Institutions (DFIs) abroad as also the international banks operating in the world market. A number of dignitaries visited IFCI and held discussions about the Indian financial system, investment opportunities in India and other matters of mutual interest. IFCI also had very fruitful discussions with the teams of Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Asian Development Bank (ADB) and the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank).

4.11 Shri D. N. Davar, Chairman, IFCI, visited Malaysia from the 6th to the 12th May, 1990 for attending the 13th Annual Conference of the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP), and, also had discussions with the executives of banks and foreign institutions on matters of mutual interest at Singapore. Shri S. K. Jain, General Manager, visited Hong Kong during the period from the 15th to the 18th July, 1990 for signing a loan agreement with Sanwa Bank Ltd., the agent for US $ 100 million credit facility. Shri Din Dayal, Deputy General Manager, IFCI, participated in the discussions from the 1st May to the 12th May, 1990 in the course of a study of venture capital organisations in U.K., sponsored by the Commonwealth Secretariat, London.

XIII IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture

4.12 IFCI had its XIII Silver Jubilee Memorial Lecture delivered on the 5th May, 1990 by Mr. Kimimasa Tarumizu, President, Asian Development Bank, on the subject of "Sustaining Asia at the Leading Edge of Growth : Challenges and Opportunities for the 1990s". The Lecture, which was well attended was presided over by Shri H. T. Parekh, Chairman, Housing Development Finance Corporation Ltd., (HDFC).

Organisational Developments

4.13 IFCI continued to follow its policy of gradual decentralisation of work and delegation of authority to the Heads of its offices and various Departments.

4.14 Various committees of the officials of IFCI constituted to plan, execute and look into the aspects relating to training, management information system, record keeping, including micro-filming of records, acquisition and disposal of dead stock, computerisation, disability benefits, staff welfare, library, etc., continued to function in the related areas of IFCI's operations satisfactorily. For building up plans and programmes together with strategy for action, a Conference of the Senior Executives of IFCI was held in the month of July, 1990

Personnel

4.15 As at the end of March, 1991, IFCI had a complement of 1,160 employees (inclusive of staff strength at Regional, Branch and Other Offices). The number of employees in the category of scheduled caste/scheduled tribe, ex-servicemen and physically handicapped, as at the end of March, 1991 was 183, 36 and 16 respectively. The number of women employees as on the said date was 185.

4.16 During the year, with the approval of the Government of India, the pay scales and allowances of the officers of IFCI were revised. Similarly, Memoranda of Settlement were signed between IFCI and the All India Industrial Finance Corporation Employees Association on the 5th September, 1990 regarding revision of pay scales and allowances of workmen staff. All the officers and workmen staff were benefitted by the said revision in their pay scales, etc., which were given effect to retrospectively from the 1st November, 1987.

Human Resources Development

4.17 Human resources development continued to receive, as in the past, increasing attention under the overall direction and guidance of a Steering Committee (Training) headed by the Chairman. The focus of in-house training programmes was largely on bringing about attitudinal changes and promoting conducive work culture, besides sharpening of skills with an overall objective of enhancing the productivity of the organisation. With computerisation of major activities in IFCI, a great deal of emphasis was placed on hands-on-sessions on personal computers using software applications developed by Electronic Data Processing Department. The other thrust areas covered by in-house training programmes included foreign currency operations, marketing of financial services, economic and financial analysis, assets and liabilities management, etc.

4.18 During the year, as many as 79 in-house training programmes of varying duration were conducted, out of which 32 programmes were held at Head Office, 24 at Patna Training Centre, 19 at Bombay Training Centre and 4 at other Regional/Branch Offices. The total training activity was spread over to 197 days. In all 1,192 participants at different levels (some attending more than one programme) were covered in the in-house training programmes. To supplement in-house training and also to provide opportunities for interaction with professionals and academicians of other institutions, 69 staff members were deputed to external training programmes organised by other institutions in the country, including the Management Development Institute (MDI)—an organisation sponsored by IFCI for management development.

4.19 IFCI also continued to implement Government guidelines regarding pre-recruitment training to the scheduled caste/scheduled tribe candidates applying for jobs in IFCI.

4.20 Under the Reserve Bank of India's (RBI) scheme for co-ordination with commercial banks and Financial Institutions for rehabilitation of sick units, IFCI extended, during the year, on-the-job training facilities in its Rehabilitation Finance Department (RFD), to five executives of the commercial banks.

Electronic Data Processing and Communication System

4.21 A mention was made in the last year's Annual Report about the working of ICIM-6040 Main Frame, ESPL Mini Systems operating in a UNIX environment, Personal Computers alongwith Dot Matrix Printers and Network-II at Head Office and also mini systems supplied by ESPL alongwith Personal Computers, Printers, Dumb Terminals, etc., at all Regional and Branch Offices of IFCI. During the year, to give desk level computing facilities to the officers, 29 Personal Computers with Dot Matrix Printers were installed in various Departments of the Head Office and also at Regional and Branch Offices. To avoid disc corruption on the systems due to sudden power failure, UPS systems having battery back-up of twenty minutes were also installed at all locations.

4.22 During the year, the application softwares developed in the areas of Rupee Loan Accounting, General Financial Accounting, Foreign Currency Loan Accounting, Project Information System in UNIX environment were modified to be user-friendly menu driven, so as to enable the concerned officials to use the package more effectively. Besides, the implementation of packages for Personal Information System including the training functions, leave accounting, recruitment, etc., new packages were developed for Bank Reconciliation, Medical Bills, T.A. Bills, Financial Services Accounting and for automating the activities of the Foreign Currency Resources and Operations Department.

4.23 A significant development during the year was awarding a contract to CMC Ltd., for preparing a feasibility report for networking of computer systems installed at different offices. Further, computerised telex system working in multi-users mode in UNIX environment was also installed at Head Office through which direct facility for sending telex messages was made available to various desk officers on the Personal Computer Terminals installed in their Departments. Besides, the conventional FAX Machines, latest PC-based FAX systems were installed at IFCI's Head Office and Bangalore Branch Office.

Staff Welfare

4.24 Social security, housing and medical care continued to remain essential ingredients of IFCI's Staff Welfare Activities. The Staff Welfare Fund, which was augmented during the year, continued to be the resource base for staff welfare activities of diversified nature. During the year, the existing Welfare Schemes administered under the Staff Welfare Fund were remodelled, and, a number of improvements were carried out therein. These were made operative with effect from the 1st January, 1991.

Contribution to Sports and Public Welfare Activities

4.25 During the year, IFCI contributed a sum of Rs. 2 lakhs to the Organising Committee of the National Special Olympic Games 1991 held at Madras for the mentally retarded persons. Another contribution of Rs. 75,000/- was made to Avehi Public Charitable (Educational) Trust, Bombay, for promoting health, hygiene and other community welfare activities. Contributions were also made during the year, to the all-India Sports Council of the Deaf, New Delhi and the Indian Association of Physical Medicine and Rehabilitation, New Delhi, for their activities in their respective spheres.

Ambedkar Birth Centenary Celebrations

4.26 On the occasion of Birth Centenary of Bharat Ratna, Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar, the year 1990-91 was celebrated as 'Social Justice Year' all over the country. A grateful nation had decided to celebrate the birth centenary of the architect of the Constitution of India, the messiah of the downtrodden and depressed people and champion of equality and freedom, Dr. Bhim Rao Ambedkar, in a befitting manner.

4.27 IFCI organised, during the year, Hindi and English essay competitions at Head Office as well as at various Regional and Branch offices on the occasion of Dr. Ambedkar Centenary Celebrations. The topic of the essay on the occasion of 'Social Justice Year' was "Contribution of Dr. Bhim Rao Ambedkar in Social Reforms in India", which was announced at the time of the competition itself. Forty-four members of staff (including officers) participated in the competition out of whom the first, second and third winners, both in Hindi and English, were awarded prizes during the valedictory functions relating to Ambedkar Centenary Celebrations.

Premises

4.28 During the year, the Regional Offices of IFCI at Hyderabad and Guwahati were shifted to their own premises. With these, out of 20 offices of IFCI, as many as 11 offices are now located in IFCI's own premises.

4.29 A reference was made in the last year's Report about IFCI acquiring a plot of land at Nehru Place, New Delhi, from the Delhi Development Authority, with a view to housing, under one roof, its corporate office, which is presently spread in four different buildings. With the possession of the said plot of land taken in February, 1990, the architectural planning work for a 21-storeyed office complex was taken in hand and accomplished. The excavation work at the site had also started.

Progressive Use of Hindi

4.30 In pursuance of the policy of the Government of India for making the progressive increase in the use of Hindi in the official work, IFCI reinforced several steps to accelerate the use of Hindi to the maximum extent. An Action Plan for the year 1990-91 was prepared and implemented. For achieving the target of training stenographers in Hindi stenography, a Departmental Hindi Stenography Training Programme was instituted during the year. For the benefit of those officers and staff who did not possess working knowledge of Hindi, special arrangements were made for organising In-service Hindi Training Classes, apart from availing the facilities provided under the Hindi Teaching Scheme of the Government of India. For the first time, during the year, special Hindi classes were started at Calcutta Office of IFCI. Hindi workshops were organised at Delhi and Bombay to impart training in Hindi to the officers and staff of IFCI in which special attention was paid to correct notings and drafting.

4.31 The Official Language Implementation Committees (OLICs) constituted at each of the Regional/Branch Offices of IFCI, including the one at Head Office, continued to monitor regularly the use of Hindi and suggest ways and means for its promotion in their respective offices. In pursuance of the recommendations of OLIC at Head Office, 'Nodal Points' were set up in the various Departments/Divisions at Head Office for augmenting the use of Hindi. The Regional/Branch Offices continued to take active part in the deliberations of the town level Official Language Implementation Committees constituted at different centres all over India.

4.32 As in the past Administration Circulars, Operational Circulars, Office Orders, Notifications, advertisements and General Orders were issued, during the year, in bilingual form. To facilitate the use of Hindi, bilingual telex, typewriters, personal computers were provided to various offices of IFCI.

4.33 Special functions were organised to celebrate Hindi Day at Head Office as well as at the various Regional/Branch Offices of IFCI. These included seminars on use of Hindi in official work, essay competitions and elocutionary contests in Hindi, in which the winners were suitably rewarded.

4.34 IFCI participated in the second All-India Bank Official Language Conference held in September, 1990. IFCI was awarded a Commendation Certificate for the best publications in Hindi displayed by it in the exhibition organised on the occasion of the Conference. IFCI also participated in the competitions organised by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad and bagged ten Commendation Certificates and one

Cash Award for the best entry. The North-Eastern Regional Office of IFCI at Guwahati was also the recipient of Rajbhasha Trophy of the Government of India for its contribution towards implementation of the provisions of the Official Language Act and progressive use of Hindi from the hands of Dr. Birendra Kumar Bhattacharya, a renowned Assamese Literature and, the Chairman of the Sahitya Academy.

Acknowledements

4.35 The Board of Directors of IFCI express their gratitude for the assistance, co-operation and support received from the various Ministries, Directorates, Departments of the Government of India, the Reserve Bank of India, the Industrial Development Bank of India and other all-India Financial Institutions, commercial banks, the share-holders, bond-holders and deposit-holders of IFCI, the fellow Capital Finance and Merchant Banking Organisations, various State Governments, State-level financial and promotional agencies, etc.

4.36 The Board of Directors further acknowledge the continued co-operation received by IFCI from various Development Financing Institutions (DFIs) abroad, particularly, the assistance received from the World Bank the Economic Development Institute, the Asian Development Bank, the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP), the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) of the Republic of Germany and a host of correspondent banks abroad and other members of the international banking community.

4.37 The Board of Directors are also pleased to place on record their appreciation of the sincere and devoted services put in by all members of the staff at all levels in IFCI during the year.

D. N. DAVAR
Chairman

Appendix-I

Statement showing the Installed Capacity, Production and Capacity Utilisation of Selected Industries in 1990-91

(Figures in brackets denote the number of units)

Sl. No.	Product	Unit of measurement	Instaled capacity and production in 1990-91					
			For the country			For IFCI assisted reporting concerns		
			Installed capacity and No. of units	Estimated Production 1990-91 (April-March)	Capacity utilisation %	Installed capacity and No. of units	Estimated Producton 1990-91 (April-March)	Capacity utilisation %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Suger	Lakh tonnes	96.84 (401)	120.49*	105.83	14.4 (60)	12.14	84.31
2.	Cotton yarn (mill sector)		7.70 Milion spindles (770)	1459.07 Million kg. spindles	—	6.00 Million kgs (160)	431.10 Millilon	—
3.	Cotton cloth (mill sector)		2.81 (281) Lakh Looms	2594.24 Million Meters	—	0.48 (58)	1211.4	—
4.	Jute textiles	Lakh tonnes	17.00 (73)	14.25	83.82	0.52 (2)	0.36	69.23
5.	Paper and paper board	Lakh tonnes	29.48 (305)	23.00	78.02	8.75 (29)	5.72	65.37
6.	Rayon pulp	Lakh tonnes	1.96 (5)	2.15	109.69	0.33 (1)	0.41	124.24
7.	Newsprint	Lakh tonnes	3.00 (5)	2.86	95.33	0.75 (1)	0.79	105.33
8.	Plywood	Million sq metres	199.04 (61)	77.58	65.17	53.80 (5)	18.06	33.57
9.	Cement	Million tonnes	62.00 NA	48.70	78.55	46.34 (76)	38.72	83.56
10.	Nitrogenous fertilisers	Lakh tonnes	81.48 (47)	70.60	86.65	11.14 (4)	6.11	54.85
11.	Phosphatic fertilisers	Lakh tonnes	28.44 (20)	22.36	78.62	6.60 (10)	7.73	117.12
12.	Caustic soda	Lakh tonnes	11.27 (40)	9.65	85.63	2.37 (8)	2.36	99.58

Production is for the period from Octpber 1990 to 22th Apr 1991
Production data for the products pertains to period from April 1990 to March, 1991

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	Soda ash	Lakh tonnes	14.59 (7)	13.90	95.27	5.60 (4)	4.57	81.61
14.	Calcium carbide	Lakh tonnes	2.15 (7)	0.91	42.33	0.78 (3)	0.33	42.31
15.	Acetic Anhydride	Thousand Tonnes	36.13 (13)	24.62	68.14	0.12 (1)	0.11	91.67
16.	Acetic acid	Lakh tonnes	1.05 (21)	0.77	73.33	0.08 (2)	0.06	75.00
17.	Carbon black	Lakh tonnes	1.80 (8)	1.17	65.00	1.07 (4)	0.58	54.21
18.	Liquid chlorine	Lakh tonnes	5.85 (29)	3.39	57.95	1.52 (7)	0.98	64.47
19.	Nylon filament yarn	Thousand tonnes	97.60 (13)	36.75	37.65	0.14 (4)	0.11	78.57
20.	Nylon tyre cord	Thousand tonnes	30.13 N.A.	40.56	134.6	0.12 (3)	0.13	108.33
21.	Polyester filament yarn	Thousand tonnes	173.52 (19)	167.71	96.65	2.21 (10)	1.98	89.59
22.	Polyester stople fibre	Thousand tonnes	230.06 (10)	125.85	54.70	0.25 (3)	0.19	76.00
23.	Viscose staple fibre	Thousand tonnes	178.30 (4)	145.69	81.71	2.97 (3)	2.52	84.85
24.	Auto tyres	Lakh nos.	288.28 (24)	220.80	76.59	60.39 (8)	42.83	70.92
25.	Auto tubes	Lakh nos.	200.73 (26)	192.00	95.65	32.64 (4)	21.81	66.82
26.	Ru bber controceptives	Million Pieces	1193.00 (5)	1039.00	87.1	808.00 (2)	720.00	89.11
27.	Reclaimed rubber	Thousand tonnes	50.00 (14)	51.43	102.8	0.13 (2)	0.07	55.72
28.	Finished leather from hides	Lakh pieces	106.68 (42)	65.48	61.38	6.20 (4)	4.41	71.13
29.	Finished leather from skins	Lakh pieces	644.76 (65)	314.11	48.7	20.90 (3)	13.24	63.35
30.	Sheet slss	Million sq. mtrs.	45.79 (9)	43.00	93.91	12.67 (4)	10.12	79.88
31.	Fibre glass	Thousand tonnes	6.34 (5)	5.81	91.64	0.51 (2)	0.35	69.01
32.	Glass bottles and misc. glass-ware	Lakh tonnes	6.51 (27)	6.87	105.5	0.77 (2)	0.51	66.23
33.	Synthetic detergents	Thousand tonnes	414.522 (23)	243.84	58.8	0.07 (1)	0.01	14.29
34.	Soap	Thousand tonnes	427.24 (53)	417.33	97.7	0.26 (1)	0.07	26.92
35.	Fatty acid	Thousand tonnes	210.65 (25)	152.46	72.4	0.10 (1)	0.05	50.00
36.	Glycerine	Thousand tonnes	40.58 (23)	20.14	49.69	0.18 (1)	0.01	16.11
37.	Refractories	Lakh nos.	16.00 (71)	11.20	70.00	2.29 (8)	1.62	70.74
38.	Ceramic tiles	Lakh tonnes	3.65 (23),	3.52	96.44	1.34 (4)	0.84	62.69
39.	Explosives	Thousand tonnes	230.00 (22)	128.36	55.81	0.26 (3)	0.14	53.85
40.	Oxygen	MCM	226.03 (190)	169.42	74.95	149.87 (5)	99.84	66.62
41.	Watches	Million nos	183.80 (16)	128.97	70.17	8.88 (2)	16.36	184.23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42. Sateable steel (Main plants)		Lakh tonnes	116.70 (6)	120.40	103.17	22.39 (3)	20.36	90.93
43. Steel Ingots/billets		Lakh tonnes	56.31 (173)	48 54	86.20	21.46 (24)	14.58	67.94
44. Steel forgings		Lakh tonnes	4.21 (85)	1.99	47.27	1.05 (8)	0.88	95.2
45. Steel Castings		Lakh tonnes	3.13 (90)	2.48	79.2	0.64 (7)	0.51	79.69
46. Cold rolled steel strips		Lakh tonnes	15.00 (57)	5.70	38.00	2.67 (11)	1.68	62.92
47. Sponge Iron		Lakh tonnes	6.00 (5)	4.20	70.00	3.30 (2)	2.47	74.58
48. Two wheelers		Lakh nos.	32.00 (24)	16.87	52.72	29.50 (4)	27.76	94.10
49. Commercial vehicles		Lakh nos.	2.64 (13)	1.76	66.67	1.90 (4)	0.54	28.42
50. Cars		Lakh nos.	2.16 (5)	2.12	98.15	0.60 (1)	0.30	50.00
51. V. Belts		Lakhs nos.	185.00 (20)	146.90	79.4	12.00 (1)	11.92	99.30
52. Conveyor Belts		Thousand tonnes	9.00 (9)	16.47	183.0	2.38 (1)	2.68	112 60
53. G.L.S. Lamps		Million nos.	343.00 (20)	305.63	89.11	61.76 (9)	51.31	83.08
54. Fluorescent Tubes		Million nos.	777.00 (18)	683.92	88.02	5.00 (1)	4.88	97.60
55. Power and distribution transformers		Million KVA	44.28 (32)	40.20	90.79	10.10 (3)	6.09	60.30
56. Electrical fans		Lakh nos.	76.00 (17)	49.26	64.82	3.00 (1)	1.23	41.00
57. Diesel Engine		Thousand nos.	336.00 (34)	269.38	80.17	50.56 (7)	24.06	47.59
58. Tractors		Thousand nos.	126.10 (20)	134.83	106.92	0.71 (2)	0.76	107.04
59. Power tillers		Thousand nos.	16.00 (5)	5.50	34.37	0.05 (1)	0.03	60.00
60. Hotels		Table nos. @	160.00 (694)	107.43	67.14	10.97 (20)	7.96	72.56

@ Figures incolumns 4 & 7 and 5 & 8 refer to the number of lettable room days and the number of room days occupied respectively.

Appendix—II

Direct Economic Contribution of New Expansion and Diversification Projects assisted by IFCI during 1990-91 (Apr—March)

(Rs. crores)

Industry	Projects (Nos)	Total Capital Cost (Rs)	Expected Direct Employ-ment (Nos.)	Value of output (Rs.)	Gross value added (Rs.)	Capacity per annum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
Sugar	22	605.59	12,317	575.88	163.64	9.74	Lakh tonnes of Sugar
Food Processing	14	172.87	2,266	353.03	109.79		Processing of 45,000 tonnes of soyabeen, 15,000 tonnes of cattle feed bott ing of 99.6 millon nos. of soft drink bottles, 6,000 tonnes of noodles 19,800 tonnes of vanaspati, 9,000 tonnes of mango concentrates, 24,000 tonnes of refining of crude vegetable oil 3,370 tonnes of potato chips, 5,616 tonnes of extruded grain products, 2,000 tonnes of soft drink concentrates, 7380 tonnes of tom .to paste' 2880 tonnes of fruit/vegetabe products, processing of 800 tonnes of mushrooms producton and processng of 26 lakh nos. of boilers, processing of 72,000 tonnes

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Textiles	29	368.97	5,611	402.6	136.38	1.94 lakh spindles. 1,128 rotors, 172 looms 79.42 lakhs metres of cloth, texturising of 5,136 tonnes of filament yarn and processing of 404.9 lakh metres of cloth.
Paper & Paper Products	7	103.53	1,236	86.05	32.41	18,975 tonnes of writing & printing paper, 20,130 tonnes of kraft paper, 8.250 tonnes of coated paper, 6.000 tonnes of duplex/triplex board, 4,950 tonnes of electrical grade insulation speciality paper and 240 lakh nos. of laminated composite containers.
Fetilisers	1	12.95	24	20.49	7.47	66,000 tonnes of single super phosphate.
Chemicals & Chemical Products	44	956.41	4.857	791.12	309.99	38,000 tonnes of sulphuric acid, 6,000 tonnes of food grade phospharic acid, 1,000 tonnes of antimony trioxide, 4.200 tonnes of acetic anhydride, 3.960 tonnes of oxalic acid 5,300 tonnes of alephatic amines 6,000 tones of acetic acid, 3,900 tonnes of betanapthonol, 720 tonnes of amino acids, 6,000 tonnes of actaldehyde, 3,100 tonnes of ethyl acetate, 5,500 tonnes of citric acid mohohydrante, 58.55 lakhs cubic metres of oxygen gas, 99 lakh litres of industrial alcohol processing of 66,000 tonnes of rice bran/soyabean, etc., 53,000 tonnes of ethylene oxide/monoethylene glycol, 1,000 tonnes of nickel catalyst, 3,300 tonos of potassium chlorate, 3,400 tonnes of ortho nitrochlorobenzene, 5,250 tonnes of para nitrochlorabenzene, 2,355 tonnes of disperse dyes. 1,000 tonnes of emulsion explosives, 300 tonnes of alpha phenyl glycin based salt, 604 tonnes of bulk drugs. 350 tonnes of vat dyes, 24.000 tonnes of phthalic anahydride, 1,845 tonnes of reactive dyes, 195 tonoes of 6 APA and 7 ADCA, 250 tonnes of electroplating chemicals, 9,000 tonoes of conductive grade carbon black, 1,800 of benzoic acid, 1,800 tonnes of sodium benzonate, 1,000 tonnes of comphor, 36.000 tonnes of lignosulfonate, 1.000 tonnes of acrylic binders, 10,000 tonnes of synthetic rutile, 132 lakh bottles of intravenous fluids, 100 million doses of oral polio vaccine, 274.5 million doeses of poultry vaccine and 30,000 tonnes of detergent bar and powder.
Synthetic Fibres	6	684.80	2,152	538.95	301.34	10,200 tonnes of polyester chips, 18,150 tonnes of POY , 25,000 tonnes of speciallity polyster filament yarn 9,524 tonnes of polyester/polypropelene filament yarn.
Synthetic Resins & Plastic Products	17	1485.98	1,450	985.76	475.67	5,000 tonnes of styrene acrylonitrile, 30.000 tonnes of isobutylene isoprene rubber, 3.20 lakh tonnes of ethylene, 1.55 lakh tonnes of propylene, 0.49 lakh tonnes of butadine, 5.18 million nos. of thermoplastic shoe soles, 2.50 million nos. of thermoset shoe soles, 2,500 tonnes of PVC pipes and fittings, 2,000 tonnes of multilayers sheets, 2,500 tonnes of injection moulded items, 5,000 tonnes of spun bonded non-woven fabrics 6,000 tonnes of cast polyester moulded products, 3,000 tonnes of irrigation systems, 3,000 tonnes of PVC rigid foam sheets 700 tonnes of moulded products, 600 tonnes of polystrene sheets and 300 tonnes of spondex yarn.
Rubber Poduct	4	22.20	525	26.79	12.94	6,000 tonnes of tyre treads, 600 tonnes of cold curing cushions, 250 million picees of prophyluctics.
Glass & Glass Products	3	298.74	723	166.96	124.69	25 million sq. metres of floot glass, 68 million nos. of GLS lamp glass shells and 3,200 tonnes of glass prodcuts.
Cement & Cement Products	3 8	767.78	1.167	406.19	240.48	32.42 lakh toonnes of cement and 9,000 tonnes of cement sheets.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Miscellaneous Non-metallic Mineral products	16	161.71	2,328	144.65	75.77	26,000 tonnes of ceromic floor/wall tiles. 7,500 tonnes of resin bonded rockwool, 3.92 lakh sq. metres of granite slabs, 25000 sq. metres of granite monuments, 4.54 lakh sq. metres of granite tiles, 3.61 lakh sq metres of morble tiles 1.05 lakh sq.metres of granite pencls, and 1,920 tonnes of continuous casting refractories.
Iron & Steel	25	2,270.55	6.423	2,092.40	760.89	3.75 lakh tonnes pig iron. 5.13 lakh tonnes of sponge iron, 50,000 tonnes of stainless steel, 27,100 tonnes of steel forgings. 2.60 lakh tonnes of hot/cold rolled coils, 48,400 tonnes of steel ingots, 97,000 tonnes of carbon & alloy steel seamless tubes, 15,280 tonnes of steel costings 1.5 lakh tonnes of carbon alloy and special rounds, 3 lakh tonnes of wire rods and structural steels and 10,700 tonnes of steel wires,
Machinery and Accessories	10	110.54	1,704	264.29	77.27	5.4 million nos. of boll/spherical/taper/roller cylinderical bearings 12.4 lakh nos. of bimetal bearings and bushes, 2,000 lakh nos. of needle rollers, 80 lakh nos. of needle cages and bushes. 6 nos. of synthetic filament yarn spinning lines, 20 draw texturising machines, 60 nos. of two for one twisters, 12 nos. of multilayer blown film lines, 2 lakh nos. of end mills. 48 lakh nos of twist drills, 15,000 nos air conditioners and 4.5 lakh nos. of refrigerators.
Electronic Machinery	6	79.31	705	93.61	35.03	4. lakh nos. of shrinkable wraparound cable sleeves, 30 lakh nos. of miniature circuit breakers, solar photo voltic modules/systems upto 3 MW capacity, thin film amarphous silicon photo voltic modules of 2 MW, 4 GLS chains, 2 FTL chains and 325 kilomatres of high tension XLPE cables.
Electronic Equipment	13	217.92	2,471	305.72	109.16	500 nos of high frequency communication sets, 35,000 sq. metres of PCBs, 4,000 sq. metres of multilayer PCBs. 12,370 million running metres of video tapes. 3,500 tonnes of glass epoxy clad laminates, 10,000 nos of washing machines 50,000 nos. of computer key boards, 24 million nos of mechanical contact key switches, 12,500 nos. of image intensifier tubes, 18,750 nos. of power supply units, 30,000 lines of integrated local and trunk exchanges. 3 lakh nos. of monochrome computer monitor tubes, 100 million nos. of aluminium electrolytic capacitors and 2,000 tonnes of electronic grade copper clad laminates.
Transport Equipment	9	69.82	1,483	78.83	32.62	20,000 nos. of two wheeler scooter, 9 lakh nos. of dash boards, 33,000 nos. of crank shafts, 40,000 nos. of rear axle shafts, 2,500 nos. of crown wheel and spider kits, 85,000 nos of front forks, 645 tonnes of precision metallic springs, 250 tonnes of automative transmission gears, 5 million nos of piston rings and 7.9 lakhs nos. of propeller shaft components.
Metal Products	6	40.35	902	50.00	22.23	1,335 tonnes of tensile fostners, 7.25 million pieces of ceramic coating of cutting tools, 37.5 million nos. of Hosiery knitting needles, 3.5 lakh dozen pieces of steel cutlery and 1,152 million ball point pentips.
Non-Ferrous Metals	3	101.45	398	206.29	37.81	3,000 tonnes of copper enamelled wires, 3,000 tonnes of aluminium alloys, 30,000 tonnes of aluminium powder and 2,800 tonnes of electrolitic zinc.
Hotels & Tourism	33	187.51	4,806	103.12	76.12	2,541 rooms
Hospitals	9	110.60	2,464	60.78	43.76	1,184 beds.
Natural Gas	2	29.00	380	40.70	14.04	Distribution of 3.46 lakh cubic metres of natural gas.
Others	6	71.52	680	46.72	32.06	
Total	293	8936.10	57,072	7,840.69	3,231.60	

Appendix—III

Funding Pattern of Project Assistance by IFCI 1990–91 (April-March)) (Rs. Crores)

Financial pattern	New Projects	Expension/ diversification projects	Modernisation projects	Assistance for rehabilitation, balancing equipments etc	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Number of Projects	223	70	177	218	688
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
I. Promotors contribution					
—Share Capital	727.62 (9.6)	51.10 (3.8)	27.70 (1.4)	26.53 (2.2)	832.95 (6.9)
—Unsecured subordinated loans	31.06 (0.4)	8.79 (0.6)	22.32 (1.1)	25.75 (2.2)	87.92 (0.7)
—Internal accruals etc.	361.68 (4.8)	197.35 (4.5)	293.82 (14.7)	156.51 (13.1)	1,009.36 (8.3)
II. Assistance by term lending institutions viz., IFCI, IDBI, ICICI & IRBI					
—Loans & Advances	3,404.13 (45.0)	748.37 (55.0)	1,145.40 (57.4)	766.32 (64.2)	6,064.22 (50.0)
—Equity Support	343.45 (4.5)	15.01 (1.1)	14.32 (0.7)	7.37 (0.6)	380.15 (3.2)
III. Assistance by Investment Institutions, viz, LIC, GIC & UTI					
—Loans & Advances	138.52 (1.8)	62.65 (4.6)	71.19 (3.6)	23.12 (1.9)	295.48 (2.4
Equity Support	70.00 (0.9)	0.25 (—)	7.77 (0.4)	2.50 (0.2)	80.52 (0.7)
IV. Assistance by Banks					
—Term Finance	352.14 (4.6)	24.51 (1.8)	28.99 (1.5)	33.46 (2.8)	439.10 (3.6)
—Equity Support	656.56 (8.7)	39.39 (2.9)	1.35 (0.1)	9.10 (0.8)	706.40
V. Assistance by State-level Institutions					
—Term Finance	17.76 (0.2)	3.50 (0.2)	3.00 (0.2)	3.71 (0.3)	27.97 (0.2)
—Equity Support	66.39 (0.9)	0.16 (—)	2.63 (0.1)	0.21 (Negl.)	69.39 (0.6)
VI. Rights Issues	890.15 (11.8)	171.10 (12.6)	182.35 (9.1)	126.86 (10.6)	1,370.46 (11.3)
VII. Deferred Payments	164.50 (2.2)	6.90 (0.5)	— —	1.12 (0.1)	172.52 (1.4)
VIII. Loans from Foreign Institutions	256.46 (3.4)	15.56 (1.1)	62.35 (3.1)	— —	334.37 (2.8)
IX. Others	87.86 (1.2)	17.18 (1.3)	182.82 (6.6)	11.47 (1.0)	248.83 (2.1)
Total :	7,568.28 (100.0)	1,361.82 (100.0)	1,995.51 (100.0)	1,194.03 (100.00)	12,119.64 (100.00)

Notes : 1. Equity support includes underwriting assistance as also direct subscriptions.

2. Figures in brackets denote percentages to the total.

3. The above does not account for the cases of Overrun Finance and Financial Services (excluding Equipment Finance).

ANNUAL ACCOUNTS 1990-91

AUDIT REPORT

To the Shareholders of the
Industrial Finance Corporation of India

We have audited the attached Balance Sheet of the Industrial Corporation of India as at the 31st March, 1991, and also the Accounts of the Corporation for the year ended the 31st March, 1991, and report to the shareholders as follows :—

1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement with the books of account.

2. The necessary information and explanations called for by us have been given to us and have been found to be satisfactory.

3. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Balance Sheet, together with the Accounting Policies and notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948, and the Rules of the Corporation and exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Corporation.

Lodha & Co. Sumer Bansal & Co.
Chartered Accountants

Place : New Delhi

Dated : 5th June, 1991

BALANCE SHEET AS AT THE 31ST MARCH, 1991

Description	Schedule	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. lakhs
ASSETS			
Cash and Bank Balances	1	6,637.33	4,680.23
Investments in Assisted Concerns (At cost)	2	15,923.15	14,199.71
Investments in other Institutions (At cost)	—	3,191.28	2,700.02
Loans to Assisted Concerns	3	5,36,220.49	4,17,904.30
Fixed Assets	4	18,105.20	11,536.07
Other Assets	5	59,671.65	39,547.40
Customers' Liability for Acceptances (As per contra)	—	9,355.45	3,983.96
Total		6,49,104.55	4,94,551.69
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' FUNDS			
Share Capital	6	13,500.00	10,000.00
Reserves and Reserve Funds	7	38,945.25	32,741.75
Long Term Borrowings	8	5,22,253.98	4,01,743.94
Current Liabilities and Provisions	9	61,963.31	43,910.53
Earmarked Funds	10	3,086.56	2,171.51
Liability on Acceptances (As per contra)	—	9,355.45	3,983.96
Total		6,49,104.55	4,94,551.69
Accounting Policies and Notes	17		

The schedules referred to above form part of Balance Sheet.

H.C. Sharma, General Manager; S.P. Banerjee, Executive Director; D.N. Davar, Chairman; M.N. Goiporia, N.R. Krishnan, S.H. Khan, P.L. Karihaloo, B.D. Shah, K.P. Narasimhan, S. S. Kadam, D. M. Patel, Directors

New Delhi: 5th June 1991

Ladha & Co.

As per our Report of even date
Sumer Bansal & Co.
Chartered Accountants

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1991

Description	Schedule	Year ended the 31st March, 1991 Rs Lakhs	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Interest from Loans, Advances, Deposits and Income from other Financial Assistance (Less provision for bad and doubtful debts and other usual and necessary provisions)	11	59,147.47	46,295.48
Cost of Borrowings	12	47,546.76	35,794.83
Net Interest Revenue		11,600.71	10,500.65
Income fr om other operations	13	2,244.07	1,292.46
Total		13,844.78	11,793.11
Personnel Expenses	14	1,240.89	855.11
Directors' and Committee Members' Fees, etc.	—	4.14	2.91
Rental, Maintenance and Depreciation	15	1,675.81	1,147.63
Other Expenses	16	686.44	267.81
Contribution to Exchange Risk Administration Fund (ERAF)	—	—	500.00
Grant to Management Development Institute	—	5.00	5.00
Provision for Taxation	—	2,424.87	2,270.00
		6,037.15	5,048.46

The schedules referred to above form part of Profit & Loss Account.

Appropriated to:		
General Reserve Fund under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	1,790.60	2,230.20
Special Reserve Fund under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	4,074.00	3,000.00
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	150.00	250.00
Staff Welfare Fund	20.00	50.00
Dividend	1,773.03	1,214.45
	7,807.63	6,744.65

H.C. Sharma, General Manager; S.P. Banerjee, Executive Director; D.N. Davar, Chairman; M.N.Goiporia, N.R. Krishnan, P.L. Karihaloo, S.H. Khan, K.P. Narasimhan, B.D. Shah, D.M. Patel, S.S. Kadam — Directors

New Delhi: 5th June, 1991

Lodha & Co.

As per our Report of even date
Sumer Bansal & Co
Chartered Accountants

Schedule 1 — Cash and Bank Balance

Description	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As as the 31st March, 1990 Rs Lakhs
Cash and Bank Balances		
—Cash/Stamps in Hand	1.29	1.67
—Cheques/Drafts in Hand and lodged for collection	961.08	604.29
Balances with Banks in India		
—In Current Accounts (See Note No. 8)	4,745.40	2,618.65
—In Short Term Deposits	54.00	196.25
Balances with Banks outside India		
—In Current Accounts	701.85	633.31
—In Short Term Deposits	173.71	626.06
Total	6,637.33	4,680.23

Shedule 2

Investment in Assisted Concerns (At cost)

Description	Under Section*			As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
	23(d)	23(f)	23(i)		
(i) Equity Shares	5,719.65	5,016.65	2,318.84	13,055.14	11,712.56
(ii) Preference Shares	262.61	202.40	104.72	569.73	401.06
(iii) Debentures	634.90	933.20	230.93	1,799.03	1,838.91
(iv) Application money on Shares and Debentures	93.75	405.50	—	499.25	247.18
Total as at the 31st March, 1991	6,710.91	6,557.75	2,654.49	15,923.15	14,199.71
Total as at the 31st March, 1990	6,645.41	5,252.91	2,301.39	14,199.71	
Quoted Investments					
—Book Value				7,691.61	7,189.09
—Market Value				28,803.02	18,670.55
Unquoted Investments including Investments for which current quotations are not available.					
—Book Value				7,732.29	6,763.44
—Break-up Value				3,708.41	3,822.06

*Relates to Industrial Finance Corporation Act. 1948.

Schedule 3

Loans to Assisted Concerns (Less: Provision for bad & doubtful debts)

Description	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
(i) In Indian Rupees	4,23,043.28	3,38,875.78
(ii) In Foreign Currencies	1,13,177.21	79,028.52
Total	5,36,220.49	4,17,904.30
Notes:		
(i) Debts due by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	Nil	Nil
(ii) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	Nil	Nil
(iii) Total amount of instalments whether of Principal or Interest overdue by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors.	Nil	Nil

Schedule 4

Fixed Assets

Description 4	As at the 31st March, 1991		Net Value	
	Original Cost Rs. Lakhs	Depreciation to date Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
—Freehold Land and Buildings	1,444.46	257.57	1,186.89	1,033.94
—Leasehold Land and Buildings	5,554.97	294.66	5,260.31	5,147.85
—Furniture and Fixtures	205.18	67.10	138.08	128.71
—Office Equipments including Computers	468.85	295.35	173.50	166.18
—Electrical Installations	169.44	71.08	98.36	39.66
—Vehicles	20.14	15.92	4.22	6.27
—Leased Assets—Plant & Machinery	12,395.45	2,421.28	9,974.17	3,494.78
Sub-Total	20,258.49	3,422.96	16,835.55	10,017.39
—Advances against Capital Expenditure	1,269.67	—	1,269.67	1,518.68
Total	21,528.16	3,422.96	18,105.20	11,536.07
Asat the 31st March, 1990	13,459.77	1,923.70	11,536.07	

Schedule 5 — **Other Assets**

Description	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Interest accrued but not due	10,090.53	7,020.04
Advances to Machinery Suppliers under various Financial Services Schemes	20 672.90	13,377.65
Advances to Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd.	1,035.60	860.10
Advances to Housing Development Finance Corporation Ltd.	7,246.38	—
Advances to Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.	2,717.39	—
Advances to Employees	289.45	250.42
Deposits under Companies Deposits (Surcharge on Income tax) Scheme, 1976/Other deposits	96.16	147.60
Difference in Exchange Suspense Account (Net)	551.62	128.92
Advance Incl Fringe Benefit Tax deducted at source	5,500.43	7,641.38
Other Assets	11,471.19	10,121.29
Total	59,671.65	39,547.40

Schedule 6 — **Share Capital**

Description	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Authorised		
5,00,000 shares of Rs. 5,000/- each	25,000.00	25,000.00
Issued & Subscribed		
2,85,000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous year 2,25,000)	14,250.00	11,250.00
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948).		
Paid-up		
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500.00	500.00
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	200.00	200.00
(iii) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	134.60	134.60
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	165.40	165.40
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500.00	500.00
(vi) 5,000 (Sixth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250.00	250.00
(vii) 5,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250.00	250.00
(viii) 10,000 (Eighth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500.00	500.00
(ix) 10,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500.00	500.00
(x) 20,000 (Tenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,000.00	1,000.00
(xi) 20,000 (Eleventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,000.00	1,000.00
(xii) 25,000 Twelfth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250.00	1,250.00
(xiii) 25,000 (Thirteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250.00	1,250.00
(xiv) 25,000 (Fourteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250.00	1,250.00
(xv) 50,000 (Fifteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	2,500.00	1,250.00
(xvi) 50,000 (Sixteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each (Rs. 3,750 called and paid-up)	2,250.00	—
Total	13,500.00	10,000.00

Schedule 7 — **Reserves and Reserve Funds**

Description	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
General Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	14,643.11	12,852.51
Reserve Fund under Section 32A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	100.00	100.00
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	351.61	251.08
Special Reserve Fund under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961	22,503.11	18,429.11
Specific Grant from Government of India in terms of agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	1,347.42	1,109.05
Total	38,945.25	32,741.75

Schedule 8 **Long Term Borrowings**

Description	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Bonds (Unsecured—Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948—Guaranteed by the Government of India)		
(a) 6 1/2% Bonds	—	—
(b) 6 3/4% Bonds	7,810.00	7,810.00
(c) 7 1/4% Bonds	10,050.22	10,050.22
(d) 7 1/2% Bonds	10,995.00	10,995.00
(e) 8 1/4% Bonds	7,975.00	7,975.00
(f) 8 3/4% Bonds	8,004.80	8,004.80
(g) 9% Bonds	19,701.00	19,701.00
(h) 9.75% Bonds	32,269.13	32,269.13
(i) 11% Bonds	69,548.00	69,548.00
(j) 11.5% Bonds	1,23,602.00	83,602.00
(k) 7.6% Bonds (Yen Currency)	6,382.98	5,497.53
(l) 6.9% Bonds (Yen Currency)	7,092.20	5,497.53
(m) 6.3% Bonds (Yen Currency)	7,092.20	5,497.53
	3,10,522.53	2,66,447.74
Borrowings		
(a) From Industrial Development Bank of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	24,085.00	4,925.00
(b) From Life Insurance Corporation of India and General Insurance Corporation of India and its subsidiaries, under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	35,000.00	10,000.00
(c) From Government of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	21.32	50.82
(d) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	1,146.76	1,033.65
(e) From Industrial Development Bank of India in Foreign Currency out of proceeds of their foreign bond issue	1,751.31	1,530.61
(f) From Foreign Credit Institutions in Foreign Currencies	1,49,727.06	1,17,756.12
Total :	5,22,253.98	4,01,743.94

Schedule 9 **Current Liabilities and Provisions**

Description	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
(A) Current Liabilities		
Short term borrowings from Reserve Bank of India [Secured by Bondsissued by the Corporation of the face value of Rs. 49 crores (Previous Year Rs. 33.40 crores) Under Section 21(3)(b) of Industrial Finance Corporation Act, 1948]	4,400.00	3,000.00
Short term borrowing from Industrial Development Bank of India [Secured by Adhoc Bond issued by the Corporation Under Section 21(4) of Industrial Finance Corporation Act, 1948]	—	10,000.00
Sundry Creditors	6,048.99	3,348.94
Interest accrued but not due		
(a) On Bonds	7,964.08	7,171.85
(b) On Borrowings from Government	3.44	3.52
(c) On Borrowings from Foreign Credit Institutions	2,854.45	2,259.04
(d) On Borrowings from Industrial Development Bank of India and others	1,697.37	777.01
Deposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	29,690.00	7,000.00
Advance Receipts	379.57	119.41
Unclaimed Dividende	0.50	0·45
Amount refundable to sub-borrowers/payable to Government of India out of Interest on borrowings in Foreign Currency	1,938.45	1,573.71
(B) Provisions		
Amounts held in suspense		
(a) Interest	312.02	294.44
(b) Commitment charges	0.05	0.05
(c) Incidental charges	2.38	2.38
Provision for taxation	4,898.97	7,145.27
Provision for dividend	1,773.04	1,214.46
Total (B)	6,986.46	8,656.60
Total (A)+(B)	61,963.31	43,910·53

Schedule 10 — **Earmarked Funds**

Description	As at the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund	1,517.46	1,188.80
Special Jute Development Fund	207.61	193.50
Staff Welfare Fund	211.81	188.91
Exchange Risk Administration Fund	1,149.68	600.30
Total	3,086.56	2,171.51

Schedule 11 — **Interest from Loans, Advances, Deposits and Income from other Financial Assistance**

Description	Year ended the 31st, March, 1991 Rs. Lakhs	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Interest Income	50,845.33	41,225.31
Interest on Short term and other deposits	1,360.30	1,848.56
Commitment Charges and Up-Front Fee	1,799.41	1,061.84
Lease Rentals	3,611.73	1,960.00
Standing Charges	1,530.70	199.77
Total	59,147.47	46,295.48

Schedule 12 — **Cost of Borrowings**

Description	Year ended the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Interest on Bonds and Borrowings	46,824.24	35,393.76
Interest on Exchange Risk Administration Fund	102.66	61.03
Commitment Charges on Foreign Currency Loans availed	59.15	20.84
Cost of issue of Bonds	560.71	319.20
Total	47,546.76	35,794.83

Schedule 13 — **Income from Other Operations**

Description	Year ended the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Business Service Fee	544.06	398.80
Dividend	576.48	431.86
Profit on Sale of Investments	1,056.89	380.16
Miscellaneous Income	66.64	81.64
Total	2,244.07	1,292.46

Schedule 14 — **Personnel Expenses**

Description	Year ended the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Salary and Allowances	1,177.29	805.32
Staff Welfare Fund Expenses	4.24	4.44
Other Personnel Expenses	59.36	45.35
Total	1,240.89	855.11

Schedule 15 **Rental, Maintenance and Depreciation**

Description	Year ended the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Rent, Taxes, Insurance and Lighting	196.71	183.48
Repairs & Maintenance	78.56	8.97
Depreciation on Fixed Assets	1,400.54	880.18
Total	1,675.81	1,147.63

Schedule 16 **Other Expenses**

Description	Year ended the 31st March, 1991 Rs. Lakhs	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs
Audit Fees	1.55	1.55
Travelling and Halting Expenses	51.70	48.13
Communication Expenses	73.29	64.76
Printing, Stationery & Advertisement	57.47	56.71
Loss on Investments	206.24	17.51
Other Expenses	296.19	79.16
Total	686.44	267.81

SCHEDULE 17

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES

(A) *Significant Accounting Policies*

1. The accompanying financial statements have been prepared on the historical cost basis. Accounting policies, as stated below, unless otherwise stated, are being followed consistently.

2. *Revenue Recognition*

(a) Income by way of interest, Commitment Charges, Commission, etc., is accounted for an accrual basis except in cases where borrowers have committed a certain number of consecutive defaults, since the possibility of recovery in such cases has been considered remote. The income in such cases is accounted for an receipt, as per the policy consistently followed by the Corporation. Commitment charges are accounted for an Income only on conclusion of the Loan Agreement or on receipt of amount whichever is earlier.

Front-end fee is accounted for on receipt of the same.

(b) Interest on those loans and advances where Court orders have been obtained by the Corporation is accounted for only when such amounts are received.

(c) Dividend income is accounted for on accrual basis.

(d) Rental on leased assets is accounted for from the commencement date, as prescribed in the lease agreement entered with the Lessee and prior to that, financial charges are recovered on the advances made to machinery suppliers and/or expenses incurred for the purpose, if any.

3. *Investments*

3.1 Valuation :

Investments are valued at cost. Front-end fee or underwriting commission received against subscription/development of shares, debentures etc., are adjusted against the same.

Aggregate market value/break-up value of investments is compared to Book Value thereof on a global valuation basis.

3.2 Transactions :

(a) Gains or Losses on sale of investments are computed with respect to the Average cost of the investment held under the respective clause of Section 23 of Industrial Finance Corporation Act, 1948.

(b) Loss, if any, in the value of shares of companies proposed to be merged with other health companies, nationalised, in liquidation companies with negative networth or where sales of assets is contemplated, is accounted for as and when finally ascertained/determined.

4. *Exchange Transactions*

(a) The balance of—

(i) foreign currency loans/borrowings availed of by the Corporation (except the unutilised amount "parked" with RBI),

(ii) the loans granted to sub-borrowers therefrom,

(iii) the balances in foreign currency accounts with banks, and

(iv) contingent liabilities in respect of guarantee undertaken in foreign currency,

are all expressed in Indian Currency at TT selling rates prevailing as on 31st March, 1991.

(b) The outstanding amount of Foreign Currency borrowing lying parked with RBI are valued at the exchange rate fixed by RBI on the date of parking of fund.

Profit, if any, arising an account of fluctuations in currency exchange rates is accounted for in respect of each line of credit only after the borrowings are fully repaid to the foreign lending institutions

and the loans granted out of such borrowings to assisted concerns are fully recovered. Loss, if any, on account of such fluctuation in respect of each line of credit is accounted for when such line is fully repaid by the Corporation. Meanwhile, the exchange difference relating to :—

(i) the recovery and repayment of foreign currency loans;

(ii) conversion of year-end foreign currency balances, and

(iii) operations in the foreign currency accounts with Banks,

are accounted for in difference in exchange suspense account. The contribution received from Central Government, in part reimbursement of exchange losses incurred, has also been credited to the said account.

(c) The balances of the Foreign Currency Loans granted to sub-borrows under ERAS, are expressed in rupee equivalent at the rate prevailing at the time of its disbursement. The deficit/surplus in respect of exchange fluctuation at the time of repayment of the borrowings will be met from Exchange Risk Administration Fund. Any deficit or surplus in ERAF will be paid by or reimbursed to the Government of India.

5. *Fixed Assets*

(a) Fixed assets have been accounted for at their historical costs less depreciation.

(b) Leased assets are depreciated on the Straight Line Method on pro rata basis with respect to month of addition over the primary period of lease of assets or the number of complete years determined with reference to the income tax depreciation rates relating to these assets, whichever is shorter.

(c) Other assets are depreciated on the Written Down Value Method as per Income Tax Act, 1961 and the rules framed thereunder.

6. *Staff Benefits*

Gratuity Liability as actuarially determined has been accounted for. Separate Fund for gratuity has been created and the said liability stands fully funded.

7. *Prior Period Adjustments*

Considering the nature of business, all prior period adjustments, including those ascertained and determined during the year, have been accounted for under the respective heads of accounts.

(B) NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

(Figures in brackets relate to the previous year ended the 31st March, 1990)

1. The Corporation has contingent liabilities in respect of—

(a) Outstanding underwriting contracts under Section 23(d) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948] Rs. 121.25 lakhs (Rs. 314.00 lakhs).

(b) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares/debentures held as investment [under Section 20, Section 23(d) and Section 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948] Rs. 2153.99 lakhs (Rs. 240.88 lakhs).

(c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances paid) approximately Rs. 3722.68 lakhs (Rs. 2,202.55 lakhs).

(d) Income Tax demands raised by the Income Tax Authorities amount to Rs. 231.00 lakhs (Rs. 191.37 lakhs) against which the Corporation/Department has gone in appeal/reference on certain matters.

2. Sundry Creditors include Rs. 1262.49 lakhs (Rs. 1361.78 lakhs) in respect of Bonds which have matured but have remained unclaimed/unpaid.

3. Investments under Section 23(d) and 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 include Rs. 213.53 lakhs (Rs. 432.78 lakhs) in shares and debentures of certain Companies which are in the process of liquidation, nationalisation, amalgamation with other companies or finalisation of proceedings for sale of assets.

4. A sum of Rs. 201.42 lakhs (Rs. 60.17 lakhs) has been utilised upto the 31st March, 1991, partly out of Benevolent Reserve Fund and partly out of Specific Grant from Government of India for subscribing to the share capital in certain Technical Consultancy and other Organisations as part of the Promotional activities of the Corporation. Hence, these investments have not been included in the 'Investments' of the Corporation.

5. (a) Loans and Advances made to certain units, including sick units, have been considered good, irrespective of value of security, wherever rehabilitation/revival schemes have been formulated or are in process of formulation or under implementation and units have been found to leviable, on the basis of such schemes.

(b) Loans and Advances made to certain concerns and guaranteed by Central/State Government and to State/Central Government undertakings have been considered good irrespective of the value of securities, including cases where guarantees have been invoked.

6. An aggregate amount of Rs. 2,154.00 lakhs (Rs. 2.89.29 lakhs) was due on the date of the Balance Sheet from certain companies, the undertakings of which have been acquired by the Central/State Government. Besides, a sum of Rs. 35.11 lakhs (Rs. 35.11 lakhs) is due on the Balance Sheet date from certain companies whose liabilities have been frozen under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. It has not been possible to determine as to what portion of these amounts can be recovered either out of the compensation from the guarantors.

7. Balances with banks in India in Current Accounts include Rs. NIL lakhs (Rs. 499.85 lakhs approximately) invested by bankers in Central and/or State Government Securities/units of Unit Trust of India with the concurrence

of the Corporation and Rs. 500.00 lakhs (Rs. 2,100.00 lakhs) in bills under the Bills Rediscounting Scheme of Reserve Bank of India.

8. In respect of some of the premises acquired by the Corporation, formalities regarding conveyancing are in the process of completion.

9. Accounting policies with regard to the following have been changed during the year :—

(a) With effect from 1.4.90, Commitment charges have been accounted for on actual receipt or on conclusion of Loan Agreement, whereas previously such amount was credited to income only on conclusion of Loan Agreement.

(b) In view of certain Court judgements. Front-end-fee and underwriting commission receivable against subscription of shares and debentures have been adjusted against cost of investments as against the past practice of crediting the same to Profit & Loss Account.

(c) Depreciation on leased assets has been provided with respect to month of addition whereas in earlier years depreciation equivalent to full year's charge was provided irrespective of the period for which assets were actually used, with the result, profit for the year is higher by Rs. 914.00 lakhs.

Effect on profit on account of (a) and (b) above is not material.

10. Previous year's figures have been rearranged wherever necessary.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991